राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का 23वां दिवस [संख्या 19

मंगलवार,

दिनांक 31 मार्च, 1970

विधान सभा की बैठक म० पू० 8–00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970 पर प्रश्नोत्तर विचार

समय विभाजन

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं आज तो आप सहयोग देंगे। थोड़ा बहुत असहयोग होगा तो मैं उसको निभा लूंगा।

वित्त मंत्री महोदय

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : काहे के लिए ?

श्री अध्यक्ष: उत्तर देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अभी तो शंकरलालजी बोलेंगे और दूसरे सदस्य भी बोलेंगे।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : डिबेट जारी रहती है तो बोलूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं निवेदन कर दूं ऐसा है कि जहां तक एप्रोप्रियेशन बिल पर डिबेट का प्रश्न है मैं तो कल भी बोलने वाला था, कल भी तैयार होकर आया था और आज भी तैयार होकर आया हूं। मैं समझता हूं कि डिबेट को करटेल नहीं करें तो ज्यादा अच्छा हो। आपको उत्तर देना है और अध्यक्ष महोदय ने काफी समय देकर आज सदन की कार्यवाही चलाने के लिए बैठक बहुत जल्दी बुलाई है।....

श्री मथुरादास माथुर: मुझे आपत्ति नहीं। मेरा तो नाम बोला गया था इसलिये मैं उत्तर देने खड़ा हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: डिबेट तो चलने दी जाये।

श्री अध्यक्ष: मैं सदन को जानकारी दे दूं कि अब तक जो समय लिया गया है। यह इस प्रकार है। कांग्रेस 9 मेम्बर्स 3 घन्टे 12 मिनट, स्वतंत्र पार्टी 2 घन्टे 16 मिनट और 4 मेम्बर्स बोले, जनसंघ 2 मेम्बर्स और 1 घन्टा 9 मिनट, बी० के० डी० 2 मेम्बर्स और 1 घंटा 5 मिनिट, कम्यूनिस्ट पार्टी 35 मिनट, इन्डिपेन्डेन्ट 2 मेम्बर्स और 21 मिनिट। क्योंकि आज गैर सरकारी संकल्प है जिसको भी मैं लेना चाहता हूं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि अगर इस समय में से कुछ बचा सकूं तो जो अवशेष समय है उसका उपयोग हो सकेगा। मैं एड्जस्ट करने के लिए तैयार हूं यदि 9 बजे तक वित्त मंत्रीजी को अपना उत्तर देने का समय मिल जाये.....

Page No 2

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 10 बजे मिल जायेगा, 10॥ बजे मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष: आप भोजन के लिए भी थोड़ा समय लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: भोजन पर तो जा ही नहीं सकते। सम्भव नहीं होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : भोजन तो विधेयक पास होते ही यहां पर खिला देंगे।

श्री अध्यक्ष: यह गैर सरकारी मामला है इसलिये इसको नहीं लेता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आज दिन ही गैर सरकारी है।

श्री अध्यक्ष: जब इधर से भी बोलना है और उधर से भी बोलना है तो मैं समय की सीमा निर्धारित करूंगा। 10 मिनट से अधिक नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह तो नहीं। मेरा निवेदन यह है कि मेम्बर्स बोलें। आज पास तो होगा ही और मैं समझता हूं कि जबरदस्ती लोग खींचने वाले नहीं है और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि समय सीमा की बात नहीं है। बहुत ज्यादा माननीय सदस्य बोलने वाले नहीं हैं। जो भी बोलें रिलेवेन्सी को ध्यान में रखते हुए अपना कन्ट्रीब्यूशन दे दें।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरलाल।

श्री मथुरादास माथुर: मेरा तो इतना ही निवेदन है कि बिल पर गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई का कब आदेश मिलेगा। वह समय मुकर्रर हो। कितने बजे होगा गवर्नमेंट रिप्लाई यह मैं जानना चाहता हूं और बीच में जितने बोलने वाले हैं वह बोल लें।

श्री अध्यक्ष: मैं चाहूंगा कि सदन की अनुमति से 9-30 बजे वित्त मंत्रीजी को बोलने दिया जाये।

श्री शंकरलाल।

विधान सभा के बैठक के समय सम्बन्धी आपत्ति

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेडा): अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाऊंगा। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इस सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाता लेकिन रात को ऑल इंडिया रेडियो से एक समाचार प्रसारित हुआ है कि 5 बजकर 1 मिनट तक चूंकि प्रॉसिडिंग्स चलीं बिना टाइम बढ़ाये हुए हुई इसलिये अध्यक्ष महोदय, ने हाउस को एड्जोर्न कर दिया। मैं यह समझता हूं कि ऐसा शायद निर्णय तो नहीं हुआ लेकिन आज यदि है तो मैं एक प्रश्न और उठाऊंगा उसी के संदर्भ में कि क्या आज 8 बजे का जो समय रखा गया है और सदन को प्रारम्भ किया गया है वह भी नियमों के विरुद्ध होकर इल्लीगल है ?

श्री अध्यक्ष : वह तो नियम 12 के अन्तर्गत है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा पॉईन्ट ऑफ ऑर्डर चालू प्रोसीडिंग्स के संबंध में है और इसलिये सदन यह निर्णय लेता है कि यह सही है तो 5 बजे के बाद का भी चलना सही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि दो मिनट मुझे सुन कर निर्णय दे दिया जाये नहीं तो ऑल इंडिया रेडियो पर यह निर्णय हो चुका है।

Page No 3

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कोई निर्णय नहीं हुआ ऑल इंडिया रेडियो पर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ब्रॉडकास्ट हुआ था इसलिये गलत चीज है।......

श्री अध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि इस पर समय नहीं लगाया जाये.....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे सुन तो लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं सारे प्रश्न को समझ चुका हूं। मैं चाहता हूं कि समय नहीं जाया हो और आगे चला जाये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : दो मिनट मेरी बात सुन ली जाये। कभी न कभी यह निर्णय करना पड़ेगा तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री श्रवणलाल : (हिन्डौन सु०) : ऑल इंडिया रेडियो से ब्राडकास्ट हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यदि एक बात उधर से रखी जायेगी और फिर एक बात इधर से और उसमें एक घन्टा लग जायेगा। ऑल इंडिया रेडियो पर क्या ब्रॉडकास्ट हुआ क्या नहीं, उस पर नहीं जाना है।

श्री भैरोंसिंह : आपको सूचना दी है कि कल की घटना का ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इस सिटिंग के संबंध में बुलेटिन निकाल दिया गया नियम 12 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि सैशन का समय नियत कर दें इसलिये दोनों के बीच का यह रास्ता है इसमें कोई विषमता पैदा नहीं होती। मैं चाहूंगा इस पर नहीं जाकर अभी इस कार्य को सम्पादन करने में सहयोग दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक छोटा सा व्यवस्था का सवाल मेरा भी है कि क्या आपने जब अपील की थी तो मैंने व्यवस्था का सवाल छोड़ दिया था लेकिन नाहर साहब ने सिलसिला शुरू कर दिया इसलिये दो मिनट बोलूंगा। इस सदन में कई बार ऐसा अवसर आया है कि जब समय समाप्त हुआ, कलकी जो घटना हुई उस घटना के सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि समय सदन का 11 बजे से 5 बजे तक का है। अगर 5 बजे के बाद समय बढ़ाना है तो आसन अपने ऊपर जिम्मेदारी रखे या संसदीय प्रणाली में किसी और का है कि यह निवेदन आसन से करे। इस संबंध में आप व्यवस्था दे दें कि आखिर समय बढ़वाना है, कार्यवाही को आगे चलाना है उस संबंध में प्रस्ताव सदन के सामने आये तो क्या आसन की तरफ से प्रस्ताव आये या यह प्रस्ताव लाने की जिम्मेदारी किस की है?

श्री भैरोंसिंह : आप साफ साफ कहें कि किस की है?

श्री अध्यक्ष : हां, यह साफ कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरी राय में यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और संसदीय प्रणाली में मुख्य सचेतक जो इस सदन का होता है यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह सदन की कार्यवाही को निर्विवादित रूप से और नियमित रूप से चलवाने के लिए सभी दलों के सचेतकों से सम्पर्क रखें—समय समाप्त हो रहा है उसके बारे में वह ध्यान रखें। समय सरकार के लिए बढ़वाना है, विधेयक पारित करवाना है इसलिये समय बढ़ाया जाये इसके लिए आसन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

से निवेदन करे और इस प्रकार का प्रस्ताव सदन के सम्मुख वह प्रस्तुत करे। 5 बजने में 5 मिनिट के पहले और बाकी सदस्य चाहें कैन्टीन में चाय पीने जा सकते हैं यह सचेतक की जिम्मेदारी है कि कार्यक्रम पूरा रखे और समय बढ़वाना है तो उसके लिए सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करे और उसके बाद आसन की ...... गवर्नमेंट का पेंडिंग बिजनेस है उसको पूरा करवाना है–यह उचित नहीं है परम्पराओं के अनुसार लेकिन खेद इस बात का है कि सरकारी पक्ष इस सदन में समय बढ़वाने का प्रश्न है या पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर का सवाल है सिवाय हल्ला करने के बिलकुल भी जागरूक नहीं है और बिलकुल डम्ब, डैफ और ब्लाइण्ड की तरह बैठे रहते हैं। इसलिये इस संबंध में आप व्यवस्था दें तो भविष्य में इस प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा भी नहीं होगी जो हम कभी नहीं चाहते और न हमारा दल चाहता है कि हम किसी प्रकार से आसन के टकराव में आयें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: मुझे भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अब मौका नहीं है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं अभी...

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : इनको भी सुन लें तो अच्छा रहेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आर्ग्युमेंट है इससे आगे नहीं कहूंगा। (1) मैं सिटिंग ऑफ दी हाउस जब चेयर पर कोई न कोई हो तब सिटिंग आफ दी हाउस और उसके बाद के पेरे में आर्डिनरी टाइम 11 से 5 तक है...

श्री अध्यक्ष : सब समझ लिया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: मुझे सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष : मैं यहां बैठा रहूंगा 11 बजे तक और सुनता रहूंगा। नहीं हटूंगा यहां से। आई वान्टेड टु डिसपोज आंफ..

श्री यशवन्तसिंह : आप नाराज होते हैं तो मैं बन्द करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नाराज नहीं हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप नाराज क्यों होते हैं माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री दौलतराम सारण : नाराज क्यों होते हैं हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नाहर।

एक माननीय सदस्य : वे नाहर नहीं हैं...

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर दूं कि प्रश्न महत्वपूर्ण है। अभी तक चूंकि ऐसे प्रश्न नहीं आते रहे है इसलिये इन प्रश्नों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। समय बढ़ाने के सम्बन्ध में घड़ी देखता रहूं इधर या उधर और मैं ही उसका दायित्व रखूं। किसी विशेष स्थिति को सामने रखने पर भी यह आसन ही अपने पर दायित्व रखे। समय बढ़ाने का प्रश्न मोशन के जरिये प्रस्तुत हो यह रूल्स में नहीं है। लेकिन ऐसी परम्परा का निर्माण किया जाय तो बहुत कुछ व्यवस्था इस सम्बन्ध में हो सकती है, क्योंकि कई प्रश्न इसके बीच में आते है और वे सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में विचार-विनिमय होकर किसी स्थिति का निर्धारण कर दिया

(श्री अध्यक्ष)

जाय । मैं व्यवस्था दूं तब भी मुझको उचित मालूम नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्था के पूर्व मुझे इस सदन में सबका सहयोग लेकर चलना पड़ता है । इसलिए समय का विभाजन, समय का निर्धारण, समय का बढ़ना आदि, आदि कई प्रश्न हैं जो कि माननीय विरोधी दल के नेताओं, इधर के माननीय नेता, इन सबको बुलाकर के सारी व्यवस्था के सम्बन्ध में एकमत से कोई निर्णय ले लिया जाय जिससे कन्डक्ट ऑफ दी बिजनेस सुचारू रूप से चल सके इतना ही मैं अभिमत प्रकट कर सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने जिस प्रकार की व्यवस्था दी है कि सबको बुलाकर किया जाय तो मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि इस हाउस के बिजनेस को कन्डक्ट करने के लिए कई बार परम्पराएं और रूल्स इस प्रकार से कान्फिलक्ट में आते हैं क्योंकि दुर्भाग्य से अलिखित परम्पराओं का निर्माण किया गया है। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि विधान सभा के सदस्यों की इस प्रकार की समिति बना लें कि अभी तक किस किस प्रश्न पर किस किस प्रकार की परम्पराओं का निर्माण हुआ है उनको लिखित रूप में ले लें ताकि कन्डक्ट के मामले में बहुत बड़ी सहूलियत होगी । इस प्रश्न पर विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष : यह सुझाव उचितसा है । मैं भी इस सम्बन्ध में पहले से ही चिन्तन कर रहा था, और मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से समिति कितने सदस्यों की हो, क्या टर्म्स आफ रेफरेन्स उसका हो, आदि प्रश्नों पर आपके सहयोग से समिति का निर्माण होगा । मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम कभी असहयोग नहीं करते हैं ।

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970—पर अग्रेतर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970 जिसके द्वारा हम 1971 के 31 मार्च तक के लिए राज्य सरकार ने 4,18,0090,000 रुपये की धनराशि व्यय करने के लिए इस सदन से अनुमति चाही है । उस विषय में हमें यह देखना होगा कि वास्तव में जनता की इस गाढ़ी कमाई का पैसा जिसके बारे में हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो यह बात कही है उसका सदुपयोग होगा या नहीं? वास्तव में इस बिल के द्वारा और इस आय-व्ययक के द्वारा हम हमारे समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे अथवा नहीं? वास्तव में उसके द्वारा हम हमारी जो समस्यायें हैं, गरीबी की, बेरोजगारी की, उसको मिटाने में सफल हो सकेंगे या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा कि जो नीतियां इस बिल के अन्दर और इसके आय-व्ययक के, बारे में हैं उनमें वास्तव में कई खामियां हैं लेकिन जो भी नीतियां राज्य सरकार द्वारा अपनाई जायं उनका पालन होगा या नहीं, यह भी संदेहात्मक हमेशा रहता है । साथ ही इस प्रकार के पालन में जो खामियां रहती है उस विषय में मैं निवेदन करूंगा ।

यह बात तो सर्वविदित है और यह कहा जाता है कि राजस्थान का जो बजट

Page No 6

(श्री शंकरलाल)

है और राजस्थान का जो आय-व्यय है वह राजस्थान में वित्तीय आपद् स्थिति के अन्दर पेश हुआ है। यह बात सत्य है कि राजस्थान आज एक गम्भीर आर्थिक स्थिति के अन्दर से गुजर रहा है जो कि बहुत घाटे की व्यवस्था है और आपद् की व्यवस्था है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करना होगा कि हम कौनसे फालतू खर्चों को कम करें जिससे कि हम फालतू व्यय होता है उससे बच सकें। इस विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि कई बातों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए।

सर्वप्रथम मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक प्रशासन का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर बहुत सी हम मितव्ययता कर सकते हैं, इकोनामी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे महकमें हैं जिनका हम एकीकरण कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि हमारे राजस्थान के अन्दर विजिलेन्स कमीशन अलग है और एन्टी-करप्शन का डिपार्टमेंट अलग है। अगर इनको देखें, अगर इनके नतीजों को, अध्यक्ष महोदय, हम देखें और उस पर विचार करें तो राजस्थान सतर्कता आयोग, विजिलेन्स कमीशन की जो रिपोर्ट है उससे ऐसा मालूम होता है कि जहां गये साल के अन्दर 1,52,000 का खर्चा हुआ था वहां 9 मामले हमारे सामने आये और 9 मामलों के अन्दर कोई निर्णय नहीं हुआ। यह जो रिपोर्ट हमको दी गई है उसके अन्दर यह बताया गया है कि कहीं प्रारम्भिक जांच करा दी गई है और नं० 2 में यह बताया है कि जांच होकर राज्य सरकार के कृषि विभाग के विचाराधीन है। नं० 3 में यह बताया गया है कि गवर्नमेंट की ओर से जांच की जा रही है। कहीं पर यह बताया गया है कि इनके अन्दर जांच चल रही है। यह जो 9 मामले दिये है इनसे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य का 1,52,000 रुपये का खर्चा हो और उसके अन्दर केवल 9 मामले हमारे सामने आयें और उसमें किसी व्यक्ति को सजा न मिले और इसी प्रकार के मामले जो एन्टी-करप्शन का डिपार्टमेंट है उसमें हैं। उस पर भी जो खर्चा होता है उसको देखें तो एन्टी-करप्शन और विजिलेन्स कमीशन इन दोनों के अन्दर क्या अन्तर है और क्या करते है मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों महकमों को एक कर दिया जाय और लाखों रुपयों का खर्चा इसमें बचाया जाय।

साथ ही जो हमारे सामने एन्टी-करप्शन के मामले आयें हैं तो इसमें कोई 6 मामले आयें हैं। एन्टी-करप्शन की रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट द्वारा पूरे साल में 6 मामलों में सजा हुई है और 6 मामलों में तीन मामले तो पटवारियों के थे। जहां पर 6 मामलों में सजा हुई हो और सतर्कता आयोग में कोई सजा न हो और इन दोनों महकमं के अन्दर लाखों रुपयों का खर्चा हो तो मैं समझता हूं कि इस रकम का उपयोग नहीं हुआ है। जहां पर तीन पटवारियों को सजा हुई है तो इससे राजस्व विभाग को देखना है कि वहां पर 50 पर्सेन्ट शिकायतें पर पटवारियों को सजा होती है। इसका मतलब यह है कि राजस्व के अन्दर पटवारियों के लेवल पर अधिक करप्शन है। इसलिये उस विषय में भी हमको जाना होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम पूरे

(श्री शंकरलाल)

बजट को देखें तो महकमों के अन्दर ऑफिसर्स की सेलेरीज, अलाउन्स, मेडिकल बिल्स और टी० ए०, डी० ए० पर खर्चा होता है। हर एक डिपार्टमेंट को हम जाकर देखें तो करोड़ों रुपयों का बनता है. और उसके अन्दर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सा फालतू खर्चा होता है, जैसे मेडिकल रिएम्बर्समेंट है। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को जो मेडिकल की फैसिलिटी दी हुई है तो इसका इतना दुरुपयोग होता है और इतनी बातें हमको सुनने को मिलती हैं कि इस विषय पर राज्य सरकार को विचार करना पड़ेगा। राज्य सरकार एक तरफ तो यह कह देती है कि जिनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं उनसे ट्यूशन फी ज्यादा ली जायगी। मैं कहता हूं कि मेडिकल की फैसिलिटी यह बड़ी तनख्वाह वालों को क्यों दी जाय? यदि हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो जिनकी बड़ी तनख्वाहें हैं जिनको 500-700 रुपया मिलता है उनको मेडिकल फैसिलिटी, रिएम्बर्समेंट की सुविधा नहीं देना चाहिए। नीचे के लेवल पर मुझे दुःख होता है कि कई ऐसे मामले आये हैं कि एक गरीब आदमी के लिए प्रेस्क्रिपशन लिखते हैं लेकिन दवा लाने को उसके पास पैसे की कमी होती है तो जो दवा लाना चाहिए वह दवा उसको नहीं मिलती है और उन दवाओं को कई जगह बाजार में बेचा जाता है। तो ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बिलों के रिएम्बर्समेंट वगैरह के बजाय उनको दवाइयां दी जाय, गरीब आदमियों को दवाइयां दी जायं जिनको कि आप वास्तव में गरीब समझते हो। मेडिकल बिलों का रिएम्बर्समेंट करते हैं तो हर एक आदमी को जिनकी ऊंची तनख्वाहें हैं उनको यह फैसिलिटी न दी जाय। जो हॉस्पिटल्स में इन्डोर पेशेन्ट्स हों उनको हॉस्पिटल्स में दवाईयां दी जायं और जो आउट-डोर पेशेन्ट्स हों उनको भी दवाईयां दी जायं। बिलों का रिएम्बर्समेंट करने से करप्शन होता है, और, अध्यक्ष महोदय, सरकार का पैसा फालतू जाता है और जिससे कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं और पैसों का घोटाला होता है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं वाहनों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आज हम सब जगह सरकारी वाहनों को देखते हैं, राजस्थान सरकार की जीपों में और गाड़ियों में, किस किस के नाम बतायें, चाहे जिलों में हों, चाहे तहसीलों में हों चाहे डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर हों, हम कहीं भी चले जायें, राजस्थान सरकार के वाहनों में उनके बच्चे, औरतें बैठ कर अपने व्यक्तिगत काम में जाती हैं, और इस प्रकार सरकारी पैट्रोल का और सरकारी वाहनों का बड़ा भयंकर दुरुपयोग होता है। राज्य सरकार को सक्यूंलर निकालना चाहिये कि सरकारी वेहिकल्स केवल सरकारी काम में ही ली जायें, व्यक्तिगत कार्य के लिये कोई सरकारी वाहन काम में नहीं ली जाय। मिनिस्टर्स भी इसका उदाहरण पेश करें। अगर सरकारी वेहिकल्स में, सरकारी वाहनों में जाते हैं, निजी काम के लिये सरकारी वाहनों का उपयोग किया जाता है तो यह अनुचित है। एक तरफ आप समाजवाद का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ सरकारी वाहनों का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है, सरकारी वेहिकल्स को अपने व्यक्तिगत काम में लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार की आज्ञा निकाल कर सरकार यदि उस आज्ञा का स्ट्रिक्टली पालन कराये तो लाखों

Page No 8

(श्री शंकरलाल)

रुपये के पैट्रोल का और सरकारी वाहनों का जो दुरुपयोग होता है वह बचेगा। पर आपको इसे स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं आमदनी के जरिये बढ़ाने के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। बहुत से फालतू पदों को हटाने के लिये मैंने पहले निवेदन किया था, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। डिवीजनल लेवल पर फालतू पद हैं, डी० आई० जी० का पद है, डिप्टी सेक्रेटरी का पद है, इस तरह के पदों को हटा दिया जाना चाहिये। रजिस्ट्रेशन के इन्स्पेक्टर हैं। पंजीयन के अन्दर डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर इन्स्पेक्टर्स होते हैं, उनका काम है रजिस्ट्रेशन में जो घोटाले होते हैं, स्टेम्प्स के सम्बन्ध में जो गड़बड़ होती है, उन मामलों को रोकें पर आप रजिस्ट्रेशन का सारा रेकार्ड देख लीजिये, इन इन्स्पेक्टर्स ने आज तक कितने इस तरह के केसेज को पकड़ा है। एक भी केस नहीं पकड़ा है, तो इन पदों की आवश्यकता नहीं है। आप इन पदों को हटा कर यह काम यदि कलेक्टर्स के पास ज्यादा काम है तो एस० डी० ओज० को यह काम दे सकते हैं। तहसीलों में रजिस्ट्रेशन का काम होता है, तहसीलदार को यह काम दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रजिस्ट्रेशन होता है तो यह काम एस० डी० ओ० को या दूसरे अफसर को, सोशियल वेलफेअर का समाज-कल्याण अधिकारी होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है, इस तरह के अधिकारी को यह काम दे सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कुछ बातें और निवेदन करना चाहता हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमें हर तरह से इकोनॉमी करनी पड़ेगी और उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। आज हमारा राजस्थान फेमीन में, ड्राट में गुजर रहा है, इससे हमारे यहां उत्पादन में कमी आई है। लेकिन कृषि-उत्पादन के लिये जो आवश्यक बातें हैं, वह समय पर नहीं की जाती हैं। पहले कहा गया कि बीज रोकड़ दामों पर ही देंगे पर दूसरी जगह बताया गया है कि ऋण दिया गया बीज के लिये। पेज 4 पर बजट स्टडी में बताया गया है कि 2।। करोड़ रुपये का ऋण दिया गया और पेज 2 पर बताया गया है कि बीज केवल नकद मूल्य पर ही वितरित किया जा रहा है। फेमीन में उधार पर दें पर टाइम निकल जाता है, तब देते हैं। सोइंग के टाइम में हमने राज्य सरकार से कहा था कि किसानों के पास पैसा नहीं है, इसलिये किसानों को बीज उधार दो। पर राज्य सरकार ने उधार देने के लिये इन्कार कर दिया। सोइंग हो गया, उसके बाद कहते हैं कि उधार ले लो। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि विभाग में टाइमली काम किया जाय, समय पर खाद बीज दिया जाय तो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है। किसानों को समय पर और खाद व अन्य कृषि सम्बन्धी सुविधाएं नहीं देते हैं इससे किसानों में असंतोष पैदा होता है। कृषि विभाग को अपनी इस व्यवस्था में सुधार लाना चाहिये जिससे कि हमारे यहां कृषि-उत्पादन बढ़े। इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि अनुसंधान का कार्य जो हमारे यहां हो रहा है, वह काफी नहीं है, इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

(श्री शंकरलाल)

मैं थोड़ा रोडवेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। रोडवेज के अन्दर पहले हमारे घाटा था, अब फायदा में चल रहा है। पर सब प्रान्तों को देख लें, राजस्थान ही ऐसा प्रान्त है जिसमें सबसे कम राष्ट्रीयकरण हुआ है। राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी रिपोर्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि राजस्थान में रोडवेज का 7.42 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण हुआ है जब कि केरल में 99.9 पर्सेंट, गुजरात में 99 पर्सेंट, मध्य प्रदेश में 60 पर्सेंट, यू० पी० में 55 पर्सेंट, हरियाना में 55 पर्सेंट, पंजाब में 50 पर्सेंट, मैसूर में 67 पर्सेंट, राष्ट्रीयकरण रोडवेज का हुआ है, जबकि राजस्थान में केवल 7.42 पर्सेंट राष्ट्रीयकरण हुआ है। फिर हमारे यहां क्यों नहीं सब रूट्स का राष्ट्रीयकरण करते हैं? कहा जाता है कि मुकदमें चलते है। राज्य सरकार को मुस्तैदी से कदम उठा कर रोडवेज का समूल राष्ट्रीयकरण करना चाहिये जिससे कि हमारी आमदनी बढ़े।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। इसमें फैमिली प्लानिंग के लिये अलग वेहिकलस हैं, एज्यूकेशन की पब्लिसिटी के लिये पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के पास अलग वेहिकलस हैं और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की खुद की वेहिकलस अलग है। इन सबका एक ही कन्सोलिडेटेड पूल हो तो ज्यादा उपयोगी होगा।

एज्यूकेशन में आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं पर आज छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। गांवों में हम डेमोक्रसी से चलते हैं, गांवों में एडल्ट एज्यूकेशन की तरफ आपको ध्यान देना होगा....

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री शंकरलाल: अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे बहुत सी जरूरी बातें कहनी है।

श्री अध्यक्ष: जरूरी तो बहुत हैं पर मेरे पास समय नहीं है।

श्री शंकरलाल: अब मैं थोड़ा सीलिंग के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। सरकार कहती है कि सीलिंग एक साल में लागू होगा, 32 हजार एकड़ जमीन हमने ले ली है। ये घोषणाएं तो हम 6 साल से सुनते आरहे हैं। सीलिंग को क्रियान्वित करने के लिए डेट निश्चित करके, स्ट्रोंग स्टेप उठा कर वार फुटिंग्स पर काम करना चाहिए। जैसे बोम्बे में किया था कि आज की तारीख से जिसके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन होगी वह उसके पास नहीं रहेगी। लेकिन आपकी लचर पचर पॉलिसी है। आप घोषणाएं कर देते हैं पर उनका इम्प्लिमेंटेशन नहीं होता है...

श्री विजयसिंह (मकराना): आपके साथ कितने माननीय सदस्य हैं जो सीलिंग लगाने के लिये तत्पर हैं?

श्री शंकरलाल: आप सख्ती से सीलिंग को लागू नहीं कर रहे हैं और उधर बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों के ट्रान्सफर्स हो रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन जमीनों के ट्रान्सफर्स को रोकें। जमीनों के ट्रान्सफर्स के लिए पेनल क्लाज रखें तो यह ट्रान्सफर्स रुक सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे समय कम दिया है। पर आपने फरमा दिया है तो मैं समाप्त करता हूं।

श्री विजयसिंह : सीलिंग को लागू करने के लिए कितने आपके साथी आपके साथ हैं।

श्री शंकरलाल : हमारे साथ राजस्थान की दो करोड़ जनता है। आप सदस्यों के अन्दर विरोधाभास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं....

(श्री विजयसिंह और श्री शंकरलाल, दोनों साथ साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री शंकरलाल : सीलिंग हुआ है और होगा। सदस्यों के अन्दर आप इस तरह से विरोधाभास पैदा मत करिये। आपकी नीति अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी...

श्री विजयसिंह : मेरे पास जमीन नहीं है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि आपके साथी सदस्यों में से सीलिंग को लागू कराने के लिए आपका साथ देने वाले कितने माननीय सदस्य हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

विरोधी दल से कोई नहीं बोलेंगे ?

(श्री रामकिशन के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन। आप बोलेंगे ?

श्री रामकिशन : मैं इसीलिए जल्दी जल्दी आया हूं।

श्री अध्यक्ष : तो आप फिर धीमे धीमे बोलिये जिससे कि स्वांस की गति न बढ़ने पाये।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक, 1970-71 पर विचार हो रहा है। इन दिनों में सदन के समक्ष जो तथ्य आये हैं और वित्त मंत्रीजी ने बजट के जो प्रस्ताव रखे हैं उनसे साबित हो गया है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत ही दयनीय है।

राजस्थान के सारे योजना व्यय और राजस्थान के कुल खर्च के लिए भी हमें केन्द्रीय सरकार की सहायता पर और करों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पिछले 20 वर्षों में जो कुछ राजस्थान में हुआ है और पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की मार्फत जो क्षमता हमने प्राप्त की है या राज्य के जिस हिस्से में जो इन्वेस्टमेन्ट किया गया है उस हिस्से से हमने उतना प्राप्त नहीं किया है जितनी की हमने आशा लगाई थी और जो हमारे लक्ष्य थे, इससे यह साफ हो जाता है।

जहां तक राज्य के करों की और केन्द्रीय करों का सवाल है उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। जो केन्द्रीय सरकार से हम अनुदान या सहायता या अपना हिस्सा करों का भाग हम ले सके हैं वह कोई अनुचित और गैर वाजिब भी नहीं है। पर जो राजस्थान की वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुए क्या हम राज्य के करों की मार्फत और केन्द्रीय सरकार की सहायता के मार्फत राजस्थान का विकास कर सकते है या अन्य राज्यों की तुलना में,

(श्री रामकिशन)

दूसरे देशों को छोड़ दो, लेकिन जो हमारे पड़ौसी राज्य हैं उनके मुकाबले में कमी आ सकेंगे ? मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कोई आभास वित्त मन्त्री के भाषण से या मुख्य मंत्री के कथन से नहीं मिलता। हमारी जो तरक्की की रफ्तार है वह इतनी धीमी है कि उसकी मार्फत न हम राजस्थान का कल्याण कर सकते हैं, न राजस्थान के अकाल का इलाज कर सकते हैं, न राजस्थान के जन-जीवन का जीवन-स्तर ऊंचा ले जाया जा सकता है। हमारे पड़ौसी राज्यों ने जितनी कुछ इन पिछले 22 वर्षों में किया है राजस्थान उससे काफी पीछे ह। मैं समझता हूं वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी यह दलील देकर निकल जावेंगे कि हमें कुदरत का सहयोग नहीं मिलता, वर्षा का सहयोग नहीं मिलता, और इसलिए हमारी खेती का उत्पादन गिर जाता है इसलिए प्रति व्यक्ति आमदनी गिर जाती है। यह सच्चाई है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। पर साथ-साथ इसके एक दूसरा लाभ भी मिला हुआ है हमको। देश के दूसरे राज्य हैं, वे घनी आबादी वाले हैं। उनके पास जमीन कम है। तो आपको जहां एक नुकसान है, वहां लाभ भी है कि प्रति व्यक्ति होल्डिंग जितनी आपके यहां प्रति व्यक्ति है, वहां किसी भी अन्य राज्य के पास नहीं है। जहां नुकसान होता है प्रकृति के प्रकोप के कारण, वर्षाभाव के कारण, वहां कम आबादी वाला लाभ भी आपको मिला हुआ है। जब तक इन सारी चीजों को आप नहीं देखेंगे तब तक आपका दृष्टिकोण विकास के लिए जितना विस्तृत होना चाहिए, नहीं हो पावेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की कुछ कठिनाइयां हैं। हमारे राज्य की कुछ अपनी भौगोलिक स्थितियां हैं, इनके कारण निश्चित तौर से जिस तरह के कदम हम राज्य के विकास के लिए, चहुंमुखी विकास के लिए उठाये जाने चाहिए थे, वे नहीं उठाये गये। तो इस पर से मैं निवेदन करूंगा कि क्या आप आगे भी उसी मायाजाल में राजस्थान को उलझाये रखेंगे और यही रोना रोते रहेंगे कि कुदरत का सहयोग हमें नहीं मिल रहा है वर्षा नहीं हो रही है, समय पर अकाल बहुत पड़ रहे हैं और इस कारण हम इस विकास को नहीं कर सके हैं, और आगे भी कर सकना हमारे लिये मुमकिन नहीं है। अगर इसी शब्दावलि का प्रयोग आगे भी आप करते रहे तो वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी, आप अच्छी तरह से समझ लें, इस शब्दावलि की आड़ में आप 22 साल तक तो बच निकले हैं पर अब नहीं बच पायेंगे, हां दस-बीस साल राज्य को और अगर आप अपने अधिकार में रखना चाहते हैं तो आपको दूसरी शब्दावलि अपनानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, दूसरी रोशनी लानी पड़ेगी, दूसरी दिशा देनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ म इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारी स्थिति इन दिनों में निरन्तर गिरती जा रही है। ठीक है कि हमारे यहां सूखा पड़ता जा रहा है। पर यह सूखा और बाढ़ का प्रश्न हमारे ही अकेले राज्य का नहीं ह, उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है। वहां भी गंगा और जमुना की बाढ़ निरन्तर नुकसान करती रहती ह। हमारे यहां सूखे का अहम सवाल है तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ का सवाल अहम है। गुजरात में भी दो साल सूखा पड़ चुका है। पंजाब में भी हर साल बाढ़ की वजह से करोड़ों और अरबों रुपयों की फसल का नुकसान हो चुका है। तो अकाल की मार्फत जितना नुकसान हमें हुआ है और इसमें जितना खर्चा

(श्री रामकिशन)

हमने किया है और इससे जितना उत्पादन हमारा गिरा है बाढ़ के कारण उतना ही नुकसान इन राज्यों को भी हुआ है इस दृष्टि से अन्य राज्यों के आंकड़े लें तो हम और वे राज्य एक ही स्तर पर खड़े होंगे। इन राज्यों में भी प्राकृतिक संकटों के कारण उन राज्यों की आमदनियां भी गिरी हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री से कि इस दृष्टि से हम कोई विकास अपने राज्य का नहीं कर पाये और दूसरे राज्य कर गये, यह सही नहीं है। इस धरातल पर तो हम दोनों बराबर हैं करीब करीब। अगर थोड़ा बहुत अन्तर है तो हमें उतना ही आबादी कम होने और जमीन अधिक उपलब्ध होने का लाभ भी है। पर गलती हमारी और जगह है। इन पिछले बीस वर्षों में हमने प्लानिंग की गलतियां कीं, क्षेत्रीय असन्तुलन किया, जिस जगह से जिस क्षेत्र से हमें रिटर्न की गुंजाइश नहीं थी, वहां जबर्दस्ती पक्षपात से प्रेरित होकर हमने इन्वेस्टमेन्ट किया और इस कारण हमें अभिसिप्त रिटर्न नहीं मिले। इस क्षेत्रीय असन्तुलन के कारण ये नतीजे हमारे सामने आये हैं कि हम विकास नहीं कर पाये, ये कुदरत के कारण नहीं आये हैं। कुदरत सम्पूर्ण कारण नहीं है। कुछ कारण हो सकता है, पर क्षेत्रीय असन्तुलन भी एक बड़ा कारण है जहां ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका कोई रिर्टन हमें नहीं मिला है। इस कारण से हमारी वित्तीय स्थिति दयनीय हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय कल डागा साहब बोल रहे थे वे आंध्र की मिसाल दे रहे थे, मद्रास की मिसाल दे रहे थे। ये औद्योगिक राज्य गिने जाते हैं। महाराष्ट्र जैसा राज्य है उसमें औद्योगिक प्रगति काफी है। इस राज्य में जो अकेले बम्बई शहर के कारण आती है अधिकांश में। इसलिये इनको उदाहरण नहीं बनाना चाहता मैं भी। पर जो हमारे जैसे राज्य हैं जिनकी औद्योगिक क्षमता हमारे जैसी ही है औद्योगिक रिर्टन का हिस्सा कर प्रणाली में हमारे जैसा ही है उनसे भी मुकाबला करें तो राजस्थान पीछे है। महाराष्ट्र के बारे में आप यह ज ाव देकर निकल जाते हैं कि बम्बई शहर उनके पास है, मद्रास के बारे में जिक्र कर देते हैं तो कह देते हैं यह औद्योगिक दृष्टि से बहुत ज्यादा विकसित प्रदेश है। पर मैं देखता हूं तीन-चार हमारे जैसे ही क्षेत्रीय राज्य हैं। लघु उद्योग और बड़े उद्योगों की दृष्टि से जितना हमारा प्रदेश पिछड़ा है उतने ही वे भी हैं, सूखे से हमारा हिस्सा जितना वीरान है उतना ही उनका बाढ़ से है। उत्तर प्रदेश जो हमारा पड़ौसी राज्य है, वित्त मंत्री जानते हैं, 20 वर्षों की प्लानिंग में उसकी काफी उपेक्षा हुई है क्योंकि वहां का प्रधान मंत्री रहा है भारत का इसलिये योजना आयोग ने बड़ी सहायता उसकी नहीं की। पिछड़ा प्रदेश इस माने में वह भी रहा है। पर इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि 54-55 में जो पर कैपिटा इनकम उसकी थी 64-65 तक उसने हमारे से अधिक प्रगति की है। 65 तक मैं इसलिए रखना चाहता हूं आज तक इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि 65 के बाद के वर्ष राजस्थान में काफी अकाल के और सूखे के रहे हैं। इसलिए जो सामान्य वर्ष हम मानते हैं मैं उन्हीं तक अपनी प्रगति को आंकने की कोशिश करूंगा। तो इस दृष्टि से 64-65 तक के लिए ही अपने राज्य का मुकावला मैं पड़ौसी राज्यों से करता हूं तो पाता हूं कि हम उनसे पर कैपिटा इन्कम में आज भी बहुत पीछे हैं।

(श्री रामकिशन)

उत्तर प्रदेश में 55-56 में पहली योजना की समाप्ति पर और दूसरी योजना के प्रारम्भ में प्रति व्यक्ति आमदनी 213) वार्षिक थी और 64-65 में वह योजना का अन्तिम साल का नहीं बता रहा हूं इसलिए कि आप बचकर और यह कहकर नहीं निकल जावें कि वे हमारे अकाल के वर्ष थे, 365) थी तो इस तरह वहां 213)से 365) हो गई। इसी तरह से पंजाब में 55-56 में 330) थी जो 64-65 में 566) हो गई, गुजरात में 259) थी जो 424) हो गई, और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 55-56 में जो 223) थी 64-65 में वह 386) हो गई, और इन सबके मुकाबले में राजस्थान की 54-55 में 260) थी जो 64-65 में 386) हो गई। इस तरह और राज्यों से हम पिछड़ गये। 9 सालों में जहां उत्तर प्रदेश में 152) की बढ़ोत्तरी हुई, पंजाब में 256 की गुजरात में 165 की, मध्य प्रदेश में 163 की हुई, वहां राजस्थान में हम 126) की बढ़ोत्तरी कर पाये। इसका साफ मतलब निकलता है कि इन सालों में हम औद्योगिक दृष्टि से और खेती की दृष्टि से सब दूसरे राज्यों से पिछड़े राज्य की हैसियत में रहे हैं। मैंने उन उन्नत राज्यों की गिनती नहीं की है। पंजाब को भी छोड़ दें तो और दूसरे हमारे ही समकक्ष राज्यों के मुकाबले मैंने फिगर रखे हैं।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन भी कर देना चाहता हूं कि आखिर हमारी यह दशा हुई क्यों ? क्यों हम पीछे रह गये ? क्या इस सबकी जिम्मेदारी अकेले अकाल पर है, कुदरत पर है ? जो गलत इन्वेस्टमेन्ट किया है सरकार ने, जो क्षेत्रीय पक्षपात करके गलत इन्वेस्टमेन्ट किया सरकार ने और जिसके कारण उस इन्वेस्टमेन्ट का रिटर्न नहीं मिल सका, जहां से उम्मीद थी उस क्षेत्र में अगर इन्वेस्टमेन्ट करते तो काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता था वह नहीं किया इस कारण से है। हमारी प्रगति रुक गई। हम पिछड़ गये। कल भी चर्चा चली थी। दूसरों ने भी कहा है कि हमारे राज्य में क्षेत्रीय असन्तुलन है। यह राज्य क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा करके असन्तोष को जन्म दे रहा है। मैंने इस पर पिछले बजट अधिवेशन में भी थोड़ा प्रकाश डाला था। पर यह क्षेत्रीय असन्तुलन भी पोलिटिकल है या कुदरत की वजह से है यह भी मैं कहना चाहूंगा, पर अभी इस विवाद में पड़ना नहीं चाहूंगा। हम मानते हैं कि कोटा में ज्यादा खर्चा हुआ गंगानगर में ज्यादा हुआ। पर वहां चम्बल और भाखरा नहर और राजस्थान नहर की उपलब्धि थी, इस कारण यह कोई हमने उनके साथ एहसान नहीं किया। इसका इन्वेस्टमेन्ट तो वहीं किया जा सकता था, वह इन्वेस्टमेन्ट तो अन्यत्र नहीं ले जाया जा सकता था। इसके लिए प्रकृति का सहयोग उनको था। इसलिए प्रकृति के भण्डार का हमें उपयोग वहीं जाकर करना था। तो वहां पर अगर प्रति व्यक्ति ज्यादा खर्चा हो गया है तो यह असन्तुलन का कारण नहीं है।

असल में असन्तुलन का, क्षेत्रीय असन्तुलन का कारण तो यह है कि इन्वेस्टमेन्ट कहां करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए कि जिससे सही और पूरा रिटर्न उस इन्वेस्टमेन्ट का मिलता यह दृष्टि-कोण हमारा कभी नहीं रहा। सही दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेन्ट करके जहां हम जल्दी से उसका रिटर्न और नतीजा प्राप्त कर सकते थे ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते थे वह इसलिए नहीं कर पाये कि राजस्थान में, इस दृष्टि से हमने देखा नहीं,

(श्री रामकिशन)

और इस दृष्टि से देखकर हमने इन्वेस्टमेन्ट किया नहीं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जहां कुदरत ने अच्छी जमीन दी है, जहां सिंचाई के छोटे साधन उपलब्ध हैं। ऐसे जिलों के अंदर राजस्थान सरकार अगर बिजली और दूसरे साधनों से उत्पादन बढ़ाती तो राजस्थान सरकार को राजस्व में ज्यादा आमदनी होती। इस दृष्टि से मैं राजस्थान के विकास की बात करता हूं। मैं अलवर या भरतपुर, जोधपुर या उदयपुर की क्षेत्रीय दृष्टि से चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को इन्वेस्टमेंट ज्यादा वहां पर करना चाहिए जहां से कि उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न जल्दी आ सके। लेकिन राज्य सरकार की नीति का नतीजा यह है कि कुछ जिलों में राज्य सरकार प्रति व्यक्ति बहुत कम इन्वेस्टमेंट करती है, मैं जो प्राकृतिक रूप से सम्पन्न जिले हैं उनको छोड़ देता हूं, गंगानगर वगैरह जो जिले हैं उनको मैं छोड़ देता हूं। जहां पर कि पानी उपलब्ध था, उनको छोड़ कर ऐसे जिलों में इन्वेस्टमेंट कर दिया है जहां पर कि राजस्व बहुत कम है। मैं तीन तीन जिलों की दो कैटेगरी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हमारे राज्य की आमदनी के हिसाब से तीन जिले आगे बढ़े हुए हैं जिन जिलों से बहुत ज्यादा कर आता है। मैं 1961 से 1967-68 तक की बात कर रहा हूं। अलवर जिले से जो तीन-चार टैक्स से राज्य को आमदनी होती है, जिसमें सेल्स टैक्स है, एन्टरटेनमेंट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है और भू-राजस्व है, मैंने इसमें स्टाम्प ड्यूटी और दूसरे करों को शामिल नहीं किया है। इन तीन-चार टैक्सों से अलवर से राज्य सरकार को 1 करोड़ 73 लाख 92 हजार की आमदनी हुई, भरतपुर से राज्य सरकार को 1 करोड़ 30 लाख 37 हजार रुपये की आमदनी हुई और सवाई माधोपुर से राज्य सरकार को 1 करोड़ 71 लाख रुपये की आमदनी इन टैक्सों से हुई। अध्यक्ष महोदय, इन जिलों में राज्य सरकार जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगी उतना ही राज्य सरकार को लाभ होगा और जो भी योजना इन जिलों के लिए होगी वह योजना उत्पादन योजना होगी और राज्य सरकार को इन्डाईरेक्ट और डाईरेक्ट टैक्सेज से आमदनी मिलेगी। मेरा निवेदन है कि इस दृष्टि से राज्य सरकार का इन्वेस्टमेंट होता तो हम सोचते कि राज्य सरकार राजस्थान का विकास करना चाहती है। लेकिन राज्य सरकार तो विकास के कामों के अन्दर कटौतियां करती जा रही है, इसी कारण से राजस्थान सरकार को योजना का आकार भी छोटा करना पड़ा है। मैं मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर दो अरब, तीन अरब की योजना से कोई विकास का काम नहीं कर सकते हैं। पहले जो राज्य सरकार ने योजना का प्रारूप तैयार किया था वह 4 अरब 43 करोड़ की योजना का था, इसके बजाय कम योजना के अन्दर प्रावधान करके विकास की गति को मन्द रख कर चलेंगे तो मेरा निवेदन है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में राजस्थान का विकास नहीं कर सकेंगे, इसलिए दूसरे राज्यों का विकास के मामले में मुकाबला करने के लिए योजना का आकार 4 अरब 43 करोड़ का होना चाहिए। लेकिन अभी जैसा केन्द्रीय सरकार से मालूम हुआ है और अखबारों से मालूम हुआ है कि राजस्थान की योजना का आकार तीन अरब और कुछ करोड़ का रखा जा रहा है, इस योजना से जो राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है, इस राज्य के अन्दर पिछड़ापन है इस कारण

(श्री रामकिशन)

उन्नति के साधनों का पूरी तरह से विकास नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा राजस्थान का विकास क्यों नहीं हुआ है, इसके लिए मैंने तीन जिलों के टैक्सों की आमदनी की बात आपको बताई है, आपको ताज्जुब होगा, अध्यक्ष महोदय, कि इन जिलों में प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट इस राज्य सरकार द्वारा बहुत कम किया गया है। अलवर की जहां टैक्सों से आमदनी है 1 करोड़ 73 लाख 92 हजार वहां एक व्यक्ति के पीछे 106 रुपये के हिसाब से खर्च किया गया है। अगर राज्य सरकार प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ा देती है तो इस जिले से राज्य सरकार को टैक्सों की इन्कम ज्यादा हो सकती हैं। इसी प्रकार से भरतपुर से राज्य सरकार को 1 करोड़ 30 लाख 37 हजार के आस पास टैक्सों से आमदनी होती है, वहां पर प्रति व्यक्ति पर जो खर्च किया है, वह 140 रुपये किया है, यह प्रति व्यक्ति खर्च भी बाढ़ नियंत्रण में दिये गये पैसे की वजह से बढ़ गया है, अन्यथा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में खर्च बहुत कम गिया गया है। इसी प्रकार से सवाई माधोपुर में राज्य सरकार को टैक्सों से आमदनी 1 करोड़ 71 लाख रुपये के आस पास हुई वहां पर 103 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां इन जिलों में राज्य सरकार को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना था जिससे इन जिलों से ज्यादा टैक्सों की आमदनी आती, इसके विपरीत पोलिटिकल रीजन्स से उदयपुर के अन्दर ज्यादा खर्च करते हैं। मैं मानता हूं कि प्राकृतिक साधन उदयपुर के इलाके में ज्यादा हैं, खनिज के साधन वहां हैं उनका उपयोग होना चाहिये–इस कारण यदि वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो मैं नहीं कहता कि वह अनुचित काम है, और हम इसलिए भी इसका विरोध नहीं करना चाहते क्योंकि उदयपुर मुख्य मंत्री जी का निवास-स्थान है। लेकिन राज्य सरकार जो इन्वेस्टमेंट करना चहती है उसमें राज्य सरकार का यह नजरिया या दृष्टि-कोण रहना चाहिये। राज्य सरकार जो भी पूंजी का नियोजन करे उसके माफिक उसको लाभ भी प्राप्त करना चाहिये। लेकिन राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण नहीं है और केवल वोट लेने के लिए सड़कें बना दी जाती है बिजली, के खम्भे लगा दिये जाते हैं ताकि अन्त में जाकर उस कामों से राजनैतिक लाभ मिले। राजस्थान सरकार की इस प्रवत्ति से ही राजस्थान का आज यह चित्र नजर आता है कि राज्य सरकार आज दिवालिया हो गई है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अध्यक्ष महोदय, अभी तो दस मिनिट हुए हैं.....

श्री अध्यक्ष : दस मिनिट देने का प्रावधान है। आपके दल से आप ही बोल रहे हैं ?

श्री रामकिशन : मैं ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बीस मिनिट !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : एक आध मिनिट का सवाल हो सकता है, आपकी आज्ञा होगी तो दो तीन खास खास बातें कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : कहीं समय अकस्मात सहसा बच गया तो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलता हूं। आज्ञा नहीं देंगे तो नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका सहयोग सदन में सबसे ज्यादा मिलता है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि विभिन्न क्षेत्रों में

(श्री रामकिशन)

जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हुआ है उससे उसका पूरा रिटर्न नहीं मिल पाया है। दूसरे तीन जिलों का जैसा मैंने निवेदन किया कि प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट किया है वह बहुत ज्यादा किया है, जैसे उदयपुर के अन्दर जो प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट किया है, वह 192 रुपये किया है। 192 में खान सम्पदा, बिजली, सिचाई उसको अलग कर लें तो भी उदयपुर के अन्दर प्रशासनिक भवन ज्यादा बने हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर के अन्दर जो प्रशासनिक भवन बने हैं उस पर जो राज्य का इन्वेस्टमेंट मिलता है उसका रिटर्न नहीं मिलता है। इसलिए राज्य सरकार को यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाय जिससे रिटर्न ज्यादा मिल सके, उसके लिए यदि पानी की योजना पर खर्च किया जाता है, बिजली के लिए खर्च किया जाता है, आदिवासियों की दशा सुधारने के लिए खर्च किया जाता है, शिक्षा के विकास पर खर्च किया जाता है तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा जन-कल्याण के कार्य राज्य में हो रहे हैं। लेकिन जो प्रशासनिक भवन बने हैं, उनके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रशासनिक भवनों पर व्यय करके किस प्रकार राज्य का पैसा बरबाद किया जाता है। आज जो राजस्थान को अकाल के मुंह में धकेल दिया गया है और राजस्थान को कंगाली के दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया है उसके लिए दोषी इन्द्र नहीं है, उसके लिए दोषी मथुरादास माथुर हैं और मोहनलाल सुखाड़िया का है क्योंकि इनकी गलती से, गलत योजनाओं में पूंजी का नियोजन होकर गलत रिटर्न मिले हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि उदयपुर के अन्दर प्रति व्यक्ति खर्च 192 है, चित्तौड़गढ़ में प्रति व्यक्ति खर्च 135 किया गया है, और भीलवाड़ा में प्रति व्यक्ति खर्च 136 रुपये किया गया है। मैं ज्यादा कम की बात नहीं कह रहा हूं, मेरा इसमें वह दृष्टिकोण नहीं है जिसकी वजह से आप घबरा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा गलत इन्वेस्टमेंट हुआ है, गलत दिशा में इन्वेस्टमेंट हुआ है इसकी वजह से जो रिटर्न मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। इसका नतीजा यह है कि उदयपुर में प्रति व्यक्ति खर्च ज्यादा हुआ है, जब कि टैक्सों से जो रेवेन्यू है, हालांकि वह जिला बड़ा है, लेकिन इन चार पांच टैक्सों से इन्कम हुई है, वह 1 करोड़ 76 लाख की इन्कम हुई है। इसकी तुलना में सवाई माधोपुर में प्रति व्यक्ति 103 रुपये खर्च किया है जब कि उससे टैक्सों से आमदनी हुई है वह 1 करोड़ 71 लाख की हुई है। इस प्रकार उदयपुर में जहां प्रति व्यक्ति 192 रुपये खर्च किया गया है वहां इस जिले से आमदनी हुई है वह 1 करोड़ 76 लाख की हुई है। इसी प्रकार से चित्तौड़गढ़ जिले में जहां ज्यादा पैसा लगाया है वहां आमदनी हुई है वह केवल 1 करोड़ 23 लाख 27 हजार की हुई है टैक्सों से। भीलवाड़ा जैसे एरिया में प्रति व्यक्ति खर्च 136 किया गया है जो दूसरे जिलों के मुकाबले में ज्यादा किया गया है वहां पर टैक्सों से आमदनी केवल 97 लाख 19 हजार के आस पास हुई है। यह आमदनी चार टैक्सों से हुई बताई है, एन्टरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और भू-राजस्व। दूसरे जो और टैक्स हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया है। तो जिलों की जो कैटेगरी बना रखी है उसके बारे में मैंने आपको निवेदन किया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज राज्य की स्थिति

(श्री रामकिशन)

इसलिये खराब नहीं हुई है कि हमारे राज्य में साधन नहीं थे। हमारे राज्य में साधन थे और दूसरे राज्यों के लोग मानते हैं कि इस राज्य के लोग महनती हैं, अन्य राज्यों के मुकाबले में राजस्थान के लोग साहसी ह, परेशानियों को बर्दाश्त करने वाले हैं।

इसके अलावा आप राजस्थान में एक और चीज देखेंगे वित्त मंत्रीजी कि हिन्दुस्तान में यह अकेला राज्य है, मैं निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान में यह अकेला शांतिप्रिय राज्य है। और राज्यों के अन्दर अशांति होती है और सरकारी सम्पदा की तोड़-फोड़ होती है, जिसका पर कैपिटा एक्सपेंडीचर पर असर पड़ता है, लेकिन राजस्थान के अन्दर गंगानगर और चूरू के आन्दोलन के अलावा आप यह बताइये कि राज्य में कहां राज्य की सम्पत्ति की क्षति हुई है? इसलिये आपको यह प्राकृतिक लाम मिला है कि राजस्थान के नागरिक साहसी है, राजस्थान के लोग मेहनती हैं और राजस्थान के लोग शांत हैं। यह राज्य सरकार यद्यपि गैर जिम्मेदार सरकार है, दिशाहीन सरकार है, दिशा-भ्रमित सरकार है, और वचन भंग सरकार है लेकिन इस प्रकार की सरकार होने के बावजूद राजस्थान के नागरिक हैं वह दूसरे ढंग के नागरिक हैं। इसके उपरान्त राज्य की अवनति हुई है इसका कारण है सरकार की गैरजिम्मेदारी, गलत योजना, गलत इन्वेस्टमेंट और दूसरे मामले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको देखना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट किस बात पर करना चाहते हैं? राजस्थान की जनता की प्राथमिक जरूरत क्या है? राजस्थान के पिचहत्तर, अस्सी प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं, अगर राज्य सरकार खेती के साधन सुधारने के लिए खर्च करती है तो राज्य के अन्दर प्रति व्यक्ति आमदनी ज्यादा होगी–यह सर्वमान्य बात है। इसलिए आपको पानी के साधन उपलब्ध करने के लिए खर्च करना चाहिए। मैं इस संबंध में निवेदन कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा निवेदन नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थान के अन्दर जो प्रशासनिक भवनों पर ज्याद खर्च किया गया है उतना राजस्थान जितनी आबादी वाले दूसरे राज्य के द्वारा नहीं किया गया है। अगर आप अस्पताल की बिल्डिंग बनाते, अगर आप स्कूल भवन शिक्षा के विकास के लिए बनाते तो मैं समझता कि आवश्यकता उनकी थी लेकिन राजस्थान में तो भूतपूर्व नरेशों के, राजाओं के महल पर महल हैं, कहीं पर शीश महल, कहीं पर चन्द्र महल राजस्थान में जगह जगह महल ही महल बन हुए हैं। इसलिय राजस्थान सरकार थोड़े विवेक से काम लेती और प्रशासनिक भवनों के निर्माण पर पैसा खर्च किया है उसके बजाय जो पुराने मकान पड़े हुए हैं उनकी मरम्मत कराती तो उनसे काम चल सकता था। लेकिन उन पर राज्य सरकार मरम्मत के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकी इसलिये वह आज बेकार पड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इन भवनों से काम चला लेती और जो पैसा प्रशासनिक भवनों पर खर्च किया है वह बिजली की योजनाओं पर, पानी की योजनाओं पर खर्च कर देती तो राजस्थान में खेती के उत्पादन में बढ़ोत्तरी होती। इससे दो काम होते, एक तो जो पुरानी इमारतों की राज्य के अन्दर क्षति हो रही है वह नहीं हो पाती, दूसरे आवश्यकता की चीजों पर खर्च करन से राज्य की आमदनी में बढ़ोत्तरी हो जाती। आप पहली पंचवर्षीय योजना को लें, उसमें भवन निर्माण के लिए 7 करोड़ 51 लाख रुपया खर्च किया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर भवन निर्माण पर 8 करोड़

(श्री रामकिशन)

67 लाख के आस पास खर्च किया है। इस प्रकार दोनों योजनाओं में कुल मिला कर 16 करोड़ 8 लाख 41 हजार रुपया भवनों के निर्माण पर खर्च किया है, जिनमें से स्कूल भवन, अस्पताल भवन और दूसरे भवन हैं इन पर राज्य सरकार ने 5 करोड़ 76 लाख 17 हजार रुपया खर्च किया है। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी का जो खर्च किया है वह इन प्रशासनिक भवनों पर खर्च किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी, आप कह रहे थे कि भवनों पर खर्च नहीं हुआ है, आप बताइये कि वास्तविकता क्या है? उत्तर प्रदेश में जो भवन-निर्माण पर खर्च हुआ है वह रहने दीजिये लेकिन मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के अन्दर जो भवन निर्माण पर खर्च किया गया है वह कम किया गया है। लेकिन राजस्थान के अन्दर जो लोग शासन में, गद्दी पर बैठ हैं वह आधुनिक और अत्याधुनिक वनने की कोशिश करते हैं। वह खपत में जितनी आधुनिकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी उत्पादन में आधुनिकता दिखाने में नहीं कर रहे हैं। आज मंत्री महोदय का बंगला होगा, उसमें रेफ्रिजिरेटर जरूर आयेगा सचिवालय की तीन तीन विल्डिंग बनेंगी, उसमें कूलर लगेंगे और दूसरे अनावश्यक खर्च किये जायेंगे। विधान सभा भवन की मरम्मत की जायेगी, उसको खूबसूरत बनाया जायगा। इसका नतीजा यह है कि राज्य की वित्तीय स्थिति के सामने संकट बना हुआ है। इस प्रकार जो भवन-निर्माण पर खर्च किया है और दूसरे खर्च किये हैं उससे खर्चा बढ़ा है–यही हमारे वित्तीय संकट का कारण है। आप जो वित्तीय संकट का कारण समझते हैं कुदरत, वह सम्पूर्ण रूप से कुदरत कारण नहीं है। कुदरत कारण नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता लेकिन सम्पूर्ण रूप से कुदरत कारण नहीं है। लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं और राजस्थान के वित्त मंत्री पिछले पन्द्रह साल से कहते आ रहे हैं कि कुदरत ने हमें सहयोग नहीं दिया, कभी इन्द्र की बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कह देते हैं। जनता के सारे असंतोष को निकालने की कोशिश करते हैं। राज्य सरकार के गलत नियोजन और गलत दिशाओं की वजह से सारी गड़बड़ियां हुई हैं। हमारा जो रेवेन्यू खर्चा है, दूसरी और तीसरी योजना में कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा और लोन एण्ड एडवान्सेज, इनसे किसी राज्य की प्रगति का अंदाजा लगता है। हमने कितने लोन्स लिए, कितने एडवान्सेज दिए, किस धन्धे के लिए दिए, क्या रिटर्न मिलेगा। हमारी कैपिटल कितनी बनी, अचल संपत्ति कितनी निर्मित हुई, इससे अंदाज लगता है कि राज्य में कितनी प्रगति हुई है और चालू खर्चा कितना है। तीसरी दिशा निरर्थक दिशा होती है अनुत्पादक, तो राज्य सरकार का अनुत्पादक कार्यों पर ज्यादा खर्चा है, पहली पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति अनुत्पादक कार्य पर किया है 16.47, दूसरी योजना में अनुत्पादक 28.38 का खर्चा किया है। वित्त मंत्री जब जवाब दें तो पूछना चाहता हूं कि भारत के किसी राज्य ने अनुत्पादक कार्य पर इतना खर्चा किया है? अगर है, तो मैं गलती को स्वीकार कर लूंगा। नहीं बता सकते तो इस दिशा में योजना को ले जाने की घोषणा करें। वित्त मंत्री ने जो घोषणायें की हैं, सारी चीजों से मेरा सरोकार नहीं लेकिन जिस तरह से आर्थिक स्थिति बन गई है, उसमें न हमने राजस्थान की खेती को सुधारा, न राजस्थान के कारखानों में उत्पादन वढ़ाया, न राजस्थान के पिछड़े हुए वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया। पिछड़े वर्ग के 60 लाख लोग हैं लेकिन जो ब्लाक्स बने

(श्री रामकिशन)

हुए हैं जिनके लिए राज्य सरकार प्रचार करती है कि छोटे और गरीब आदमियों के उत्थान के लिए खर्च कर रहे हैं, तीनों पंचवर्षीय योजनायें और 1965-66 से लेकर 1969 तक पिछड़े हुए वर्ग के लिए, जिसके लिए कल एक माननीय सदस्य धर्म ग्रंथों के बारे में नाराजगी जाहिर कर रहे थे, वह वाजिब भी थी लेकिन यह लड़ाई अधूरी है, जलन धर्म ग्रंथों पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो नए राजा हैं, उनके क्या कारनामें हैं, वह जानकारी नहीं होगी तब तक नाराजगी का नतीजा नहीं निकलेगा। पिछड़े हुए वर्ग पर खर्चा किया है केवल 2,72, 219) और वे 60 लाख हैं। शिक्षा और दूसरे सहायता के मद अलग हो गए लेकिन जो विशेष सहायता है, उससे राजस्थान की राजनैतिक तस्वीर, आर्थिक तसवीर मिलती है । तो आज हमारे राजस्थान की जो हालत बन गई है, उसके लिए दो तीन चीजों की जरूरत है।

एक तो जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि शहरों पर जितना व्यय हुआ है, उस मुकाबले में टैक्स का अनुपात कम है। हम सहयोग करना चाहते हैं, प्रशासनिक भ्रष्टाचार मिटे, प्रशासनिक मित्तव्ययता आए, आप जो अंटशंट खर्च करते है, वे कम करें। साथ ही साथ जो शहरों के विकास पर आपने खर्चा किया उसके मुकाबले आपकी आमदनी का दृष्टिकोण कम हैं। राज्य सरकार एक कर जांच समिति नियुक्त करे और सेक्टरवाइज जांच करे कि तीनों योजनाओं में किस जिले में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। जिस जिले में इन्वेस्टमेंट हुआ है, उससे किस वर्ग को लाभ हुआ है और उस वर्ग से कितना टैक्स का अनुपात आता है। अगर इसको रेशनेलाइज करेंगे तो हमारे राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो देश में समाजवाद की हवा बननी चाहिए, बजट का मतलब केवल टैक्स लगाना ही नहीं है, बल्कि गरीब व अमीर के अंतर को कम करना है। उसके लिए टेक्स एक जरिया है तो वह समिति आप नियुक्त करें और उसका स्कोप वाइड हो, सारी राजकीय योजनाओं को केन्द्रीय सरकार से जो मदद मिली है, उस पहलू को देखें। मैंने राजकीय उद्योगों के बारे में जिक्र किया था कि हमारे राज्य में केंद्रीय उद्योग बहुत कम हैं लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि प्रति व्यक्ति योजना व्यय जो केद्रीय सरकार की तरफ से विभिन्न राज्यों को मिला है, उसमें राजस्थान का नंबर 13 वां है याने सबसे कम प्रति व्यक्ति योजना व्यय हमारा है। इसका कारण यह है कि हमारा नेतृत्व कमजोर है, नेतृत्व चापलूस और खुशामद के बजाय हिम्मत से लड़े, लेकिन आप तो केवल खुशामद करके दिन निकालना चाहते हैं। राजस्थान नहर और रेगिस्तान का निरंतर जिक्र होता रहता है और यह सही है कि राज्य के मौजूदा वित्तीय साधनों से हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकेगा। तामिलनाड ने एक धमकी दी, बाढ़ के लिए वह आपसे 5 गुना मदद ले गया। वित्त मंत्रीजी आप जानकारी रखते हैं लेकिन हमारी स्थिति वह नहीं है, हमारी स्थिति यह है कि खुशामद और चापलूसी के मारफत राज्य चलाना। वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में सभी दिशाओं पर विचार हुआ है और एक योजना मंत्री की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से एक बोर्ड के गठन की बात कही गई है। नौजवानों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, वह बोर्ड क्या है ? क्या करेगा नौजवानों

(श्री रामकिशन)

के लिये ? नौजवानों की समस्यायें क्या है ? कैसे असंतोष को दूर करेंगे ? वित्त मंत्री ने कहा है कि खेल कूद को प्रोत्साहन देंगे ? क्या खेल कूद की योजनाओं से समस्या का समाधान हो जायेगा ? नौजवानों की समस्या को बदलते हुए सामाजिक संदर्भ में देखना पड़ेगा। समाज में परिवर्तन हो रहा है। खेतीहर सभ्यता से औद्योगिक सभ्यता की तरफ चल रहे है। आज से 25 साल पहले खेतीहर सभ्यता थी अब औद्योगिक सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे है। इसलिए हमारी समस्याओं को देखें बेरोजगार नौजवान है, निराश नौजवान है, बेरोजगारी मिटाने के लिए क्या तरीका हो सकता है। आज राजनतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हमारा राज्य सारे राज्यों में पिछड़ा हुआ है। जैसे दक्षिण अफीका के अंदर छोटे छोटे राज्य पिछड़े रह गए। आज शिक्षा मंत्री बिराजमान है। में उनसे पूछता हूं कि आपने जो अकादमियां बना रखी है, क्या काम करती रहती हैं ? में समझता हूं, इनका कोई बड़ा उपयोग नहीं है। राजस्थान में कुछ ऐसे साहित्य हैं जिनका सृजन किया गया है वह शेक्सपीयर से कम नहीं है। हालांकि में संस्कृत का समर्थक नहीं हूं क्योंकि वह आम लोगों की विद्या नहीं रही इसलिए वह भूत प्रेत की तरह है, लेकिन वह ज्ञान और दर्शन वाली विद्या है। बनारस विश्वविद्यालय ने हमारे साहित्य का प्रकाशन कराया लेकिन आपके राज्य में इस प्रकार से साहित्य प्रकाशन की व्यवस्था है ? कोई ऐसी व्यवस्था नही है। ये मधूसूदन ओझा थे, कितने विद्वान थे ? शेक्सपियर और गेटे से कम नहीं है, संस्कृत का मुझे ज्ञान नहीं है। जो जो साहित्य प्रकाशित नहीं हुए है, वे लाखों रुपए के कीमत के पड़े हैं। हमने उनको नहीं छपवाया लेकिन बनारस विश्वविद्यालय में रिसर्च हुआ है, दूसरे विश्वविद्यालय इसका उपयोग कर रहे हैं और हमारे राज्य के लोग जानते हैं कि मधुसूदन ओझा का साहित्य में क्या स्थान था, उनके साहित्य सृजन से क्या लाभ उठा सकते हैं ? इतनी जानकारी हमारी अकादमी नहीं दे पा रही है।

पुलिस के संबंध में परसों गृहमंत्रीजी ने कहा था कि नियम बने हुए हैं भर्ती व तरक्की के। मैं सारे संदर्भ में जाऊंगा नहीं लेकिन राजस्थान पुलिस में ऐसे सब-इन्सपेक्टर हैं जिनको सब-इन्सपेक्टर भर्ती किया गया है, ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जो किशनगढ़ नहीं भेजे गए हैं, जिन्होंने कोई विभागीय परीक्षा पास नहीं की। ऐसे 5-5 आदमी रखे गए हैं।

(9 म० पू०)

और पुलिस विभाग के कर्मचारी निरन्तर इस बात की शिकायत करते हैं, विधान सभा में प्रश्न आते हैं, राज्य सरकार के नोटिस में सारे मामले लाते हैं, लेकिन आज तक कभी सुनवाई की गयी हो म नहीं समझता। सुरेन्द्र शर्मा नाम के व्यक्ति, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के पुत्र हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वे सब-इन्स्पेक्टर की पोस्ट पर लगे हुए हैं। आपने ट्रेनिंग भी पास नहीं की है। कानसिंह, इन्द्र चन्द्र नाम के आदमी भी इसी प्रकार से लगे हुए हैं। गृह मंत्रीजी ने कहा था कि पुलिस विभाग में सब नियम बने हुए हैं, बिना ट्रेनिंग के किसी की भर्ती नहीं की गयी है। आज गृह मंत्रीजी अभी

(श्री रामकिशन)

यहां है नहीं लेकिन में कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग इस प्रकार चौपट होता जा रहा है ।

वित्त मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करूंगा बिक्री कर के सम्बन्ध में आप विचार करें । यह राज्य की आय का सबसे बड़ा हिस्सा है । पिछले दिनों मेटल वर्क्स, कामानी पर छापा मारा गया । सेठों और सरकार के सम्बन्ध मधुर होते हैं आम तौर पर । आपके सम्बन्ध मधुर हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम । मेटल वर्क्स पर छापा मारा था, चार लाख के टैक्सों का असेसमेन्ट किया था । बिना शो किये ही छिपाया गया था इतना टैक्स । श्री गुप्ता ने इन्वेड किया था । उस केस को माथुर साहब को किस लिये दे दिया और दे दिया तो अब तक क्या स्थिति रही ? चार लाख के करीब रकम है । हिन्दुस्तान के बड़े बड़े सेठों का धन माल बढ़ने का कारण यही है कि वे लोग टैक्सों की चोरी करते हैं । ये सीधे आरोप आप पर नहीं है,माथुर साहब, इसलिये आप उत्तेजित न हों । लेकिन चार लाख की टैक्स की चोरी का क्या हुआ ?

गोल्डन ट्रान्सपोर्ट इन्टर स्टेट ट्रान्सपोर्ट है । माल बुक कर लिया अहमदाबाद का और कोटा में उतार दिया । गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का रजिस्टर पकड़ा गया और उसका चालान हुआ । गोल्डन ट्रान्सपोर्ट अधिकारी बड़े आदमी होंगे इसलिये वे सरकार और मंत्री से मिले । जहां कमिश्नर को अधिकार है वहां डिप्टी कमिश्नर से एक आदेश निकलवा दिया कि रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है । इस प्रकार टैक्स की आमदनी है वह तो आप समाप्त करते जा रहे हैं । जहां पर टैक्स बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है वहां पर आप दाल पर टैक्स, रोटी पर टैक्स और मछली को भी नहीं छोड़ा है उस पर भी आपने टैक्स लगाया है और अन्त में वित्त मंत्रीजी ने कोमलांगियों पर भी टैक्स लगाया है, कमजोर या स्ट्रॉग की पकड़ है यह तो वित्त मंत्रीजी ही बतायेंगे । और अन्त में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ कि विनियोग विधेयक से राजस्थान की तस्वीर नहीं निखरी है, बल्कि प्रति व्यक्ति आमदनी घटी है और राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में दिवाला ही निकला गया है, अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया दस मिनिट ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय अध्यक्षजी इस विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही है और माननीय वित्त मंत्रीजी अपने बजट को बहुत ही प्रगतिशील बता रहे हैं। आज राजस्थान की निर्धन जनता के ऊपर 3 करोड़ से अधिक के टैक्स लगाना और वह भी उस स्थिति में लगाना जब कि राज्य सरकार बिना टैक्स के अपनी आय को बढ़ा सकती है। माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से राजस्थान के वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि हमारे आज जितने विभाग हैं उनके अन्दर लाखों करोड़ों रुपयों की लागत का सामान आया है, वह सामान किस स्थिति में पड़ा है, किस प्रकार से उसकी कीमत खड़ी की जानी चाहिये उसकी चिन्ता नहीं है।

माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान की सरकार से पूछना चाहूंगा कि कोटा के अन्दर जितने भी उद्योगपति हैं उनको बिजली दी

Page No 22

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

जाती है 3 पैसे और पांच पैसे पर यूनिट पर जबकि गरीब किसान और छोटे 2 उद्योगों को 14 और 18 पैसे पर यूनिट पर बिजली देते हैं और उसके साथ इतना बड़ा मखौल कि उद्योगपतियों ने राजस्थान सरकार के साथ नाटकीय ढंग से उनको तीन पैसे पर यूनिट पर बिजली देने के बावजूद भी बिजली विभाग से उन्होंने एक एग्रीमेंट कराया है कि कारखाने को बिजली नहीं दी गयी तो पांच हजार और दस हजार का हर्जाना देना पड़ेगा। दो वर्ष पहले कोटा में गांधीसागर डेम में पानी नहीं था, कम था, तब बिजली का उत्पादन कम हुआ था। बिजली कम होने के कारण उद्योगपतियों ने नोटिस दिये उसके कारण राजस्थान के उद्योग मंत्री और वित्त मंत्री ने उद्योगपतियों को खुश करने के लिये 1.80 करोड़ के विदेशों से गैस टरबाइन खरीदा। केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को आश्वासन दिया था कि गैस टरबाइन जो 1.80 करोड़ में खरीदा गया था उसको राजस्थान सरकार बेचना चाहेगी तो दूसरे प्रान्तों की सरकारों को लाइसेन्स यह मंगाने के लिये विदेश के लिये नहीं दिया जावेगा। वित्त मंत्रीजी, 1.80 करोड़ का गैस टरबाइन कोटा में लगा हुआ है उसका क्या हुआ? 1.50 करोड़ का सौदा गुजरात सरकार से हो रहा था लेकिन हमारे वहां के सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर द्वारा गलत ढंग से उसको चलाने के कारण उस टरबाइन का इन्जिन फट गया और वह बेकार हो गया इस कारण गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल कर विदेश से टरबाइन के लिये लाइसेन्स ले लिया। वह 1.80 करोड़ का पैसा बेकार हो गया। क्या सुपरिन्टन्डिंग इन्जीनियर का एक्सप्लेनशन काल किया? क्या केन्द्रीय सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाला कि आपने हमको यह आश्वासन दिया था कि दूसरे प्रान्तों को हम इस प्रकार के टरबाइन के लिये लाइसेन्स नहीं देंगे और आपने लाइसेन्स क्यों दे दिया? यह हमारी पूंजी ब्लॉक हो गयी।

वित्त मंत्री जी कहते हैं कि बिक्री कर की चोरी नहीं होने देते। सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी में दो लाख रुपया बिक्री कर का बाकी है और बिक्री कर विभाग ने सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी को नोटिस दिया और उसके तहत सवाई माधोपुर और दिल्ली के अन्दर उनकी फर्म के जितने अकाउन्ट थे उनको अटेच किया, वित्त मंत्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं कि उनसे 50 हजार की एक किश्त लेने के बाद छूट क्यों ददी? क्यों नहीं सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी में दो लाख रुपया बिक्री कर का बाकी है वह वसूल किया? लेकिन समाजवाद का नारा लगाने वाली सरकार जनता को भ्रमित करने के लिये गरीब और मजदूरों की भलाई का नारा देकर उनके पेट को नहीं भरा जा सकता समाजवाद का नारा लगा कर राजस्थान की सरकार ने इन पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के साथ नाटक खेल कर जनता को नुक्सान पहुंचा रही है। सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी के कर्मचारियों के प्रोविडेन्ट फन्ड और दूसरे फन्ड हैं, ई० एस० आई० और सी० टी० डी० फन्ड हैं, सवाई माधोपुर फैक्टरी का मैनेजमेंट कर्मचारियों के वेतन से पांच रुपया दस रुपया काट कर लेता है। नियम यह है कि ऐसा प्रोविडेन्ट फन्ड का पैसा कर्मचारियों के वेतन से काटा जाय ई० एस० आई० और सी० टी० डी० के रूप में तो उसको सरकारी खजाने में जमा कराये लेकिन तीन तीन महीने तक यह रकम मैनेजमेंट अपने

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

निजी काम में लेता है और इस प्रकार जहां हजारों मजदूर काम करते हैं उनके पैसे से ये लोग अनुचित लाभ उठाते हैं। इतना ही नहीं सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी में कन्ज्युमर स्टोर खुला हुआ है। कर्मचारी सामान खरीदते हैं। 80 हजार रुपया मैनेजमेंट ने जमा नहीं कराया उसके कारण कन्ज्यूमर स्टोर ठप्प पड़ गया। वित्त मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं कि सीमेंट फैक्टरी पर आपने क्या एक्शन लिया है? आप ले नहीं सकते। सीमेन्ट फैक्टरी कितना मखौल करती है। जितने शेयर्स हैं उनके चार कन्सर्न हैं।

एक कन्सर्न है जयपुर उद्योग, दूसरी कन्सर्न है मुकुल ट्रैडिंग, तीसरी कन्सर्न है आलोक उद्योग और चौथी कन्सर्न है भारत ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड। माननीय अध्यक्षजी, यह मैनेजमेंट अपने शेयर अपनी ही दूसरी कन्सर्न को बेचता है और फिर वह कन्सर्न बैंक से उन शेयर पर कर्जा लेती है। दूसरी कन्सर्न अपने शेयर को तीसरी कन्सर्न और तीसरी कन्सर्न चौथी कन्सर्न को बेचती है और उन शेयर्स के ऊपर बैंक्स से कर्जा लिया जाता है। इस तरह से चारों कन्सर्न एक ही हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) और उसके ऊपर कर्जा लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा जो बांसवाड़ा जिला है उसके अन्दर कितनी ही माइन्स हैं। चूने का पत्थर और मारबल की कितनी ही खानें हैं और वहां पर कम से कम 300 ऐसी खानें हैं लेकिन राज्य सरकार को उनसे कोई आमदनी नहीं मिलती है। अपवाद के रूप में कुछ हो सकती है। मेरी जानकारी के अनुसार यह जो बांसवाड़ा क्षेत्र है उसकी तीन-चार तहसीलों में ये माइन्स हैं। एक तहसील बांसवाड़ा है, दूसरी गढ़ी, तीसरी घाटोल और चौथी कुशलगढ़ तहसील है। इस प्रकार से इन तहसीलों के क्षेत्र में 300 माइन्स हैं और इसके अन्दर नियम ऐसे हैं, जो आपके रूल्स बने हुए हैं, उनका वहां पालन नहीं हो रहा है। जब तक कोई इन माइन्स पर काम नहीं कर सकता है जब तक कि वह विभाग की स्वीकृति न लें और न उसको कोई माइन्स मिल सकती हैं। लेकिन वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि वहां के मंत्री के वे कृपा-पात्र हैं। इस तरह ये लोग कोई इजाजत नहीं लेते हैं और इससे प्रति वर्ष राज्य सरकार को 3 लाख का नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट को लाखों की रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से यह भी कहना चाहता हूं कि वहां के कर्मचारी किस प्रकार से ठेकेदारों से मिले हुए हैं, उनसे मिलकर रुपया खा जाते हैं, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां के कर्मचारियों की किस प्रकार से ठेकेदारों के साथ सांठगांठ है, यह एक पत्र है, जिसकी फोटो कापी मैं सदन की मेज पर रखता हूं। एक कर्मचारी जिसका नाम गिरधारीसिंह है उसने वहां के ओवरसियर सुब्रहमण्यम् को एक इस प्रकार का लेटर लिखा है...

श्री अध्यक्ष : है क्या लेटर ? क्या लिख दिया है ? कह चुके।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस तरह से ठेकेदारों से सांठगांठ कर के रॉयल्टी खा जाते हैं और सरकार को नुकसान होता है.........

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है........"जैसा कि आपसे बातचीत हुई है उस बारे में मैंने वहां पर बातचीत की तो मालूम हुआ कि वह अगर माल लेने को तैयार हो जायेंगे तो 500 रु० उसी समय दे देंगे और अगर नहीं तो कुछ नहीं अगर उन्हें पसन्द आ गया तो 500 रु० एपलाइड के समय एवं 500 रु० सैंक्शन होने के बाद देवेंगे। अगर आपको यह शर्त मंजूर होवे तो लिखें ताकि मैं स्वयं बांसवाड़ा आऊं। पत्र जल्दी देवें।"

इस प्रकार से इस कर्मचारी के पत्र की फोटो कापी अध्यक्ष महोदय मैं आपकी इजाजत से सदन की मेज पर रखता हूं। अभी उद्योग मंत्री यहां पर है नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं यह जो ठेकेदार काम करते हैं-काम करने के पहले उनको यह जो आवेदन-पत्र है वह भरना पड़ता है, एक एग्रीमेंट करना पड़ता है कि इस तरह से बांसवाड़ा में हम लगे हुए हैं, परन्तु वह नहीं भरा गया है और इस तरह से इन ठेकेदारों ने गवर्नमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया है। वे लोग फर्जी कार्यवाही करते हैं उद्योग मंत्री की अनुमति से। यह जो एग्रीमेंट का फार्म है, राज्य सरकार उनसे लेती है लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक और उदाहरण मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं। और ये कुछ खाली फार्म दस्तखत किये हुए सदन की मेज पर रखता हूं...(घंटी).. यह जो स्टाफ है, जो एग्रीमेंट, स्टाम्प है जो कि भरा होना चाहिए लेकिन विभाग के लोग मिले होने के कारण भरे हुए नहीं रखते हैं और राज्य सरकार को इससे नुकसान हो रहा है। इन फार्मों पर ठेकेदारों के दस्तखत हैं और यह फार्म खाली है। इस तरह के सकड़ों फार्म, स्टाम्प्स का वहां पर ढेर लग रहा है। आज तक कोई इसकी पैमाइश नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई और गुजरात के अंदर हमारा कीमती मारबल ये लोग बेचते हैं। अन्त में आपकी इजाजत से अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि किस तरह से ये लोग राजस्थान सरकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय बांसवाड़ा के वनवासियों के साथ राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है। बांसवाड़ा तहसील में सहरियों और वनवासियों को जमीन दी गई। इसका फैसला 1955 में हो गया। कलक्टर ने लिखा है-38 वनवासियों को जिनकी इस भूमि का खसरा नंबर 55 है और जमीन 300 बीघा थी और इस तरह से कलक्टर ने लिखा है। 16 जुलाई, 1960 को जिलाधीश, एस० डी० ओ० ने एक पत्र रेवन्यू सक्रेटरी साहब को लिखा कि बेणी भाई कमिश्नरी के आदेश से बेदखल कर दिये गये और वनवासियों को दाखिल करने की कार्यवाही की जारही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को यह कहना चाहता हूं आज इतने साल हो गये, जब कलक्टर ने 55 के अंदर वनवासियों के पक्ष में फैसला कर दिया, तब फिर से बेणी भाई को जो कि गुजरात के रहने वाले हैं और जिन्होंने 517 गुजरातियों को उनके नाम फर्जी लिखा करके जमीन दे दी है और उसके बाद उन्होंने दूसरे व्यक्तियों को बेचान कर दी है, लिखावट कर दी है और उसके आधार पर हमारी राज्य सरकार के रेवन्यू मिनिस्टर ने इन वनवासियों का गला घोंटने के लिये रोजी रोटी छीनने के लिये उन पूंजीपतियों को जो कि गुजरात के रहने वाले हैं उनको जमीन दिलाने के लिये स्टे-आर्डर दे दिया और अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य।

Page No 25

श्री देवीदत्त गाड़िया: अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 57 के अन्दर, सदन में यह कहा गया था कि वन वासियों को जमीन खातेदारी अधिकार देने के आदेश दे दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार सदन में यह आश्वासन दे देती है लेकिन उसकी पालना नही होती है।

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त हो गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया: अन्त म यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन भूखे और गरीब....

श्री अध्यक्ष: श्री हंसराज आर्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया: लोगों को न सताया जाये और रेवन्यू विभाग से जो स्टे-आँर्डर दे दिया गया है उसको निरस्त किया जाये और इसका तुरन्त फैसला किया जाये और यह फैसला किया जाये कि यह जमीन उनके पास ही रहनी चाहिये।

श्री हंसराज आर्य (मादरा): अध्यक्ष महोदय, समय का तकाजा था कि आवाज होनी चाहिये थी:

न पीने का वक्त है न पिलाने का वक्त है।
मयकशों को होश में लाने का वक्त है।।

श्री अध्यक्ष: केवल पीने का वक्त है।

श्री हंसराज आर्य: इसके विपरीत आवाज यह आ रही है:

घनघोर घटाएं छाई है
रूह बदली जाय, जमाने की।
पी और पीलाता जा साकी
हो खैर तेरे मयखाने की।।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: अध्यक्ष महोदय, कहीं हिरण न आ जायें, इसलिये सदन के दरवाजे बंद करवा दिये जायें।

श्री अध्यक्ष: एक तो मुझको दिख रहा है। आरम्भ रखिये।

श्री हंसराज आर्य: राजस्थान में पीने को कुछ वचा है तो केवल शराब ही बाकी है पानी के लिये 8 जिलों के 12 हजार गांव जिनमें 70 लाख मनुष्य और 30 लाख मवेशी है, इस तरह एक करोड़ प्राणी पानी के लिये हा हा कार कर रहे हैं, परन्तु उनको पानी नहीं मिल रहा है। पीने का पानी नहीं है। अगर कुछ है तो उनके लिये शराब तैयार है। यह गांधी जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है। एक और हम दुहाई दे रहे हैं गांधीजी की कि गांधीजी की नीति पर, सिद्धांतों पर हमें चलना चाहिये। उनके सिद्धांतों को लेना चाहिये दूसरी और हमारी सरकार बजाय शराब बंदी के धड़ाधड़ नई भट्टियां खोल रही है और आज गांवों में हालत यह है कि जो लोग कभी जिन्दगी में शराब नहीं पीते थे, लेकिन यह जो शराब का दरिया बहता देखा तो न पीने वालों का मन भी मचल उठा..

श्री रामचन्द्र आर्य: कभी छू कर देखी है?

एक माननीय सदस्य: य कभी नहीं पीते।

श्री हंसराज आर्य: जो नहीं पीने वाले थे उनका भी मन मचल पड़ा। उनके लिय कहा है:

जो न कभी पीते थे शराब
एक दिन धोकर पी गये फर्श मयखाने का।

आज मन इतना आगे बढ़ गया है। और आज हमारे वित्त मंत्री जी की महरबानी से नई

(श्री हंसराज आर्य)

नई भट्टियां भी खुल रही है और गांवों में शराब इस तरह से बिक रही है कि उनको आवश्यकता नहीं है लाइसेन्स लेने की, ठेका लेने की। जहां जिसकी मर्जी आये उसको बेचें, निकाले। हमारे टीबी परगनायें शराब का नाला बहता है। गांवों में हजारों भट्टियां चल रही है, लाखों बोतलें शराब की नाजायज रुप से निकल रही है। उनको कोई रोकने वाला नहीं है कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछना वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, जैसे बाजारों में रैडी वाले आवाज लगाते हैं सब्जी लो, तोरी लो, भिण्डी लो, परवल लो उसी तरह से गांवों में आज आवाजें लग रही है शराब लो, सस्ती लो और शीघ्र लो, हरे रंग की लो, लाल रंग की लो, सफेद रंग की लो, जितने भी इसके रंग है, उनकी अलग अलग आवाजें लगती है, आवाजें पड़ती है। और दुखद विषय तो यह है कि हमारे यहां कॉलेजों में लड़के भी काफी संख्या में शराब पीकर जाने लगे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करुंगा कि सरकार पूर्ण रूप से नहीं तो कम से कम ठेकों को तो कम करे...

श्री मनोहरसिंह मेहता: आप तो इसे पूर्ण रूप से बन्द करवावो।

श्री हंसराज आर्य : मेहताजी हमारी सरकार इसको पूर्ण रूप से बन्द नहीं कर सकती। भट्टियां और खुलेंगी सरकार में हिम्मत नहीं कि शराब को बन्द कर सके।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप और हम इसको बन्द करवाकर ही चैन लेंगे।

श्री हंसराज आर्य: बन्द करने वाले खुद न पीयें तो हो सकता है लेकिन आज शराब के दौर सिविल लाइन्स में भी चल रहे है बन्द हो तो कैसे?

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या आपने इसका नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष: यह पेय पदार्थ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिये नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

श्री हंसराज आर्य: या तो हम गांधीजी की दुहाई देना छोड़ दें या शराब को बन्द कर शराब के ठेकेदारों को आपने जिस प्रकार से छूट दे रखी है कि चाहे जहां और चाहे जिस ढंग से बेचें और अफसोस तो इस बात का है शराब के ठेकेदारों में लाखों रुपया सरकार का बकाया रहता है, उसको बट्टे खाते में लिख दिया जाता है। और दूसरी तरफ जनता पर नये नये टैक्स लगाकर उनको हैरान किया जाता है। एक ओर सरकार का लाखों रुपया बट्टे खाते जा रहा है इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? मैं सरकार से निवेदन करुंगा कि आप भट्टियों की संख्या में कमी करें।

अध्यक्ष महोदय, एक अप्रेल से पाकिस्तान को पानी जाना बन्द हो रहा है। लाखों गैलन पानी पाकिस्तान को उसकी इच्छा न होते हुए हमारी गलती के कारण वह पाकिस्तान को जायगा। हमारी सरकार उस पानी को लेने की स्थिति में नहीं है। उस पानी के लिये इस सदन में पिछली तीन चार सालों से बराबर चर्चा होती रही है। पाकिस्तान का पानी बन्द होगा तो राजस्थान अपने हिस्से का पानी किस तरह से उपयोग करेगा? फिर भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी और इस कारण पानी पाकिस्तान को जायगा। आज हमारी सरकार उस पानी की एक बून्द भी लेने की स्थिति में नहीं है। हमारा

(श्री हंसराज आर्य)

उस पानी में काफी कोटा है। हमारी नहरें जो पुराने समय की बनी हुई है उस स्थिति में मौजूद हैं। गंग केनाल के पानी को बढ़ाया जाय लेकिन नहर की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसमें ज्यादा पानी समा सके। एक गंगानगर का किसान पानी के लिये आन्दोलन कर रहा है पानी के अभाव में उसकी फसले बरबाद हो रही है इस तरह से जनता को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, सरकार के राजस्व विभाग का भी यही हाल है। एक ओरपानी बेकार जायगा। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, दो साल बाद व्यास नदी पर बनने वाले पोंग डेम में हमारा 53 परसेन्ट पानी का कोटा है। मेरा ऐसा ख्याल है कि पोंग डेम बन जाने के बाद भी हम अपने हिस्से का पानी नहीं ले सकेंगे। आज हमारी एक भी नहर ऐसी नहीं कि उनमें अधिक पानी चलाया जा सके। सिद्धमुख नहर के संबंध में यहां पहले योजना बनी थी, जिसको राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों ने मन्जूर कर लिया। लेकिन आज भी हम उस पर काम शुरू नहीं कर पाये हैं। इसलिये दो साल बाद उसका पानी भी यों ही बहेगा पाकिस्तान जायगा। पंजाब हरियाणा उसको इस्तेमाल करेंगे, राजस्थान का किसान आज पानी के लिये तरस रहा है वह तो फिर भी तड़फता ही रहेगा। इससे अधिक सरकार की और कमजोरी नहीं हो सकती।

श्री रामचन्द्र आर्य: इस सरकार को दो साल तक चलने ही मत दो।

श्री हंसराज आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं अब शिक्षा के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा यह प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान बनने के बाद शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान आगे बढ़ा है। एक जमाना था लोग जब पढने की चर्चा करते और स्कूलों की मांग करते थे, तो राजा महाराजाओं की ओर से यह कहा जाता था "कांई करोला भाया स्कूल जाकर कांई करोला पढ" उस समय यह कहावत दोहराई जाती थी:-

अण मणियां घोड़ा चढ़े मणियां मांगे भीख।
स्याणा मतना पढ़िजियो सुणजो म्हारी सीख।

यह प्रसन्नता की बात है।

श्री विजयसिंह : अभी तक अनपढ़ हैं आपके डिप्टी मिनिस्टर बैठे हैं अगूंठा छाप।

श्री हंसराज आर्य : इसके साथ साथ जहां शिक्षा का प्रसार हुआ है दुख का विषय यह है कि जिस गति से शिक्षा का प्रसार हुआ, शिक्षा का स्तर भी उसी गति से गिरता चला गया। आज छात्रों में न केवल उद्दंडता आगई बल्कि आपस में ही वे लड़ते हैं खून की होलियां तक खेलने लगे हैं। साथ ही बेकारी इतनी बढ़ी है राजस्थान के हजारों विद्यार्थी बेकार हैं। आज वे मां बाप के लिये भार स्वरूप हैं मां बाप का कहना नहीं मानते उनके काबू से बाहर है सरकार के भी काबू से बाहर हैं और जनता के लिये दुखदायी बन गये हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वे शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करे। पाठ्यक्रम के साथ उद्योग धन्धे भी चलाये जायें। दस्तकारी सिखायी जाय ताकि स्कूलों से निकलते ही वे कोई न कोई काम में लग जांय बेकार न रहें। और इस तरह से जो देश में उद्दंडता फैलाते रहते हैं वे नहीं फैलायेंगे। हमारी सरकार यहां यह दुहाई देती है कि हमने गांवों में प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र चला रखें हैं। मेरी मान्यता है कि यह बात

(श्री हंसराज आर्य)

केवल सदन में ही हो सकती है। शिक्षा विभाग के कागजों में हो सकती है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां इसका प्रबन्ध हो। कोई झोंपड़ी ऐसी नहीं जहां प्रौढ़ शिक्षा का काम चलता हो यह केवल नारा मात्र है। गांवों में रात्रि पाठशालायें चला कर सरकार प्रौढ़ शिक्षा को चला सकती है।

श्री अध्यक्ष : 9।। बजे वित्त मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री हंसराज आर्य : अब मैं राजस्व विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा यह विभाग इतना सुस्त है, इसमें इतनी धान्धली चलती है इसका पटवारी इतना उद्दण्ड हो गया है जिसके कारण यह विभाग न आगे बढ़ सकता है और न इसमें फैला भ्रष्टाचार रुक सकता है। आज किसान की जिन्दगी इसी पटवारी पर निर्भर है जैसे तावन या किसी के नाम नाजायज काश्त दर्ज कर दी कोई पूछने वाला नहीं न कोई उसको रोकने वाला है। आपको याद होगा पिछले बजट सत्र में मैंने निवेदन किया था गांवों में खिदमतगार, नाई, कोतवाल जिनसे बेगार ली गई थी, उनको आज भी खातेदारी अधिकार नहीं मिले हैं।

अध्यक्षजी, आपको जहां सिंचाई की योजना है उस जमीन के लिये दिक्कत हो सकती है लेकिन बारानी क्षेत्र में टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 साफ है। उसमें लिखा है कि 15 अक्टूबर, 55 को जो जिस भूमि पर काबिज था वह स्वतः ही खातेदार है। यह कानून होते हुए भी, इस सदन में राजस्व मंत्री द्वारा घोषणा करने के बाद भी किसी को खातेदार नहीं बनाया गया है। यह मेरा चैलेन्ज है साल के 365 दिन में एक भी खिदमतगार को खातेदारी अधिकार नहीं दिये हैं। राजस्व मंत्रीजी के आदेश जिलाधीश तक पहुंच गये हैं जिलाधीश के हुक्म तहसीलदार के पास पहुंच गये हैं लेकिन वे तहसीलदार की फाइल में बन्द पड़े हैं। कोई भी उनके हुक्म को नहीं मान रहा है। मेरा राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है दुबारा आप इस संबन्ध में एलान करें। आपके यहां एलान करने के बाद भी यदि आप तीन महीने बाद भी खातेदारी अधिकार नहीं दिला सके तो जिन लोगों ने सैकड़ों सालतक सरकार का पहरा दिया, सरकार की वसूलियां करवाई, जंगलों में जा जाकर गिरदावरी करवाई तो फिर राजस्व मंत्रीजी को सोचना चाहिये कि वे इस पद पर रहें या नहीं रहें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही पॉइन्ट को रखना चाहूंगा कि वह यह आपने जो छोटे होटलों, रेस्टोरेन्टों, हलवाई आदि पर आपने पांच परसेण्ट सेलस टैक्स लगाया है वैसे भी आप आटे पर दाल पर टैक्स लेते ही हैं मिरच नमक आदि पर सेलस टैक्स लेते हैं। फिर आप इन छोटे होटलों रेस्टोरेन्टों आदि पर जो लोग इसी से अपनी जीविकोपार्जन करते हैं आपने पांच प्रतिशत सैलस-टैक्स लगाया है। मैं समझता हूं यह सैलस टक्स नहीं है। यह बिलकुल लीगली आप देखेंगे मजदूरी पर टैक्स है, श्रम पर टैक्स है। अनादि काल से कभी भी सुनने में नहीं आया कि दाल और रोटी पर टैक्स किसी शासन द्वारा लगाया गया हो। टैक्नकली आप देखेंगे, समाजवाद को तो जाने दीजिये रेस्तरां में आदमी खाता है तो टैक्स नहीं और कुर्सी पर बैठता है तो

Page No 29

(**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह**)

उस पर टैक्स । आपने 30 हजार की टर्न ओवर पर एग्जम्पशन दिया है । यह मध्य-प्रदेश में एक लाख पर है, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र में नहीं है । क्या मैं आशा करूं कि वित्त मंत्रीजी आप जो श्रम पर, दाल और रोटी पर टैक्स लगाया है उस सम्बन्ध में कुछ छूट देने के लिये एलान करने की स्थिति में होंगे ?

श्री अध्यक्ष: वित्त मंत्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय व्यवस्था का सवाल है और यह व्यवस्था का सवाल पहले भी उठाया था और वह व्यवस्था यह है कि बजट अधिवेशन में ऑडिट रिपोर्ट लेटेस्ट नहीं मिलती। 31 मार्च 1969 के एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट पर जो आडिट रिपोर्ट है वह राज्य सरकार को सम्भवतः दिसम्बर या जनवरी में प्राप्त हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप राज्य सरकार को निर्देश दें कि बजट अधिवेशन प्रारम्भ होने से पूर्व ऑडिट रिपोर्ट सदन के माननीय सदस्यों को अवेलेबिल कर दी जाय जिससे जो लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबिल हो उस पर चर्चा की जा सके। यह प्रश्न मैंने पहले भी उठाया था। मैं समझता हूं वित्त मंत्री महोदय इस सदन में कह सकेंगे एक बात । दूसरी बात वित्त मंत्री महोदय ने अभी एक सरक्यूलर जारी किया है 30-31 मार्च को फाइनेनशियल ईयर क्लोज हो रहा है, उसमें सरकार के पास जो पैसे का अभाव है, अर्थाभाव के कारण जितने बिल्स हैं एक केटेगरी निकाली है पर्टीक्यूलर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ग्रान्ट उस सिलसिले में या राजस्थान गवर्नमेंट की ग्रान्ट उनका पैमेन्ट आपने रोका है। सरकार ने सरक्यूलर निकाल कर वायरलेस मैसेज से सब जिलाधीशों को, सब ट्रेजरीज को, सब हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को..

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री के के बीच में बोलने पर): (अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वह प्रश्न आ चुका है क्या हम राजस्थान में ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि बजट अधिवेशन में बजट जल्दी जल्दी में पारित करते हैं, उसके लिये वोट आन अकाउन्ट यहां लें और फिर विस्तार से चर्चा सदन में कर सकें इस प्रकार की व्यवस्था अन्य राज्यों में है। राजस्थान सरकार भी वोट आन अकाउप्ट इस सदन में पास करें और बजट पर अप्रेल, मई में चर्चा कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष: वित्त मंत्री।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय एप्रोप्रियेशन बिल को लेकर सदन में मेरा ख्याल है यह पहला मौका है जिसमें काफी लम्बी दिलचस्पी लेकर माननीय सदस्यों ने बहस की है। मैं, जो मुद्दे उठाये गये हैं उनका उत्तर देने से पहले एक जनरल निवेदन करना चाहता हूं कि इन्डि-ज्युअल मटर्स किसी विभाग से सम्बन्धित रखने वाले हों और जो आज या कल उठाये गये हों उनका उत्तर बहुतसों का नहीं दे पाऊंगा। माननीय सदस्यों को जब डिमान्ड्स पर बहस हो रही थी और हर विभाग की बहस इस सदन में कर रहे थे उस समय कर देते और माननीय मंत्रीगण जो विभाग से सम्बन्धित रहे हों वे उत्तर दे सकते थे फिर भी अगर कोई माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष के जो मुद्दे हैं या कोई प्रश्न उठाया है उसके बारे में जानकारी चाहेंगे तो मैं लिखित में उत्तर

Page No 30

(श्री मथुरादास माथुर)

देने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जिन्होंने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के जरिये 2-3 सवाल उठाये हैं मैं उनका स्पष्टीकरण कर देता हूं। एक तो यह ऑडिट अकाउन्ट की रिपोर्ट जो बजट सैशन के पहले पेश हो जानी चाहिये, मैं उनसे बहुत सहमत हूं। इस विषय में मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं मेरी मजबूरी है और वह यह है कि वहां से ऑडिट होकर दिसम्बर के अन्त तक आती है कभी 15 दिन पहले और कभी 15 दिन बाद आती है और वे लोग अंग्रेजी में रिपोर्ट भेजते हैं उस अंग्रेजी की रिपोर्ट को मैं सदन की मेज पर नहीं रख सकता हूं जब तक कि वह हिन्दी में होकर न आ जाय और यह रिपोर्ट काफी टैक्निकल होती है। हिन्दी में होकर फिर उसको छपाकर सदन की मेज पर रख सकते है और चूंकि फरवरी और मार्च में छपाई का काम भी बजट स्पीचेज डिमान्ड्स वगैरह बहुत होती है इसलिये उसका इन दिनों में छपना बड़ा कठिन हो जाता है। यह मेरी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। मैं यह निवेदन कर दूं कि इसमें माननीय सदस्य यह समझते हों कि मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। सदन के माननीय सदस्य चाहें तो अंग्रेजी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दी जाय उसमें जो माननीय सदस्य कोई मुद्दे उठाना चाहें तो वे उठा सकते है, और जब हिन्दी में तैयार हो जाय.....

श्री अध्यक्ष: सदन की सहमति है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: एक कॉपी सदन की मेज पर रख दी जाय और पार्टी-वाइज भेज दी जाय।

श्री शंकरलाल (जैतारण): ट्रान्सलेशन हो जाने के बाद आनी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वह बाद में आ जायेगी।

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो कही गई अपने यहां बजट का डिसकसन जिस तरह पालियामेंट में होता है उसी बेसिस और लाइन पर शुरू किया जाय। मेरा ख्याल है हम लोग जो अभी कनवेंशन फालो कर रहे है वह दूसरी स्टेट्स का फालो कर रहे हैं। यह मामला मेरे विचार का ही नहीं है, सदन के सभी माननीय सदस्यों के सोचने का है। अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों को इकट्ठा करके चर्चा कर लें और फिर जैसा मुनासिब समझें वैसे कर लें, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। हम लोग भी शामिल हैं, विरोध के भी शामिल हैं कोई बहस होती हैं उसको पूरी करते हैं अधूरी नहीं करते है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: काम अधूरा छोड़ते ही नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर: वोट ऑन अकाउन्ट पर बहस लम्बी हो जायेगी, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन दूसरी रियासतों के मुकाबले अपने यहां के आंकड़े देख लें तो बजट डिसकसन पर ज्यादा समय देते है। पालियामेंट वाली पद्धति से चलें तो मुख्तलिफ रूप से पार्टी से चर्चा करके कर सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया: सीटिंग भी कम होती है।

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, अब मैं एप्रोप्रियेशन बिल को लेकर जो बड़े

(श्री मथुरादास माथुर)

बड़े मुद्दे सदन में उठाये गये हैं बहुत सी बातों को तो दोहराया गया है जिनका जिक्र तो बजट भाषण के बहस के दौरान में मैंने उत्तर देते समय कर दिया इसलिये मैं दोहराना पसन्द नहीं करूंगा और न सदन का समय जाया करूंगा। इसीलिये आज सुवह का समय रखा गया है। बहुत से माननीय सदस्यों ने खुमार में शायरी भी की है इसलिये मैं वापिस खुमार में उत्तर नहीं देना चाहता हूं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): इधर जवाब खुमारी का.....

श्री भैरोंसिंह: कौन गिल्टी है?

श्री मथुरादास माथुर: वह तो आप ज्यादा जानते हैं। मैं प्रोहीबिशन की नीति के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। प्रोहीबिशन की नीति पर राज्य सरकार बहुत विस्तार-पूर्वक चर्चा कर चुकी है इसलिये वापिस दोहराना मैं ठीक नहीं समझता और सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, जहां तक इस सरकार कि देनदारी और असेट्स हैं, आंकड़े विस्तारपूर्वक दे दिये गये हैं। सेन्ट्रल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मैंने पुरजोर शब्दों में कही थी। उधर से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ह जो हर बार रिपीट होते हैं। उधर से बोलते हैं और किसी दल के नेता होते हैं वह तो कहते ही हैं और मैं उनका जवाब देता ही हूं और देता रहा हूं...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: देना पड़ता ही है।

श्री मथुरादास माथुर: आपको कहना ही पड़ता है और मुझे जवाब देना ही पड़ता है इसलिये मैं दोनों मामलात को ज्यादा लम्बा न करते हुये.....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: यह समस्या मूर्त रूप से रहती ही है।

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का भारत सरकार पर असर कम है इसलिये प्लान में हम रुपया कम लेकर आते हैं लेकिन आंकड़े दूसरे ही बोलते हैं। मैं उन आंकड़ों पर विस्तार से चलकर दूसरी रियासतों के लोगों की नजर में नहीं आना चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि चौथे प्लान में जो सेन्ट्रल एसिस्टेन्स तय हुई है उसमें आसाम, जे० के० और नागालैण्ड को छोड़कर राजस्थान का नम्बर और दूसरे स्टेट्स के अंदर टॉप पर है। अगर कोई मैथेमेटिक्स में वीक हो तो मैं अपने ऑफिसर को कह दूंगा और वह सहयोग दे देंगे......

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): आप तो पहले ही थर्ड डिवीजनर हैं।

श्री भैरोंसिंह: क्या कहा आपने 51 परसेन्ट?

श्री मथुरादास माथुर: पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट प्लान का सेन्ट्रल एसिस्टेन्स का फोर्थ प्लान पीरियड में 3 स्टेट्स हैं उनको छोड़ने के बाद राजस्थान का टॉप आता है।

श्री भैरोंसिंह: इन प्रपोरशन टू पॉपुलेशन।

श्री मथुरादास माथुर: पॉपुलेशन का क्या सवाल है। एक आदमी के ऊपर सेन्ट्रल एसिस्टेन्स का कितना हिस्सा मिलता है चाहे एक आदमी के उपर हो-पर कैपिटा हो

(श्री मथुरादास माथुर)

इसलिये टोटल फीगर्स नहीं दी हैं। पर कैपिटा सेन्ट्रल एसिस्टेन्स फोर्थ प्लान पीरियड में राजस्थान का जो फार्मूला इवाल्व हुआ है उसमें टॉप है। अध्यक्ष महोदय, यह भैरोंसिंहजी जानते हैं यह टॉप है इसलिये मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरे मुद्दे जो दो तीन उठाये गये हैं बड़े बड़े मैं पहले उनके ऊपर आता हूं। पहले और बातों में जाऊं एक वायरलैस मेसेज जिसकी चर्चा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल की थी और आज जयपुर से आने वाले दूसरे माननीय सदस्य ने पॉइन्ट ऑफ आर्डर के जरिये चर्चा की अध्यक्ष महोदय, पहले मैं इसकी सफाई कर देता हूं ताकि कोई गलतफहमी माननीय सदस्यों के दिमाग में न रहे। जो वायरलैस मेसेज दिया गया था उसको मैं सदन के सामने पढ़ देता हूं जिसकी वजह से आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा। यह इसलिये नहीं दिया गया था कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से हम पेमेन्ट रोकना चाहते हैं यह माननीय सदस्य पूरी तरह से समझ लें। और कोई दूसरा कारण जो यहां पर एक अखबार की कटिंग के जरिये पढ़ा था वह कारण भी नहीं था इसको भी माननीय सदस्य अच्छी तरह से समझ लें। जो वायरलैस मेसेज कलेक्टर्स को दिया गया है वह यह है :-There has been unusual increase in the debit bala- of Public Works Department remittances and the matter is under investigation pending which the Executive Engineers of all branches of P. W. D. are hereby directed that no cheque should be issued by them till further orders. This directive will not apply to the following:—

(1) Cheques issued for payment of wages to labour engaged for famine and flood relief works.

(2) Cheques issued for meeting other expenditure chargeable to 64-Famine.

(3) Cheques issued in Rajasthan Canal Project.

(4) Cheques issued in connection with any Centrally sponsored scheme.

(5) Cheques issued in connection with plan schemes of agriculture, animal husbandry, fishers, forest, minor irrigation, co-operatives and rural water supply.

(6) Cheques issued in connection other plan schemes for which central assistance is earmarked.

(7) Cheques issued for social welfare department schemes of public stand posts in Harijan localities.

(8) Cheques issued for water supply schemes financed by L. I. C., loans to municipalities.

(9) Cheques issued for deposit works.

इनके अलावा the contents of this may be brought to all the

(श्री मथुरादास माथुर) :

Executive Engineers and they may be asked to take necessary action to prevent the issue of cheques by such Assistant Engineers, who have cheque drawing powers मेरा ख्याल है कि यह वायरलैस मेसेज अपने आप में बहुत साफ है। हमारा रेमिटेन्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का जो हम बजट में प्रॉवीजन रखते हैं और इन्जीनियर्स को चैक इश्यू करने की अॉथोरिटी है यह आप सब जानते हैं इसलिये जो कभी कभी चैक्स ज्यादा इश्यू हो जाते हैं और इश्यू होकर के हमारे यहां के रेमिटेन्स के लिये बहुत डिफिकल्टी आती है और यह सीरिअस प्रॉब्लम है इसके बारे में मैंने पर्सनली एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स और ए० जी० के बीच में कॉन्फ्रेन्स भी की है और कोशिश करते हैं कि जो रेमिटेन्स की फिगर 31-3-68 को 14 करोड़ की थी उसको 2 करोड़ पर कम किया जाये। उसके बाद में हमारे पास में अभी ए० जी० ने जनवरी में यह कहा कि आपकी रेमिटेन्स की सिचुएशन और डिटिरियोरेट हो रही है तो हमने सोचा कि क्या करना चाहिये इसलिये यह ऑर्डर किया गया कि अब यह चैक रोक दिये जायें ताकि रेमिटेन्स में और डिटिरियोरेशन नहीं हो और जब तक हम जांच करलें कि जो तीन इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट्स हैं इनमें किस कारण से होता है और उसको लुक-ऑफ्टर करें। इसलिये यह ऑर्डर इश्यू किया है। बाकी काम नहीं रुकें और एक्स्ट्रा खर्च हो वह रुक जाये तो पोजीशन को रिव्यू करने का मौका मिल जायेगा। इस आधार पर यह ऑर्डर इश्यू किया था। इसलिये यह भ्रम माननीय सदस्यों के दिमाग में है कि यह चैक्स इसलिये किये गये थे कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति खराब थी इसलिये इनको रोका गया था इसलिये कैपिटल बनाने की कोशिश की गयी है—मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि वह अपने भ्रम को दूर कर लें।

एक बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि आर्टिकल 293 अबाउट बोरोइंग्स बाई दी स्टेट्स' उन्होंने कहा था कि आप गारन्टी देते हैं और बोरोइंग्स करते हैं यह आपने कानून नहीं बनाया और मेन्डेटरी प्रॉवीजन है कॉन्स्टीट्यूशन का इसलिये जो कुछ भी गारन्टी हम स्टेण्ड करते हैं यह इल्लीगल और अल्ट्रा वायर्स है.....

श्री यशवंतसिंह नाहर: I did not say so.

श्री मथुरादास माथुर: But I have read whatever I said.

श्री यशवंतसिंह नाहर: I never said that it was ultra vires. I said that any State in Consolidated Fund or outside Consolidated Fund....

श्री अध्यक्ष: हिन्दी में कहा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: हिन्दी में कहा था इसलिये समझे नहीं और अब अंग्रेजी में कह रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : Subject to the provision of this article इसलिये आपने यह कहा था कि हमको भी ऐसा लॉ बनाना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट में हर वर्ष यह रिमार्क

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ओडिटर्स की तरफ से दिये जाते रहे हैं कि 293 के तहत लेजिस्लेशन होना चाहिये। In every report this is repeated और आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। अभी भी जो एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स हैं 68 के उसमें भी मौजूद हैं। गारन्टी के पीछे देख लीजिए।

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, चाहे ऑडिटर्स कह दें या माननीय सदस्य कह दें मैं इसको साफ कर रहा हूं। हिन्दुस्तान में महाराष्ट्र ने बनाया था ऐसा लेजिस्लेशन और वह विथड्रा कर लिया और किसी भी स्टेट में 293 (1) के नीचे कोई लेजिस्लेशन नहीं हुआ और न सेन्टर ने किया और तीसरी बात मेरे लिए मेन्डेटरी नहीं है कि इस आर्टिकल के नीचे आ सके।

श्री भैरोंसिंह: आप बना सकते हैं या नहीं?

श्री मथुरादास माथुर: Subject to the provision of this article, the executive power of the State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State. तो इससे यह मतलब है कि एग्जीक्यूटिव पॉवर्स ऑफ दी स्टेट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ दी डे उसको भारतवर्ष के अंदर कन्सोलीडेटेड फण्ड्स ऑफ दी स्टेट्स के अगेन्स्ट में बौरोइंग करने के अधिकार हैं upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any as may from time be fixed by the Legislature of such State by law लिमिट फिक्स करने का अधिकार है कि 10 करोड़ या 20 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिये कोई कानून बन गया हो तो giving a guarantee of such limits, as may be fixed by the Legislature. कोई गारन्टी लेजिस्लेचर फिक्स कर दे तो कानून की जरूरत है वर्ना आज के हालात में हमने जो कुछ किया है वह इल्लिगल नहीं किया है। अब सवाल यह रहता है कि लेजिस्लेशन की प्रोप्राइटी है या नहीं कि जरूरी है या नहीं। इसके बारे में मेरा नम्र निवेदन यह है कि जो साफ कह चुका हूं कि हिन्दुस्तान में किसी स्टेट ने नहीं किया है और न सेन्टर ने किया है इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि भविष्य में ऐसा लेजिस्लेशन लाया जाये चाहे वह ऑडिट रिपोर्ट में सुझाव आता है या दूसरे महसूस करते हैं यह अलग प्रश्न है इसके लिए मैं आज उत्तर देने की स्थिति नहीं हूं।

श्री दौलतराम सारण: सवाल तो यह है कि किसी स्टेट ने नहीं किया या केन्द्र ने नहीं किया यह तो अलग बात है, लेकिन क्या आप इसकी आवश्यकता नहीं समझते? यह सवाल है।

श्री मथुरादास माथुर: आज तक तो इसको आवश्यक नहीं समझा। भविष्य के लिए अब माननीय सदस्यों ने ध्यान खींचा है तो इस पर गम्भीरता से चिन्तन करना पड़ेगा। मैं ऑफ हैण्ड इसका जवाब नहीं दे सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सदन को जो अधिकार दिये गये हैं संविधान के अन्दर यदि आप दूसरी चीज अपनाते हैं तो वह वायोलेशन है। यहां कानून तो आप लायेंगे। हम नहीं ला सकते।

श्री मथुरादास माथुर : सदन के करने की व उसकी प्रोप्राइटी की बात तो अलग है। उसको छोड़ दें। आज तक नहीं किया और ऐसा एक्ट नहीं हुआ है जिसके कारण इल्लिगेलिटी हो ऐसी बात कहीं नहीं है। वह मेन्डेट्री बात नहीं है। इसलिए सदन चाहे और माननीय सदस्यों की राय हो तो उसका चिन्तन करके करेंगे और इसको सैटल करेंगे। दूसरी स्टेट ने नहीं किया है और अगर होता है और माइन्ड एप्लाई किया है अपने यहां तो चिन्तन करके करेंगे। आज इसका उत्तर देने की पोजीशन में नहीं हूं, कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता। इसके बारे में चिन्तन करेंगे कि भविष्य में ऐसा लेजिस्लेशन आवश्यक है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय वित्त मंत्रीजी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इसी हाउस में भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय का कमिटमेंट हुआ है कि लिमिट तय करेंगे। इसके बाद 67 में शुरू में आपने बजट स्पीच दी तो उस समय यह पॉइंट रेज किया गया था तो उस समय आपने कहा था कि लिमिट निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे याद नहीं पड़ रहा है।

श्री भैरोंसिंह : कौल साहब का कमिटमेंट है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है। मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता है मैं सब्जेक्ट टू करेक्शन हूं कि कमिटमेंट किया है या नहीं। अगर किया होता तो मैं जवाब दे देता। मुमकिन हो कि भैरोंसिहजी की याददाश्त मेरे से बहुत तेज हो यदि मैंने कमिटमेंट किया हो तो। मुझे जहां तक याद पड़ता है मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया है। यदि हो तो उसके विषय में चिन्तन कर लिया जायेगा। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक व्यक्ति या एक इन्डिविजुअल के कमिटमेंट का सवाल नहीं है। यह कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोवीजन्स है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं उत्तर का उत्तर दे चुका हूं। कोई नई बात नहीं कह सकता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोवीजन्स के अनुसार आचरण करने का है।

श्री अध्यक्ष : उसी का चिन्तन करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है और माननीय वित्त मंत्रीजी उस पर ध्यान देंगे कि कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोवीजन जो पढ़कर सुनाया है वह बिल्कुल ठीक है साहेब, आप एक्जीक्यूटिव हैं और वोट ऑफ दी लेजिस्लेचर के हिसाब से आप हिन्दुस्तान के अन्दर चाह जितना कर्जा ले सकते हैं। यह बिल्कुल अनएक्सेपशनल पोजीशन है। कानून भी बना सकते हैं। 20 वर्षों का हमारा अनुभव हो चुका है। इस अनुभव के पश्चात् क्या आप विपक्षी दल को भी कॉन्फीडेन्स में लेकर इस सम्बन्ध में कोई न कोई चर्चा करके और अपने आपके ऊपर उसका नियन्त्रण इम्पोज करने का विचार रखते हैं भविष्य में, तो आप इस बारे में मेरे सुझाव पर ध्यान दें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं पहले ही कह चुका हूं कि विरोधी दल के माननीय नेताओं से इसके ऊपर चिन्तन करके और दूसरे दृष्टिकोणों को समझते हुए इस पर कोई न कोई निर्णय लेंगे । इसलिए मैंने कहा और मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने कई स्टेट्स के अन्दर स्टेटिस्टीकल फीगर्स कई प्रोडक्शन के, कई चीजों, कभी उत्तर प्रदेश के, कभी मध्य प्रदेश के, कभी पंजाब के, कभी हरियाणा के, कभी महाराष्ट्र के और कई बातों के मैन्युपुलेशन्स और केलक्यूलेशन्स से कुछ बातें रखी हैं । मेरा निवेदन यह है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मैन्यूपुलेशन कहां पर ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको बताऊंगा कि मैन्युपुलेशन्स किस तरह से हुआ है । स्टेटिस्टीकल समुद्र के अन्दर यह जगलेरी जो माननीय सदस्यों ने की है उसको एक्सपोज करूंगा । जो आंकड़े जिस तरह से चाहे सूट कर दिये और जिस तरफ चाहा उन आंकड़ों को एडजस्ट कर लिया उनके कन्टेक्स्ट को छोड़कर और प्रॉब्लम क्रियेट करते हैं और एक दफे तो एटमास्फियर ऐसा बनाते हैं कि मामला बड़ा गम्भीर है । मैं स्टेटिस्टीकल फीगर्स रखता हूं उसके आधार पर आपके सामने जो पिक्चर आती है तो आप कन्क्लूजन्स आखिर क्या निकालते हैं ? राजस्थान बैकवर्ड है वह मैंने बजट स्पीच में कहा था और प्लानिंग कमीशन से भी हम कहते हैं तो इससे नया कन्क्लूजन क्या निकलता है ? बैकवर्डनेस के रीजन्स भी हैं । आप कहते हैं कि हम लोगों ने 20 वर्ष की योजनाओं के अन्दर बैकवर्ड कर दिया है । मैं कहता हूं कि 20 वर्ष की योजनाओं से बैकवर्डनेस की इन्टेन्सिटी थी वह कम हो गई । इन्फ्रास्ट्रक्चर कमजोर था इसलिये बैकवर्ड रहा है विथ ऑल एपोलाजीज टू प्रिन्सली रूलर्स मैं यह कहता हूं । उसमें एकाध अच्छे हुए होंगे गंग कैनाल लाने वाले होंगे और माननीय सदस्यों ने भी अच्छा काम किया होगा । मगर हमारी लीगेसी यह थी और मैं बैकवर्डनेस की लीगेसी को लेकर जब कि सोशियल वेलफेयर नहीं था, इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था तब 1949 के अप्रेल में राजस्थान बना । उस वक्त की पर कैपिटा इन्कम को आप देखें, पर कैपिटा प्रोडक्शन को देखें, पर कैपिटा एक्सपेन्डीचर को आप देखें । उस समय के सोशियल वेलफेयर एक्टीविटीज को देखलें, प्रोडक्शन को देखलें, इरिगेशन को देखलें । ये सब फीगर्स कई दफा देख चुके हैं...

श्री रामचन्द्र आर्य : उस वक्त के टेलिफोन के खर्चे को देख लें ।

श्री मथुरादास माथुर : वह देख लेंगे आप फिक्र न करें । उस वक्त तो टेलिफोन कई स्टेट में नहीं था । उस वक्त के खर्चे को आप देखें । वे आंकड़ें गलत थे । वह मैं बता दूंगा । उसके रीजन्स हैं ।

श्री नाथीसिंह : आपने गलत आंकड़ें दिये हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, हम बहुत बड़ी रिसोर्सफुल स्टेट के अन्दर रह रहे हैं लेकिन वह सिस्टम अब भी प्रिवेल कर रहा है, देट इज स्टिल कान्टीन्यूइंग । आज भी उसी सिस्टम के अन्तर्गत रह रहे हैं । वैसे राजस्थान स्टेट मिनरल

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

रिसोर्सेज में बड़ी रिच है लेकिन अभी भी हम उसी बुर्जुआ सिस्टम के अन्दर रह रहे हैं। दिस इज कान्टीन्यूइंग टिल दिस डे ।

श्री मथुरादास माथुर : जवाब का जवाब उपलब्ध हो और जवाब के जवाब में कहा था ।

इसलिए बेसिक बात के लिए राजस्थान हिन्दुस्तान की 8-9 अच्छी डेवलप्ड स्टेट जो ब्रिटिश इंडिया की टेरिटिरी में थी उसके बाद उनका जो विकास हुआ फर्स्ट प्लान में, सेकण्ड प्लान में, थर्ड प्लान में और तीन साल और हो गये और यह फोर्थ प्लान का फर्स्ट ईअर खत्म होने जा रहा है, तो इस पीरियड के अन्दर यह कम्पेरिजन करें तो उस वक्त उनके यहां डेवलपमेंट की सिचुएशन क्या थी और उसके बाद आज क्या हो गई और मेरे यहां बेकवर्ड टेम्पो उस वक्त क्या था और आज क्या हो गया है। ईरिगेशन को लेवें या पॉवर को लेलें । माननीय सदस्य चाहें तो एक एक फीगर और खास तौर से प्रोडक्शनल एक्टीविटीज में पॉवर है तो पॉवर में 30 टाइम्स इनक्रीज हुआ है।...

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले तो जीरो था। उसके बाद में एक भी हो गया तो सेन्ट पर्सेन्ट हो गया ।

श्री मथुरादास माथुर : श्रीमान रामानन्दजी आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं । मैं स्वयं कह रहा था आपका जीरो का था तो जीरो पर थर्टी टाइम्स हो गया तो उनके यहा थर्टी टाइम्स से 300 टाइम्स हो गया तो वह टाइम्स ही बढा है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : जीरो को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जीरो ही होगा । आप मेथेमैटिक्स में कमजोर मालूम पड़ते हैं ।

श्री नत्थीसिंह : आप मेथेमटिक्स में थर्ड डिवीजन रहे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो फेल होता रहा हूं लेकिन दूसरी ओर पास होता रहा हूं ।

मेरा निवेदन है कि सब आंकड़ों का कम्पेरिजन करें । हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश से नजदीक में रहते हैं तो यू० पी० का मुकाबला नहीं कर सकते हैं । यू० पी० की अलग प्राब्लम है । उसकी पापुलेशन की प्राब्लम है । भरतपुर के अन्दर के जो आंकड़े आपने रखे हैं तो जैसलमेर के अन्दर पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट 2,116 रुपया है...

श्री रामकिशन : वहां 13 ही आदमी रहते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : भरतपुर के जो आदमी हैं वे फेमिली प्लानिंग करते नहीं हैं इसलिए पर कैपिटा कम नजर आता है, और जैसलमेर....

एक माननीय सदस्य : और जैसलमेर में फैमीन हो रहा है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप बाड़मेर बता दें ।

श्री हंसराज आर्य : भरतपुर वाले नसबन्दी करा लें ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं वही कहना चाहता हूं जो कि इस वक्त रामाकिशनजी

(श्री मथुरादास माथुर)

ने मंजूर किया है अपनी जबान से । मैंने जैसलमेर का नमूना बताया है ।..

एक माननीय सदस्य : यह विकास का है या फैमीन का......

श्री अध्यक्ष : आप आरम्भ रखें ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्लान की बात कर रहा हूं । फेमीन का खर्चा गैर-योजना का खर्चा है इसलिए प्लान में नहीं आता है । मैं प्लान के फिगर्स दे रहा हूं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जैसलमेर के आंकड़े गैर-योजना के हैं या योजना के ?

श्री मथुरादास माथुर : योजना के हैं और हाउस में सर्क्यूलेट किये गये हैं ।

(10 म० पू०)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैसलमेर के अन्दर राजस्थान कैनाल का शामिल कर लिया है ।

श्री मथुरादास माथुर : उसके रीजन में मत जाइये । जैसलमेर में राजस्थान कैनाल का शामिल है, कोटा में चम्बल का शामिल है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह शामिल कर लिया है ।

श्री मथरादास माथुर : भरतपुर में गोवरधन डेम का शामिल है और दूसरी जगह दूसरे के शामिल हैं, अलवर में एनीमल हजबेन्ड्री का शामिल है । सब जगह जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वह राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए किया जाता है...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बाड़मेर और जालोर का नहीं बताया । वह बताइये ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य थोड़ा सब्र रखें और आपस में चर्चा न करें तो उनको पूर्ण संतोष होगा । मेरे कहने का मतलब यह है ....

श्री भैरोंसिंह : सबका आंकड़ों से पेट भर देंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : गंगानगर में और दूसरे इलाकों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाय तो उसके तो नेचुरल रीजन हैं । यह जो पर कैपिटा के फिगर्स हैं, इनका दूसरों से मुकाबला करें तो मेरे ख्याल में कोटा है, भरतपुर है और कई कई दूसरे डिस्ट्रिक्टस् हैं वहां की आबादी ज्यादा होने से वहां पर कैपिटा के फिगर्स कम आते हैं, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाता है । अब राजस्थान कैनाल गंगानगर के अन्दर निकलेगी तो निकलेगी । बीकानेर में से निकलेगी तो निकलेगी, और जैसलमेर में से निकलेगी तो वह निकलेगी । लेकिन जैसलमेर की आबादी कम है इसलिए पर कैपिटा के आंकड़े वहां ज्यादा हो जायेंगे और गंगानगर की ज्यादा आबादी है इसलिए वहां के पर कैपिटा के फिगर्स कम नजर आयेंगे..

श्री भैरोंसिंह : ऐसा नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : बीकानेर की 646 है जबकि राजस्थान की 210 है, आपके गंगानगर की 560 है और बूंदी की

(श्री मथुरादास माथुर)

की 398 है। इसलिये पापूलेशन जहां कम है वहां के पर कैपिटा के फिगर्स ज्यादा आयेंगे...

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): झुंझुनूं के ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां रिवर वेली प्रोजेक्ट आ जायं वहां पर कैपिटा इन्कम ज्यादा आयेगी। तो यह समझ कर चलना चाहिए और इस प्रकार इसकी स्टडी करनी चाहिए। इस तरह से आप स्टडी कीजिये। अभी मेरे पास टाइम नहीं है नहीं तो आपको पूरे आंकड़े बताता ...

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): उदयपुर की कितनी है ?

श्री मथुरादास माथुर : 392 है।

श्री दौलतराम सारण: मुख्य मंत्रीजी ने आंकड़े दिये थे उनको इस सदन में चैलेन्ज किया था। तब उन्होंने कहा था कि यह आंकड़े सरक्यूलेट करा दूंगा। लेकिन वह आज तक सरक्यूलेट नहीं किये हैं।

श्री मथुरादास माथुर: हो गये हैं।

श्री दौलतराम सारण: हमें नहीं मिले हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: माननीय मंत्री महोदय, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कम और ज्यादा आबादी का, तो बांसवाड़ा, जालोर, नागौर, सिरोही, पाली, सीकर, झुंझुनूं, चूरू को देखें तो यहां पर कम आबादी है, कम आबादी वाले जिले हैं लेकिन वहां पर पर कैपिटा एक्सपेंडीचर भी सबसे कम है।

श्री मथुरादास माथुर: सुनिये, सुनिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: हाउ डू यू एक्स्प्लेन इट ?

श्री मथुरादास माथुर: मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। आपके पास कोई आंकड़े हों तो मुझे दे दीजिये, अपन बाद में बात कर लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: बाद की बात नहीं है। मैंने यह पाइन्ट रेज किया था अपनी स्पीच में।

श्री अध्यक्ष: अवधारन डालें, माननीय सदस्य !

श्री मथुरादास माथुर: मेरा निवेदन यह है कि कुछ यह चार्ज बनाये जाते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट का कम्पेरीजन करके कि पोलिटिकली ओरियेंटेड एक्सपेंडीचर है, यह आपकी थीसिस है, और कुछ है नहीं यह मैं मानता हूं। मेरा निवेदन है कि मेरा इन्वेस्टमेंट पोलिटिकली ओरियेंटेड नहीं है, इसलिये मैं यह फिगर्स दे रहा हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल: इट इज रौंग इकोनौमिक्स।

श्री मथुरादास माथुर: रौंग इकोनौमिक्स नहीं है, न पोलिटिकली ओरियेंटेड है, मैं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने पांच-छः डिस्ट्रिक्ट को लिया है उनमें ज्यादा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसलमेर में सबसे ज्यादा हुआ पर कैपिटा का फिगर तो यह कौनसा पोलिटिकली ओरियेंटेड है जबकि

(श्री मथुरादास माथुर)

असेम्बली की जो सीट है उस पर अपोजीशन के मेम्बर चुन कर आये हैं....

श्री बालसिंह सोढा : मैं यह गलतफहमी दूर करना चाहता हूं, इसमें डिफेन्स रोड का खर्चा भी इन्क्लूडेड है।

श्री मथुरादास माथुर: गंगानगर के अन्दर नेचुरल रिसोर्सेज के कारण वहां एक प्रोजेक्ट आ गया, कोटा के जितने मेम्बर हैं वह सभी अपोजीशन में बैठने वाले हैं सिवाय एक-दो के, वहां भी चम्बल प्रोजेक्ट आ गया इसलिये ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया। बीकानेर में कांग्रेस हारती रही है, कांग्रेस जीती नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: दो, दो बैठे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उनका तो अब जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे पता लगेगा, लेकिन बीकानेर का पर कैपिटा का फिगर 398 का है। तो मेरा कहना है कि प्लान में कुछ प्रोजेक्ट तो मस्ट होते हैं, वहां की ज्योग्राफिकल और फिजियो-योग्राफिकल स्थिति को देखते हुए वह करने पड़ते हैं और इसको दृष्टि में रख कर करने की कोशिश भी करते हैं। अब अलवर में एनीमल हसबेन्ड्री की कौनसी पोलिटिकली ओरियेंटेड स्कीम है..

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना): सीकर, झुंझुनूं का बता दें।

श्री मथुरादास माथुर: वह सरक्यूलेट कर दी है पोथी, किताब आपके पास है..

श्री नत्थीसिंह: आपकी बात सीरिअसली नहीं लेते हैं, असल मुसीबत आपकी यही है

श्री मथुरादास माथुर: मेरा निवेदन यह है कि प्लान को, योजना को बनाते वक्त हमने, राज्य सरकार ने जितनी योजनायें बनाई हैं, खास तौर से सैकिण्ड, थर्ड और फोर्थ प्लान इनका उठा कर देख लीजिये, इनमें पोलिटिकल कन्टेन्ट या पोलिटिकली ओरियेंटेड जैसी चीज नहीं होगी, चाहे चीफ मिनिस्टर के क्षेत्र की बात हो, चाहे फाइनेन्स मिनिस्टर के क्षेत्र की बात हो। सब योजनायें राजस्थान की समस्याओं को ध्यान में रख कर बनाई गई हैं। आपका फाइनेन्स मिनिस्टर तो नागौर का है, आपको मालूम है कि आये दिन लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे वहां कोई रिवर वेली प्रोजेक्ट हो जाय, दो तीन चीजें हो जायं। लेकिन जो भी योजना में प्रावधान किया जाता है वह सब चीजों को ध्यान में रख कर किया जाता है, एज्यूकेशन, मेडिकल, सोशियल वेलफेयर आदि सब बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है...

श्री किशनलाल शाह (नावां): भैरोंसिंहजी जो चार्ज लगाते हैं क्या उनकी आप जांच करायेंगे? क्या जांच की बात को स्वीकार करते हैं?

श्री अध्यक्ष: आरम्भ रखिये।

श्री मथुरादास माथुर : एक बात और कहीं गई बार बार कही जाती है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू को मोबीलाइज करना चाहिए इससे मैं शत प्रतिशत एग्री करता हूं। लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू कहना यह मिस्लीडिंग हो जाता है, उसमें कई.....

श्री रामकिशन : सैन्ट्रल असिस्टेन्स भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है।

श्री मथुरादास माथुर: मैं यह कह चुका हूं, इसलिये नॉन–टैक्स रेवेन्यू न कह कर हमें टैक्स के अलावा दूसरे इन्वेस्टमेंट करके जो रिटर्न प्राप्त करने के साधन हैं उनके लिए ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। रिटर्न के रिसोर्सेज कहां होते हैं-यह सब जानते हैं, उसमें टैक्स हैं, फीस है या स्टेट एन्टरप्राइजेज हों-चाहे ट्रेड के हों, चाहे इन्डस्ट्री के हों, चाहे मिनरल के रिसोर्सेज हों। यह रिसोर्सेज अलग अलग हिसाब से हैं। मेरा निवेदन है...

श्री मदनसिंह: इन पर टैक्स लगा दें।

श्री मथुरादास माथुर: मैं इस बात से एग्री करता हूं, कुछ फीस चार्ज की जाती है, जैसे ईरिगेशन फीस है, जो वाटर सप्लाई करते हैं उसकी फीस है, पीने का पानी देते हैं उस पर फीस है, पावर सप्लाई करते हैं उस पर फीस है। अब इनमें राज्य सरकार प्रॉफिट कमाती है तो आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार प्रॉफिट कमा रही है और राज्य सरकार को घाटा हो तो...

श्री भैरोंसिह: घाटा राज्य सरकार को रांग प्लानिंग से होता है।

श्री दौलतराम सारण: रॉंग प्लानिंग है।

श्री मथुरादास माथुर: रॉंग प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग तो है, इसमें पोलिटिकल कन्टेन्ट आ जाता है, अगर कोई ईरिगेशन में प्रोजेक्ट लास में जाय, पावर की कोई स्कीम लास में जाय...

श्री दौलतराम सारण: प्लान प्रोजेक्ट में रिटर्न कुछ शो करते हैं और एक्चुअल कुछ होता है। सारा रॉंग प्लानिंग है।

श्री मथुरादास माथुर: ऐसी बात नहीं है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, उनके अलावा इस सदन के अन्दर अलग अलग माननीय सदस्यों की अलग अलग ओपिनियन आती है। यह कहते हैं कि इन्डस्ट्री में कम इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फैसेलिटी देनी चाहिये। अब कुछ काम पब्लिक सेक्टर में करना चाहते हैं, कुछ प्राईवेट सेक्टर में करना चाहते हैं तो उसमें दूसरा एतराज होता है कि प्राईवेट सेक्टर को फैसेलिटी देकर रुपया वेस्ट किया जा रहा है..

श्री भैरोंसिह: यह मामला नहीं है..

श्री मथुरादास माथुर: मेरे कहने का मतलब यह है, इस चीज को मैं मानता हूं कि हमारे राज्य में मिनरल रिसोर्सेज का एक्स-प्लॉयटेशन होकर हमें आमदनी बढ़ानी चाहिए। यह सुझाव ठीक है। लेकिन यह बात नहीं है कि जो सुझाव दिया है उस दृष्टि से हम नहीं सोचते हैं, लेकिन मेरी मुश्किल एक और है, जो मिनरल होते हैं वह दो तरह के होते हैं- एक तो मेजर मिनरल और दूसरे माइनर मिनरल। जो मेजर मिनरल का क्वेश्चन है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अन्डर में है और हम उनकी सेंक्शन के बिना रॉयल्टी नहीं बढ़ा सकते हैं। मेरी बात सुनिये, मुख्य मंत्रीजी ने मेजर मिनरल पर रॉयल्टी इन्क्रीज करने के लिए एन० डी० सी० में इस मामले को प्लीड किया था कि हमारे जो जिप्सम और कॉपर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनकी रॉयल्टी से स्टेट को ज्यादा आमदनी हो और मिनरल के एक्स्प्लॉयटेशन से राज्य को ज्यादा अर्निग हो सके। इसी तरह से रॉक फास्फेट के लिये इस बजट में कहा है इससे 118, या शायद

(श्री मथुरादास माथुर)

1 करोड़ 18 लाख की आमदनी राज्य की बढ़ी है। इसी तरह से कॉपर है, जिंक है, जिप्सम है और पायराइट है या और मिनरल हैं इनसे जो रॉयल्टी से आमदनी हमारी लेजिटिमेट हो सकती है, वह रॉयल्टी हम सेन्टर की परमिशन लिये बिना इन्क्रीज नहीं कर सकते हैं। और सेंन्टर गवर्नमेंट परमिशन देती नहीं है। वैसे हमने इस बारे में कोशिश की है और अभी भी कोशिश कर रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह: रिसोर्सेज कहां से बढ़ेंगे, राजस्थान में पन्ने की खान की लीज ऐसे व्यक्ति को दे रखी है जो खान मेटिरियल की चोरी करने में मशहूर है, और जिसके खिलाफ चोरी के मुकदमें बने हुए हैं। आपने पन्ने की खान की लीज चोर को दे रखी है और आप आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, अब यह माइनिंग करने के लिए किसको दी गई है, किसको नहीं, यह आज तो दी नहीं गई है। अब वह चोरी करता है...

श्री भैरोंसिंह: चोरी करता है, चोरी में पकड़ा गया है, चोरी के कैसेज रजिस्टर हो गये हैं, इसका विधान सभा में विरोध हुआ लेकिन उसके बावजूद पन्ने की खान की लीज दे दी गई है। और आप इन्कम बढ़ाने की बात कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर: मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं...

श्री भैरोंसिंह: मैं ही नहीं कह रहा हूं आप उदयपुर के किन्हीं माननीय सदस्य से पूछ लीजिये....

श्री अध्यक्ष: सूचना है सदन में?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: यह अलग से प्रश्न है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय को सूचना नहीं दी गई है, इसलिये भ्रष्टाचार का सवाल सदन में नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष: यह सम्मिलित प्रश्न है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): यह फैक्ट है और अध्यक्ष महोदय के ध्यान में है।

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां तक मिनरल सोर्स के एक कन्ट्रेक्टर के लिये कहा, उसका मुझे पता नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बान्सूर): इनके यहां तो चोरी करने की छूट है, और किसी प्रकार की छूट नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: चोरी करे उस पर टैक्स लगा दो ताकि लीगेलाइज हो जाय। या फिर चोरी को नेशनेलाइज कर दो।

श्री मथुरादास माथुर: टैक्स के अलावा हमें अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की तरफ तवज्जोह देनी पड़ती है और राज्य सरकार इस तरफ तवज्जोह देती है।

श्री भैरोंसिंह: रॉक फॉस्फेट की सोने की सी खान राजस्थान सरकार को मिली है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार निर्णय कुछ भी ले, पर उसके संबंध के सारे कागजात सदन की मेज पर रखे और इस मसले पर सदन में बहस कर के सदन को कॉन्फिडेन्स में ले, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इससे राज्य को 3 करोड़ की इन्कम होगी। आप 118 लाख की इन्कम

(श्री भेरोंसिंह)

बताते हैं, अगर सदन के माननीय सदस्यों को कॉन्फिडेन्स में लेकर इस पर विचार करें तो आपको पहले साल में ही 3 करोड़ की आय होगी। आप पेपर सदन में रखिये।

श्री मथुरादास माथुर: पेपर कुछ नहीं है।

श्री भेरोंसिंह: क्यों दी है, बीकानेर डिविजन में.....

श्री मथुरादास माथुर: इसका उत्तर उद्योग मंत्रीजी ने दिया था।

श्री भेरोंसिंह: उत्तर से संतोष नहीं होगा, हमें इन्कम से संतोष होगा।

श्री मथुरादास माथुर: रॉक फॉस्फेट की माइनिंग के बारे में पूरे फेक्ट्स रख दिये गये हैं। अगर आपका सुझाव 118 लाख से 33 करोड़ की इन्कम होने का है तो हम इस पर आपसे जरूर बात करने को तैयार हैं।

श्री भेरोंसिंह: सदन के माननीय सदस्यों को आप कॉन्फिडेन्स में लीजिये। निश्चित रूप से 118 लाख की जगह 3 करोड़ की इन्कम आपको होगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: लॉग टर्म प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान का उद्धार हो तो वह खनिज के द्वारा हो सकता है। पन्ने में छोटे लोगों को ठेके दे रहे हैं तो इसमें एक को ही मोनोपोलाइज क्यों कर रहे हैं? ठेके की व्यवस्था सर्वथा अनुचित है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: जयसमन्द झील का ठेका 7 साल का दे रखा है क्यों नहीं उसको केन्सिल कर देते, 25 लाख का 7 साल का ठेका दिया है।

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं ये इन्डिविज्युअल ठेके हैं...

श्री देवीदत्त गाड़िया: यह इन्डिविज्युअल नहीं है, राज्य सरकार का मुख्य आमदनी का सोर्स है।

श्री मथुरादास माथुर: उससे भी आमदनी बड़ी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: आपने कहा कि इससे पहले साल में ही 3 करोड़ की आमदनी होगी। आपने इसका ठेका 7 साल का दिया है, 7 साल के 14 करोड़ होते हैं। यह 14 करोड़ की राशि का घाटा कोई छोटा मसला नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जहां तक माइन्स मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, यह ऐसे रिसोर्सेज हैं कि सोने का अन्डा देने वाली मुर्गी से एक ही दिन में सारे अन्डे लेने के लिये उस मुर्गी को मार दें, तो यह अहितकर ही होगा। माननीय सदस्य समझते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा आमदनी करने की कोशिश करते हैं, इस संबंध में माननीय सदस्यों के जो सुझाव होंगे उन पर हम विचार करेंगे।

25 मेगावाट के प्रश्न को ले कर यहां प्रश्न उठा था। भाखरा से 25 मेगावाट पावर का फर्टीलाइजर प्लान्ट हम यहां बना लें तो तो उसके लिये देने का कहा था। कोई कार्पोरेशन, बने चाहे किसी सैक्टर में हो। तो उन्होंने कहा कि नांगल फर्टीलाइजर को जो पावर दीजाती है उसकी रेट डेढ़ दो पैसा है, उसको हम रिवाइज करवा रहे हैं। उन्होंने 25 मेगावाट राजस्थान को देने का कहा है। हमारे राजस्थान में फर्टीलाइजर प्रोजेक्ट डी० सी० एम० ने कोटा में कायम किया है।

Page No 44

(श्री मथुरादास माथुर)

इस एग्रीमेंट से पहले हमारे पास पॉवर नहीं थी। डी० सी० एम० ने अपना पावर जनरेट करना शुरू कर दिया। हमने कहा कि 15 मेगावाट इस पर करना होगा....

श्री भैरोंसिंह: पहले 25 का कहा।

श्री मथुरादास माथुर: 25 वहां से मिलता था, फर्टीलाइजर कन्सर्न अगर हमारे पास हो तो। पर एग्रीमेंट हुआ उस समय हमारे पास पॉवर नहीं था। अब उनके पास खुद के पास पावर है। उस समय हमारे पास पॉवर की शॉर्टेज थी। तो उन्होंने पॉवर अपनी जेनरेट कर ली, उनके पास उनकी पॉवर है, इसलिये 15 मेगावाट कर दिया। हमको उन्हें देने से नुकसान नहीं है। हमारे यहां हम सोच रहे हैं पाइराइट के लिये कमेटी आई थी, हमारे यहां पाइराइट का बेस होगा, चाहे वह स्टेट सैक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का या और कोई हो, उसमें हम पॉवर को यूटिलाइज कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह: मेरा क्वेश्चन यह था कि हमारे यहां प्लान्ट लगाने के लिये 25 मेगावाट पॉवर देने की परमिशन थी, उसमें यह शर्त थी कि 25 मेगावाट भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड से पावर मिलने वाला है, उसको यूज करना होगा। फिर आपने यह डी० सी० एम० के साथ 15 मेगावाट की शर्त क्यों लगाई है और उससे भी घटा कर 6 मेगावाट की क्यों की है?

श्री रामानन्द अग्रवाल: 3 पैसे पर यूनिट के हिसाब से डी० सी० एम० को आप सस्ती बिजली दे रहे हैं, उसको आप बन्द क्यों नहीं करते हैं, जबकि उसने अपनी पॉवर जेनरेट कर ली है?

श्री भैरोंसिंह: वह कम्पनी यह सस्ती बिजली क्यों नहीं लेना चाहती इसके पीछे बड़ा राज है। इसलिये वह नहीं लेना चाहती कि उसे आप 3 पैसे में दे रहे हैं, उसने 3 कन्सर्न खड़े कर रखें हैं, जो बिजली जेनरेट नहीं करते। यह कम्पनी चोरी से उन कन्सर्न्स को पावर देती है, आप वहां जमीन खुदवा कर देख लीजिये, जमीन के नीचे लाइन डाली हुई है, स्विच अपने में लगा रखा है और दूसरे कन्सर्न्स में बिजली यूज होती है। 1.5 पैसा पर यूनिट मिलने वाली बिजली लगभग 7 पैसे में उसको मिलेगी, जो चोरी की बिजली मिलती है वह 3 पैसे में मिलती है। इसलिये वह बिजली लेता नहीं है और सरकार को घाटा पहुंचा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप एग्री करते हैं इससे? डू यू एग्री विथ इट ?

श्री मथुरादास माथुर : जो माननीय सदस्य यह कह रहे हैं, न तो मुझे इस बात की मालूम है और न मैं खड्डा खोद कर कर देख कर आया हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसकी कम्प्लेन्ट हुई थी और जांच हुई थी।

श्री मथुरादास माथुर: फिर भी पॉवर जेनरेशन उनका है, मेरा निवेदन है कि 25 मेगावाट कन्सेशन रेट पर हमें पॉवर मिलता है, उसका वह फायदा नहीं उठाना चाहता है तो राज्य सरकार को इससे नुकसान क्या है? फर्टीलाइजर प्लान्ट के लिये हमें जो मिलेगी, उसको हम रिजर्व रख रहे हैं। वह जितनी उसे जरूरत हो ले।

श्री भैरोंसिंह : आप रिजर्व रखेंगे तब तक 90 लाख का राज्य सरकार को नुकसान हो जायेगा ।

श्री मथुरादास माथुर : कैसे होगा ?

श्री भैरोंसिंह : इस तरह होगा, उसको 7 पैसे में बेचेंगे तो 25 मेगावाट की कीमत 90 लाख होती है ।

श्री मथुरादास माथुर : डी० सी० एम० को हमारी रेट पर ही हमें सप्लाई करना होगा ।

श्री भैरोंसिंह : तो आपको इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है । 1.5 पैसे की रेट से जो बिजली आपको मिलेगी, उसी रेट पर फर्टीलाइजर प्लान्ट को देनी पड़ेगी, यह शर्त नहीं है । आप एग्रीमेंट देखिये ।

श्री मथुरादास माथुर : सब्जेक्ट टू करेक्शन । एग्रीमेंट इस समय मेरे पास नहीं है । नांगल फर्टीलाइजर प्लान्ट के लिये पॉवर गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने दी थी तो भाखरा बोर्ड ने ऐतराज किया था कि रेट रिवाइज करिये । लेकिन बोर्ड को कहा गया कि रिवाइज नहीं करेंगे । 25 मेगावाट पावर हमें उसी रेट से फर्टीलाइजर प्लान्ट के लिये दी । प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिये भी इसी चीप रेट पर देने का है ।

श्री भैरोंसिंह : यह शर्त नहीं है, सदन की मेज पर एग्रीमेंट रख दें, उससे साफ मालूम हो जायगा ।

जिस समय 25 मेगावाट का एग्रीमेंट हुआ था उस समय 60 लोड फैक्टर तय किया गया था । आज लोड फैक्टर, बिजली का जो उत्पादन हो रहा है, उसमें और बढ़ाना चाहते हैं, वह बढ़ाने का सवाल नहीं है, जो मिला है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष (वित्त मंत्री से) : यह महत्वपूर्ण मसला है, बाद में डिस्कस कर लें, 10½ बजे आप समाप्त करेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो देखने की बात है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुंडावत (भीम): सदन के सदस्यों की समिति बनाई जाये तो अच्छा होगा ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या यह मानकर चलें कि आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि सदस्यों की समिति बनाई जायेगी, राज्य के हित में ?

श्री मथुरादास माथुर : सदन में कमेटी बनाने के प्रस्ताव आते रहते हैं और राज्य सरकार.....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर इस कमेटी के बनने से राज्य की रेवेन्यू बढ़ती है तो आपको नुकसान क्या है, आपको स्वागत करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : इसकी प्रोप्राइटी को देख लेंगे ।

श्री रामनारायण चौधरी : डी० सी० एम० को कितना कन्सेशन देते हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जो यूनिट कॉस्ट है, कितना है? 8 पैसा प्रति यूनिट और आप उनको 3 पैसा प्रति यूनिट सप्लाई कर रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घाटा खाकर दे रहे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर: बार बार कह दिया है डी० सी० एम० कॉस्टिक सोडा पैदा करने के लिए जो आप चीप पावर कहते हैं, कई बार अकाउंट्स कमेटीज में आ चुका है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: समाधान हुआ?

श्री विजयसिंह: फिर क्या समाजवाद ला रहे हैं?

श्री मथुरादास माथुर: इस पर मुख्य मंत्रीजी ने, पावर मंत्री ने कई बार कहा है। मैं फिर दोहराता हूं कि जिस समय डी० सी० एम० को इन्वाइट किया गया था कॉस्टिक सोडा का प्लांट लगाने के लिए, उस समय कॉस्टिक सोडा प्रोडक्शन की जो सेल प्राईस होगी, उसको ध्यान में रखते हुए कि कितना पावर चीप चाहिए। राज्य सरकार घोषणा करती है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगायेंगे उनको हम चीप पावर देंगे। और जितनी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, मैसूर, केरल वहां भी पावर रेट फॉर वेरियस रीजन्स इतनी सस्ती हैं। कोई भी इंडस्ट्री हो, कॉस्टिक की तरह रॉ-मेटीरियल का काम देती हो, उसको हम उस दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कास्ट को वर्क आउट करके तीन पैसे तय किया गया था और राजस्थान के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर किया गया था। यह तीन चार साल का पुराना एग्रीमेंट है। नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज को देखकर किया गया है, न कि इन्डीवीज्यूअल्स को। सरकार की नीति के हिसाब से हम दोहरा चुके हैं कि उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम व मेजर इंडस्ट्रीज को। घोषणा बजट स्पीच में की थी उस नीति के अन्तर्गत काम हुआ है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: जिस समय डी० सी० एम०..

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज। बाद में पूछ लें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: जिस समय डी० सी० एम० का उद्घाटन हुआ था, मौजूदा वित्त मंत्री नहीं थे, कौल साहब थे और माननीय सुखाड़ियाजी, भरतराम चरतराम ने एक बात कही थी कि सुखाड़िया इज जस्ट लाइक अवर फैमिली मेम्बर। तो क्या फैमिली मेम्बर...

श्री अध्यक्ष: बाद में पूछ लें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: तो हमारे राज्य का खजाना इस तरह से लूटा जाय? यह स्कैंडल है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: सदस्यों की कमेटी का सवाल है। आखिर कौनसी आपत्ति है? हम चाहते हैं कि राज्य के एक्सचेकर के हित में, अगर कोई यूजफुल सुझाव देते हैं.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: आपत्ति कहां है? इस सुझाव को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता?

श्री अध्यक्ष: बाद में पूछ लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): यह तीन पैसे में बिजली देने का सवाल कई बार सदन में आ चुका है और माननीय सदस्य चर्चा करना चाहें तो मुझे ऐतराज नहीं। अभी बहस के दौरान एक प्रश्न उठाया गया-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

फर्टीलाइजर्स को तीन पैसे में बिजली देने वाली बात इस दृष्टि से की गई है कि वह उपयोग कर सकें। इसलिए वह अपनी पावर भी जेनेरेट कर रहे हैं और इस तीन पैसे वाली बिजली को जिस यूनिट के लिए एग्रीमेंट है, उसके अलावा दूसरी जगह यूज कर रहे हैं और उसके लिए कोई केबल्स नीचे लगा दी गई है और इसको फौरन चेक अप करें तो यह चीज स्पष्ट हो सकती है। जहां तक मेरा ख्याल है, अगर ऐसा किया है तो एक सीरियस बात है। यहां पर जो बात कही गई है और सरकार ने जो तीन पैसे में बिजली दी, वह काफी समय पहले दी जिस समय चंबल की कास्ट, भाखरा की कास्ट और ऐटोमिक पावर की कास्ट काफी लोवर होगी यह एक्सपेक्ट करके और दूसरे राज्यों में कॉस्टिक सोडा को लेकर जो बिजली दी जा रही थी, उसकी कम्परेटिव फिगर्स को स्टेडी करके, राजस्थान में औद्योगीकरण शुरू हो, उस दृष्टि से इस कदम को उठाया गया था ।

जहां तक मेरा ख्याल है, यह एग्रीमेंट 1970-71 में समाप्त होती है और उसके बाद इसमें रिवाइज्ड एग्रीमेंट का स्टेज आयेगा। जैसा मैंने निवेदन किया, यह सरकार की मंशा कभी नहीं रही है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए तीन पैसे में पावर दी गई, उसको बाई एनी मेथड, दूसरी किसी यूज के लिए लें और इस प्रकार से दुरुपयोग करें। तो माननीय सदस्य के दिमाग के अंदर किसी प्रकार का भ्रम न रहे, उस दृष्टि से, अध्यक्षजी, मैं चाहूंगा कि चेयरमैन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, चीफ इंजीनियर और सदन के कोई दो माननीय सदस्य, जिसके अंदर एक प्रश्न उठाने वाला स्वयं चाहें या किसी और को नोमीनेट करें, चाहे उसकी अविलंब जांच करा ली जाय। इसके अंदर मिसयूज हो रहा है तो उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए, हम कोई शर्क (Shirk) करना नहीं चाहते, ऐसा विश्वास मैं दिलाता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्री ने जो बात कही, उसका तो मैं स्वागत करता हूं। यह प्रश्न आज का नहीं है। यह प्रश्न आज से पहले भी विधान सभा में उठाया गया था और मुझे याद है अच्छी तरह से कि इस पर विद्युत् मंडल के कुछ इंजीनियर्स ने जांच की थी। जांच करने के बाद में विद्युत् मंडल को रिपोर्ट दी। मैं मुख्य मंत्री से चाहूंगा कि आप कोई भी जांच करायें, मौके पर जायें, उससे पहले जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। उससे मैं समझता हूं कि आप जिस मुद्दे पर जाना चाहते हैं, पहुंच जायेंगे। अगर वह रिपोर्ट गायब है या रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि कोई व्यवस्था इस प्रकार की होगी जिसके आधार पर आज नहीं एक साल पहले, मैं राज्य सरकार से विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि मैंने और एक विधायक ने जाकर कुछ लोगों को साथ लेकर सारी पॉइंट्स देखी थी कि किस प्रकार से बिजली जाती है। हमें कोई इस तरह का आधिकार नहीं है, हमने खुदवाकर केबल्स को देखा। आने के बाद विधान सभा में और प्राइवेटली इंजीनियर्स को सूचना दी कि बिजली की चोरी होती है, जांच हो उसके बाद रिपोर्ट लिखी गई। उसके पहले वाली रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया गया कोई एक्शन नहीं लिया गया। न लेने के कारण विद्युत् मंडल के अधिकारियों ने डी० सी० एम० को कुछ नहीं कहा। बाकी लोगों से नहीं कहा कि स्विचगीयर्स के अंदर प्राइवेट स्विचेज को बदलना पड़ेगा और व्यवस्था को चैक करना पड़ेगा। पहले वह सफाई.....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी में तो चोरी पर सफाई करने के बाद जानकारी आती है, पहले नहीं आती है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने कहा कि केबुल्स लगाए गए हैं, चोरी हो रही है इसलिए मैंने कहा । आप जानते हैं कि फर्टीलाइजर्स फैक्ट्री इस साल शुरू हुई और फर्टीलाइजर की पॉवर को जेनेरेट करने के कारण, यह सारी बात की गई, यह आपकी मेन भूमिका थी कि इस वजह से सारे का सारा किया गया है कि वह पावर जेनेरेट इसलिए कर रहे हैं कि उसको यहां पर यूज कर सकें और जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, इस समय पावर जेनेरेट हो रही है, क्या फेक्टर्स हैं, सबको स्टेडी करना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : जब्त कराई जाय वह रिपोर्ट ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो प्रश्न आपने उठाया कि आज भी हो रहा है, कमेटी जाकर उसको देख ले । पिछली रिपोर्ट को भी देख लेगी । अगर वह गल्ती पर हैं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा जो आपकी इन्फर्मेशन है.....

श्री भैरोंसिंह : मैं नहीं समझता, आप उस चीज को दबाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपकी ऑफर को स्वीकार किया है । कमेटी तुरन्त जाकर देख ले ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पोइन्ट रेज किया है । माननीय मुख्य मंत्रीजी स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं कि इन्जीनियर्स की रिपोर्ट नहीं आई, आप कहिये कि इन्जीनियर्स की रिपोर्ट आई या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी कर लीजिये। चोरी हुई है, चोरी हुई है, चोरी हुई है । सरकार ने उस चोरी को दबाने की कोशिश की है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सरकार ने दबाने की कोशिश की इसको साफ इनकार करता हूं । इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन भ्रम में रह गया है और स्थिति साफ नहीं हुई है । माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है वह 31 मार्च, 70 की चोरी का नहीं है, किन्तु चोरी जो हुई है वह उससे पहले की है और उसकी जांच हुई है और जो रिपोर्ट जांच होकर के आई उसको सदन की मेज पर रख दीजिए । अभी नहीं बतायें तो आध घन्टे के बाद बता दीजिए, एक घन्टे के बाद बता दीजिए या कल बता दीजिए सदन में कि राज्य सरकार को रिपोर्ट कब मिली और क्या एक्शन लिया और क्या तथ्य हैं ?

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री महोदय, आप आरम्भ करिये ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है । माननीय भैरोंसिंहजी ने प्रश्न उठाया और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि कमेटी बना कर जांच करायेंगे । पुरानी रिपोर्ट को हाउस में रखने की स्थिति में आज नहीं हैं तो जांच वाली बात को स्वीकार

(श्री नत्थीसिंह)

करना चाहिए। कमेटी जरूर बननी चाहिए जो भी जांच हुई है वह अवेलेबल अभी नहीं है तो उसको कमेटी को अवेलेबल करा देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह निवेदन कर दूं कि यदि इस प्रकार की रिपोर्ट आई है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है उसके बारे में जानकारी करके सदन को अवगत करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : कमेटी को दीजिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं उससे अवगत नहीं हूं। जानकारी करके फैक्ट्स सारे सदन के सामने रख दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : उसका सवाल नहीं है। रिपोर्ट को आप दबाना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई नहीं दबाना चाहते हैं। दबाना चाहते तो कमेटी वाली बात स्वीकार नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

माननीय वित्त मंत्रीजी।

जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : पांच मिनिट में।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा अहम प्रश्न है जिस पर इधर से भी और उधर से भी जोर से चर्चा की गई और विरोधी दल के नेता महोदय ने भी कहा कि रोटी और दाल पर टैक्स क्यों? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रोटी और दाल पर मैंने नया कोई टैक्स नहीं लगाया है। टैक्स रेस्टरां पर है। रेस्टरां में दाल रोटी भी खाई जाती है, हलवा पुड़ी भी खाई जाती है और गोश्त रोटी भी खाई जाती है। होटल वगैराह पर यह पहले से ही था। पहले 2 पर्सेन्ट था। 30 हजार के टर्न ओवर वाले को छूट है और उससे ऊपर 2 पर्सेन्ट था उसके बजाय 5 पर्सेन्ट किया है। नई बात नहीं की है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : गत वर्ष विथड्रा किया था और काफी जोर दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 2 पर्सेन्ट ही रखिये। यह हमने मांग रखी है।

श्री मथुरादास माथुर : आप बोलने तो दीजिये। फिर आप ही बढ़ा लें और घटा लें।

श्री नत्थीसिंह : यहां इधर आओगे जब पता लगेगा।

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब हम चाहेंगे तब वहां बैठे रह जाओगे।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह निवेदन है कि 2 पर्सेन्ट से 5 पर्सेन्ट किया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया है जैसा कि अखबारों में और सब जगह हल्ला हो रहा है कि टैक्स की दर ज्यादा है। राज्य सरकार ने पुनः इस पर विचार किया है और जो 2 पर्सेन्ट से 5 पर्सेन्ट किया उसकी बजाय अब 2 पर्सेन्ट से 3 पर्सेन्ट किया जाता है।

श्री नत्थीसिंह : लेकिन बढ़ायेंगे जरूर।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : 2 ही रहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप वित्त मंत्रीजी, आरम्भ रखिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पंचों का हुक्म सर पर लेकिन परनाला तो यहीं पर पड़ेगा ।

श्री भगवानदास शास्त्री : बड़े रेस्टरां को दो पर्सेन्ट दी थी ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

वित्त मंत्री महोदय, आप आरम्भ रखिये ।

श्री हंसराज आर्य : पांच भट्टे और खोल दीजिये लेकिन इस पर मत रखिये ।

श्री मथुरादास माथुर : बाकी एक बात निवेदन करना चाहता हूं । बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि सेल्स टैक्स के बारे में चोरी पकड़ी गयी । पकड़ने वाले भी हमारे अधिकारी हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चोरी कराने वाले भी आपके अधिकारी हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैटल वर्क्स का बाकी है तो 31 तारीख तक वसूल कर लूंगा । और दूसरों से भी वसूल कर लूंगा । किसी को रियायत देने का सवाल नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि एप्रोप्रियेशन बिल को प्रस्तुत करने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान की जाय । उसके बाद पारित करने के लिए भी प्रस्ताव करूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्रम मंत्रालय से संबंधित मांगों का जनरल डिस्कशन नहीं हुआ था । मैंने जो मुख्य मुद्दे उठाये थे उनके बारे में उत्तर जरूरी है । टैक्सटाइल मजदूरों का बोनस और सालाना इन्क्रीमेन्ट के संबंध में मुख्य मंत्रीजी ने समझौता कराया । वह 1 जनवरी से मिलना चाहिए सिवाय एक जगह के और कहीं नहीं मिला है । मिनिमम वेजेज के रिविजन का भी सवाल उठाया गया है । एडवर्ड मिल को चालू करने का भी सवाल है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर दूं सारे दृष्टिकोणों से विस्तार में जानकारी तो मेरे पास नहीं है । एडवर्ड मिल के बारे में निवेदन कर दूं कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर किया जाता है उसके संबंध में मेरी वहां बातचीत हो गई थी दिल्ली में और इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर्स दे दिये गये हैं । टेक ओवर करने के पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इन्क्वायरी की जाती है तब ही इन्डस्ट्रियल युनिट को लिया जाता है । प्रिलिमिनरी कार्यवाही आवश्यक है एक्ट के माफिक । उसका एक्शन ले लिया गया है । लेबर का भी डेपूटेशन आया था । जो टैक्सटाइल लेबर की मंहगाई के लिये तय किया उसके इम्पलीमेन्टेशन के लिए सरकार ने निर्णय किया । उसको इम्पलीमेन्ट कराया जावेगा । ट्रान्सपोर्ट के लिए बोनस का सवाल है तो वह सरकार के विचाराधीन है । कई स्टेट्स से जानकारी कर ली गई है उसके बारे में भी निर्णय शीघ्र जो भी होगा वह ले लिया जावेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कई सालों का चढ़ गया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कई साल तक कई स्टेट्स नहीं दे रही थीं । उसके लिए सारी जानकारी करके करना होगा । कानूनी स्थिति तो आप लोग भी जानते हैं कि दिया नहीं जाना चाहिए । एक्सग्रेशियो . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपका कहना है कानून नहीं आना चाहिए ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं आना चाहिए इसीलिए एक्सग्रेशियो तरीके से किया है। कम्पलसरी बोनस देना आवश्यक नहीं है। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया उनकी जानकारी के लिए यह पहलू है। इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज के लिए पहले फैसले किये गये हैं और कुछ बाकी हैं और कुछ फैसले मेरे द्वारा किये जाने हैं जिनके बारे में मैं आशा करता हूं कि पांच सात दिन में कर दूंगा। इस बीच में जहां तक अनआफिशियल जानकारी मिली है वेज बोर्ड का सवाल गवर्नमेन्ट ने एप्रूव कर लिया है यह मालूम है फिर भी उस बारे में जानकारी हो जाने में और सुगमता हो जावेगी। और उससे ऐसी सुगमता हो जायेगी, इस संबंध में केवल इतना ही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाये।

जो पक्ष म हों व 'हां' कहें।

जो विपक्ष में हों 'ना' कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

(अनेकों सदस्यों द्वारा व्यवधान, शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : रोटी का सवाल है जो टैक्स लगाया है। इस मांग पर डिवीजन होना चाहिए। यह जो दाल रोटी है इसके ऊपर कर लगाया है, वह सामान्य लोगों पर टैक्स है....

श्री मथुरादास माथुर : इतना साफ करने के बाद भी रोटी रह गई।

श्री अध्यक्ष : वापस प्रश्न को रखता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाये। जो पक्ष में हों 'हां' कहें–जो विपक्ष में हों 'ना' कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

(विपक्ष द्वारा शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : दाल-रोटी जीती।

श्री अध्यक्ष : इसका अर्थ डिवीजन है। आप डिवीजन चाहते हैं।

श्री नत्थीसिंह : दाल रोटी....

श्री अध्यक्ष : डिवीजन चाहते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : घोटाला है...

श्री अध्यक्ष : आप तो बैठिये। घोटाला बंद हो गया है।

(डिवीजन के लिए घंटी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाये। जो पक्ष में हों 'हां' कहें–जो विपक्ष में हों 'ना' कहें।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मुकुटबिहारीलालगोयल :
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : } अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : अभी एक और मौका है......

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970 को पारित किया जाये। जो पक्ष में हों वे 'हां' कहें। जो विपक्ष में हों वे 'ना' कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिवीजन हो . .

श्री अध्यक्ष : डिवीजन . . जो हां पक्ष में होवे "हां" पक्ष की दीर्घा में . . 'ना' पक्ष वाले "ना" पक्ष की दीर्घा में चले जावे।

श्री भैरोंसिंह : एक बार घंटी और लगानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : एक बार और घंटी लगाई जाये . . . .

(डिवीजन की घंटी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970 को पारित किया जये। जो पक्ष में हों, 'हां' कहें, जो विपक्ष में हों, 'ना' कहें।

'हां' पक्ष जीता, 'हां' पक्ष जीता।

(शोरगुल)

'हां' पक्ष, 'हां' पक्ष कक्ष में चले जावें और 'ना' पक्ष, 'ना' पक्ष के कक्ष में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लॉबीज क्लोज कराई जाये।

(लॉबीज बंद की गई)

विभाजन सूची

'हां' पक्ष के माननीय सदस्य

क्रम संख्या	सदस्य का नाम
1.	श्री अब्दुल हादी
2.	श्री अमीनुद्दीन अहमद
3.	श्री अमृतलाल यादव
4.	श्री कन्हैयालाल पटेल (पिड़ावा)
5.	श्रीमती कान्ता कथूरिया
6.	श्री कालूराम मेघवाल
7.	श्री कालूराम आर्य
8.	श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा)
9.	श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय)
10.	श्री खेतसिंह राठौड़
11.	श्री गंगाराम चौधरी
12.	श्री गणेशलाल
13.	श्री गिरधारीलाल व्यास
14.	सरदार श्री गुरदीपसिंह
15.	श्री गुलाबसिंह शक्तावत
16.	श्री गोकुलचन्द
17.	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
18	श्रीमती गौरी पूनिया
19.	श्री जगन्नाथ
20.	श्री जयकृष्ण शर्मा
21.	श्री जयनारायण (लसाड़िया)
22.	श्री जवाहरमल
23.	श्री जसराज
24.	श्री बिरदाराम
25.	श्री दामोदरलाल व्यास
26.	श्री दुर्जनसिंह
27.	श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा)
28.	श्री दौलतराम (देसूरी)
29.	राव श्री धीरसिंह
30.	श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन)
31.	श्री नाथूराम

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	क्रम संख्या	सदस्य का नाम
32.	राव श्री नारायणसिंह मसूदा	58.	श्री रतनलाल रोत
33.	श्री पूनमचन्द विश्नोई	59.	श्री रामकिशोर व्यास
34.	श्री प्रद्युम्नसिंह	60.	श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़)
35.	श्रीमती प्रभा मिश्रा	61.	श्री रामचरण
36.	श्री बरकतुल्ला खां	62.	श्री रामदेवसिंह
37.	श्री बलवन्त	63.	श्री रामनारायण
38.	श्री बिरधी चन्द्र जैन	64.	श्री रामप्रसाद लड्ढा
39.	श्री विशम्भरनाथ जोशी	65.	श्री रोशनलाल
40.	श्री बीरबल	66.	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
41.	श्री बृजसुन्दर शर्मा	67.	श्री ललितसिंह
42.	श्री भीमसेन	68.	श्री विद्यासागर
43.	श्री भूरालाल	69.	श्री शंकरलाल जाट (कपासन)
44.	श्री मथुरादास माथुर	70.	श्री शंकरलाल (जैतारण)
45.	श्रीमती मदनकौर	71.	श्री शिवचरण माथुर
46.	श्री मनफूलराम	72.	चौधरी श्री शिवचरणसिंह
47.	श्री महेन्द्रकुमार	73.	श्री शीशराम पूनिया
48.	श्री माधोसिंह	74.	श्री श्रीनिवास शारदा
49.	श्री मूलचन्द डागा	75.	मास्टर श्री समर्थलाल
50.	श्री मोतीलाल	76.	श्री सहदेव शर्मा
51.	श्री मोहनलाल मोदी	77.	श्रीमती सुमित्रा
52.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	78.	श्री हंसराज आर्य
53.	श्री मोहम्मद उस्मान	79.	श्री हरलाल मीणा
54.	श्री यशवंतसिंह नाहर	80.	श्री हरिदेव जोशी
55	श्री रघुनाथ विश्नोई	81.	श्री हरिसिंह
56.	श्री शीशराम ओला	82.	श्री हीरालाल देवपुरा
57.	श्री रणजीतसिंह	83.	श्री हुकमसिंह

ना पक्ष के माननीय सदस्य

1.	डा० श्री अम्बालाल	7.	प्रो० श्री केदारनाथ
2.	श्री आइदानसिंह	8.	महाराज श्री केसरीसिंह हाड़ा
3.	श्री आलमअली खां	9.	डा० श्री गंगासहाय
4.	श्री ओमदत्त भाटी	10.	श्री गोरधन सोनी
5.	श्री कृष्णकुमार गोयल	11.	श्री चुन्नीलाल जेलिया (खंडार)
6.	श्री किशनलाल शाह (नावां)	12.	श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)

क्रम संख्या	सदस्य का नाम
13.	श्री जुझारसिंह
14.	श्री देवीदत्त गाड़िया
15.	श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)
16.	श्री नत्थीसिंह
17.	श्री नन्दलाल दण्डवासी (किशनगंज)
18.	श्री नाथूदास
19.	श्री नाथूलाल करौल
20.	श्री पृथ्वीसिंह
21.	श्री फूलचन्द बाफना
22.	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
23.	श्री बालसिंह सोढा
24.	महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपालसिंह
25.	श्री भगवानदास इसरदास शास्त्री
26.	श्री भैरोंसिंह शेखावत
27.	कैप्टेन ठाकुर श्री मदनसिंह (दाता-रामगढ़)
28.	श्री मनोहरसिंह मेहता
29.	कु० श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा
30.	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
31.	श्री मेघराज
32.	श्री रामकिशन
33.	श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)
34.	श्री रामप्रसाद बोहरा
35.	श्री रामानन्द अग्रवाल
36.	श्री रावतराम
37.	श्री रूपसिंह राजवी
38.	श्री लक्ष्मन तानीवाल
39.	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
40.	श्री लादूराम सुलानिया
41.	ठाकुर श्री विजयसिंह (मकराना)
42.	श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा
43.	श्री शम्भूराम पटेल
44.	श्री श्रवणलाल
45.	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
46.	श्री सुमेरसिंह
47.	कु० श्री सुरेन्द्रसिंह
48.	श्री हरजीराम बुरड़क
49.	महारानी श्रीमती शिवकुमारी

श्री अध्यक्ष : हाउस इन ऑर्डर ।

डिवीजन का परिणाम इस प्रकार है:-

हां पक्ष 83

ना पक्ष 49

हां पक्ष जीता ।

विधेयक पारित किया गया ।

(विराम)

मेरा यह निवेदन है कि आज गैर सरकारी कार्य है, पुनः सदन को मिलना है । सदन की सहमति से 1 बजे....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उसमें क्वेश्चन आवर रहेगा क्या ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्वेश्चन आवर तो महत्वपूर्ण है वह तो रहना चाहिए । आप उसको भी नहीं रखना चाहते ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम तो इस राय के हैं कि सदन की कार्यवाही शुरू रहने दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : मैं सुझाव रख देता हूं हम एक बजे मिलें उस समय गैर सरकारी संकल्प ले लें । क्वेश्चन आवर महत्वपूर्ण है इसलिए इसको अभी ले लेते हैं ।

कई माननीय सदस्य : यह ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर ले लिया जाय। अब क्वेश्चन आवर लेते हैं।

प्रश्न । श्री देवीलाल बुरासिया ।

(11 म० पू०)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(अकाल सहायता, शिक्षा, सिंचाई, योजना, चिकित्सा, समाज कल्याण, वन, वित्त, खाद्य, राजस्थान नहर परियोजना, पंचायत, परिवार नियोजन विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 411 ।

श्री देवीलाल बुरासिया ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल मीणा ।

प्रतापगढ़ डिग्री कॉलेज में साइन्स विषय की पढ़ाई

412. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ डिग्री कॉलेज में साइन्स रूम बना होने पर भी यहां साइन्स विषय नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सत्य है कि प्रतापगढ़ डिग्री कॉलेज में साइन्स खुलवाने बाबत कई दिनों से मांग चल रही है ? यदि हां, तो क्या यहां साइन्स विषय खोल दिया जायेगा ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि साइन्स विषय नहीं होने के कारण यह विषय लेने वाले लड़के बाहर जाते हैं या अपने घर बैठ जाते हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :

(1) राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में कला व वाणिज्य संकायों में कक्षायें चलती हैं। महाविद्यालय में साइन्स रूम के नाम से कोई रूम तैयार नहीं करवाया गया है, जब महाविद्यालय में साइन्स विषय खोलने का निर्णय हो जावेगा तब रूम भी तैयार करवा लिया जावेगा ।

(2) जी हां, अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावेगा ।

(3) जी हां, परन्तु विज्ञान की पढ़ाई की सुविधा चित्तौड़गढ़ में है जहां एक स्नातक स्तरीय राजकीय महाविद्यालय उपलब्ध है ।

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़): प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में कितनी दूरी है ?

राव श्री धीरसिंह : 52 मील ।

श्री हरलाल मीणा : बजट के अन्दर साइन्स क्लास खोलने का प्रावधान है ?

राव श्री धीरसिंह : यह अलग से प्रश्न है। अगर साइन्स की क्लास खुलेगी तो उसे कन्टीन्यू किया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(11.05 म० पू०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ग्राम सालोतिया में राहत कार्य

413. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि यथासंभव 5 मील से कम फासले पर अकाल सहायता

(श्री जुझारसिंह)

का दूसरा काम नहीं खोला जाना चाहिए ?

(2) ग्राम सालोतिया, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ में क्या सड़क व बान्ध का काम एक ही स्थान पर खोला गया था व दोनों कामों के लिए स्थानीय मजदूर उपलब्ध नहीं हो सकने के कारण दूसरे अकालग्रस्त क्षेत्रों से ट्रकों द्वारा लाये गये थे ? सालोतिया-सुनेल सड़क व बान्याखेड़ी के बान्ध पर कितने कितने मजदूर कितने कितने दिन तक किन किन गांवों के बुलाये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) बान्याखेडी बान्ध के बनाने का क्या औचित्य था और इसको बनाने की सिफ़ारिश किन अधिकारियों द्वारा की गई थी ? इस बान्ध के बनने के बाद कितने क्षेत्र में सिंचाई की गई है ?

श्री गंगाराम, उप-मंत्री (अकाल सहायता): उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हो सकी है अभी तक इसलिये इसे स्थगित करने की प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 414

श्री महेन्द्र कुमार !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल !

सवाई माधोपुर जिले में फसल को क्षति

415. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर जिले में गत साल बाढ़ व सूखे तथा फरवरी, 1970 में पड़े ओलों के कारण कई स्थानों पर फसल नष्ट हो गई थी ?

(2) क्या यह सच है कि भरतपुर गंगानगर आदि स्थानों पर जहां कि बाढ़ आई थी वहां सरकारी सभी बकाया फिलहाल स्थगित कर दी थी ?

(3) यदि हां, तो सवाई माधोपुर जिले में लगान व सरकारी विभिन्न बकाया राशि की वसूली क्यों नहीं स्थगित की गई?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी नहीं। सवाई माधोपुर जिले में कृषि वर्ष सम्वत 2026 में सूखे से फसलें नष्ट होने की कोई सूचना नहीं है। बाढ़ से फसलों को साधारण नुकसान हुआ था। फरवरी, 1970 में पड़े ओलों के कारण कई स्थानों पर फसल खराब होने की सूचना है।

(2) जी हां, भरतपुर में जहां फसलों को आठ आने से अधिक नुकसान बाढ़ के कारण हुआ था वहां सभी सरकारी बकाया की वसूली फिलहाल स्थगित करदी थी। गंगानगर के लिए इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। सवाई माधोपुर जिले में फसले अधिक क्षतिग्रस्त नहीं होने के कारण वसूली स्थगित नहीं की गई।

श्री श्रवणलाल : इसके लिए कलेक्टर और तहसीलदार द्वारा जांच कराई थी क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां, जहां तक ओला पड़ने से हुई क्षति जानने का प्रश्न

(श्री गंगाराम चौधरी)

है जिलाधीश की प्रारम्भिक रिपोर्ट आई है, उसमें 191 गांव क्षतिग्रस्त बताये गये हैं। फाइनल रिपोर्ट आने पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्रवणलाल : 191 गांव बताये हैं उनमें आपके द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें ओलों से कितनी पर्सेन्टेज क्षति मानी गई है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह तो फाइनल रिपोर्ट आने पर कहा जा सकेगा कि आठ आने से अधिक नुकसान हुआ या नहीं। अभी तक जो प्रारम्भिक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर दो राहत कार्य खोल दिये गये हैं टेस्ट वर्क के तौर पर।

श्री श्रवणलाल : फाइनल रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी और काश्तकारों को जो रिलीफ देना चाहते हैं वह कब तक मिल जावेगा उनको ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस समय रबी की गिरदावरी चल रही है, वह जल्दी ही समाप्त हो जावेगी। आशा की जाती है कि एक महीने में फाइनल रिपोर्ट आ जावेगी।

श्री श्रवणलाल : क्या राजस्व की बकाया की वसूली रोकी गई है यही काफी है ? जो सूचना आई है उसके आधार पर क्या तकाबी का लोन या अन्य प्रकार का लोन जो लिया है उनकी किश्तों की वसूली भी स्थगित करने का सरकार का निर्णय है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अन्य वसूलियों का स्थगित किये जाने हेतु अभी तक राज्य सरकार ने आदेश नहीं दिये हैं। फाइनल रिपोर्ट आने पर इस बारे में भी उचित निर्णय लिया जावेगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): 191 गांव, जिनमें ओले पड़े हैं, उनमें प्रारम्भिक रिपोर्ट में कितना नुकसान बताया है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह फाइनल रिपोर्ट में आयेगा, माननीय मंत्री ने कह दिया है। यह प्रश्न पूछ लिया गया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : नहीं पूछा है, माननीय उपाध्यक्षजी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल जी ने पूछ लिया है।

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : प्रारम्भिक रिपोर्ट के आधार पर लैण्ड रेवेन्यू सस्पेण्ड की जा चुकी है। उसमें यह अंकित नहीं है कि कहां कितना कितना नुकसान हुआ है। जिसवार गिरदावरी से ही इसका पता लग सकेगा और वह अभी चल रही है। अगर पचास पर्सेन्ट से ज्यादा नुकसान हुआ तो आवश्यक सभी कानूनी कदम उठाये जावेंगे। इससे पहले कानूनन ऐसी दूसरी प्रकार की वसूलियों को नहीं रोक सकते।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : फाइनल रिपोर्ट पर क्या दूसरे जिलों में सभी वसूलियां रोक दी गई हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जी नहीं, वहां भी नहीं रोकी गई है। लैंड रेवेन्यू वहां सस्पेण्ड की गई है और लैंड रेवेन्यू आपके यहां भी सस्पेण्ड कर दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 416

श्री हीराम ई।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण।

सी० एम० ओ० का पद

417. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य में किन किन स्थानों पर सी० एम० ओ० का पद है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थानों पर जो डाक्टर होते हैं उनमें जो सीनियर (वरिष्ठ) डाक्टर होता है उसी को सी० एम ० ओ० के पद पर नियुक्त किया जाता है?

(3) जिन स्थानों पर सी० एम० ओ० के पद हैं क्या उन स्थानों पर उनसे सीनियर डाक्टर भी उनके नीचे कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कहां कहां और क्यों?

(4) क्या सरकार की नीति सभी स्थानों पर सीनियर डाक्टर को ही सी० एम० ओ० बनाने की है?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) निम्नलिखित स्थानों पर सी० एम० ओ० के पद स्वीकृत हैं :

टोंक, धौलपुर, सिरोही, डूंगरपुर और बूंदी

(2) जी हां।

(3) जी हां, राजकीय चिकित्सालय धौलपुर और बूंदी में। इन दोनों स्थानों पर जिनको सी० एम० ओ० लगाया गया है वह एम० डी० की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हैं। जब कि इनसे सीनियर सी० ए० एस० जो वहां हैं केवल एम० बी० बी०एस० ही हैं। इस ही कारण से इन्हें सी० एम० ओ० लगाया गया है?

(4) जी हां।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या प्रशासनिक अनुशासन की दृष्टि से इसे आप उचित समझते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे अनुभव से उचित ही लगा। आइन्दा तो नई स्कीम आ रही है। सी० एम० एच० ओ० इन स्कीमों में अलग तरह से एडजस्ट होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : 418 श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री दौलतराम सारण : 418

श्री उपाध्यक्ष : आपको उन्होंने ओथोरिटी दी है क्या?

अनुदानित छात्रावास, जायल

418. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) की अनुपस्थिति में **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) द्वारा पूछा गया : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुदानित छात्रावास, जायल, जिला नागौर को दो अनुदानित किश्तें देने के बाद आज तक कोई अन्य किश्त नहीं दी गई जिससे वहां के छात्रों को खाना व शिक्षा सामग्री नहीं मिल पाती?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अनुदानित छात्रावास के अधीक्षक द्वारा

(श्री चुन्नीलाल इन्दालिया)

काफी मांग करने के बाद भी और लड़कों में उपस्थित रोष व कठिनाइयों को बताने के बाद भी आज तक अनुदान की तीसरी किश्त नहीं दी गई? यदि हां तो क्यों? क्या सरकार उपरोक्त छात्रावास को अगली किश्त देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? और नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला बीकानेर के राजकीय छात्रावास, छतरगढ़ व पूंगल, कोलायत, नोखा, बीकानेर शहर आदि में असुविधा की शिकायतें छात्रों द्वारा की गई हैं? यदि हां, तो कब कब?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जिलाधीश से पूरी सूची नहीं आई है। इसे स्थगित करने की अनुमति प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री ओमदत्त भाटी!

वन महोत्सव पर व्यय

419. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में हर वर्ष वन महोत्सव सप्ताह किस वर्ष से मनाया जा रहा है इस पर कितना खर्चा होता है?

(2) हर एक वर्ष कितने वृक्ष लगाये जाते हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इनमें से कितने वृक्ष अभी तक जीवित है?

(4) ज्यादा वृक्ष नष्ट होने के क्या कारण हैं?

वनमंत्री (राव श्री नारायणसिंह) : (1) जी हां। वन महोत्सव राजस्थान में 1950 से प्रारम्भ हुआ था। वन विभाग द्वारा वन महोत्सव पर लगभग 1200) रुपये प्रति वर्ष व्यय होता है। सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा किया गया व्यय इसमें सम्मिलित नहीं है।

(2) वन महोत्सव के समय लगाये गये वृक्षों एवं उनमें जीवित वृक्षों की संख्या जिलाधीश द्वारा सरकार को भेजी गई सूचना के अनुसार संलग्न तालिका में बताई गई है।

(3) मौजूदा जीवित वृक्षों की संख्या तो अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है, वैसे प्रश्न के भाग 2 में जो सारिणी दी हुई है उससे सन् 67 तक आरोपित एवं जीवित वृक्षों की संख्या का पता लग जाती है।

(4) राजस्थान की विषम जलवायु, बार बार होने वाला सूखा तथा पाला पौधे नष्ट होने का मुख्य कारण हैं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने 1200) रुपये वन महोत्सव पर साल का खर्चा बताया। पर मैं समझता हूं कि यह खर्चा 25-30 हजार से कम नहीं होगा। इसमें वन मंत्री न वृक्ष जो लगाये जाते हैं उनके पौधों की कीमत शामिल नहीं की होगी। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इसमें नर्सरी के पौधों की कीमत भी शामिल है? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि जब इतना खर्चा करके पौधे लगाये जाते हैं पर उनमें से गिनती के भी जीवित रहते हैं क्या यह सत्य है? मेरा अनुभव है कि दस पौधे लगाते हैं उनमें से एक भी मुश्किल से जीवित रहता है और आपने आधे बताये हैं।

राव श्री नारायण सिंह: आपने तीस पच्चीस का खर्चा बताया यह सही नहीं जमता। अब कितने जीवित रहते हैं इसकी पूरी सही संख्या मेरे पास नहीं है। पर साधारणतया जितने लिस्ट पर आये हैं उतने सही होने चाहिये। इसके अलावा जो पौधे लगाये जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं तो इस बारे में वन महोत्सव केवल वृक्ष लगाने की तरफ जागृति पैदा करने के लिये है और इसलिये दरख्त फ्री दिये जाते हैं और सरकारी तौर पर और जनता की तरफ से सामूहिक तौर पर ये वन महोत्सव किये जाते हैं। जैसे डूंगरपुर में कई जगह ऐसे सामूहिक आयोजन किये गये थे। वृक्ष ऐसे छांटे जाते हैं जो आसानी से लग सकें। पर इनमें से भी बहुत कम रह जाते हैं कभी कभी, यह सही है। पर फिर भी जहां जहां लगाये गये हैं उनमें कितने रहे, कितने नहीं रहे, इसकी संख्या दे दी गई है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): वैसे तो वन महोत्सव का कार्यक्रम अच्छा है परन्तु क्या यह सही है कि इस आन्दोलन के अन्तर्गत लगाये गये वृक्ष अधिकांशतया मर जाते हैं और अपवाद स्वरूप ही कोई कहीं कहीं बचता है।

श्री राव नारायणसिंह: यह सही नहीं है। यह आन्दोलन ही इसलिये है कि वृक्षों के लगाने की तरफ रुचि बढ़े न केवल सरकारी तौर पर ही बल्कि गैर सरकारी तौर पर भी।

श्री ओमदत्त भाटी: कब तक करते रहोगे?

श्री दौलतराम सारण: जागृति पैदा करने वालों के खुद के मन में निष्ठा, आचरण और दृढ़ धारणा चाहिए। वन महोत्सव के अन्दर कहीं एक वृक्ष नहीं है। टोंक के उरली तरफ, बांध के उरली तरफ वन महोत्सव मनाया गया दो बार और वहां एक पेड़ नहीं है। मैं अभी जाकर आया हूं कोटा, तब देखा है और इसी तरह से और अनेक जगहों के उदाहरण दिये जा सकते हैं। आप गौर करें लाखों रुपया बरबाद होता है, बेकार।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: Very sorry sir, 420 sir.

राजस्थानी भाषा को मान्यता

420. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार को विदित है कि केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने डोगरी भाषा को साहित्यिक मान्यता प्रदान कर दी है?

(2) क्या राज्य सरकार की नजर में राजस्थानी भाषा भाषाई आधारों पर डोगरी भाषा से अधिक प्राचीन, समृद्ध और अधिक जनसंख्या की भाषा है या नहीं?

(3) यदि है, तो राज्य सरकार ने यह प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि राजस्थानी भाषा डोगरी भाषा के साथ तुलनात्मक दृष्टि से किस नजर से कम है जो राजस्थानी को साहित्यिक मान्यता नहीं दी जाती?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आप?

श्री धीरसिंह: 420

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) :

(1) जी हां।

(2) यह सही है।

(3) सरकार ने राजस्थान साहित्य अकादमी के माध्यम से राजस्थानी भाषा की साहित्यिक मान्यता हेतु दो बार 3-3-67 व 8-12-69 को अधिकारिक प्रतिवेदन केन्द्रीय साहित्य अकादमी के समक्ष प्रस्तुत किये हैं जो केन्द्रीय साहित्य अकादमी के विचाराधीन है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : केन्द्रीय अकादमी मन्जूर क्यों नहीं कर रही है?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सवाल मेरा है।

श्री दौलतराम सारण : मुमानियत मुझे भी नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : पहले मैं पूछूंगी बाद में आप।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो 420 था लेकिन जवाब भी शायद मुझे लगता है ऐसा ही मुझे दिया गया है जबकि दूसरी भाषा को मान्यता मिल चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : तो आपकी तरफ से भी फिर यही रहा।

श्री धीरसिंह : इसकी जानकारी नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, जब समाचार पत्रों में समाचार निकल गया तो क्या शिक्षा विभाग को कटिंग पेश नहीं की जाती?

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : राजस्थानी भाषा कहां है। यह भाषा का विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : राजस्थानी भाषा है या बोली है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। अगला प्रश्न।

ओवरड्राफ्ट की रकम

421. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) 1 अप्रेल, सन् 1969 से लेकर अब तक कितने कितने समय के लिए रिजर्व बैंक का कितना कितना अन् अथोराइज्ड ओवर ड्राफ्ट रहा है?

(ख) इस ओवर ड्राफ्ट के लिये रिजर्व बैंक द्वारा कब कब नोटिस दिये गये?

(ग) क्या यह सही है कि ऐसे नोटिस प्राप्त होने पर भी निर्धारित अवधि में ओवर ड्राफ्ट का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो कब कब कितने कितने समय तक?

(घ) ओवर ड्राफ्ट की कितनी कितनी सीमा है और उसके भुगतान का कितना कितना समय निर्धारित है?

(ड़) कितनी रकम का इस निर्धारित अवधि में भुगतान हुआ और कितनी अवधि के कितने कितने समय के पश्चात?

राज्य मंत्री (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (क) रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकार के खाते में ओवर ड्राफ्ट की स्थिति प्रतिदिन लेन देन के आधार पर बदलती रहती है।

Page No 62

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

वित्तीय वर्ष 1969-70 में रिजर्व बैंक के साथ 1.31 करोड़ के मार्गोपाय अग्रिम के अतिरिक्त 34.42 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट से चालू हुआ था इसके बाद में फरवरी, 1969 के अन्त तक हर महीने के अन्त में ओवर ड्राफ्ट को स्थिति को दिखलाती हुई तालिका संलग्न कर दी गई है।

(ख) इस ओवर ड्राफ्ट को समाप्त करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अप्रेल मास में नोटिस दिया गया था।

(ग) यह सही नहीं है।

(घ) रिजर्व बैंक द्वारा ओवर ड्राफ्ट दिये जाने की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है और न ही उसके भुगतान की।

(ङ) अवधि निश्चित नहीं होने के कारण ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा होती है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री भैरोंसिंह : यह आपने जो तालिका प्रस्तुत की है उसमें अन् आथोराइज्ड ओवर ड्राफ्ट कितना है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : दुबारा पूछें।

श्री भैरोंसिंह : अन् आथोराइज्ड ओवर ड्राफ्ट कितना है ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : Overdraft is an overdraft आथोराइज्ड और अन-आथोराइज्ड का प्रश्न नहीं है ....

श्री भैरोंसिंह : क्या मैं यह मानूं कि वित्त मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है कि ओवर ड्राफ्ट दो प्रकार के होते हैं एक तो ओवर ड्राफ्ट और एक अन-आथोराइज्ड ओवर ड्राफ्ट।

श्री मथुरादास माथुर : 1.31 करोड़ वेज एण्ड मीन्स के लिए हम लोगों को ओवर ड्राफ्ट करने का बैंक से एग्रीमेन्ट है। इस अमाउन्ट के अपर होता है तो वह ओवर ड्राफ्ट है और वह अलाऊ करते हैं और हम लेते हैं और चलाते हैं आथोराइज्ड और अन्-आथोराइज्ड का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वेज एण्ड मीन्स का 1.31 करोड़ है और उसके अपर ओवर ड्राफ्ट करेंगे तो क्या वह अन-आथोराइज्ड ओवर ड्राफ्ट नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : वह मैंने समझा दिया कि 1.31 तक तो एग्रीमेंट है। 1.31 के बाद उठायेंगे तो वह बोलेंगे और हम नहीं देंगे तो यह हमारे और उनके बीच का मामला है।

श्री भैरोंसिंह : जैसे ओवर ड्राफ्ट के बारे में आप बोलेंगे क्या यह सही है कि वह ओवर ड्राफ्ट अन् आथोराइज्ड ओवर ड्राफ्ट है ?

श्री मथुरादास माथुर : ऑथारिटी किस की ?

श्री भैरोंसिंह : बदकिस्मती यह है कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर को पता नहीं है कि ओवर ड्राफ्ट भी अन-आथोराइज्ड होते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप अन्-आथोराइज्ड समझे तो अन-आथोराइज्ड है और उनकी कन्सेन्ट से समझे तो कन्सेन्ट है। ओवर ड्राफ्ट रिजर्व बैंक से हमें होता है। उसमें आथोराइज्ड और अन-आथोराइज्ड

(श्री मथुरादास माथुर)

से मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि 1.31 तक का तो एग्रीमेन्ट है और इसके ऊपर नॉन-एग्रीमेन्ट से है ।

श्री भैरोंसिंह : जो नॉन-एग्रीमेन्ट से है वह अन-आथोराइज्ड है या नहीं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : बैंक से कोई भी ओवर ड्राफ्ट किया जाता है वह उनकी कन्सेन्ट से किया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : आपका विषय नहीं है, वही उलझ रहे हैं ।

क्या यह सही है कि फाइनेन्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में अन-आथोराइज्ड ओवर ड्राफ्ट के चैप्टर में इस बात का संकेत किया है राज्य सरकार अन-आथोराइज्ड ओवर ड्राफ्ट लेने की आदत में चल रही है क्या उसको आप स्वीकार नहीं करते ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने निवेदन किया और पुनः निवेदन करता हूं कि मुझे अन-आथोराइज्ड वर्ड को यूज करने में एलर्जी नहीं है और मेरा मतलब यही है कि बिना आथोरिटी के कोई करे तब तो अन-आथोराइज्ड होता है। रिजर्व बैंक ओवर ड्राफ्ट देती है और हम लेते हैं इसलिये उनकी भी कन्सेन्ट है और हमारी भी कन्सेन्ट है इसलिये अब इसके लिए आप और फाइनेन्स कमीशन कोई भी भाषा यूज करें।

श्री भैरोंसिंह : क्या कन्सेन्ट से लेने वाला यह ओवर ड्राफ्ट अन-आथोराइज्ड नहीं होता ?

श्री मथुरादास माथुर : कन्सेन्ट से उन्होंने दिया, हम पेमेन्ट कर देते हैं जब वह चाहें और पेमेन्ट नहीं कर सकते तो प्रोसीजर बना हुआ है नोटिस देने का।

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो जानकारी इतनी करनी है कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो कन्सेन्ट से ओवर ड्राफ्ट लेते हैं वह वेज एण्ड मीन्स की सीमा निर्धारित किया हुआ है उससे अधिक मात्रा में होगा तो वह अन-आथोराइज्ड नहीं कहलाता ?

श्री मथुरादास माथुर : 1.31 करोड़ से ज्यादा होगा। उससे अधिक मात्रा में होगा..

श्री भैरोंसिंह : वह जो अधिक मात्रा में होगा वह अन-आथोराइज्ड नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : अधिक मात्रा में होने वाला भी उनकी कन्सेन्ट से होता है इसलिये अन-आथोराइज्ड नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वह एक्सेस ड्राफ्ट हो या अधिक मात्रा में हो, चाहे अन-आथोराइज्ड हो वह तो भगवान कहो, खुदा कहो बात तो एक ही है।

श्री भैरोंसिंह : आपको जो अप्रेल में नोटिस दिया था क्या उसमें इसका उल्लेख किया गया था कि इस स्टेट के जिम्मे कितना ओवर ड्राफ्ट है और इसका तीन माह के अंदर भुगतान होना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : नोटिस में था कि आपका ओवर ड्राफ्ट इतना हो गया है इसलिये इस पीरियड में पेमेन्ट कर देना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उस नोटिस के अंदर यह लिखा हुआ था कि राज्य सरकार के ऊपर इतना अन-आथोराइज्ड

(श्री भैरोंसिंह)
ओवर ड्राफ्ट है और इसका भुगतान तीन माह के अन्दर कर दिया जाये ?

श्री मथुरादास माथुर: मेरे पास नोटिस की कापी नहीं है इसलिये मैं नहीं बता सकता कि उसके अन्दर क्या लिखा था।

श्री भैरोंसिंह: ऐसा क्लियर क्वेश्चन है और सरकार इसको स्वीकार नहीं कर रही है ।

श्री मथुरादास माथुर: नोटिस आया था और नोटिस आने के बाद हमने जिस पीरियड के लिए कहा पेमेन्ट का इन्तजाम कर दिया। जून के अन्दर कर दिया। उसके बाद में जून में हम सरपल्स हो गये 30-35 लाख से। उसके बाद में फिर ओवर ड्राफ्ट हो गया। जब मैं मन्जूर करता हूं ओवर ड्राफ्ट इज एन ओवर ड्राफ्ट।

श्री भैरोंसिंह: आपको एक नोटिस मिला अप्रेल में उसके बाद में या उसके पहले कोई नोटिस नहीं मिला ?

श्री मथुरादास माथुर : जो मिला था जून में उसका क्लिरेन्स कर दिया था। उसके बाद में नहीं मिला ।

श्री भैरोंसिंह : राज्य मंत्रीजी ने तो कहा कि अप्रेल में मिला था और आप कह रहे है जून में ?

श्री मथुरादास माथुर : तारीख तो याद नहीं है । अप्रेल में नोटिस मिला था फिर जून में कहा था कि 'बाई 30 यू क्लियर' तो वह नोटिस समझ लो या लेटर समझ लो । वह अप्रेल में नोटिस मिला था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार का लेटर जून के बाद भी मिला ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : पूछ लें ।

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक मेरी याददाश्त है और सूचना नहीं मिली ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्रीमती मदन कौर ।

अस्पताल में मरीजों की भर्ती करने की प्रणाली

422. **श्रीमती मदनकोर** (पचपदरा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) राजकीय अस्पताल, जोधपुर अजमेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर में बीमारों को भर्ती करने की विभिन्न इकाइयों में क्या प्रणाली है ?

(2) क्या यह सही है कि इन्चार्ज डाक्टर अपने ही यूनिट में निर्धारित दिन के अलावा बीमारों को भर्ती नहीं कर सकता ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या इस प्रणाली से जनता अच्छे और कुशल डाक्टरों की सेवाओं से वंचित नहीं रहती?

(3) जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में यह प्रणाली कब से लागू की गई?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) राजकीय अस्पतालों में हर एक इकाई में बीमारों को भर्ती करने के लिए विभिन्न इकाइयों के लिए विभिन्न दिन निर्धारित है।

(2) जी हां, परन्तु आपत्कालीन समय में निर्धारित दिन के अलावा भी भर्ती किया जा सकता है । जो डाक्टर जिस रोगी को पहले से ही देखता रहता है, उसे उसकी बीमारी के बारे में पूर्ण जानकारी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

रहती है अतः सम्बन्धित डाक्टर उसे भर्ती करने की आवश्यकता समझता है तब ही भर्ती कर सकता है,। जी नहीं, कुशल और अच्छा डाक्टर जो यूनिट का इन्चार्ज होता है वह भर्ती करता है, अतः अच्छे डाक्टरों की सेवाओं से वंचित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) सन् 1959 से जबकि पहले पहल उस अस्पताल में इकाइयां बनी थीं ।

श्रीमती मदनकौर : उपाध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के खण्ड (2) का जो उत्तर दिया गया है वह सही नहीं है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मुझे निश्चित रूप से जानकारी है। वहां किसी भी सूरत में निर्धारित दिन के अलावा डाक्टर मरीजों को भर्ती नहीं करते हैं। क्या राज्य सरकार ऐसे आदेश प्रसारित करेगी जिसके द्वारा आपत्कालीन स्थिति में डाक्टरों द्वारा मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इमर्जेन्सी होती है तो इमर्जेन्सी में जिस डाक्टर का केस होता है वह भर्ती करता है। हमारे यहां से रुकावट नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक बात आती है तो उसके बारे में जानकारी हांसिल करके आर्डर दे सकता ।

श्रीमती मदनकौर : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था वहां पर है कि जिस डाक्टर का आउटडोर होता है उसके वार्ड में मरीजों को भर्ती किया जाता है जिसकी वजह से गांवों से आने वाले मरीजों को अच्छे डाक्टरों की राय नहीं मिलती है और वे उसके इलाज से वंचित रह जाते हैं और यह व्यवस्था बिल्कुल गलत है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिस यूनिट का हैड है उस यूनिट के हैड का आउटडोर होगा उसी रोज तो भर्ती किया जायेगा । इमर्जेन्सी में डाक्टर जो बेस्ट होते है वे रखे जाते हैं और वे ही भर्ती करते हैं ।

श्रीमती मदनकौर : आपने मेरे प्रश्नों के खण्ड (2) में कहा है, जी हां, परन्तु आपत्कालीन समय में निर्धारित दिन के अलावा भी भर्ती किया जा सकता है । तो इसका मतलब यह होता है कि जिस दिन आउटडोर नहीं हो उसके अलावा भी दूसरे के दिन भी भर्ती किया जा सकता है और डाक्टर आकर बाद में मरीज को देखता है, लेकिन जोधपुर के महात्मा गांधी-अस्पताल में ऐसी व्यवस्था नहीं है, और एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि निर्धारित दिन के अलावा किसी डाक्टर ने मरीजों की भर्ती की हो ।

श्री ओमदत्त भाटी : जिसकी सिफारिश हो गई वह भर्ती हो जायेगा ।

श्री मथुरादास माथुर : डाक्टर साहब ठीक कह सकते है क्योंकि आपने की है, कई दफा ।

श्री ओमदत्त भाटी : मिनिस्टर कहे तो भर्ती होती है ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री शंकरलाल ।

जैतारण में छात्रावास

423. **श्री शंकरलाल** : (जैतारण) क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पाली जिले में जैतारण में अनुसूचित जाति का छात्रावास

(श्री शंकरलाल)

खोलने हेतु समाज कल्याण विभाग के जिला अधिकारी ने सिफारिश की है और सब आधारों पर अन्य स्थानों से जैतारण उपयुक्त ठहराया गया है ? यदि हां, तो यह छात्रावास कब तक खोल दिया जावेगा ?

राज्यमंत्री समाजकल्याण (श्री विशम्भरनाथ जोशी) : पाली जिले में जैतारण पर अनुसूचित जाति का छात्रावास खोलने हेतु एक प्रस्ताव अध्यक्ष, तहसील हरिजन सेवक संघ, जैतारण से दिनांक 5-12-69 को तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, पाली का दिनांक 23-9-69 प्राप्त हुआ था । स्थान की उपयुक्तता की जांच हो रही है । निर्णय जांच के बाद ही दिया जाना सम्भव है ।

श्री शंकरलाल : यह कब निर्णय लिया जाना है ।

श्री उपाध्यक्ष : जांच के बाद ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : नये छात्रावास जुलाई में खोलते हैं इसलिये जून के अन्त तक निर्णय ले लिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री कृष्ण कुमार गोयल ।

सिंचाई दर

424. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चम्बल पर भिन्न भिन्न-फसलों के लिए सिंचाई की दर क्या हैं ?

(2) क्या इसे बीच में कम किया था ? अगर हां, तो बाद में क्यों बढ़ाया गया ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री जसराज) : (1) भिन्न भिन्न फसलों पर चार्ज की जाने वाली सिंचाई की वर्तमान दरों की सूची 'अ' संलग्न है ।

(2) जी हां । जो दरें रबी 1966-67 तक प्रचलित थीं उनमें से कुछ जिन्सों की दरें कृषकों का उत्साह एवं सिंचाई में वृद्धि लाने के लिए केवल तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् 31-3-68 तक कम की गई थीं । इसके बाद सामान्य दरें अपने आप ही लागू हो गई ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : वे कौन-कौन सी फसलें थीं जिनकी दरें पहले आपने कम की थीं और बाद में जो आपने सूची दी है 67 की उसके अनुसार उनमें वृद्धि की गई है ? आपने स्वीकार किया है प्रश्न के भाग (2) में कि जी हां कुछ फसलों के अन्दर सिचाई की दरें कम थीं और बाद में 67 के अन्दर रिवाइज करके उनको बढ़ाया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी फसलें हैं जिनकी रेट्स पहले कम थीं और आज ज्यादा कर दी गई हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): 63 की 22 जनवरी को एक नोटिफिकेशन के जरिये सरसों और धनिये की दरें जो पहले 7 रुपये थीं उनके स्थान पर 4 रु० प्रति एकड़ की । चने की दर 7 रु० के स्थान पर 5 रु० प्रति एकड़, कपास की दर 8 रु० प्रति एकड़ के स्थान पर 3 रु० प्रति एकड़ की है । यह 22-1-63 के सर्क्यूलर के जरिये की है और इसके बाद में 27-6-64 के सर्क्यूलर के जरिये 50 पर्सेन्ट मक्का और कपास और चावल नहीं मक्का और चावल की दरों में 5

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पर्सेन्ट रिडक्शन किया है और उस नोटिफिकेशन में यह लिखा गया है कि यह तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक, 31-3-66 तक ये दरें लागू हैं। यह रियायत जो यह कटौती की है यह कटौती 31-3-66 तक रहेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पहले यह कटौती की थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में तो उस समय क्या कारण थे और उसके बाद दुबारा इसके अन्दर वृद्धि की है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसे चावल है तो इसको प्रोत्साहन करने की दृष्टि से व पानी का उपयोग भी हो और चावल की खेती लोग अधिक मात्रा में शुरू करें तो इस हिसाब से और चम्बल इर्रिगेशन सिस्टम को सेटल करने की दृष्टि से यह रियायतें दी गई थीं। यह जल्दी सेटल हो जाय इर्रिगेशन का सिस्टम इसलिए कुछ फसलों में कटौती 63-64 में दी गई है और 1967 में थर्ड प्लान के खत्म होने के ऊपर जब सारी दरें संशोधित की गई तो संशोधित दरों में जो वहां 66 के पहले जो रेट्स थीं वह लागू हुई, और सर्क्यूलर के हिसाब से भी वे लागू होती हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि यह जो वाटर रेट्स आपने बताये हैं तो हर फसल के लिए कितना-कितना वार्टरिंग होना चाहिए उसके अनुसार अगर वार्टरिंग होता है तो ये लागू होती है तो हर फसल के लिए कितना-कितना वार्टरिंग होना चाहिए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सर्क्यूलर में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: गेहूं का आपने 10 रु० प्रति एकड़ बताया है....

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक है। 10 रु० प्रति एकड़ गेहूं का है तो गेहूं के लिए कितना वाटरिंग होना चाहिए –एक पानी मिले या दो पानी मिले ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रूल्स के अन्दर यह प्रावधान नहीं था, लेकिन 1967 में जो रूल्स के अन्दर प्रावधान किया है उसके अन्दर हमने यह कहा है कि तीन वाटरिंग या तीन से अधिक हो तो फुल रेट हो। वाटरिंग एक हो तो दो-तिहाई कमी हो जाती है और दो वाटरिंग हो तो एक-तिहाई की कमी हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री केसरीसिंह हाडा।

भूतपूर्व रसद विभाग की बकाया

425. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या राजस्थान के भूतपूर्व रसद विभाग की 34 लाख 42 हजार 210 रुपये की वसूली बकाया है ?

(2) उपरोक्त बकाया के कितने मामले निपटाये गये और इससे सरकार कितनी बकाया की वसूली कर पाई ?

(3) यह बकाया वसूली किस किस से करनी है ?

(4) क्या सन् 1966 से 1967 की बकाया 25 लाख 48 हजार की है ? क्या

(श्री केसरीसिंह हाडा)

इस राशि के मामले वसूली हेतु पी० डी० आर० में दे दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार एक रेल्वे में 5 लाख 76 हजार 897 रुपये की बकाया है ? यदि हां, तो यह रकम कब से बकाया चल रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी नहीं। वास्तव में दिनांक 31-3-67 को कुल बकाया 34,82,210 रु० थी।

(2) लगभग 150 मामलों का निराकरण कर दिया गया है और इससे 6,01,621 रु० की बकाया की वसूली की जा चुकी है।

(3) वसूली निम्नांकित से करनी है:—

(1)	भारत सरकार	2,91,386 रुपये
(2)	पाकिस्तान सरकार	29.973 रुपये
(3)	रेल्वे विभाग	29,022 रुपये
(4)	गबन के मामले	2,31,000 रुपये
(5)	व्यापारियों में	21,61,150 रुपये
(6)	जिला एवं तहसील	1,38,058 रुपये

(4) जी नहीं, रसद विभाग 1955 में समाप्त हो चुका था। अत: 1966-67 की राशि खाद्य विभाग द्वारा वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं, भारत सरकार पाकिस्तान सरकार एवं रेल्वे में केवल 3,50,381 रुपये शेष हैं जो वर्ष 1950-51 से पूर्व के हैं।

श्री केसरीसिंह हाडा : यह बकाया जो सरकार वसूल नहीं कर पाई है वह किस तरह की है ?

श्री परसराम मदेरणा : अलग-अलग मैंने आपके प्रश्न के भाग (3) में उत्तर दिया है कि भारत सरकार में बकाया है, पाकिस्तान सरकार में, रेल्वे विभाग में, कुछ गबन के मामले, व्यापारियों में बकाया और जिला एवं तहसील के समायोजन के मामले थे। ये मुद्दे हैं।

श्री केसरीसिंह हाडा : सूची आप देते तो उचित होता और पूछने में सहूलियत होती। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बकाया किस-किस प्रकार की है, नाज की है या किराये की है या और है ?

श्री परसराम मदेरणा : अनाज की है।

श्री केसरीसिंह हाडा : तो अब तक सरकार नाज की बकाया वसूल क्यों नहीं कर पाई है ?

श्री परसराम मदेरणा : 55 में सिविल सप्लाई विभाग मर्ज हो गया और फाइनेन्स डिपार्टमेंट के हाथ में चले गये वसूली के मामले। इनका संबंध खाद्य विभाग से नहीं है।

श्री केसरीसिंह हाडा : काफी मात्रा में खयानत की गई है उसकी भी बकाया चल रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा कि गबन के मामले हैं।

श्री केसरीसिंह हाडा : कितने मामले हैं और कितने रुपये के हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मूल प्रश्न में आपने पूछा नहीं इसलिए अलग से प्रश्न है।

श्री केशरीसिंह हाडा : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर वह तालिका देते नहीं हैं, प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते और पूछना चाहते हैं तो आप पूछने नहीं देते।

श्री परसराम मदेरणा : आपने बकाया किस किस में है वसूल करना तो अलग अलग बताया है।

श्री केशरीसिंह हाडा : गबन कितना है ?

श्री परसराम मदेरणा : गबन की राशि बताई है आपको।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 426 श्री दिग्विजयसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 427

श्री मजलिस खां !
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रावतराम !

अकाल का स्थाई हल निकालने के लिये आयोग

428. **श्री रावतराम** (छापर-सु.): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में अकाल का स्थायी हल निकालने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अकाल की रोकथाम के लिए जिले में सिंचाई योजनाओं तथा लघु उद्योग धन्धे व पशु-पालन के संबंध में सरकार क्या सुविधायें प्रदान करने का विचार कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि अकाल का हल निकालने के लिए सरकार ने कोई आयोग नियुक्त किया है, जो इस संबंध में सरकार को रिपोर्ट देगा ? यदि हां, तो आयोग के कौन-कौन सदस्य हैं ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं। विवरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) इस विभाग के पास इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं।

श्री रावतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दो जो मेरा है इसमें यह है कि अकाल के स्थाई हल के लिए आप क्या योजना बना रहे हैं ? आपकी, सिंचाई के लिए, और उत्पादन वृद्धि के लिए कोई योजना नहीं है ? आप सारे भागों में जी नहीं, जी नहीं कहते हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : योजना नहीं है तो क्या करें।

श्री रावतराम : जब कि आप बजट भाषण में कहते हैं कि योजना बना ली गई है, सारा प्रोग्राम बना लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार ने नहीं बनाई योजना ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की योजना टेम्परेरी होती है, टेम्परेरीली अकाल पीरियड हो तब तक के लिए काम कर सकते

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं। योजना ऐसी बनती है, जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, योजना परस्पैक्टिव होती है और लम्बे समय के लिए बनती है। अकाल के दरम्यानी पीरियेड में, उस समय में जो आयन्दा काम लिये जा सकते हैं वह राज्य सरकार ले रही है। अकाल के स्थाई हल को निकालन के लिए, हमेशा के लिए अकाल का हल निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी योजना बनाने का काम मेरा नहीं है, वह योजना विभाग का है। राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, साधनों को देखते हुए वह योजना बनाते हैं। मैं कोई योजना बना कर रख दूं तो वह कोई मायने इसलिए नहीं रखती कि फेमिन कार्य उस समय तक रहते हैं जब तक स्केअरसिटी डिक्लेयर रहती है, उसमें कोई काम अधूरा रह जाता है तो उसको पूरा राहत विभाग नहीं कर सकता। इसलिए मैं योजना नहीं बना सकता।

श्री रावतराम : मंत्री महोदय फर्मा रहे हैं कि अकाल के काम चलते हैं तो उसमें आपने कौन कौन से उत्पादन कार्य हाथ में लिए है ?

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : चूरू, झुंझुनू में ?

श्री रावतराम : चूरू म नहीं करें तो झुन्झुनू में कहां से होंगे ? मंत्री महोदय, वहां तीन साल से इस तरह की स्थिति रहती है तो उसके लिए कुछ दिमाग आपने बनाया होगा, कुछ विचार किया होगा, कोई ईरिगेशन के काम कोई सड़कों के काम की कोई योजना बनाई है क्योंकि अकाल पड़ते रहते हैं, पिछले बीस साल से अकाल पड़ते रहे हैं तो आपने बीस साल में कुछ तो सोचा होगा ? मैं जाना चाहता हूं कि भविष्य में आपकी क्या योजना है, ऐसे इलाकों के लिए जहां पर अकाल पड़ते रहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि उनकी मांग उनके इलाके में बिजली पहुंचाने की है, उनके इलाके में सिनमुख नहर बनाने की है, माननीय सदस्य की मांग छोटी सिंचाई के लिए कुए, नये कुए खोदने की लाखों रुपये का प्रावधान करने की है। भारत सरकार ने अलग-अलग हैड के अन्दर अलग-अलग राशि का सीलिंग मुकर्रर किया है, उसमें सिंचाई के लिए कुओं के लिए एक पैसा भी नहीं दिया है। सिनमुख नहर का प्रश्न है, उसका माननीय सदस्य को उत्तर दे चुका था और उससे उनको संतोष हो जाना चाहिए था। सवाल बिजली का, इसके संबंध में बात मुख्य मंत्री जी आपके डेलीगेशन के साथ कर चुके हैं और डेलीगेशन को इस प्रकार का आश्वासन दिया है, यह मैंने अखबारों में पढा था कि पावर डिपार्टमेंट से बात करके उस बारे म प्रयास करेंग। इसके अलावा आप बता दीजिये कि क्या काम है ? आपके जिले में सिंचाई के लिए छोटी मोटी कोई नदी है नहीं, न कैचमेंट एरिया है। कितनी नदियां हैं जहां एनीकट्स और माइनर ईरिगेशन के लिए डेम बना सकें और उसको बना कर अकाल की समस्या का स्थाई हल कर सकें। दूसरा आपका सड़कों का प्रश्न रहता है। उसके लिए माननीय सदस्य मिलते रहते हैं, और जिसकी आवश्यकता रहती है और जो आपकी मांग रहती है उसको वित्तीय साधनों को देखते हुए मैं पूर्ण करने का प्रयास करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या उचित नहीं समझते हैं कि चूरू और झुंझनू के अन्दर अकाल के स्थाई हल के लिए भारत सरकार . .

श्री परसराम मदेरणा : यह चूरू के संबंध में है ।

श्री रामनारायण चौधरी : चूरू और झुंझनू एक हैं । तो वहां पर नहर से पानी पहुंचे . . . .

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । यह अलग से प्रश्न है ।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या भारत सरकार को यह सुझाव देना उचित नहीं समझते ?

श्री परसराम मदेरणा : जो माननीय सदस्य ने बात रखी है उनकी इस मांग के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है । इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मंत्री महोदय यह उचित नहीं समझते कि राजस्थान में विशेष कर चूरू जिले के अन्दर अकाल की समस्या परमानेन्ट समस्या है इसलिए वहां जो अकाल राहत कार्य खोले जायं वह सिस्टेमेटिक योजना के अंग हों ? क्या चूरू जिले के लिए ऐसी योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार जब कभी वहां फैमिन हो तो वहां सिस्टेमेटिक ढंग से योजना के हिसाब से काम हाथ में लिये जायं ?

श्री उपाध्यक्ष : योजना नहीं बनाई गई है– यह प्रथम भाग में कहा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह नहीं कह रहा हूं । अमुक काम शुरू कर दिया जाय, बाद में यह कर दिया जाय, जो कि अकाल पड़ते है उसमें काम खोल दिये जाते हैं उनके लिए कोई योजना किसी डिस्ट्रिक्ट की राजस्थान में नहीं है जिसके अनुसार प्रायोरिटी तय हो ?

श्री परसराम मदेरणा : अकाल के काम जो खोल दिये जाते हैं, वैसे यह चूरू जिले के लिए है, कोटा जिले का नहीं है, लेकिन जो लाखों रुपये के काम किये जाते हैं वह इसलिए कि फेमिन से अफेक्टेड व्यक्ति हैं उनको खाने के लिए भोजन मिल जाय । इस बात का राज्य सरकार का कर्त्तव्य है । आप अकाल ग्रस्त क्षेत्र की ज्योग्राफिकल और फिजियो–ज्योग्राफिकल कन्डीशन्स को नहीं जानते हैं । वहां जो काम चलाये जाते हैं वह इसलिए कि फैमिन के वक्त लोगों को काम मिल जाय ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि मैं पूरे राजस्थान के लिए जानकारी चाह रहा हूं, चूरू जिले के लिए । जो भी अकाल कार्य खोले जायं जिला स्तर पर उनके लिए कोई योजना है, जिसके अनुसार काम करायें, कोई प्लानिंग है !

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आसन पैरों पर है । एक प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर मंत्री महोदय ने दे दिया है । अब यह चर्चा समाप्त कर दी जाय । अकाल का प्रश्न है विस्तृत योजना का प्रश्न है उस पर इस प्रश्न के माध्यम से चर्चा नहीं कर सकते ।

श्री रामचन्द्र आर्य : कितने साल और पड़ेगा अकाल ? इसका तो उत्तर दे दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : यह मैं आप पर ही छोड़ता हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमेशा अकाल रहेगा या एक दो साल रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर !

श्री परसराम मदेरणा : नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ही पता लगायें कि कब तक पड़ता रहेगा अकाल ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री रावतराम : एक प्रश्न और है . . .

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री रावतराम : एक प्रश्न ! माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया उससे तात्कालिक अवस्था में संतोष है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि चूरू जिले में करीब चार सौ गांव हैं जिनमें इरिगेशन का काम हो सकता है, कुछ काम ऐसे हैं, जैसे राजस्थान कैनाल के लिफ्ट इरिगेशन के जरिये वहां पानी पहुंचाया जा सकता है. . . .

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने ना कह दिया ।

श्री रावतराम : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । कुओं की सिचाई के लिए कोई योजना हाथ में लेते नहीं है । मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था करना, प्रावधान करना बहुत जरूरी है ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है । अगला प्रश्न !

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या यह सही है. . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न पूछ लिया है ।

श्री बालसिंह सोढ़ा: क्या यह सही है कि अकाल विभाग ने जिलाधीशों को आदेश दिया है कि जिलेवार अकाल के लिए योजना बना कर भेजें ?

श्री परसराम मदेरणा : वह केवल उस साल के लिए था ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : स्थाई हल के लिए ?

श्री रामनारायण चौधरी : स्थाई हल नहीं हो सकता !

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जायं । जवाब देने दें ।

बीकानेर जिले में लिफ्ट से पानी

329.**श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में लिफ्ट द्वारा पानी कितने समय में कहां कहां पहुंच जावेगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस कार्य के लिए कहां-कहां पर क्या क्या काम चालू हैं तथा उनमें कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

वन मंत्री (राव श्री नारायणसिंह) : (1) वर्तमान लक्ष्य के अनुसार लिफ्ट नहर का कार्य अक्टूबर, 1971 तक पूर्ण हो जायगा। यह नहर बिडदवाल से प्रारम्भ होकर राजियासर, अर्जुनसर महाजन, मलकीसर, लूणकरणसर, एवं जामसर होती हुई बीकानेर पहुंचेगी ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं देता है। उत्तर दे रहे है वह सुनाई नहीं देता हैं।

श्री नारायणसिंह : इसके बाद करीब एक वर्ष की अवधि में इस नहर की अन्य शाखाओं के शेष कार्य भी पूर्ण हो जाने की आशा है। शाखाओं के बन जाने के बाद संलग्न सूची में दिये गये 74 ग्रामों में लिफ्ट द्वारा पानी पहुंचाया जा सकेगा।

(2) फिलहाल विडदवाल से बीकानेर तक 100 मील में से कुल 52 मील की दूरी पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर कार्य चालू है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

1. पहले 8 मील में नहर की खुदाई व लाइनिंग दोनों ही कार्य प्रगति पर हैं।

2. इससे आगे महाजन, मलकीसर, लूणकरणसर, हसेरा, धीरेरा, वामनवाली, खारा व हुसनसर के पास मिट्टी की खुदाई का काम चालू है।

3. नहर के साथ साथ 9 (नौ) टाइलों के भट्टे व दो भट्टे सूरतगढ़ में भी चल रहे हैं।

इस लिफ्ट नहर पर कुल 8.26 करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री केदारनाथ : बीकानेर तहसील में कुल टोटल कितना रकबा काबिल काश्त किया जा सकेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टोटल एरिया 1 लाख 39 हजार एकड़ होगा, उसमें बीकानेर तहसील का अलग और लूणकरणसर तहसील का अलग एरिया, तहसीलवाइज एरिया इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री केदारनाथ : बीकानेर तक पानी पहुंचाने में प्रति एकड़ कितना खर्चा होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बीकानेर तक पानी पहुंचाने में प्रति एकड़ होने वाले खर्चे का सवाल नहीं है, यह सिंचाई के लिए है..

श्री उपाध्यक्ष : मैथेमेटिकल केल्कुलेशन है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 8 करोड़ 36 लाख कुल रुपया लगेगा, यह 100 मील लम्बी है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री राम प्रसाद बोहरा !

पंचायत पीपल्या के सरपंच द्वारा रकम का दुरुपयोग

430. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत पीपल्या जिला झालावाड़ के सरपंच के विरुद्ध निर्माण कार्यों में रकम का दुरुपयोग एवं पंचायत की धनराशि को बैंक में जमा न कर दुरुपयोग करने की शिकायतें पेश की गई हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति झालरापाटन ने अपने मुआयने में दिनांक 7-4-1969 को लिखा कि सरपंच ने रकम का दुरुपयोग किया है ?

(3) यदि हां, तो सरपंच के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) जी हां ।

(2) विकास अधिकारी ने दिनांक 7-4-69 को एक पत्र जिलाधीश को भेजा था, उसमें सरपंच के विरुद्ध पंचायत की राशि अपने पास रख दुरुपयोग करने का विवरण अंकित किया था ।

(3) जांच जारी है। सरपंच ने अधिक रकम रखी उसका ब्याज 93.22 पै० वसूल करने का आदेश दिया जा चुका है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि विकास अधिकारी की जांच से निर्माण कार्यों में जो घोटाले हुए हैं, जो गबन हुआ है, यह साबित हो चुका है। तो फिर साल भर से सरपंच को अलग नहीं करने के क्या कारण हैं ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने निवेदन किया कि जांच जारी है । जो कंस्ट्रक्शन किये गये हैं, उन सब के लिये ओवरसीयर को आदेश दिये गये हैं कि वह यह देख कर कि उन पर कितना खर्चा हुआ है, यह जांच करके रिपोर्ट करे । जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जावेगी ।

श्री रामप्रसाद बोहरा : साल भर हो गया है, जांच इतनी कितनी लम्बी चौड़ी है ? सरपंच घोटाले करता जा रहा है और उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : विकास अधिकारी ने एक शिकायत की थी और माननीय सदस्य ने भी एक शिकायत कलेक्टर झालावाड़ के पास की थी । इस पर डिप्टी बी० डी० ओ० झालावाड़ को एन्क्वायरी करने के लिए मुकर्रर किया । बी० डी० ओ० की रिपोर्ट से जो तथ्य पाये गये हैं, उनके आधार पर बताया कि कुछ रकम का दुरुपयोग किया है और जो रकम उन्हें जमा करानी चाहिए थी वह जमा न करा कर अपने पास रखी । वह रकम उनसे मय ब्याज के वसूल कर ली गई है । उसके बाद फरदर एन्क्वायरी है कि किस तरह सत्ता का दुरुपयोग किया है, उसकी प्रिलिमिनरी जांच हो रही है । जांच रिपोर्ट आने पर 17(4) के अन्दर कार्यवाही की जायगी ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या ब्याज और रकम वसूल करना ही ऐसे केस में पर्याप्त है ?

श्री रामप्रसाद बोहरा : सस्पेन्शन क्यों नहीं किया ?

श्री परसराम मदेरणा : सस्पेन्शन के बारे में मैं पब्लिक इन्ट्रेस्ट में कहना उचित नहीं समझता । किसी को सस्पेन्ड करूं या नहीं करूं उसका जवाब हां, नां में नहीं दे सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 431 । श्री जयनारायण सालोदिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिए इसका उत्तर दिलवाया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : सब महत्वपूर्ण हैं ।

श्री श्रवणलाल : यह विशेष महत्वपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्ता और आप इसको कितना महत्वपूर्ण समझते हैं यह तो इससे ही साबित होता है कि प्रश्नकर्ता तो उपस्थित नहीं हैं और आपने ओथोरिटी नहीं ली है ।

अगला प्रश्न । श्री आईदानसिंह !

उच्च पे स्केल में फिक्सेशन

432. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सन् 1961 में राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स, सन् 1961 जारी किये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त रूल्स में यह भी प्रावधान रखा गया था कि जहां दो पोस्ट के ग्रेड मिला कर एक कर दिये गये हों, और निम्न ग्रेड का व्यक्ति उच्च ग्रेड में एक साल से वेतन उठा रहा हो तो उसका फिक्सेशन उच्च पे स्केल के आधार पर होगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन नियमों के अनुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अकाउन्टेन्ट, और असिस्टेन्ट अकाउन्ट्स ऑफिसर के ग्रेड भी जो पहले अलग अलग थे, नई वेतन श्रृंखला में एक ही वेतन संख्या थी, लेकिन इन्हें उपरोक्त रूल्स के अनुसार लाभ से वंचित रखा गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री जय कृष्ण शर्मा) : (1) जी हां ।

(2) जी हां, परन्तु कुछ शर्तों के साथ ।

(3) राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम, 1961 के नियम 10 के अधीन दिये गये नोट संख्या 2 का लाभ केवल ऐसे पदों पर दिया गया है जहां, दो पृथक वेतनमानों को मिला कर एक वेतनमान 1-9-61 से कर दिया गया तथा ऐसे वेतनमान वाले पदों का पद नाम भी मिला कर एक कर दिया गया जैसे सी० ए० एस० व सी० ए० एस० ग्रेड सैकिन्ड के पद मिला कर केवल सी० ए० एस० ही कर दिये गये । ऐसे पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के उच्च ग्रेड में पाये गये वेतन को, जिनके वेतन श्रृंखलाएं मिलाकर एक कर दी गई परन्तु पद अलग अलग ही रहे, पैरा 2 के अन्तर्गत स्थाई नहीं माना गया । उदाहरण के तौर पर नायब तहसीलदार, तहसीलदार, लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी, चूंकि इन व्यक्तियों के ऊंचे व नीचे पद अलग हो रहे, दोनों पदों की वेतन अलग अलग ही निर्धारित होना अनिवार्य था ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री रामनारायण चौधरी !

मंडावा-बिसाऊ सड़क पर अकाल सहायता के अन्तर्गत कार्य

433. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मंडावा से बिसाऊ तक को सड़क का काम 1966 तथा 1968-69 के अकाल के वर्षों में चालू किया गया था ? यदि हां, तो इस सड़क पर दोनों वर्षों में कितने कितने रुपये खर्च हुए ?

(2) क्या मंडावा से बिसाऊ तक के गांव इस वर्ष भी अकाल में हैं तथा पिछले तीन

Page No 76

(श्री रामनारायण चौधरी)

सालों से लगातार यह गांव अकालग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या इस सड़क को इस वर्ष के अकाल सहायता कार्यों में लिया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां। मंडावा से बिसाऊ तक की सड़क का काम सन् 1966 तथा सन् 1968-69 की अभाव स्थिति के दौरान चालू किया गया था जिस पर इस प्रकार खर्चा हुआ :-

सन् 1966	5.02 लाख
सन् 1968-69	3.83 लाख

(2) जी हां। जिला अकाल राहत सलाहकार समिति के प्रस्तावों के अनुसरण में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल से वहां अकाल है, कुओं का पानी सूख गया है, तो क्या सरकार के पास प्रस्ताव है, उन पर विचार करके तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : पहले के कौनसे प्रस्ताव हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : कुओं का पानी बिल्कुल नीचे पहुंच गया है, इस संबंध में प्रस्ताव आपके विचाराधीन है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने तो सड़क की बात पूछी है।

श्री उपाध्यक्ष : कुए सड़क के किनारे ही आये हुए है, इसलिए पास का सवाल था।

अगला प्रश्न !

छात्रवृत्ति

434. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग कॉलेज में पढ़ने वाले उन्हीं अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दे रहा है जो समाज कल्याण द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों अथवा अन्य छात्रावासों (होस्टलों) में रहते है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वही छात्र कॉलेज होस्टल में दाखिल हो सकता है जो कॉलेज प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त होस्टल का प्रवेश शुल्क 120 रु० जमा कराने की सामर्थ्य रखता हो ?

(3) क्या यह भी सही है कि छात्र को उक्त शुल्क के अतिरिक्त प्रति माह भोजन शुल्क भी पेशगी (इन एडवान्स) जमा कराना होता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त शुल्कों के अतिरिक्त कॉलेज में पढ़ने के लिये पुस्तकें आदि भी खरीदनी पड़ती हैं ? यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के छात्र इतने सामर्थ्यवान हो गये है कि वे कॉलेज छात्रावासों में प्रवेश ले सकें ? यदि नहीं, तो छात्रवृत्ति देने में इस प्रकार की पाबन्दी लगाना क्या उचित है ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : (1) जी नहीं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कॉलेज में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को दी जाती है।

(2) जी नहीं। समाज कल्याण विभाग के प्रयत्न से शिक्षा विभाग ने अपने परिपत्र

Page No 77

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

संख्या 2(18) शि०।प्रा।6।69 दिनांक 17 जून, 1969 द्वारा छात्रों को प्रारम्भ में इन फीसों के देन से मुक्त कर दिया है।

(3) जी हां, भोजन शुल्क अधिकांश छात्रावासों में अग्रिम लेते हैं।

(4) जी हां, जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पुस्तकें भी खरीदनी पड़ती हैं। इन जातियों के समस्त छात्र आर्थिक दृष्टि से सामान्य छात्रावासों के समस्त खर्चों को वहन करने में समर्थ नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही समाज कल्याण ने उन छात्रों के लिए जो सामान्य छात्रावासों में प्रवेश लेना चाहते हैं, 40 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त छात्रवृत्ति दी जाती है जो इस राज्य की विशेषता है और अन्य किसी राज्य में नहीं है।

श्री गंगासहाय : प्रश्न एक के उत्तर में आपने ना कहा है। पर अलवर में इस प्रकार की स्थिति है कि समाज कल्याण विभाग में एसे छात्र गये, जिनको होस्टल में एडमिशन नहीं दिया गया तो उनको समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति देने से इन्कार कर दिया।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह अलग से प्रश्न है। आपने यह भी साफ नहीं किया कि कौनसी छात्रवृत्ति। दो तरह की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। एक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और दूसरी एडीशनल पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। जो जनरल होस्टल्स में जा कर रहने के लिए तैयार हों उनको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। फिर भी हमने नियमों में रिलेक्सेशन कर दिया है। प्रथम व द्वितीय श्रेणी में पास होने वाले सामान्य छात्रावास में प्रवेश करने के लिए तैयार हों, ऐसे फर्स्ट और सेकिन्ड डिविजनर्स को हम छात्रवृत्ति देते हैं।

श्री गंगासहाय : जो छात्र होस्टल्स में नहीं रह सकते, नहीं लिये जाते हैं, उनको छात्रवृत्ति क्यों नहीं देते हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : वे थर्ड डिविजनर्स होंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के थर्ड डिविजनर्स हैं, होस्टल में एडमिशन ले लेते हैं तो उनको छात्रवृत्ति देते हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जनरल छात्रावास में एड्मिशन ले लेते हैं तो देते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल: जब होस्टल में एडमिशन लेने से विशेष बर्डन सरकार पर पड़ता है तो थर्ड डिविजनर्स जो होस्टल में एडमिशन नहीं लेते हैं, उनको छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है इसलिए ही तो 40 रुपया माहवार एक्स्ट्रा भारत सरकार की छात्रवृत्ति से अलग हम देते हैं। कालेज वालों को छात्रवृत्ति देना भारत सरकार का काम है पर हम एक्स्ट्रा छात्रवृत्ति देते हैं और कोई राज्य सरकार हिन्दुस्तान में नहीं देती। पर हमने यह सोचा था कि देश की नई पीढ़ी आ रही है, उसमें यह अलगाव की भावना समाप्त हो। इसलिए नियम बनाये गये थे। जो सामान्य छात्रावास में एडमिशन लेने को तैयार हों तो उनको 40 रुपया एक्स्ट्रा और छात्रवृत्ति देंगे। हर थर्ड डिविजनर को देने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय को अपना उत्तर देने दीजिए ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं यह कह रहा था कि जो सामान्य छात्रावास में प्रवेश ले लेते हैं उनके लिये तो फर्स्ट और सेकिन्ड डिवीजन का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सभी को देते है । उसके बाद कुछ विद्यार्थी एसे रह जाते हैं जिन्हें कोशिश करने के बावजूद सीट्स लिमिटेड होने के कारण एडमिशन नहीं मिलता है । एसे बाहर रहने वाले लड़के जिनको समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रवेश के लिए कोशिश करने के बाद भी एडमिशन नहीं मिलता उनके लिये यह डिवीजन का डिस्टिंक्शन रखा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उन लड़कों से 120 रुपया लिया जाता है जबकि उनको केवल 40 रुपये ही छात्रवृत्ति के दिये जाते ह । वे लड़के गरीब परिवारों के होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के, और उनमें से आप फर्स्ट और सेकिन्ड डिवीजन के लड़कों को ही छात्रवृत्ति दें और थर्ड डिविजनर्स को छात्रवृत्ति नहीं दें, यह उचित नहीं है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैंने पहले ही बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्टेज पर स्कालरशिप देना राज्य सरकार का दायित्व नहीं है, लेकिन हमने इस बात को प्रोत्साहन देने के लिए कि शेड्यूल्ड कास्ट के लड़के भी सवर्ण लड़कों के साथ एक ही होस्टल में रह सकें, उसके लिए स्कालरशिप का प्रोवीजन किया है ।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी सु.) : मंत्रीजी यह बतायें कि आपने जो मुर्गीखाने बना रखे हैं, उनमें अगर किसी लड़के को दाखिला नहीं मिलता तो उसको छात्रवृत्ति देने में क्या आपत्ति है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : समझ नहीं पाया ।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं दुबारा कह देता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण के राज्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों के लिए जो आपने मुर्गीखाने बना रखे है, उसके अन्दर अगर किसी को प्रवेश नहीं मिलता तो उनको छात्रवृत्ति देने में आपको क्या आपत्ति है ? उनको छात्रवृत्ति क्यों नहीं देते ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य, आप प्रश्न समझे नहीं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो नियम बना दिया कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लड़के गवर्नमेन्ट होस्टल में ऐडमिशन लेंगे उन्हीं को छात्रवृत्ति दी जायेगी, लेकिन गवर्नमेन्ट होस्टल में ऐडमिशन लेने के लिए उनको 120 रुपया भरना पड़ता है जबकि आप केवल 40 रुपये ही कांट्रीब्यूट करते हैं । तो वह गरीब व्यक्ति जो साधनहीन है वह कैसे चल पायेगा ? इसके अलावा जो लड़का कहीं बाहर रह कर किसी तरह से अपना काम चलाता है और अपनी स्टडीज चालू रखता है, उसको आप कम्पेल करें कि वह होस्टल में रहे तभी उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, यह अनुचित है । इसलिए आपको चाहिए कि हर शेड्यूल्ड कास्ट के लड़के को, चाहे वह थर्ड डिविजनर हो, और चाहे वह होस्टल म रहता हो या बाहर रहता हो, उन सबको छात्रवृत्ति आप दें ।

Page No 79

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य ।

मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि कॉलेज स्तर के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति देना राज्य सरकार का कर्त्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी शेड्यूल्ड कास्ट के लड़कों की स्थिति को देखते हुए फर्स्ट और सैकिन्ड डिवीजन वाले लड़के जो हैं उनको छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया है । और जो कॉलेज की होस्टल में रहते हैं उनके लिए तो फर्स्ट, सैकन्ड और थर्ड डिवीजन वाले सभी को छात्रवृत्ति देते हैं, और जो होस्टल मे नहीं रहते हैं उनके लिये फर्स्ट और सेकन्ड डिवीजन वालों को देते हैं । इतना और हो सकता है कि कम और अधिक दिया जाये, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रश्न से ये सब प्रश्न हल नहीं हो सकते ।

श्री लादूराम सुलानियां : यह सरकार नहीं कर रही है, यह तो हमारे साथ बड़ा अन्याय है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । प्रश्न समाप्त हुआ । अगला प्रश्न ।

श्री लादूराम सुलानियां : यह हमारे राजस्थान में . . . .

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलानियां : कितना प्रतिशत पड़ता है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, कोई उत्तर नहीं दिया जाये ।

श्री लादूराम सुलानियां : आपने कहा कि कॉलेजों में जो छात्रावास हैं उनमें जगह नहीं है, जब गवर्नमेन्ट खुद मानती है कि जगह नहीं मिलती है, तो फिर तृतीय श्रेणी वाले लड़के जिनको छात्रावास मे जगह नहीं मिलती, उनको भी कुछ न कुछ राज्य सरकार को देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न आ चुका है, माननीय सदस्य ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : क्यों नहीं उनको छात्रवृत्ति देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, यह प्रश्न आ चुका है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : देंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न आ चुका है । इसका उत्तर मंत्री महोदय दे चुके हैं । ऑर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलानियां : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते । आप क्या हम पर ऐहसान करते हैं ? कोई हमको दान देते हैं ? यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

श्री लादूराम सुलानियां : क्या आप आश्वासन देंगे . . . .

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । आपके प्रश्न का मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया । आप चाहते हैं कि वे आश्वासन दें, अब मंत्री महोदय आश्वासन दें या नहीं दें इसके लिये मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता । स्थिति सदन के सामने स्पष्ट है ।

स्थगित प्रश्न !

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

Page No 80

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । प्रश्न का उत्तर बिल्कुल खुलकर आगया है। कोई अस्पष्टता नहीं है ।

श्री लादूराम सुलानियां : मंत्री महोदय कौनसे डिवीजन में पास हुए थे ?

श्री उपाध्यक्ष : ये फर्स्ट क्लास पास हैं यह मैं आपको बतला देता हूं ।

श्री जयनारायण सालोदिया ।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर स्पष्ट है । अब आप उनसे हां करना चाहते हैं, वे हां करना नहीं चाहते, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आश्वासन दे भी दें, तो पहले इन्होंने जो आश्वासन दिये हैं वे कभी पूरे किये हैं क्या ? जितने भी इनकी तरफ से आश्वासन दिये जाते हैं है कभी पूरे नहीं हुए ।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आश्वासन लेने से क्या फायदा ? आॅर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । स्थगित प्रश्न ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आश्वासन तो दे ही देना चाहिए, क्यों कि करना तो है नहीं ।

श्री डूंगाराम : थोड़ी सी समझने की बात है । जब आपके पास होस्टल्स में सीट्स उपलब्ध नहीं हैं, तो फिर बाहर रहने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने में आपको क्या ऐतराज है ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर । स्थगित प्रश्न । श्री जय नारायण सालोदिया ।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री लादूराम सुलानियां : समाज कल्याण विभाग के मन्त्री बिल्कुल अयोग्य हैं, निकम्मे हैं और इनको यह विभाग छोड़ देना चाहिये ।

स्थगित प्रश्न संख्या 20

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द जैन ।

बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य

140. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 1968-69 एवं सन् 1969-70 में सड़कों के निर्माण एवं मेटल बजरीज की खुदाई के लिये कितने मस्टर रोल कब कब जारी किये गये ? सूची क्रम संख्या बताते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) कितने मस्टर रोल कार्य में लिये गये और कितने स्टाक में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) इन मस्टर रोल की छपाई का कार्य किस किस प्रेस में करवाया गया ?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(4) क्या मस्टर रोल पर क्रम संख्या छपवाने का कार्य गवर्नमेंट प्रेस में किया गया है या सरकारी अधिकारियों द्वारा ? यदि सरकारी अधिकारियों द्वारा किया गया, तो किन किन अधिकारियों द्वारा ?

(5) मस्टर रोल में फर्जी कार्यवाही करने के आरोप में कितने कर्मचारी एवं अधिकारी पकड़े गये, सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(3) इन मस्टर रोल्स की छपाई का कार्य राजकीय मुद्रणालय, जयपुर एवं जोधपुर में करवाया गया था ।

(4) राजकीय मुद्रणालय, जोधपुर में मुद्रित मस्टर रोल्स पर क्रम संख्या की छपाई का कार्य अधिशासी अभियन्तागण द्वारा करवाया गया था ।

(5) मस्टर रोल्स में फर्जी कार्यवाही करने के आरोप में एक सहायक अभियन्ता, तीन अधिदर्शकों को निलम्बित किया गया । 6 अधिदर्शकों को सेवा मुक्त किया गया एवं दो अधिदर्शकों को पदच्युत कर मिस्त्री बना दिया गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, इन कर्मचारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस किया गया या नहीं ?

श्री गंगाराम चौधरी : क्रिमिनल केस के बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, कुछ ओवरसियर्स को पदमुक्त किया गया और कुछ को मिस्त्री बना दिया गया है । और कुछ को निलम्बित किया गया है ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : ये जो कर्मचारी निलम्बित किये गये हैं, उनके खिलाफ जो चार्जेज हैं, वे चाजज ऐसे नहीं हैं कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जा सके ।

श्री गंगाराम चौधरी : इस वक्त मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है । यह जानकारी चाही गई थी कि कितने कर्मचारी पकड़े गये, उसका उत्तर मैंने दे दिया ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : पकड़े गये का प्रश्न पूछा है, लेकिन इनके खिलाफ क्रिमनल केस क्यों नहीं चलाया जाता है, यह अलग प्रश्न तो है नहीं । इसका माकूल उत्तर नहीं दिया ।

श्री गंगाराम चौधरी : पकड़ा जाना का मतलब गिरफ्तार होना नहीं था ।

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : प्रश्न का उत्तर तो माकूल ही है, लेकिन माननीय सदस्य अगर चाहते हैं कि उन कर्मचारियों के खिलाफ क्या चार्जेज थी और वे चार्जेज जो है उनमें क्रिमनल इन्टेंट था या नहीं, अगर वे इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो मैं उन आरोपों को दुबारा देखूंगा और अगर ऐसा पाया गया

(श्री परसराम मदेरणा)

कि क्रिमिनल इन्टेंट था तो क्रिमिनल केस किया जायेगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि ये जो मस्टर रोल्स हैं उनके छपाने का जो कार्य है वह एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के द्वारा कराया गया और गवर्नमेंट प्रेस में नहीं कराया गया, क्या यह बात है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी के अनुसार छपवाने का कार्य एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर और सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर ने कराया था और गवर्नमेंट प्रेस जोधपुर में ही कराया था।

(12 मध्यान्ह)

श्री वृद्धिचन्द जैन : तो क्या अकाल सहायता विभाग इस मस्टर रोल की कार्यवाही को गवर्नमेंट प्रेस में छपवाना और अंकित कराने का कार्य, अपने हाथ में लेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह अहम मसला है। जो मस्टर रोल गवर्नमेंट प्रेस में छपे थे, उनमें नंबरिंग था। जो जोधपुर गवर्नमेंट प्रेस से छपवाये उनमें नम्बरिंग नहीं था और उन्होंने नम्बरिंग मशीन खरीद कर नम्बर लगाये। मशीन से नम्बर लगाने के बाद किस प्रकार की गड़बड़ी हुई या नहीं, यह एक विस्तृत जानकारी का प्रश्न है। इसका विस्तृत उत्तर देखने के बाद में इस बात के आदेश जारी कर रहा हूं एडीशनल कमीश्नर, फेमीन जाकर जांच करें कि गवर्नमेंट प्रेस में नम्बरशुदा मस्टर रोल अवेलेबल थे या नहीं और छपवाये तो नम्बरिंग के आदेश क्यों नहीं दिये और नम्बरिंग मशीन से लगाये वे मस्टर रोल में पूरे के पूरे अंकित है इन सब पूरे के पूरे फैक्ट्स की जानकारी करना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

केकड़ी सब-डिविजन में ओलावृष्टि से क्षति

411. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के केकड़ी सब-डिविजन में दिनांक 20-2-70 को ओलावृष्टि के कारण लगभग 25 ग्रामों की फसलें बिलकुल नष्ट हो गई हैं और काश्तकार भारी विपदा में पड़ गये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार प्रभावित जनता को तत्कालिक सहायता प्रदान कर राहत पहुंचाने का विचार रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार अफेक्टेड एरिया एक्ट के तहत उक्त ग्रामों को तत्काल अफेक्टेड एरिया घोषित कर जनता को राहत पहुंचाने का विचार रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामों का राजस्व माफ करने का भी विचार रखती है ?

(अकाल सहायता मन्त्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। केकड़ी सब-डिविजन में 25-2-70 को हुई ओलावृष्टि से तहसील सरवाड़ में 13 गांवों को अधिक नुकसान एवं 8 गांवों को आंशिक क्षति हुई। तहसील केकड़ी के 7 गांवों में कुछ क्षति हुई थी।

(2) प्रभावित जनता को तात्कालिक सहायता प्रदान करने हेतु निम्न सहायता कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं:—

(1) गोविन्द सागर तालाब

(2) सिन्दूर सागर तालाब

(3) अजगरा बांध

(3) एफेक्टेड एरिया सस्पेन्सन ऑफ प्रोसीडिंग्स एक्ट के अन्तर्गत गांवों को एफेक्टेड एरिया घोषित करने के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसके अन्तर्गत गिरदावरी के बाद अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् जैसी स्थिति होती है, उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है। गिरदावरी के आधार पर अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होते ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(4) राजस्व माफ किये जाने के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं, उसके अन्तर्गत कार्यवाही सम्बन्धित विभाग करेगा। सहायता विभाग का इससे सम्बन्ध नहीं है।

माही डेम की डूब में आई भूमि

414. श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माही डेम में किस किस जिले की कितनी कितनी भूमि डूब में व बेक वाटर में आयगी, कितना धन जन विस्थापित होगा ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) माही डेम के निर्माण में कितना धन व्यय होने का अनुमान है ? डेम बनकर कब तैयार हो जायगा तथा उससे डूंगरपुर, बांसवाड़ा के किस किस क्षेत्र को क्या लाभ पहुंचेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) कडाणा डेम से डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले को क्या क्या लाभ होंगे ?

(4) माही डेम व कडाणा डेम के विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में सरकार की क्या योजना है ? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सत्य है कि माही डेम व कडाणा डेम जो राजस्थान के भू-भाग को जलमग्न करेंगे और गुजरात के लिये रिजर्वेयर का ही काम करेंगे ? यदि हां, तो राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्र को डुबाने वाली इस योजना को अस्वीकार करने का क्या कोई विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है। सूची में दर्ज आंकड़े बहुत पुराने हैं इसलिये पुनः विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है

Page No 84

(सिचाई मंत्री)

(2) वर्तमान माही परियोजना की अनुमानित लागत 29.36 करोड़ रु० है, डेम कब तक बन जायगा इस विषय में अभी विशिष्ठ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस योजना से जिन क्षेत्रों में सिचाई होगी, उसकी सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कडाणा डम से डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों को कोई लाभ नहीं होगा।

(4) माही डेम व कड़ाणा डेम से उत्पन्न होने वाली पुनर्वास की समस्या को हल करने के बारे झाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। विस्तृत योजना बनाई जा रही है।

(5) माही डेम से राजस्थान की भी लगभग 76000 एकड़ भूमि सिंचित होगी कड़ाणा बांध से सिंचित क्षेत्र जब आगे चल कर नर्वदा के पानी से सिंचित होगा, तो कड़ाणा बांध के पानी का कुछ हिस्सा राजस्थान के जालोर और बाड़मेर के क्षेत्रों में सिंचाई के लिये मिलेगा अतः उपरोक्त योजना को मूलतः अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(कृपया परिशिष्ट 6 पर देखिये)

पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय

416. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पहली, दूसरी व तीसरी योजनाओं के अन्तर्गत राज्य व केन्द्रीय सरकार के द्वारा कुल कितना रुपया खर्च किया गया ? आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जो रकम तीनों योजनाओं में खर्च की गई, उसमें से आदिवासी जिला, क्षेत्रों में तथा गैर आदिवासी जिला, क्षेत्रों में भिन्न भिन्न मद की कितनी परसेंट रकम खर्च की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में पहली, दूसरी व तीसरी योजनाओं के अन्तर्गत राज्य परियोजनाओं पर कुल रुपया 369.94 करोड़ व्यय किये गये। इन तीनों योजनाओं में केन्द्र संचालित योजनाओं पर कुल रुपये 54.35 करोड़ व्यय हुए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा राजस्थान में स्थित केन्द्रीय औद्योगिक संस्थाओं में तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में कुल रु० 12.2 करोड़ विनियोजित किये गये।

(2) अनुसूचित (शिड्यूल्ड एरिया) में व्यय के पृथक अंक वर्ष 1963-64 से ही एकत्रित करने प्रारंभ किये गये, अतः इससे पूर्व के वर्षों की सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1963-64, 1964-65 व 1965-66 में कुल राज्य योजना का व्यय, उसकी अनुसूचित क्षेत्र में और गैर अनुसूचित क्षेत्र में व्यय की विकास मदवार राशि व प्रतिशत की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

सतकर्ता स्क्वेड

426. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सतर्कता स्क्वेड वन विभाग के पास किस किस जिले के कुल कितने केसेज है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री दिग्विजयसिंह)

(2) क्या वन क्षेत्र आवां, सीतापुरा, बनेपा, नाका आंवा रेंज देवली, जिला टोंक की शिकायत वहां के उस समय के फोरेस्ट गार्ड के विरुद्ध इस विभाग के पास वास्ते जांच भेजी गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की हुई ? यदि नहीं, तो कब तक निर्णय या कार्यवाही शुरू करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जिलेवार सूची संलग्न है ।

(2) शिकायत स्थानीय रेन्जर के विरुद्ध थी न कि फॉरेस्ट गार्ड के विरुद्ध । जांच किये जाने पर आवां वन क्षेत्र में अवैध रूप से कटाई तथा चराई कराने के लिए उत्तरदायी श्री मंगेज खां वनरक्षक एवं श्री केसर सिंह सहायक वनपाल के विरुद्ध नियमानुसार जॉंच कर उनकी एक एक वेतन वृद्धि रोकी गई है ।

अगमा बांध की मरम्मत

427. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अगमा बांध बाढ़ के कारण टूट गया था, और उसके दोनों तरफ की मिट्टी भी काफी कट कट कर बह गई थी ? यदि हां, तो सरकार बीच की और पूरे बांध की मरम्मत कब तक कराने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बांध में आउटलेट बहुत छोटा है जो पूरे पानी को निकालने की क्षमता नहीं रखता है ? यदि हां, तो सरकार और बड़ा आउटलेट कब तक बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, बांध के दोनों तरफ की कुछ मिट्टी बरसात के पानी से कट गई है। बांध की मरम्मत का काम अप्रेल, 1970 तक पूरा करा दिया जायगा ।

(2) इस बारे में आवश्यक जांच के पश्चात् मोरी ठीक करा दी जावेगी ।

अनुसूचित जातियों व जन जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति

431. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में समाज कल्याण विभाग बजट का रुपया शिक्षा विभाग को ट्रान्सफर करके अनुसूचित जातियों व जन जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां बंटवाता है जिससे छात्रों को समय पर छात्रवृत्तियां नहीं मिलने, फार्म नहीं मिलने आदि की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो समाज कल्याण विभाग जो खासतौर पर इसी कार्य के लिये है, वह अपने द्वारा क्यों नहीं रुपया बांटता है ?

(2) क्या यह भी सच है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्तियां हर तीसरे महीने में दी जाती है जिससे छात्रों को पढ़ाई छोड़कर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं ? यदि हां, तो हर साल एकमुश्त छात्रवृत्ति देने में विभाग को क्या परेशानी है ?

(3) क्या भी सत्य है कि छात्रवृत्तियों के मद में कम रुपया होने की वजह से अनुसूचित जातियों व जन जातियों के आधे से भी कम को छात्रवृत्ति दी जाती है ? यदि हां, तो

(श्री जयनारायण सालोदिया)

सरकार इस मद में ज्यादा रुपया रख कर अन्य गैर जरूरी मदों को खत्म क्यों नहीं कर देती है ?

उत्तर

(1) जी हां, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग के माध्यम से बांटी जाती है। यह कार्य मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में शिक्षा विभाग के माध्यम से दिया जाता है। यह भी सही है कि कुछ शिकायतें यदाकदा प्राप्त होती रहती हैं।

(2) छात्रवृत्ति प्रति तीसरे माह सरकारी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के यहां से ही मिल जाती है। अतः दफ्तरों के चक्कर लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। एकमुश्त छात्रवृत्ति वर्ष के अन्त में ही दी जा सकती है पर अन्त में देने से छात्रों को परेशानी उठानी पड़े, इस कारण तिमाही किश्तों में दी जाती है।

(3) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिये प्रत्येक सफल छात्र को छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान रखा जाता है। मैट्रिक पूर्व को छात्रवृति के लिये आवश्यक सीमित प्रावधान होता है। इसलिये सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देना सम्भव नहीं है। फिर भी प्रावधान में प्रति वर्ष वृद्धि करदी जाती है।

स्थगित प्रश्न

(9–3–70)

राज्य में परिवार नियोजन सम्बन्धी व्यय

20. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में परिवार नियोजन योजना पर हर साल स्टाफ, गाड़ियां दवाइयां, प्रचार, इनाम आदि पर कुल कितना खर्चा होता है ? अलग अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि हर साल खर्चे का लक्ष्य तो पूरा कर लिया जाता है लेकिन उपलब्धियों का लक्ष्य पूरा नहीं होता है ?

(3) जबसे परिवार नियोजन स्कीम चालू की है तबसे सन्तानोत्पत्ति पर कितने प्रतिशत काबू पाया है और कुल खर्चा कितना किया है ?

(4) क्या यह भी सच है कि जो आंकड़े सरकार को भेजे जाते हैं, वह बहुत कुछ 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों के नाम भर कर भेजे जाते हैं जिससे सही मन्शा की पूर्ति नहीं होती है ?

उत्तर

(1) पिछले दो सालों 1967-68 एवं 1968-69 के वांछित मदों में खर्च के आंकड़ों की 'क' और 'ख' तालिकाएं सदन की मेज पर रखदी गयी हैं।

(2) जी नहीं। बजट में खर्चे की दी हुई राशि के अनुसार हर साल पूरी रकम खर्च नहीं होती है।

जहां तक लक्ष्य पूरा किये जाने का प्रश्न है, इस राज्य की कुछ अपनी दिक्कतें हैं जैसे इल्लिट्रेसी, अकाल, बाढ़ तथा आवागमन की कठिनाइयां आदि। परिवार नियोजन के कार्यक्रम में उपलब्धियां केवल खर्च के अनुपात में ही नहीं आंकी जा सकतीं क्योंकि यह कार्यक्रम केवल सन्तानोत्पत्ति नियंत्रण का ही कार्य नहीं करता है बल्कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार एवं

Page No 87

(परिवार नियोजन मंत्री)

पारिवारिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना है ताकि वे एक सुनियोजित एवं सुखी जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकें। यह कार्य बहुत जटिल है क्योंकि राज्य की जनता अन्ध विश्वास एवं रूढ़िग्रस्तता के कारण आसानी से नये एवं आधुनिक तरीके अपनाने में संकोच करती है। फिर भी वर्ष 1966-67 के मुकाबले वर्ष 1967-68 में साढ़े चार गुने आपरेशन किये गये हैं और वर्ष 1968-69 में पिछले वर्ष से 2,120 अधिक ऑपरेशन किये गये और इस वर्ष 1969-70 में माह मार्च के मध्य तक पिछले वर्ष से 3,170 नसबन्दी अधिक की जा चुकी है और करीब 2,000 नसबन्दी और हो जाने की संभावना है। राजस्थान में यह प्रगति निरन्तर बढ़ोत्तरी पर है।

(3) अब तक की उपलब्धियों के आधार पर अनुमानत 3,10,000 नये जन्म बचा लिए गये हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर जन्म दर 41 प्रति हजार से घटकर 39 प्रति हजार हो चुकी है। इस राज्य में कितनी प्रतिशत सन्तानोत्पत्ति पर काबू पाया गया है इसके लिए सर्वे किया जारहा है। वर्ष 1957-58 से जबसे यह योजना चालू हुई है, मार्च, 1969 तक 375.65 लाख रुपया खर्च हुआ है।

(4) जी नहीं। इस संबंध में 11,385 पुरुष नसबन्दी सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि 0.8 प्रतिशत पुरुष 60 या इससे ऊपर की आयु के थे और जिससे इस कार्यक्रम की सही मन्शा पूर्ति में कोई बाधा नहीं है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार नसबन्दी आपरेशन के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। यह ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक के विवेक पर निर्भर करता है कि वह ऑपरेशन कराने वाले व्यक्ति से, पति पत्नि की आयु, उनके बच्चों की संख्या तथा पति पत्नि के स्वास्थ्य आदि के बारे में पूछताछ करके नसबन्दी किये जाने की उपयुक्तता पर निर्णय ले। इस संबंध में पूर्ण सावधानी वर्ती जाय, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्थायी आदेश जारी किये हुए हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कार क्रय करने के लिये धनराशि

457. **श्री महेन्द्र कुमार** (पाड़वा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1969 में कार क्रय करने के लिये किस किसको कितना कितना रुपया कब कब दिया गया ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। 1969 में कितने प्रार्थना-पत्र आए ?

(2) 1969 से पूर्व के कितने प्रार्थना-पत्र पेंडिंग थे ? 1969 में जिन्हें कर्ज दिया गया, उनके प्रार्थना-पत्र कब कब के थे, तथा ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र थे जिनके लिए जिलाधीश ने सिफारिश की थी, किन्तु सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई ?

(स्थगित किया गया)

विभिन्न विभागों में समाप्त किये गये पद

458. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) राज्य सरकार ने इस वर्ष बचत

(श्री हरजीराम बुरड़क)

करने की दृष्टि से किस किस विभाग में कितने कितने अधिकारियों व कर्मचारियों के पद समाप्त किये हैं? इससे प्रति वर्ष कितना कितना खर्चा कम होगा?

(2) इस प्रकार के निर्णय कब कब लिये गये और उन पर अमल कब कब से शुरू हुआ?

(3) कितने कितने कर्मचारी व अधिकारी सरप्लस हुये? विभागवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) शुरु में इस योजना का क्या रूप था और अब बदल कर क्या रूप दिया गया है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने गैर योजना व्यय में बचत करने की दृष्टि से मितव्ययता संबंधी जो कदम उठाये हैं उनसे 1970-71 में 1.93 करोड़ की बचत होने की संभावना है। प्रभावित अधिकारियों व कर्मचारियों की विभागवार सूची संलग्न है।

(2) मंत्रीमंडल के आदेश संख्या 293/69 दिनांक 17-10-1969 द्वारा मितव्ययता संबंधी निर्णय लिये गये और उन पर मुख्यतः 1-12-1969 से और इसके बाद से अमल हुआ है।

(3) संलग्न सूची नं० 1 में यह सूचना उपलब्ध है।

मितव्ययता संबंधी दिये गये आदेशों में जिन जिन विभागों में सरकार द्वारा अब तक जो परिवर्तन स्वीकृत किये गये हैं, संलग्न सूची नं० 2 में दर्शाये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

सेवा नियमों में संशोधन

459. श्री देवीदत्त गाड़िया (बार): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित नियमों में विशेषतः राजस्थान सेवा नियम, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, यात्रा भत्ता नियम आदि में प्रति वर्ष किये जाने वाले संशोधनों का पृथक पृथक औसत क्या है? कृपया गत तीन वर्षों की सूचना दें।

(2) इन संशोधनों की अधिकता को देखते हुये क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि इन नियमों के संशोधित संस्करण कम से कम 3 वर्ष पश्चात निकाले जायें?

उत्तर

(1) पिछले तीन वर्षों में सेवा नियमों एवं वित्तीय नियमों में हुए संशोधन से संबंधित वांछित सूचना निम्न प्रकार है:-

	वर्ष			
	1967	1968	1969	औसत
1. राजस्थान सेवा नियम	103	70	80	85
2. राजस्थान यात्रा भत्ता नियम	13	11	12	12
3. सामान्य वित्त एवं लेखा नियम	39	50	65	52
4. राजस्थान कोषालय नियम	4	9	9	8

(वित्त मन्त्री)

(2) जी नहीं। संशोधित संस्करण के लिये निश्चित अवधि निर्धारित करना इस कारण संभव नहीं, क्योंकि प्रकाशन से पूर्व मुद्रणालय में बिना बिक्री पुस्तकों की भंडार में संख्या तथा मुद्रणालय के प्रकाशन संबंधी कार्य को समय पर पूरा कर सकने की क्षमता को ध्यान में रखना पड़ता है।

दोहरे पदों पर कार्य करने की अवधि

460. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 के स्पष्टीकरण के अनुसार क्या दोहरे पद का प्रबन्ध एक सीमित अवधि से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता ?

(2) क्या यह सही है कि यह समय सीमा छः माह निर्धारित की गई है ?

(3) यदि हां, तो यह समय सीमा कब निश्चित की गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान सेवा नियमों का चतुर्थ संस्करण उपयुक्त संशोधन के पश्चात निकाला गया था ?

(5) यदि हां, तो इस संस्करण में यह सीमा 3 माह क्यों मुद्रित की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2), जी हां।

(3) यह समय सीमा अधिसूचना संख्या एफ० 1(69) एफ० डी० (ई-आर) 65, दिनांक 14-12-65 द्वारा निर्धारित की गई थी, जो दिनांक 1-11-65 से प्रभावशील मानी गई ।

(4) जी हां ।

(5) राजस्थान सेवा नियमों का चतुर्थ संस्करण 30-9-65 तक संशोधन करके मुद्रण के लिये भेजा गया था। उपरोक्त संशोधन 14-12-65 को जारी हुआ जो पुस्तक में सम्मिलित करना संभव न था और इसे करेक्शन स्लिप के द्वारा अलग से जोड़ा गया है, जो पुस्तक में मौजूद है ?

पी० डी० आर० एक्ट के अन्तर्गत बकाया वसूली

461. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में पी० डी० आर० एक्ट के अन्तर्गत वसूली के दस वर्ष से कितने मामले कितनी रकम के पड़े है ?

(2) यह बकाया किन किन फर्मों व व्यक्तियों की तरफ है ? फर्मों व व्यक्तियों के नाम सहित विभागवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें

उत्तर

(1) सारे राजस्थान में पी० डी० आर० एक्ट के अन्तर्गत वसूली के दस वर्ष से 317 मामले, जो 11,32,778.62 रुपयों के हैं, चल रहे हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

Page No 90

भाखरा के पानी के संबंध में समझौता

462. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 1959 में राजस्थान और पंजाब के बीच में भाखरा के पानी संबंधी समझौता हुआ था ?

(2) क्या यह भी सही है कि समझौता की धारा 16 के अनुसार यह निर्णय हुआ था कि घग्घर नाले का बरसाती पानी पंजाब जब चाहेगा, उसका उपयोग कर सकेगा और उसे सदैव के लिए रोक सकेगा और राजस्थान को जब चाहेगा पानी देना बन्द कर देगा ?

(3) यदि हां, तो फिर नाली के पानी को डाईवरसन चैनल में डालने का सवाल कहां बाकी रह गया था और डाईवरसन चैनल पर 5 करोड़ रुपया क्यों खर्च किया गया ?

(4) जो पानी डाईवरसन चैनल में डाला गया था, उसका कहां पर क्या उपयोग हुआ है ?

(5) क्या इस समय भी नाली के पानी को डालने वाली डाईवरसन चैनल पर पैसा खर्च किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार को अब भी यह आशा है कि नाली का पानी भविष्य में राजस्थान में आता रहेगा ?

(7) क्या यह सही है कि हरियाना में चंडीगढ़ के पास घग्घर के नाले पर एक बांध बनाया जाकर नाली के पानी को सदैव के लिये रोका जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) समझोते की धारा 16 निम्न प्रकार है : –

चूंकि राजस्थान का यह क्षेत्र जो घग्घर नदी की सेवा प्राप्त करता था, उसको भाखरा नहरों के सिंचाई क्षेत्र में लिया गया है । इस कारण राजस्थान की घग्घर के पानी पर कोई माप नहीं होगी ।

(3) भाखरा नागल योजना के कार्यान्वित होने के पश्चात घग्घर नाले में वर्षा में काफी अधिक पानी आने लगा जिससे राजस्थान में प्रति वर्ष बाढ की विकराल स्थिति उत्पन्न होने लगी है । इस बाढ से होने वाली क्षति को कम करने के लिये डाईवरसन चैनल का निर्माण करना आवश्यक था ।

(4) बाढ़ का पानी डाईवरसन चैनल द्वारा सूरतगढ़ के दक्षिण में बनाये हुए डिप्रेशन में डाल दिया जाता है । डाईवरसन चैनल में से कुछ पानी का कृषि उपज के लिए निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है :

(1) नाली पेटे के लगभग 1 लाख एकड़ क्षेत्र में नियंत्रित जल प्रवाह ।

(2) खरीफ में सूरतगढ़ ग्राम द्वारा 700-800 क्यूसेक पानी का उपयोग ।

(3) पौधों द्वारा भाखरा व राजस्थान नहर के कमाण्ड क्षेत्र में उपयोग ।

(5) जी हां । इस कार्य को स्वीकृत योजना के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु यह कार्य निर्माणाधीन है ।

(सिचाई मन्त्री)

(6) जी हां।

(7) हरियाणा में घग्घर नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव है, परन्तु फिर भी बाढ़ का पानी लाने की सम्भावना केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग से लगाई है।

बारां में एक्सरे विंग के लिये भवन का निर्माण

463. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां में जहां तहसील कार्यालय स्थित है, वह भवन आज से कुछ वर्ष पूर्व किसी दानदाता ने अस्पताल में एक्सरे विंग के लिये बनाया था? यदि हां तो क्या सरकार को उसे तहसील कार्यालय के उपयोग में लेने का अधिकार है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन के संबंध में दानदाता श्री सरदार गुरुदीप सिंह ने भी सरकार को लिखा है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। अभी तक लिखित में कोई पत्र सरकार को दानदाता से प्राप्त नहीं हुआ है।

नर्सिंग कॉलज जयपुर, में व्याख्याता के पद

464. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जुलाई, 1966 से नवम्बर, 1968 की अवधि में कोई पद वरिष्ठ, कनिष्ठ व्याख्याता नर्सिंग कॉलेज, जयपुर के रिक्त थे? अगर हां, तो उनकी क्या योग्यताएं थीं और उनको भरने के क्या नियम थे?

(2) अगर भरने के कोई नियम नहीं थे तो क्या उक्त पदों को अस्थाई तौर पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति के उपलब्ध होने तक वरिष्ठता के आधार पर भरा गया था? अगर हां, तो उन व्यक्तियों की सूची उनकी योग्यता बताते हुए सदन की मेज पर रखी जाये।

(3) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने सीनियर लेक्चरार नर्सिंग महाविद्यालय के पद पर किसी को पदोन्नत किया था? अगर हां, तो आदेश कब जारी किये गये?

(4) क्या यह आदेश राज्य सरकार न पूर्वान्ह अथवा अपरान्ह में जारी किये और ये कब संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को प्राप्त हुए और इन अधिकारियों ने इसकी आज्ञा पालनार्थ क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी हां। आदेश क्रमांक एफ (178) चि०स्वा०/68 दिनांक 31-8-68 द्वारा वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर श्री रामस्वरूप व्यास, कनिष्ठ व्याख्याता, नर्सिंग कॉलेज, जयपुर की पदोन्नति की गई। राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक एफ 1(178)चि० स्वा० दिनांक

(चिकित्सा मन्त्री)

7-1-69 के द्वारा निर्णय दिया कि श्री व्यास को राज्य सरकार के आदेश की प्रति दिनांक 31-8-68 के पूर्वाह्न में ही दे दी गई थी।

श्री व्यास के वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के आदेश निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं तथा परिवार नियोजन राजस्थान, जयपुर को दिनांक 2-9-68 को प्राप्त हुये थे।

श्री व्यास ने विना किसी से चार्ज लिए कार्य ग्रहण करने की सूचना दिनांक 31-8-68 के मध्यान्ह पूर्व श्री महालेखाकार को भेज दी, जिसकी सूचना प्रिन्सिपल नर्सिंग कॉलेज, जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक 1131-एम०सी० 68-दिनांक 6-11-68 के द्वारा निदेशालय को सूचित किया कि श्री व्यास . उक्त राज्यादेश की प्रति उनके कार्यालय में दिनांक 31-8-68 को सायंकाल 5.30 बजे प्रस्तुत की और कार्यग्रहण करने की रिपोर्ट 31-8-68 की मध्यान्ह पूर्व के साथ संलग्न थी। परन्तु प्रिन्सिपल के कार्यालय ने श्री व्यास द्वारा कार्यग्रहण करने की रिपोर्ट को व सरकार के आदेश को लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि कार्यालय का समय समाप्त हो चुका था।

श्री व्यास ने उपरोक्त राज्य सरकार के आदेश की प्रति व कार्यग्रहण करने की रिपोर्ट डाक से रजिस्ट्री द्वारा प्रिन्सिपल नर्सिंग कॉलेज, जयपुर को भेज दी, जो कि प्रिन्सिपल के कार्यालय में दिनांक 2-9-68 को सायंकाल 4.10 बजे पहुंची जिससे कि नर्सिंग कॉलेज के कार्यालय में उक्त पत्रों को प्रिंसिपल के सामने दि० 3-9-68 को पेश किये।

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को ऋण

465. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को ऋण दिया है? यदि हां, तो किस किस संस्था को कब कब कितना कितना ऋण किस किस कार्य के लिए दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस संबंध में कोई नियम बने हुए हों तो उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त ऋण कब कब वापिस जमा होना था और कब कब जमा हुआ तथा कितना कितना शेष रहा?

(4) उपरोक्त ऋण देने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

(5) उपरोक्त ऋण देते समय क्या क्या गारन्टी ली गई तथा कितना कितना ब्याज लिया गया?

उत्तर

(1) जी हां सूची संलग्न है।

(2) कोई नियम नहीं बने हुए हैं।

(3) ऋण स्वीकृति के बाद भवन निर्माण को एक वर्ष बाद से प्रति वर्ष के हिसाब से 30 किस्तों में जमा होना था। प्रत्येक संस्था के नाम के आगे प्रति वर्ष जमा राशि अंकित कर सूची में दिखलाई गई है।

(4) जिन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सम्बन्धित अधिकारी

Page No 93

(शिक्षा मन्त्री)

ने ऋण बाबत अभिशंसा की थी उनको ही औचित्य के आधार पर ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई।

5 ऋण की वापसी भवन सम्पूर्ण होने के पश्चात 30 वार्षिक किश्तों में जमा कराने की शर्त पर दिया गया था व भवन राज्य सरकार के मोर्गेज होना था।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

जयपुर में स्टेडियम

466. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जयपुर नरेश ने राज्य सरकार को एक स्टेडियम बनाने हेतु जमीन दान में दी है? यदि हां, तो इसका कुल कितना क्षेत्रफल है?

(2) क्या यह सही है कि इस स्टेडियम का कार्य चालू हो गया है? यदि हां, तो अब तक इस पर कुल कितना धन खर्च किया जा चुका है?

(3) क्या यह सही है कि इस स्टेडियम का नाम अभी तक नहीं रखा गया है? यदि रखा गया है, तो इसका क्या नाम है?

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जयपुर नरेश ने इसी शर्त पर दान दिया था कि इसका नाम "सवाई मानसिंह स्टेडियम" ही रक्खा जावे?

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इसको दूसरा नाम देने की योजना चल रही है? यदि नहीं, तो स्टेडियम की दीवार पर अभी तक नाम क्यों नहीं लिखा गया है?

उत्तर

(1) जी हां। करीब 90 एकड़ था।

(2) जी हां। माह फरवरी, सन् 1970 तक 14,15,382 रु० खर्च किये जा चुके हैं।

(3) यह सही नहीं है। इसका नाम सवाई मानसिंह स्टेडियम, है।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। नाम लिखा जा रहा है।

प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत करके माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन

467. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग ने इस वर्ष पंचायत समितियों द्वारा खर्चा वहन करने की स्थिति में राज्य में प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत करके माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी है? यदि हां, तो किस किस समिति में किन किन शालाओं के लिए? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या विभाग ने स्वीकृति देने के पूर्व इस बात की गारन्टी ली है कि शाला को क्रमोन्नत करने में हो रहे व्यय को सम्बन्धित पंचायत समिति वहन कर सकेगी?

(3) यदि आर्थिक कठिनाई के कारण कोई समिति खर्चा सहन करने में असमर्थ रही, तो उक्त शाला को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(4) उक्त योजना को मूलरूप में सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) यह योजना कहां तक सफल सिद्ध हुई है?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां। अधिकारियों से यह कहा गया है कि वे पंचायत समिति से खर्च वहन करने के लिखित आश्वासन के बाद ही शाला खुलवाने का आदेश दें।

(3) जो समिति खर्च वहन करने में असमर्थ रहेगी तो वहां शाला प्रारम्भ नहीं की जावेगी।

(4) मूल स्वीकृति की प्रतिलिपि में समस्त विवरण उपलब्ध है।

(5) 73 शालाओं में से 26 शालाओं के प्रारम्भ होने की सूचना प्राप्त हो चुकी है। 14 शालाओं के शर्तपूर्ण न करने के कारण प्रारम्भ न करने की सूचना प्राप्त हुई है। शेष में सूचना मांगी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

जे० बी० हायर सैकन्डरी स्कूल, लाडनूं के खिलाफ प्राप्त शिकायतें

468. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी सहायता प्राप्त जे० बी० हायर सैकेन्डरी स्कूल लाडनूं के खिलाफ राज्य सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब कब और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार ने उक्त शिकायतों पर जांच भी करवाई है ? यदि हां, तो कब किसके द्वारा ?

उत्तर

(1) जी हां, निम्न शिकायतें प्राप्त हुई :—

(1) श्री द्वारका प्रसाद, 8-9-66, व्यवस्थापक के विरुद्ध ।

(2) श्री नागरिक परिषद, लाडनूं, 21-12-67 व्यवस्थापक के विरुद्ध

(3) श्री कृष्ण चन्द, 28-12-68, के विरुद्ध ।

(4) श्री हरजीराम बुरड़क, 28-12-68 श्री हेतराम गुप्ता के विरुद्ध ।

(5) श्री हेमराज मानकचन्द, 4-4-69 व्यवस्थापक के विरुद्ध ।

(6) श्री हरजीराम बुरड़क, 1-4-69, दो अध्यापकों की सेवा समाप्ति पर शिकायत ।

उक्त शिकायतों पर निम्न कार्यवाही की गई :—

प्रथम शिकायत की एक जांच विद्यालय निरीक्षक, नागौर ने की तथा प्रतिवेदन दिनांक 30-11-66 को प्रस्तुत किया । जांच के निष्कर्ष के अनुसार शिकायतकर्त्ता द्वारा उठाये गये बिन्दु सही नहीं पाये गये तथा आमतौर पर उन्हें तथ्यहीन पाया

(शिक्षा मन्त्री)

गया । इसकी सूचना 22-12-66 को शिकायतकर्ता को देदी गई ।

दूसरी शिकायत गुमनाम से प्राप्त होन के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

तीसरी शिकायत पर विद्यालय निरीक्षक शिक्षा विभाग नागौर से रिपोर्ट मांगी हुई है, किन्तु वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई । चौथी शिकायत पर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, श्री हेतराम गुप्ता अब प्रधानाध्यापक के पद पर से हटा दिये गये हैं ।

पांचवीं व छठी शिकायतों पर आगे जांच चल रहीहै और रिपोर्ट विद्यालय निरीक्षक, नागौर को शीघ्र ही भेजने को कहा जा रहा हैं ।

(2) प्रारम्भिक जांच विद्यालय निरीक्षक, नागौर द्वारा जनवरी के प्रथम सप्ताह में की गई है ।

कोटा जिले में शुगर चैरिटी फण्ड के नाम एकत्रित राशि

469. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला कोटा में शुगर चैरिटी फण्ड में गत तीन वर्षों में कितना कितना रुपया जमा हुआ और किस किस प्रकार से कितना कितना रुपया खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या शुगर चैरिटी फण्ड का पैसा खर्च करने के लिये कोई कमेटी बनी हुई है ? यदि हां, तो उस कमेटी के कौन कौन सदस्य हैं और पैसा खर्च करने के क्या क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है' कि सीसवाली हायर सैकेन्डरी स्कूल, अन्ता सैकेन्डरी स्कूल एवं बारां गर्ल्स हायर सैकेन्डरी स्कूल के लिये जनता ने भवन निर्माण हेतु उक्त फण्ड से रुपयों की मांग की है ? यदि हां, तो यह मांग कितने समय से चल रही है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2)) शुगर चैरिटी फण्ड के नाम कोई फण्ड नहीं है, जो फण्ड है वह लाईसेन्स्ड कमोडिटीज चेरिटी फण्ड के नाम से है । उक्त फण्ड से राशि खर्च करने हेतु जो नियम हैं, उसकी प्रतियां मय संशोधन के सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(3) जी हां, सीसवाली हायर सैकेन्डरी स्कूल, अन्ता सैकेन्डरी स्कूल, एवं बारां गर्ल्स हायर सैकेन्डरी स्कूल के लिये संबंधित संस्थाओं एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा इस फन्ड से अनुदान स्वीकार किये जाने हेतु मांग की गई है । सीसवाली एवं अन्ता का मामला पिछले तीन वर्ष से चल रहा है तथा बांरा गर्ल्स स्कूल के लिये अप्रेल, 69 में मांग की गई थी । परन्तु प्रार्थना-पत्र निर्धारित फार्म पर न होने एवं प्रार्थना-पत्रों के साथ नियमों में वांछित स्वीकृति शुदा नक्शा व तखमीना आदि संलग्न न होने के कारण समस्त मामले संस्थाओं को कमियों की पूर्ती की जाने हेतु भेजे गये हैं । इस हेतु निम्न स्मरणपत्र भी प्रेषित किये जा चुके है :–

(1) सीसवाली :–

पत्र क्रमांक 8240–66 दिनांक 8-8-66
पत्र क्रमांक 1788 दिनांक 23-9-67

Page No 96

(खाद्य मन्त्री)

पत्र क्रमांक 1922 दिनांक 4-9-68, 9-1-69
पत्र क्रमांक 195 दिनांक 18-3-69
पत्र क्रमांक 7581 दिनांक 6-8-69
पत्र क्रमांक 9109 दिनांक 26-12-69

(2) अन्ता :

पत्र क्रमांक 8240 दिनांक 8-8-66
पत्र क्रमांक 12427 दिनांक 17-1-67
पत्र क्रमांक 9436 दिनांक 18-10-66
पत्र क्रमांक 2466 दिनांक 7-9-67
पत्र क्रमांक 2813 दिनांक 8-2-68
पत्र क्रमांक 6388 दिनांक 19-8-66
पत्र क्रमांक 7932 दिनांक 31-10-68
पत्र क्रमांक 9724-26 दिनांक 23-12-68
पत्र क्रमांक 9917 दिनांक 2-1-69
पत्र क्रमांक 950 दिनांक 2-2-69
पत्र क्रमांक 5134 दिनांक 10-6-69
पत्र क्रमांक क्र523-24 दिनांक 4-9-69
पत्र क्रमांक 10147 दिनांक 21-2-70

(3) गर्ल्स हायर सैकेन्डरी स्कूल बारां :

पत्र क्रमांक रसद शुगर चैरिटी 69/3055 दिनांक 7-5-69
पत्र क्रमांक सरद शुगर चैरिटी 69/3055 दिनांक 6-1-69
पत्र क्रमांक रसद शुगर चैरिटी 69/3055 6-8-69
पत्र क्रमांक रसद शुगर चैरिटी 69/10077 दिनांक 18-2-70

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

अनाज की खरीद

470. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार ने सन् 67 से लेकर सन् 69 तक कितने कितने रुपयों की लागत की किस किस रेट से किस किस तारीखों से कितनी कितनी बोरी चना, जौ, ज्वार, गेहूं मक्का एवं लाल ज्वार की खरीद की है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने इन वर्षों में चना, ज्वार, मक्का, लाल ज्वार व गेहूं बेचा है ?

(3) यदि हां। तो किस किस पार्टी को कब कब किस किस भाव से किस किस तारीख को बेचा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार को क्रय विक्रय किये गये गल्ले में नुकसान रहा है? यदि हां, तो क्या और कितना नुकसान हुआ ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 67-68 व 68-69 में चना, देशी गेहूं, ज्वार, मक्का, आयातित खाद्यान्न आदि जो क्रय किया गया था उसकी सूचना संलग्न तालिका में अंकित कर दी गई है। तारीखवार विवरण जिलों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा।

(2) जी हां।

(3) किन किन पार्टियों को को खाद्यान्न बेचा गया है, इसकी सूचना जिलों से एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होने पर उपलब्ध करा दी जावेगी। जहां तक दरों का प्रश्न है बिक्री दरें वित्तीय वर्ष 67-68 व 68-69 यानी 1-4-67 से 31-3-69 तक निम्न-प्रकार निर्धारित की गई थी।

दिनांक	नाम खाद्यान्न	दर प्रति कि०
1-4-67	विदेशी गेहूं	62
22-6-67	,,	78

(खाद्य मन्त्री)

1	2	3
1-1-68	विदेशी गेहूं	78)
13-3-68	,,	75)
17-6-68	लाल	78)
17-6-68	,, सफेद	99)
16-12-68	,, सफेद	94)
4-5-69	समस्त प्रकार के गेहूं	87)
23-6-69	,,	89)
1-4-67	माईलो	47)
22-6-67	,,	50)
1-1-68	,,	58)
20-2-68	,,	45)
1-9-68	,,	55)
16-12-68	,,	59)
23-6-69	,,	61)
13-12-68	ज्वार	74)
5-4-69	,,	70)
25-4-69	,,	65)
28-6-69	,,	65)
13-12-68	मक्का	71)
5-4-69	,,	69)
25-4-69	,,	58)
28 6-69	,,	60

(4) अभी उक्त खाद्यान्नों के लेखे तैयार नहीं हुये है। अतः निश्चित तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता है, किन्तु मोटे रूप में जो सूचना एकत्रित की गई है उससे यह प्रतीत होती है कि इस योजना पर न तो कोई हानि रही न ही लाभ।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

पाली जिले में अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

471. **श्री शंकरलाल** (जैतारण): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की जैतारण और रायपुर तहसीलों में गत वर्ष अकाल राहत कार्यों में कितनी सड़कों के कार्य अधूरे रह गये और उन प्रत्येक सड़कों में कहां कहां कितना कार्य बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु इस वर्ष किस किस के लिये स्वीकृति हो चुकी है और किन किन के लिये स्वीकृति होना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन सब अधूरी सड़कों को कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा व इनकी मरम्मत और पुलियों के कार्य कब तक पूरे कर लिये जावेंगे ?

(4) फैमिन की समाप्ति पर इन सड़कों की देख-रेख व मरम्मत की जिम्मेवारी किस विभाग की होगी ?

(स्थगित किया गया)

जिला बूंदी में अकाल राहत कार्य

472. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी की कौन कौन सी तहसीलों के किन किन गांवों में अकाल था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

(2) उपरोक्त गांवों में कहां कहां कितना कितना अकाल राहत कार्य हुआ और प्रति माह प्रत्येक तहसील में कितने कितने मजदूरों ने कार्य किया ? प्रति माह हर तहसील में कितना कितना कार्य हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

राजस्थान कैनाल पर राहत कार्यों के अन्तर्गत नियुक्त तहसीलदार व नायब तहसीलदार

478. **श्री रूपसिंह** (सरदारशहर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान कैनाल पर अकालग्रस्त क्षेत्रों के मजदूरों को पेमेन्ट करने व उनकी तकलीफों को दूर करने के लिये कितने तहसीलदार व कितने नायब तहसीलदार लगाये गये हैं व वे कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? इन मुलाजमान को तनख्वाह फैमिन के फण्ड से मिलती है या अपने डिपार्टमेन्ट से ?

(स्थगित किया गया)

मेड़ता तहसील में चारे की खरीद

474. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष मेड़ता तहसील से किस किस्म का किस तारीख को कितना चारा कितने क्विन्टल किस भाव से किससे खरीदा गया ?

(2) जो चारा बीकानेर एवं बाड़मेर जिलों में भेजा गया, क्या उसकी तोल व क्वालिटी के बारे में कोई शिकायत आई ? अगर आई तो वह माल किसने किस भाव दिया था और इस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) ऐसी कोई शिकायत विभाग के ध्यान में नहीं लाई गई है। इसलिये कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

भू-संरक्षण कार्य

475. **श्री विद्यासागर** (खेरवाड़ा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खेरवाड़ा तहसील व जिला उदयपुर में फैमिन के अंतर्गत कहां कहां भू-संरक्षण विभाग द्वारा कार्य चलाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश मजदूरों को भू-संरक्षण विभाग द्वारा अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो नामावली देते हुये यह बताने का कष्ट करें कि किन कार्यों के किस किस मजदूर का कितना कितना पैसा बकाया है ?

(3) क्या यह सही है कि भू-संरक्षण में कई नाम फर्जी होने से शंका के रूप में कई सही मजदूरों को भी कई स्थानों पर पेमेन्ट नहीं किया है ? यदि हां, तो कौन कौन से स्थानों के मजदूरों को पेमेन्ट नहीं किया गया है ?

(स्थगित किया गया)

Page No 99

बारां क्षेत्र में घास की खरीद

476. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आज के करीब 5-6 वर्ष पूर्व अकाल राहत कार्य के लिये बारां क्षेत्र से घास की खरीद की गई थी व वन विभाग क्षेत्र के जंगलों से घास भी इकट्ठा कराया गया था ? यदि हां, तो कितना घास किस किस दर से खरीद किया गया और कितना घास इकट्ठा कराया गया और उस पर कितना कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि खरीद किए गए घास के टेन्डर्स आमंत्रित किए गए थे ? यदि हां, तो प्राप्त टेन्डर्स की तुलनात्मक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि घास के गट्ठे बांधने के लिये रस्सी व तार आदि सामान की खरीद की गई थी ? यदि हां, तो क्या क्या सामान कितने कितने रुपयों का किस किस पार्टी से किस किस प्रकार से खरीद किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) बारां क्षेत्र से कितना कितना घास किस-किस स्थान पर किस किस यातायात साधन से भेजा गया और उस पर कितना कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि घास के गट्ठे रेल्वे द्वारा भेजे गए ? यदि हां, तो कितनी वेगन घास की भेजी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट कर।

(6) क्या यह सही है कि घास के गट्ठों की वेगन भरवाई का कार्य विभाग ने मजदूरों द्वारा ठेका देकर करवाया था ? यदि हां, तो प्रति वैगन का ठेका किस रेट पर किस-किस को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(7) क्या यह सही है कि मजदूरों की शिकायत पर डी० एफ० ओ० ने निर्धारित रेट के आधार पर वैगन भराई की मजदूरी नहीं देकर बहुत कम पैसा दिया है? क्या विभाग व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जांच की थी ? यदि हां, तो किस किस अधिकारी ने जांच की और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(8) क्या यह सही है कि मजदूरों को अभी तक भी वैगन भराई की मजदूरी पूरी नहीं मिली है ?

(स्थगित किया गया)

काश्त योग्य भूमि

477. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

कोटा जिले में वन विभाग के अन्तर्गत आने वाली जमीनों में से कितनी जमीन ऐसी है जिसको काश्त योग्य समझा जाता है तथा जिसके लिये सन् 1952 या 1956 में वन विभाग ने इस जिले की प्रत्येक रेंजवाइज ऐसी जमीनों के लिये जो काश्त के लिये निकाली जा सकती है – सर्वे कराया था तथा इस संबंध का रिकार्ड भी महकमें के पास उपलब्ध है ? कृपया पूरी जानकारी मय रकबे के बताने का कष्ट करें।

Page No 100

(वन मन्त्री)

उत्तर

इस प्रकार का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है जिससे ज्ञात हो सके कि वन सीमा में कितनी भूमि काश्त योग्य है। सर्वे नहीं की गई अतः सर्वे का रेकार्ड उपलब्ध होने का प्रश्न नहीं उठता।

बीगोद में महतरों की बस्ती के लिये अनुदान

478. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सत्य है कि बीगोद (मांडलगढ़ तहसील) में महतरों की बस्ती और उनके घर टूटे फूटे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके मकानों की मरम्मत के लिये अनुदान देने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां। लगभग 15 आवेदन–पत्र प्राप्त हुये हैं परन्तु बजट में मकान मरम्मत का प्रावधान नहीं होने के कारण उन पर इस वर्ष विचार नहीं किया जा सका। अगले वर्ष उन पर विचार किया जायगा।

विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिये भेजे गये हरिजन और आदिवासी छात्र

479. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पिछली तीन योजनाओं में राजस्थान की ओर से हरिजन और आदिवासियों के छात्रों को भारत के बाहर किसी अन्य देश में किसी प्रकार की शिक्षा के लिये भेजा गया है?

(2) यदि हां, तो किस कौम से और कितने तथा कौनसी शिक्षा पाने के लिये कहां कहां भेजा गया और कब भेजा गया?

(3) यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्या सरकार को इन कौमों में से ऐसा विद्यार्थी नहीं मिला जिसे बाहर भेजा जा सके।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) शिक्षा के लिये विदेश भेजने के लिये छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य के बजट में इसका प्रावधान नहीं होता। भारत सरकार इसके लिये प्रति वर्ष आवेदन-पत्र प्राप्त कर योग्यता के आधार पर विदेश छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

परिवार नियोजन पर व्यय

480. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में परिवार नियोजन पर सालाना कुल कितनी धनराशि खर्च की जाती है? इस राशि में राजस्थान सरकार को भारत सरकार से कितनी सहायता मिलती है?

(2) परिवार नियोजन कार्य कब तक चलाया जावगा?

(3) क्या परिवार नियोजन में सरकार को सफलता मिल रही है?

(4) कितनी उम्र तक के मनुष्य की नसबन्दी की जाती है?

Page No 101

(श्री हंसराज आर्य)

(5) डाक्टरों की राय के बाद क्या यह मान लिया गया है कि इतनी उम्र से उपर की औरतों के बच्चा पैदा नहीं होता है ?

(6) 1 अप्रेल 69 से लेकर 31 मार्च, 70 तक कुल कितनी महिलाओं के लूप लगाये गये तथा कितनी महिलाओं के आपरेशन किये गये हैं ? कितने पुरुषों की नसबन्दी की गई तथा कितने पुरुषों को गोलियांदी गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(7) परिवार नियोजन कार्य की पब्लिसिटी पर सरकार द्वारा क्या खर्च किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) इस राज्य में वर्ष 1957-58 अर्थात् जबसे कार्य प्रारम्भ हुआ तब से फरवरी, 1970 तक प्रति वर्ष जो व्यय हुआ तथा भारत सरकार से सहायता प्राप्त हुई उसकी तालिका "क" सदन की मेज पर रखदी गयी है ।

(2) यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है और केन्द्रीय सरकार के निर्देशन पर चलाया जा रहा है और वे जब तक उचित समझेंगे चलाया जावेगा। इसके चलाये जाने की अवधि निश्चित नहीं है ।

(3) जी हां। अब तक की उपलब्धि के अनुसार अनुमानतः तीन लाख दस हजार नये जन्म रोके गये हैं ।

(4) नसबन्दी आपरेशन के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है । यह आपरेशन करने वाले चिकित्सक के विवेक पर निर्भर करता है कि वह आपरेशन कराने वाले व्यक्ति से पति-पत्नि की आयु, उनके बच्चों की संख्या तथा पति-पत्नि के स्वास्थ्य आदि के बारे में पूछताछ करके नसबन्दी किये जाने की उपयुक्तता पर निर्णय लें ।

(5) डाक्टरों की राय विशेषज्ञ राय होने के नाते सामान्यतया मानी जाती है ।

(6) 1 अप्रेल, 69 से 28 फरवरी, 1970 तक (मार्च, 70 अभी समाप्त नहीं हुआ) 18,394 महिलाओं के लूप लगाये गये तथा 4,313 महिलाओं के आपरेशन किये गये, 31,936 पुरुषों की नसबन्दी की गई पुरुषों को गोलियां नहीं दी जातीं ।

(7) इस वित्तीय वर्ष में 28 फरवरी, 1970 तक 2.99 लाख रुपये व्यय किये गये हैं ।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

नर्सिंग ट्यूटर को विशेष वेतन

173. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सच है कि 1-9-1961 के नये वेतन मान लागू होने पर नर्सिंग ट्यूटर को 50 रुपये विशेष वेतन देने का प्रावधान उस समय तक के लिये रखा गया था जब तक कि इस वर्ष के वेतन मान अलग श्रेणी में निर्धारित न कर दें ?

(2) क्या 1-4-1966 के वेतनमान में भी यही सिद्धांत स्वीकार करते हुए

(श्री श्रोमदत्त भाटी)

प्रशिक्षकों का विशेष वेतन कायम रखा गया था ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह विशेष वेतन हटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? जबकि सरकार दो बार विशेष वेतन का औचित्य स्वीकार कर चुकी है ?

(स्थगित किया गया)

पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डाक्टरों का सिलेक्शन

174. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1954 में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डाक्टरों के सिलेक्शन के लिए छः लिस्टें निकाली थीं ?

(2) क्या यह सही है कि इसमें से पांच लिस्ट तो कन्फर्म करली गईं और एक लिस्ट रोक ली गई ?

(3) एक लिस्ट रोकने का क्या कारण था ?

(4) क्या रोकी गई लिस्ट में सब क्लास फर्स्ट व स्टेट नोमीनेट डाक्टर थे ?

(5) क्या जो पांच लिस्ट कन्फर्म की गई उनमें क्लास टू डाक्टर भी थे ?

(6) क्या यह सही है कि रोकी गई लिस्ट सन् 1956 में कन्फर्म की गई ?

(7) क्या प्रश्न के भाग (5) में वर्णित डाक्टर क्लास टू होते हुए भी सन् 56 वालों से सीनियर हो गए हैं ?

(8) क्या यह सही है कि रोकी गई लिस्ट के डाक्टर्स क्लास फर्स्ट होते हुए भी प्रश्न के भाग (5) के डाक्टरों से जूनियर रह गये ?

(9) क्या सरकार इन लोगों को सीनियोरिटी में समान करने का विचार रखती है जबकि ये सब डाक्टर्स क्लास फर्स्ट हैं ?

(स्थगित किया गया)

डूंगरपुर कालेज में आदिवासी छात्र

218. **श्री महेन्द्रकुमार** (पाड़वा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस संस्था को पांच सालों में विभाग द्वारा किन किन कामों के लिए कितना कर्जा व सहायता दी गई है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या जो धनराशि संस्था को जिन कामों के लिए दी गई थी उसे समय पर उन्हीं कामों में खर्च कर के प्रमाण-पत्र विभाग को भेजा या नहीं ?

(3) क्या हर साल इस संस्था का आडिट शुदा हिसाब विभाग को भेजा जाता है ? यदि हां, तो व्यवस्था पर कितना खर्चा किया जाता है ?

(समाज कल्याण मन्त्री)

उत्तर

(1) प्राप्त जानकारी के अनुसार डूंगरपुर कॉलेज में वर्तमान में 61 छात्र हैं उनमें 52 को भारत सरकार के नियमों के आधार पर छात्रवृत्ति दी जा रही है।

(2) जी नहीं। इस वर्ष जिन जिन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है उनकी सूची व दर संलग्न है। सूची में दर्शायी गई दर के अलावा इन छात्रों को 40 रुपये प्रति माह अतिरिक्त छात्रवृत्ति और दी जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अपराह्न 1 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 12.02 बजे से 1 म० प० तक के लिए स्थगित की गयी)

विधान सभा की बैठक म० प० 1.06 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में पुनः प्रारम्भ हुई।

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री दिग्विजयसिंह, सदस्य, विधान सभा, ने दिनांक 27 मार्च, 1970 से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए आज्ञा की प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री रामानन्द अग्रवाल : एडजोर्नमेंट मोशन।

श्री बिरदाराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी मौका मिले दो मिनिट का।

श्री अध्यक्ष : अभी बैठ जायं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति का 26वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो गंगानगर का मसला है वह सब से बाद के दिन लिया गया है। मैंने पहले भी अर्ज किया था। इसलिए मुझे आपसे निवेदन करना है कि इसको 2-3 दिन पहले रखा जाय यानि 7 को इसको दो दिन के लिए लिया जाय और 10 तारीख को न रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : इसको देख लिया जायेगा। एडजस्ट कर देंगे 1-2 दिन पहले।

प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन से यह सदन सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि सिन्धु नदी जल समझौते के अनुसार कल दिनांक 1 अप्रेल, 1970 से इन नदियों का पाकिस्तान को जाने वाला पानी राजस्थान नहर के द्वारा राजस्थान को तथा कुछ पानी पंजाब प्रदेश को मिलने वाला था किन्तु केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार की शिथिलता के कारण उस पानी का अपने क्षेत्र में उपयोग न कर यह पानी पाकिस्तान को देने के संबंध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं निम्नांकित माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई हैं:

1. श्री भैरोंसिह, 2. श्री रामचन्द्र आर्य, 3. श्री भगवान दास शास्त्री, 4. श्री दौलतराम सारण, 5. श्री आईदानसिंह, 6. श्री केदारनाथ व 7. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आज ही उपयुक्त समय पर स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य देने की कृपा करें ।

मुझे जो और स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनका उल्लेख नीचे किया जाता है:

श्री दुर्गालाल वाड्दार, सदस्य, विधान सभा से राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर को संस्कृत शिक्षा विभाग में विलय कर इसके निदेशक के पद को तोड़ कर यह विभाग संस्कृत विभाग के निदेशक को सौंप दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें श्री गंगानगर में दो रोज पूर्व जनसंघ के प्रदर्शनकारी व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा अकारण लाठी चार्ज करने व पुलिस द्वारा फर्जी कार्यवाही कर कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है ।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 29 मार्च, 70 को गुरु गोविन्दसिंह कालेज के दीक्षान्त समारोह के अवसर पर पंजाब को चण्डीगढ़ दिये जाने के संबंध में दिए गए भाषण का जो अंश समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है उसका उल्लेख किया गया है । इसी आशय का एक स्थगन प्रस्ताव श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल, श्री रामकिशन व श्री नत्थीसिंह, सदस्य, विधान सभा से भी प्राप्त हुआ है ।

उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी मिलने पर उन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जानकारी करने का तो कोई....

श्री अध्यक्ष : इनके अतिरिक्त अन्य स्थगन प्रस्तावों की जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इस प्रकार हैं:

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने वैरी आयोग के प्रतिवेदन की फाईंडिंग्स के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई

(श्री अध्यक्ष)

आज्ञा के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर दिनांक 26 मार्च, 1970 को रखी गई थी। इस प्रश्न पर सदन में विशेष स्थितियों में विभिन्न पहलूओं पर कई बार चर्चा हो चुकी है।

केशोराय पाटन, जिला बूंदी में सहकारी शुगर मिल्स द्वारा गन्ने की गाड़ियां न लेने के कारण काश्तकारों का कटा हुआ गन्ना सड़ जाने व बाकी गन्ना खेतों में सूख जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केशरीसिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है। इस विषय में माननीय सहकारी मंत्रीजी द्वारा दिनांक 13 मार्च, 1970 को एक वक्तव्य दिया जा चुका है।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा से मिली है जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा सेकेण्डरी परीक्षा, 1970 का सामाजिक ज्ञान का प्रश्न-पत्र आउट हो जाने व अब उसकी परीक्षा दिनांक 14 अप्रेल, 1970 को ली जाने की घोषणा किए जाने का उल्लेख किया गया है।

हनुमानगढ़ सब-डिवीजन की विद्युत् वितरण व्यवस्था में अधिक ट्रिपिंग होने के कारण छात्रों की पढ़ाई में नुकसान होने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री बीरबल, श्री मनफूलराम व श्री हंसराज आर्य, सदस्य, विधान सभा ने दी है।

श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने निर्वाचन क्षेत्र, लाडनूं, जिला नागौर में एक मात्र अकाल राहत कार्य रींगणा से मीठडी सड़क के कार्य पर केवल 100 या 125 मजदूरों को काम पर लगाने व बाकी लोगों को मजदूरी पर न लगाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इसके अलावा दो पेंडिंग स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ये स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने सवाई मानसिंह अस्पताल में दिनांक 13 मार्च, 1970 को एक सत्याग्रही का उपचार न किये जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इसके उत्तर में राज्य सरकार द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें यह कहा गया है कि श्री सुखराम पुत्र श्री दीपाराम हरिजन को दिनांक 13 मार्च, 1970 को भर्ती किया गया था, उसके शरीर पर कई चोटें थीं, उसे मेडीको लिगल केस के रूप में लिया गया था। जहां आवश्यकता थी प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। उसके सिर में भी चोट थी। अतः उसे खाना देने से पूर्व निरीक्षण में रखना आवश्यक था। उसकी स्थिति के बारे में संतोष होने पर उसे खाना दिया गया तथा उसे तारीख 20-3-70 को एक्सरे के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना अजमेर नगर परिषद् के कर्मचारियों की 30 मार्च, 70 से आम हड़ताल पर जाने के संबंध में

(श्री अध्यक्ष)

श्री भगवानदास शास्त्री से प्राप्त हुई थी जिसके उत्तर में कहा गया है कि नगरपालिका-परिषद् के कर्मचारियों के वेतन का प्रश्न न तो राणावत आयोग को सुपुर्द किया गया था और न उक्त आयोग ने इस बाबत कोई सिफारिश की है। नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसके अतिरिक्त नगरपालिकाओं एवं नगरपरिषदों के कर्मचारियों को संशोधित वेतन एवं अलाउन्स को मिला कर वेतन दिए जाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन बतलाया गया है।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा प्रान्तीय विद्युत् जल फेडरेशन से किए गए समझौते से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार के उत्तर में यह कहा गया है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के साथ विद्युत्-जल मजदूर फेडरेशन के प्रतिनिधियों की जो वार्ता 13-3-70 को हुई थी उसमें श्रम आयुक्त भी उपस्थित थे और उसमें यह तय पाया था कि फेडरेशन अपनी मांगों के संबंध में विस्तृत रूप से श्रम आयुक्त से विचार विमर्श करे। इस विषय में विचार-विमर्श जारी है और श्रम आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

ऊपर बतलाए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो राज्यपाल महोदय के संबंध में स्थगन प्रस्ताव रखा है वह अखबारों के अन्दर, सभी जो दैनिक अखबार हैं उनके अन्दर वह रिपोर्ट छप चुकी है और उस रिपोर्ट के अनुसार, अध्यक्ष महोदय, यह डेली राजस्थान पत्रिका मेरे पास है, इसमें जो गुरु गोविन्दसिंह कॉलेज, चण्डीगढ़ में दीक्षान्त भाषण देते हुए राज्यपाल महोदय ने कहा....

श्री अध्यक्ष : मैंने इसमें जानकारी ली है, माननीय सदस्य !

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जानकारी तो सारे पत्रों के जरिये सारे माननीय सदस्यों को और सरकार को है....

श्री अध्यक्ष : जानकारी की आथेंटीसिटी का प्रश्न रहता है। कभी कभी यह देखा जाता है, पत्र इधर उधर से भी लिख देते हैं। कभी कुछ लिख देते हैं, इसलिए कन्टेन्ट ऑफ न्यूज पेपर का परीक्षण करना आवश्यक है। इस बात की जानकारी ली गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभी पत्रों के अन्दर वह खबर है कि चण्डीगढ़ के बारे में जो फैसला हुआ है, पंजाब को इसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी है, अबोहर और फाजिल्का हरियाणा को दे दिये गये हैं–यह बड़ी कीमत पंजाब को चुकानी पड़ी है। संत फतहसिंह की जान बच गई....

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब है कि कुछ जानकारी न की जाय ? कुछ जानकारी नहीं की जाय किसी कोर्नर से ? जो पत्रों में उल्लेख है, इस संबंध में अंश है इसके बारे में पूछा नहीं जाना चाहिए ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट को इस बारे में आठ बजे सूचना दे दी गई थी तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गवर्नमेन्ट इस बारे में अपना दृष्टिकोण फौरन प्रस्तुत कर सकती थी, इसमें कौनसी बात है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आखिर गवर्नर के संबंध में इसमें कहा है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं, क्या वह राज्य सरकार की नीति के अनुसार व्यक्त किये हैं ? क्या राज्य सरकार का भी यही मत है ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को जानकारी के लिए भेजा गया है, माननीय सदस्य !

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न है कि वह हमारे हैड ऑफ स्टेट हैं, तो क्या यह हैड ऑफ स्टट की तरफ से वक्तव्य माना जायेगा ? क्या राजस्थान सरकार का यह मत है कि चण्डीगढ़ के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी है....

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, क्या हैड ऑफ स्टेट को इस सदन में डिस्कस कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा, मैंने इसको जानकारी के लिए भेजा है। माननीय सदस्य इस पर विवेचन न करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी, अध्यक्ष महोदय, रामनारायणजी ने प्रश्न उठाया कि क्या हैड ऑफ स्टेट को इस सदन में डिस्कस कर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : इसमें नियमों का प्रश्न है, कोई कान्स्टीट्यूशनल इश्यू हैं–मैं इनका अध्ययन करूंगा और जानकारी के लिए भेजा गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कल रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : सुविधाजनक देख कर कल भी रख सकता हूं। मेरी सुविधा और सदन की सुविधा पर है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, आपने जानकारी चाही है वह जानकारी चाहना ठीक है। मेरा निवेदन इस संबंध में यह है कि राज्य सरकार की विज्ञप्ति निकले, राज्य सरकार के रेडियो इस समाचार को उछालें कि हमारे राज्य का जो राज्यपाल हैं वह यह कहता है....

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस पर विवेचन कर रहे हैं....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : चण्डीगढ़ के लिए पंजाब को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि जानकारी के लिए भेजा गया हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसका मतलब यह है कि राज्यपाल महोदय भारत के नागरिक नहीं हैं, वह अकेले पंजाब के नुमाइन्दे हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसलिए वह कहते हैं कि पंजाब डिवाइड होता जा रहा है, पंजाब छोटा होता चला जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैं निवेदन करूं....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ×××

श्री अध्यक्ष : इस पर प्रकाश न डालें। जब तक जानकारी न आ जाय और मैं इस प्रश्न को एलाऊ या डिसएलाऊ न करूं आप इस प्रकार न बोलें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो संविधान के इश्यू के लिए माननीय रामनारायणजी ने कहा....

श्री अध्यक्ष : कहां संविधान का प्रश्न आता है? मेरे सम्मुख सारे प्रश्न विचारणीय हैं। मैंने आपके सामने डिबेट के लिये नहीं रखा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करूं कि इसी सदन में सम्पूर्णानन्दजी के बारे में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। मैं निवेदन करूंगा इस पर विवेचन न करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हम यह एश्योरेन्स चाहते हैं कि कल, अव्वल तो हम यह चाहते हैं कि यह ऐसा मसला है, यह कॉन्स्टीट्यूशनल प्रश्न है जिसमें दो स्टेट में उल्टे झगड़ा कराने की बात है, इस लिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! फिर उसी पर बात करने लग गये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस पर आज स्टेटमेंट हो जाय या फिर कल स्टेटमेंट हो जाय–इस प्रकार का एश्योरेन्स आप दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैं बिजनैस ऑफ हाउस के संदर्भ में सुविधा की दृष्टि से और इस पर राज्य सरकार से जानकारी आने पर कल निर्णय दूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मसला है....

श्री अध्यक्ष : आप कहते जाइये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जिससे हिन्दुस्तान के जन मानस में विक्षोभ है कि ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! इस प्रश्न पर नहीं बोलें।

श्री मूलचन्द डागा : यह उन्होंने राज्यपाल की हैसियत से नहीं कहा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यहां के राज्यपाल महोदय कुछ कहते हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वह दूसरी बात कहते हैं....

श्री अध्यक्ष : अब मेरे पास क्या उपाय है आपका ? माननीय सदस्य !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, यह देखना पड़ेगा कि राज्यपाल महोदय ने एक व्यक्तिगत विचार रखा या राज्यपाल की हैसियत से रखा ? राज्यपाल महोदय अपने व्यक्तिगत विचार भी तो रखते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जायगा।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

Page No 109

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह गम्भीर मसला है। उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा की है.....

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प०): अजमेर हायर सेकेन्डरी बोर्ड की सेकेन्डरी परीक्षा का 28 तारीख का जो सामान्य विज्ञान का पेपर आउट हुआ है, उसके संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था। यह जो पेपर आउट हुआ है इससे राज्य सरकार को 20 हजार का नुकसान हुआ है....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य मुकुटबिहारीलालजी ने जो माननीय गवर्नर साहब के बारे में उच्चारण किया, उनकी डिग्निटी के हिसाब से वे शब्द प्रशंसनीय नहीं हैं और कहने भी नहीं चाहिए थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन शब्दों को आज की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री नत्थीसिंह : कौन से ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने कहा कि उनको पोलिटिक्स में आ जाना चाहिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ये असंसदीय शब्द हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कौनसे शब्द असंसदीय हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं उन शब्दों को देख लूंगा कि आपत्तिजनक हैं या नहीं !

श्री गिरधारीलाल व्यास : इन शब्दों को निकालना आवश्यक है, कोई इस प्रकार की बात गवर्नर के लिए नहीं कह सकते।

श्री मदनसिंह : उन्होंने यही कहा कि अगर वे इस तरह की बातें कहते हैं तो उन्हें पोलिटिक्स में आ जाना चाहिए। इसमें क्या आपत्तिजनक है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो गवर्नर महोदय ने स्टेटमेंट दिया है, डू यू एग्री विथ दी स्टेटमेंट ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह अलग है। जो बातें उन्होंने कही हैं, वे यहां नहीं कह सकते। देश के लिए यह उपयुक्त चीज नहीं है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन शब्दों को आज की कार्यवाही से एक्सपंज किया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय सदस्य सरकारी कोड़े की हैसियत से.....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो सीधा सा है, आपत्तिजनक है या नहीं है, उन शब्दों को मैं देख लूंगा....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कौन से ?...

श्री अध्यक्ष : जो भी शब्द हैं, अक्षर हैं या पंक्तियां हैं, उनको देख कर मैं निर्णय दूंगा।

श्री मदनसिंह : उन्होंने कोई आक्षेप नहीं किया, यही कहा कि ऐसा कहते हैं तो पोलिटिक्स में उन्हें आ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं हैं तो नहीं दूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैंने माध्यमिक शिक्षा बोड, अजमेर के लिए स्थगन प्रस्ताव

(श्री भगवानदास शास्त्री)

रखा था कि जो 28 तारीख को सामाजिक ज्ञान का पेपर होने वाला था उसके आउट हो जाने के कारण सरकार का 20 हजार का नुकसान हुआ है ? जब उस पेपर का पार्सल बालोतरा पहुंचा तो सील टूटी हुई थी....

श्री अध्यक्ष : मैंने उसे अस्वीकार किया है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : 20 हजार का घाटा हुआ है उसमें....

श्री अध्यक्ष : अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : मुझे शक है कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उन लोगों ने पेपर आउट करने में इस प्रकार की गड़बड़ी की है ....

श्री अध्यक्ष : मैंने स्वीकृत नहीं किया ।

श्री भगवानदास शास्त्री : 20 हजार का सरकार को घाटा हुआ है, यह मामूली पेपर का सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : वह है पर मैंने व्यवस्था दे दी । काफी बोल लिये आप, अब शान्त रहें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : आपने केशवरायपाटन शुगर फैक्ट्री के बारे में व्यवस्था दी । मंत्री महोदय ने उस समय वक्तव्य दिया था कि दो दिन में फैक्ट्री चालू हो जायगी, पर वह आज तक चालू नहीं हुई है । फैक्टरी उन गन्ना बोने वाले किसानों से गन्ना नहीं ले रही है, इसलिए उनको बड़ा नुकसान हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने स्वीकृति नहीं दी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्रीजी ने कहा था कि दो दिन में वह फैक्टरी चालू हो जायेगी, वह फैक्टरी अभी तक चालू नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : मैं उनसे पूछ लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न विरोधी दल के सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये आपके सामने रखा, राजस्थान केनाल से मिलने वाले पानी के बारे में, वह कितना महत्वपूर्ण है, इसका अन्दाज तो इससे लग जाता है कि पिछले दो तीन दिनों में देश के जितने भी लीडिंग पेपर्स हैं उन्होंने किसी ने पाकिस्तान से हमें मिलने वाले पानी के सम्बन्ध में अग्रलेख लिखे हैं, किसी ने टिप्पणी लिखी है, किसी ने लेटर टू दी एडीटर के नाम से इसके बारे में लेख प्रकाशित किये हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं ले रहा हूं उसको ।

श्री भैरोंसिंह : ले रहे हैं लेकिन हमारे देश के लिये ऐसा कोई अन्य मसला महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जिसके लिये पूर्व निर्धारित कार्यवाही को स्थगित करके चलें । कल रात को 12 बजे तक जो पानी हमको मिलना चाहिये, वह पानी पाकिस्तान को जायेगा । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें आपने स्टेटमेंट देने की व्यवस्था दी है तो केवल इससे न तो सदन को संतोष हो सकता है और न राजस्थान की जनता को और न देश की जनता को सन्तोष हो सकता है, इसलिये और सारे प्रश्नों को स्थगित किया जाकर इस पर माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य दिलायें । इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी और देश के

(श्री भैरोंसिंह)

सम्मान को जो बड़ा भारी आघात लग रहा है उसको बचा सकेंगे। इससे इम्पोर्टेन्ट और कोई मसला हो नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : मैं, जो संकल्प हैं, स्थगित कर दूं सब के सब ?

श्री भैरोंसिंह : स्थगन प्रस्ताव का मतलब ही यही है।

श्री अध्यक्ष : आपस में तय कर लीजिये।

श्री मदनसिंह : यह उतना ही इम्पोर्टेंट सवाल है जितना कि 50 करोड़ रुपयों की सप्लाई पाकिस्तान को की गई थी, वह इम्पोर्टेंट सवाल था। यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट सवाल है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमारा राजस्थान तो सूखा पड़ा रहे और हमें जो पानी मिलने वाला था, वह पाकिस्तान ले ले...

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न लिया जा रहा है। जैसा मैंने निवेदन किया कि स्थगन प्रस्ताव पर स्टेटमेंट देने का सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन किया है। इसके साथ ही साथ इस स्टेटमेन्ट के देने के बाद जो प्रश्न पूछे जायें, उन प्रश्नों के आधार पर मैं नियमों को थोड़ा उदारतापूर्वक देख कर आपको सहूलियत दे दूंगा बोलने के लिए।

श्री भैरोंसिंह : स्टेटमेंट दिलायें।

श्री अध्यक्ष : अभी ?

श्री भैरोंसिंह : जी।

श्री अध्यक्ष : अभी तो मैंने कहा, बिजनैस ले रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इससे महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं हो सकती, रात को 12 बजे के बाद तक भी बैठने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

आप (श्री रामप्रसाद लड्ढा की ओर अभिमुख हो) क्या कहते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपके हुक्म के माफिक यह वक्तव्य आज 4 बजे दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मुझे सुबह ही तो यह स्टेटमेंट दिया है। मैंने जितना जल्दी हो सकता था इनको टेलीफोन किया, कागज भेजे और इनके लिये भी कहूंगा कि इन्होंने भी जानकारी करने की पूरी कोशिश की। फिर भी आप यह डिबेट शुरू करें, इस बीच आप चाहें कि उसको स्थगित करके इसे ले लूं तो मुझे ऐतराज नहीं होगा। गैर सरकारी विधायी कार्य।

श्री भगवानदास शास्त्री !

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में आज ही स्टेटमेंट देना है तो वह कब होगा ?

श्री अध्यक्ष : आज वह देने का था ?

श्री भैरोंसिंह : आपने यह फरमाया था।

श्री अध्यक्ष : जानकारी नहीं आ पाई है, जानकारी आ जाने के आधार पर कहा था।

श्री भैरोंसिंह : यह कितना महत्वपूर्ण है ?

श्री अध्यक्ष : दो महत्वपूर्ण प्रश्न आज ले लेंगे तो न इस पर पूरी बहस हो सकेगी और न उस पर हो सकेगी।

श्री भैरोंसिंह : हम बहुत देर तक बैठने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : रात भर बैठने को ?

श्री भैरोंसिंह : यह तो गवर्नमेंट की तरफ से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर देते हैं, इसलिये इतनी देर लगती है। अगर सही तथ्य गवर्नमेंट की तरफ से रखे जायें तो इतनी देर लगने का सवाल ही नहीं...

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है आज स्टेटमेंट देने का ?

श्री भैरोंसिंह : आपने कल फरमाया था।

श्री अध्यक्ष : कहां ? यहां या बाहर ?

श्री भैरोंसिंह : आपने यहां भी कहा था और वहां भी कहा था।

श्री अध्यक्ष : तो मैं इस पर निर्णय दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : निर्णय दे देंगे या स्टेटमेंट दिलवा देंगे....

श्री विरदाराम (जालोर-सु०) : अध्यक्ष महोदय,.......

श्री अध्यक्ष : अरे भाई किस पर बोल रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : पानी पर।

श्री अध्यक्ष : पानी यहां नहीं है।

गैर सरकारी विधेयक (राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 1970) का पुरः स्थान

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन, विधेयक, 1970, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1970, को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किया गया।

संकल्पों पर विचार

दिनांक 4 अप्रेल 1968 को श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर अग्रेतर विचार।

श्री बिरदाराम (जालोर) : अध्यक्ष महोदय,.....

श्री रामानन्द अग्रवाल : व्यवस्था का प्रश्न है

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि समय निर्धारित किया जाय इस संकल्प के लिए और आगे आने वाले संकल्प के लिए। इस संकल्प पर पहले काफी विचार हुआ है, सरकार किस समय जवाब देगी यह बात निर्धारित की जाय ताकि दूसरा संकल्प आ सके।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह बिल्कुल ठीक है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वैसे इस पर बहस काफी हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर करीब 26 माननीय सदस्य बोल चुके हैं और मेरा विचार है कि श्री बिरदाराम को अवसर दिया जाय। फिर राज्य सरकार से जवाब के लिये कहा जायगा ।

श्री आईदानसिंह : पानी की समस्या सभी जगह है ।

श्री अध्यक्ष : आप तय कर लें, मुझे आपत्ति नहीं । एक घंटा दे दिया गया है मय रिप्लाई के ।

श्री भैरोंसिंह : पानी की समस्या बहुत विकट है ।

श्री बिरदाराम : अध्यक्ष महोदय, पानी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां खारा पानी है, वहां मीठे पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये। जहां मीठा पानी है, वहां गहरे कुए खुदवाकर ट्यूब वेल्स खुदवाकर योजना बनानी चाहिये । जहां जहां खारा पानी है, कई जगह हमने देखा है, मनुष्य मीठे पानी के लिए तरसता है, स्नान करता है, कपड़े धोता है, खारा पानी काम में लेता है तो मीठा पानी मनुष्य के लिये जरूरी है । सबसे पहले पानी की जरूरत पड़ती है । अनाज के बगैर काम निकल सकता है लेकिन पानी के बगैर दो घंटे भी मुश्किल मे निकल सकते हैं । मीठा पानी पीने वाला खारा पानी के गांव में जाता है और जब जब वह खारा पानी पीता है तो पेट में हजम नहीं होता है । इसलिए मीठे पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए ।

हमारे जालोर क्षेत्र में जो स्कीम्स हैं वहां नल योजना होनी चाहिए । केशवा गांव में स्कीम खोली है । उसमें नल जरूर होना चाहिए । मूडी गांव में नल है । अभी अभी साल भर पहले बताया गया था तो जल्दी से जल्दी नल योजना शुरू होनी चाहिए । बाकरा गांव में खारा पानी है, पानी की टंकी रहना जरूरी है और भी कई गांवों पीपलासन आदि में भी खारा पानी है, वहां मीठे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए । कुओं का पानी बीसा हो गया है, कम हो गया है । पहली फसल बोई गई, आज पानी कम पाया गया । कुओं को गहरा करवाया जाय जहां पानी नहीं है । इस साल अकाल, पिछले साल अकाल नदियां न बहने से, पानी बीसा हो गया है, उतर गया है, तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए । गरीब काश्तकार पैसे देकर, कर्जा लेकर काश्त करता है, उसकी हालत बहुत खराब है ।

पानी के बारे में यह भी निवेदन है कि हमारे जो बांध बनाते हैं हर बांध की स्कीम होती है । उसमें रोलर मिट्टी कूटने के लिए नहीं आया, अभी तक रोलर नहीं भेजा है, वह भेजना जरूरी है । मजदूर भी बेकार बैठे है इसलिये रोलर भेजें ताकि बांध स्कीम पूरी हो जाय ।

हमारे रातोकदा, फटकां और मंडा में नदियां बहती हैं उनका पानी फालतू गुजरात में जाता है । सिरकोर में रोककर वह पानी सासोर में दिया जाय तो कितनी एकड़ जमीन सिंचित हो जायेगी । उसको सासोर की तरफ मोड़ा जाय तो जनता को फायदा मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष : आप तो बहुत बातें बनाने लग गए । मुद्दे की बात कहिए ।

श्री मूलचन्द डागा : आप बैठे हैं इसलिए सुनाना चाहते हैं ।

श्री बिरदाराम : हमारी स्कीम बनी हुई थी कि नर्बदा नदी का पानी जालोर व बाड़मेर जिले में आएगा तो जल्दी से जल्दी वहां नर्मदा का पानी हमारे जालोर में आना चाहिये । उसकी व्यवस्था जल्दी करें और नर्मदा का पानी हमारे जालोर में आना चाहिये । उसकी व्यवस्था जल्दी करें और नर्मदा का पानी हमारे क्षेत्र में लाया जाय तो हमारा इलाका गंगानगर से बढ़िया हो सकता है । वह ऐसी जमीन है कि नर्मदा के पानी आने से फायदा होगा । उसको मोड़ा जाय तो काफी जमीन में सिंचाई होगी । जनता को कुछ लाभ मिलेगा । सरकार से बार बार हमने कहा है कि नर्मदा की स्कीम जरूरी है, उसकी तरफ सरकार ध्यान दे ।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी पानी के मामले में जिक्र करना चाहूंगा । 23 वर्ष हो गये, यह सब ही अनुभव करते हैं कि हमारी मुख्य समस्या पानी की समस्या है । हवा और पानी । हवा तो मिलती है लेकिन पानी तो प्राकृतिक साधनों और हमारे प्रयत्नों से ही मिल सकता है । हमने इस ओर सक्रिय प्रयत्न नहीं किया उसका नतीजा है कि कई गांवों में पीने के पानी की बड़ी समस्या है । पांच पांच, छः छः मील दूर लोगों को पीने के पानी के लिये जाना पड़ता है । सरकार उस माने में कुछ सक्रिय होकर और कदम उठाकर कुछ योजना बनाये । सरकार ने यह घोषणा की थी कि एक माइल से अधिक पानी के लिए लोगों को नहीं जाना पड़ेगा । इस योजना के अनुसार सरकार चले तो राज्य के पेय जल की समस्या हल हो सकती है।

गत साल पेय जल की समस्या को हल करने की बात कही गयी । लेकिन एक भी जगह पर मेरे क्षेत्र में पेय जल की समस्या हल नहीं हुई है । रींया गांव है । 8 हजार की आबादी है । रेण ग्राम है 16,400 की आबादी है और ग्राम पेय जल योजना बनायी, पेय जल वितरण योजना बनाई लेकिन लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कोई जल की व्यवस्था नहीं की । वहां पर ट्रक खराब हो जाने से सात दिन से पानी नहीं पहुंचा है । मेरे क्षेत्र में, मेरे तहसील में पेय जल के लिये हाहाकार मचा हुआ है । लाकोला, बरड़ इस प्रकार के पचासों गांव हैं जहां पर चार चार पांच पांच मील दूर से पानी लाना पड़ता है । गत साल निवेदन किया था कि जहां पर पानी की बहुतायत है वहां पर कुए खुदवाये जायं और पाइप के द्वारा वहां से पानी पहुंचाया जाय लेकिन राज्य सरकार ने 12 महीने से तो कोई कार्यवाही नहीं की और अब भविष्य में क्या कार्यवाही करेगी यह सरकार ही जाने । यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेय जल की समस्या हल नहीं होती है तो विकास का राज्य सरकार दावा करती है और सुख सुविधा देने की बात करती है तो वह केवल भ्रम है । सबसे मुख्य समस्या है वह पेय जल की समस्या है । मेरे क्षेत्र में 20-25 गांव ऐसे हैं जहां पर कुए हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है । राज्य सरकार थोड़ा ध्यान दे और कुओं को गहरा करवा दे तो पेय जल की समस्या पूरी हो सकती है । कई जगह पर कुए नहीं हैं और तालाब होते हैं, वर्षा होती है तो पानी मिलता है और गर्मी में हाहाकार मच जाता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार यदि पेय जल की समस्या को हल करना चाहती है तो कुए खुदवाये जायं तब ही वह वहां व्यवस्था हो सकती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री गोरधन सोनी)

इसके सिवाय जहां पानी की कमी है और कुएं खुदवाये जाने पर भी पानी न निकले वहां से पाइप द्वारा पानी दिया जाय। यह इतना महत्वपूर्ण है कि इस ओर सरकार को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, हर माने में हमारे सामने यह कहा जाता है कि पैसे की कमी है। इस पर भी हम सब यह महसूस करते हैं कि पेय जल की एक अहम समस्या है और सरकार को सर्व प्रथम इसको प्राथमिकता दनी चाहिये। हम कोओपरेटिव के पैसों का दुरुपयोग करते हैं, और पंचायतों को और पंचायत समितियों को पैसा देते हैं इस सब पैसे को बचा कर पेय जल में लगा दें तो लोगों को राहत मिलेगी। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह दांता।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान में पेय जल का प्रश्न है, 22 वर्ष के राज्यकाल में आज भी गांवों से यह आवाज आती है कि पीने का पानी नहीं है, उसकी बड़ी समस्या है और उसके लिये व्यवस्था होना अनिवार्य है।

श्री रामचन्द्र आर्य : दो करोड़ जनता को सरकार ने पानी पिला दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में कहां आ गये हो? ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : पीने के लिये पानी नहीं और लोग प्यासे मर रहे हैं। बार बार आवाज उठाते हैं तो आश्वासन दे देते है। लेकिन करते कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष : इत्यलम। इत्यलम।

श्री रामचन्द्र आर्य : सही तौर पर सरकार का कदम नहीं उठता है। बार बार इसको यहां उठाने से भी कोई लाभ नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : रूल्स में यह अमेन्डमेन्ट होना चाहिये कि रामचन्द्रजी और मुकुटजी का एक एक स्टेटमेंट तो हो ही जाना चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : स्टेटमेंट नहीं। सरकार को रोना है।

श्री अध्यक्ष : फिर उत्तेजित किया है।

श्री विजयसिंह : आपको 15 मिनिट भी नहीं बोलने देना चाहते।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री मदनसिंह : आज राजस्थान के मंत्रियों के द्वारा भाषण होते हैं, बड़ी बड़ी खर्चे की योजनायें पेश होती हैं और वित्त की कठिनाई के समय में भी बड़े बड़े फिजूल खर्चे किये जाते हैं। विदेशों के लोग राजस्थान को देखने के लिये आते हैं। उदयपुर और जैसलमेर जाते हैं। विदेशी लोग घूम कर क्या विचार रखते हैं अपने बारे में इस सरकार को 20 वर्ष के शासन के बाद भी लज्जा नहीं आती, वह तो आनी चाहिये। विधान सभा में सदस्य लोग राजस्थान में पीने के पानी के लिये प्रश्न उठाते हैं। पानी होते हुए भी हरिजनों के लिये क्या क्या दिक्कतें हैं। दस वर्ष से त्राहि त्राहि कर रहे हैं लेकिन उनके मोहल्लों में नल योजना नहीं हो सकी। अच्छे 2 मोहल्लों में तो नल और बिजली लग जावेंगे लेकिन हरिजनों के मोहल्लों में नल नहीं हैं। इस संबंध में कई प्रस्ताव आये, स्थगन प्रस्ताव

(श्री मदनसिंह)

भी आये। मेरे क्षेत्र में भी गांवों ने इनकी योजना के माफिक रुपये इक्कट्ठे किये। हरिजनों के लिये भी किये। स्वयम् दांता में इतनी कोशिश करके रिप्रेजेन्टेशन दिये लेकिन दांता के हरिजनों के लिये नल और टूंटी का प्रबन्ध नहीं किया। खुदा न खास्ता रुपया मिल गया तो हरिजनों को कुओं पर नहीं चढ़ने देते। राजस्थान के हरिजनों को जिनको आप भगवान मानते हैं, कुओं के नीचे प्याऊ भरी जाती है, जहां पर भैंसें पानी पीती हैं वे लोग वहां से डोली भर भर कर पानी पीते हैं। मेरे क्षेत्र कोचार और खूड में 17/17 हजार रुपया जमा हुआ। तीन तीन दफा रिप्रेजेन्टेशन दिये। रुपये जमा किये उनका व्याज कौन देगा। खूड की दरख्वास्त आयी। सेठ जिनसे रुपये लिये वापिस लेना चाहते हैं। हमने दानवीर से जाकर रिक्वेस्ट की थी। सत्रह सत्रह हजार रुपया दे दिया। यह कह कर कि खूड क्षेत्र दांता ठाकुर का क्षेत्र है इसलिये नहीं। राजनीति के आधार पर यह डिसाइड करते हों। अन्न को रोका जाय, पानी को रोका जाय और हवा को रोका जाय।

श्रीमती सुमित्रा (राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगी कि जो बातें कटौती प्रस्ताव पर बोलनी चाहिये थीं वह अब बोल रहे हैं। हाउस के सामने जो रिजोल्यूशन है उसके कन्टेस्ट में बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया: यह समस्या नहीं बतायें आपको तो कैसे मालूम होगा?

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। रिलेवेन्ट प्रश्न पर चलें।

श्री मदनसिंह: मुझे दो मिनिट नहीं बोलना पड़ता तब भी आप से चाहूंगा कि किस पर सीमित बोलूं।

श्री अध्यक्ष: आप सजेशन मत लीजिये। यह मैं दूंगा। इनको नहीं है अधिकार।

श्री मदनसिंह : पानी के लिये आपने कोताही की और मैंने सूचना दी कि टूंटी लगा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सदन की सम्मति है कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की समस्या के शीघ्र हल हेतु एक ग्रामीण पेय जल समस्या निवारण बोर्ड की स्थापना की जाय।

श्रीमती सुमित्रा: ग्रामीण पेय जल समस्या निवारण बोर्ड की स्थापना की जाय। यह है।

श्री मदनसिंह : हर शब्द के बाद कहूंगा बोर्ड के....

श्री रामचन्द्र आर्य: हारे हुए एम० एल० ए० को इसमें लगा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: अभी तो बना नहीं है।

श्री मदनसिंह : सरकार की ओर से कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

जल व्यवस्था के कार्य को सरकार जो पूरा नहीं कर पा रही है उसके लिये कम से कम ऐसे बोर्ड की स्थापना की जाये जो वहां जाकर इसका निरीक्षण करें और दूसरे कार्यों को भी देखे। आज अध्यक्ष महोदय, अमेरिका से लोग आते हैं और हमारे लिये पानी की व्यवस्था कर जाते हैं। यह हमारे लिये लज्जा की बात है कि एक फॉरेनर आकर गांव में घूमे और काइन्ड में कोई चीज देकर राजस्थान

(श्री मदनसिंह)

की जनता के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करें और हमारे ये मंत्री लोग, और ये सारी चीजें जो हमारी ही हैं, हम यह काम नहीं कर पा रहे हैं। आज राजस्थान की जनता पीने के पानी के लिये तरसती है। राजाओं के टाइम पर आप लोगों ने जनता को विश्वास दिलाया था कि आजादी के बाद हम कैसे तूफान कर बैठेंगे परन्तु आज आप पीने के पानी का भी प्रबन्ध नहीं कर पाये, जिसके राज्य के अन्दर पानी पीने के लिये न मिले, जिसके राज्य के अन्दर पहनने को कपड़ा न मिले, जिसके राज्य के अन्दर कपड़ा सस्ता न हो, पानी सस्ता न हो, वहां क्या उम्मीद की जा सकती है। आज भी डेगाना के अंदर मोटरों में लाकर पानी पिलाया जाता है। जहां पानी स्टोर किया जाता है। तालाबों के अन्दर जहां पानी में मेंढक, सांप, बिच्छ पड़े रहते हैं उस सड़े पानी को राजस्थान के नागरिक को पीना पड़ता है। यह भी आप नहीं करते कि उसकी सफाई कर दें। आज वहां पर भैंस, गाय, गधा पानी पीता है वही पानी जनता को पीना पड़ता है, वह पानी सड़ा हुआ होता है और हमारे मंत्रीगण खस की टट्टियों में बैठे रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। वे गांवों में जाकर जनता की दिक्कतों को नहीं देखते कि जनता को किस तरह से जानवरों की तरह पानी पीना पड़ रहा है इन्ही शब्दों में मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि इन बड़ी बड़ी योजनाओं को आप छोड़िये और गांवों में जाइये और तपस्या करिये और गांवों की आम जनता, जिसने आपको वोट दिये हैं, उनकी तकलीफों को मिटाने के लिये आप प्रयास करिये।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद सरकार ने बहुत सी योजनाएं अपने हाथ में लीं और बहुत सी पंचवर्षीय योजनाएं भी। गांव गांव के अंदर इतनी सड़कों की आवश्यकता नहीं है जितनी बिजली और पानी की आवश्यकता है। सबसे पहले सरकार, राजस्थान सरकार यदि पानी की योजना बनाती तो आज हमारे सामने जो स्थिति है वह नहीं होती। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सब से पहले महत्व इस को दिया जाना चाहिये था, जिसको प्रीफरेंस दिया जाना चाहिये था, वह पानी को दिया जाना चाहिये था। तो अब भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले महत्व पानी को दें, जो भी योजना बनावें, उसमें पानी के लिये भी स्थान रखें। इस संबंध में एक निवेदन यह भी करूंगा-मकराना एक कस्बा है। वहां मैं बताऊं 25 हजार की आबादी है और इस आबादी में 150 फैक्टरीज हैं मारबल्स की और उनको पानी चाहिये। परन्तु गांवों के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। वहां के लोग एक एक बूंद के लिये तरसते हैं। सरकार यह कहती है कि 28 लाख की योजना है। सरकार यह कहती है कि सरकार योजना चालू कर रही है। आप कहते हैं यह कर रहे हैं, यह कर रहे हैं परन्तु काम वास्तव में कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ कागजों में बता देते हैं कि यह हो रहा है, वह हो रहा है। कभी आप कहते हैं बीमा विभाग से लोन ले रहे हैं, एक करोड़ 20 लाख का लोन मांगा है। वह लोन अब आपको मिल भी गया है। अब आप यह कहते हैं कि कुचामन, नावां, परबतसर तीन शहर आते हैं। आप कहते हैं हमारे पास इतनी योजना है और तीन लाख स्वीकृत करते हैं और टंकी से पानी लाकर पिलाते हैं। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अध्यक्ष

(श्री विजयसिंह)

महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह से रामसिया और परबतसर तहसील के गांव हैं, वे 23 गांव हैं जहां पर पीने के पानी की कमी है और पानी द्वारा खारा है और ऐसा है कि जिसको पीने से हाथ बल खा जाता है, पैर बल खा जाते हैं, शरीर बल खा जाता है। 16 वर्ष की उम्र के लोगों के शरीर बल खा जाते हैं और उनकी आयु कम हो जाती है। ऐसी विषमता है और सरकार ध्यान नहीं देती है और पूछा जाता है तो सरकार की ओर से कहा जाता है काम हो रहा है। अभी पिछले दिनों मेरे क्षेत्र में अकाल राहत मंत्री जी दौरे पर गये। उनके दौरे में ऐसा बताया गया जैसे पानी वे ही लेकर आ रहे हैं, पानी कोई लेकर आ रहा है तो वही लेकर आ रहे हैं, जैसे गंगा को बहाने वे ही जा रहे हैं और जहां जहां वे गये दो चार टंकियां उनने खोल दीं। इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। वे हम को साथ लेकर जाते तो वास्तविकता क्या है यह हम उनको बताते। गांव के लोग उन तालाबों का पानी पीते हैं जहां पर गाय, बैल पानी पीते हैं। जिनके घरों में होद हैं उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है परन्तु जो गांव के तालाबों का पानी पीते हैं, उनकी मुसीबत हो जाती है। इसलिये आप अच्छे तालाब बनायें। उधर गच्छीपुरा नाम का एक स्थान है। कहते हैं कि वहां पर पानी की बहुतायत है। वहां से पानी लाने की आप व्यवस्था करें परन्तु इस प्रकार से नहीं कि 4 टंकियां खोल देंगे फिर गर्मियों में क्या होगा? कितनी मुसीबत का सामना लोगों को करना पड़ेगा इसलिये मेरा निवेदन है कि जो खर्च आप करें वह एक साथ करें तो इससे बहुत से गांवों की समस्या हल हो सकती है। नागौर जिला, अध्यक्ष महोदय, दूसरा गंगानगर बन सकता है अगर पानी का इन्तजाम वहां पर कर दिया जावे। वहां पर जमीन बहुत है और वह उपजाऊ भी है। जमीन की कोई कमी वहां पर नहीं है। नागौर जिले को आप चमन करना चाहते हैं, जो कई सालों से इस मामलों में पिछड़ा हुआ है, जहां के लोग पानी के लिये तरसते हैं, तो आपको हर तरह से इसकी ओर ध्यान देना होगा। जैसलमेर भी एक ऐसा ही जिला है। जहां पर एक बूंद भी पानी नहीं बरसता है। वहां के लिये आपने क्या किया? इसके लिये कोई सोल्यूशन आप क्यों नहीं करते? कोई स्कीम इसके लिये लागू करते? जैसे ट्यूब वैल की आपकी स्कीम है, उसके तहत ही आप काम करते तो शायद अकाल की यह समस्या नहीं उठती। शायद अकाल की यह समस्या हमारे सामने नहीं आती जिसके लिये आपने 50 करोड़ खर्चा किया है। अगर यह पैसा पानी में लगाते तो यह फैमिन की समस्या आपके सामने नहीं आती, जो पशुधन खराब हो रहा है, जो मवेशी आपकी मर रही हैं, वह आपके सामने नहीं होतीं और इसका इतना नुक्सान हो रहा है यह दो साल बाद आपको मालूम पड़ेगा, आज आपको यह मालूम नहीं पड़ रहा है। इसको गहराई से सोचें। इसके बहुत बड़े और बुरे परिणाम निकलेंगे। आज लोगों को कितनी दूरी से पानी लाना पड़ता है और किस तरह से लाना पड़ता है यह वे ही जानते हैं। उनको कई जगह पर मारपीट करनी पड़ती है, कहीं उनको मार पड़ती है, कहीं वे लोगों को मारते हैं। इस तरह की पानी की समस्या है और पानी की समस्या के कारण गांव का गांव उजाड़ हो जाता है। क्या भारत की आजादी के लिये यह अच्छी बात है? क्या भारत की आजादी इसी को कहते हैं? मैं यह कहूं सोने की थाली में एक चांदी की महक है यह। यह आपको शोभा नहीं

(श्री विजयसिंह)

देता । अगर आप भारत को चमन बनाना चाहते हो, वास्तव में वापिस भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो गांव गांव में पानी को ले जावें, घर घर में पानी की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी और खासतौर से ऐसे गांवों में.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहां कि लोग गरीब हैं, हरिजन लोग रहते हैं, जिनके मोहल्लों के अन्दर गरीबी छाई हुई है, उस जगह आपको पानी को ले जाना पड़ेगा । आपको उनकी आतुरता देखनी चाहिये । सरकार को जब जब भी यहां कहा जाता है, हमें यह सुनाया जाता है हम पानी ला रहे हैं ? परन्तु यह कहते कहते तीन साल गुजर गये । जब उनसे वोट लेना होता है, आप उनके पास जाते हैं । यह आपके लिये सौभाग्य की बात है मंत्री महोदया आपके खुद के लिये कह रहा हूं कि इस प्रकार की सरकार की नीति चल रही है । मुझे मालूम है कि जो यह राजस्थान की समस्या है उससे आप पूर्णतया परिचित हैं, परन्तु यह तभी हल हो सकती है जब कि जो दूसरे फालतू कामों में सरकार का पैसा लग रहा है उसको आप पानी के लिये लीजिये, यदि आप यह चाहती हैं कि राजस्थान के गांवों का चमन हो (घंटी) राजस्थान को अगर चमन करना है तो पानी की इस समस्या को हल करना पड़ेगा तभी राजस्थान की उन्नति हो सकेगी । इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री शीशराम ।

(2 म० प०)

श्री शीशराम पूनिया (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण जल योजना के संबंध में चर्चा चल रही है.....

श्री अध्यक्ष : शीशरामजी आप तो बोल चुके हैं ।

श्री शीशराम : मैं नहीं बोला हूं । अध्यक्ष महोदय, आज हाउस के सामने ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल बोर्ड की स्थापना के लिये रेजोल्यूशन आया है । ग्रामीण पेय जल की समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है । यह समस्या ऐसी है, जिसमें हिन्दुस्तान में राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जहां कि काफी जिलों में पीने के पानी की समस्या है । लेकिन उस समस्या को अभी हल नहीं कर पाये हैं । मैं इस बात को लेकर चलता हूं कि राजस्थान के ग्रामीणों के लिए पेय जल के लिये व्यवस्था होनी चाहिए । इस समस्या का हल होना चाहिये या लेकिन सरकार द्वारा इस ओर किंचित्मात्र भी ध्यान नहीं दिया गया । सिवाय इसके कि कुछ बड़े बड़े कस्बों में वाटर वर्क्स बनाने के उन जगहों के लिये पीने के पानी की फैसीलिटीज को प्रोवाइड करने के अलावा देहातों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नही दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं चूरू जिले की समस्या की ओर सरकार का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं । चूरू जिले में 900 गांव हैं इन गांवों में पीने के पानी की समस्या इतनी जटिल है कि वहां के वन-थर्ड गांव में मीठा पानी है, बाकी के वहीं पर ऐसे गांव हैं जिनको दस माइल से पानी लाना पड़ता है । इस आजादी के जमाने में भी इन्सान को पीने के पानी के लिये इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है । इस प्रजातन्त्रीय सरकार में भी पीने के पानी की समस्या का हल नहीं है । इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है ?

(श्री शीशराम)

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं । राज्य सरकार ने इस पानी की समस्या का नाम मात्र हल करने के लिये अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड बनाया है । जिसकी पांच, चार मीटिंगें भी हो चुकी हैं । उसकी प्रोसीडिंग्ज के आधार पर कह सकता हूं कि वह केवल दिखावा मात्र है और कुछ नहीं है । उसका मैं भी एक सदस्य हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : तो फिर उससे आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते ?

श्री शीशराम : इस्तीफा दे देने से ही अगर आपको स्थान मिल सकता है तो मैं दे सकता हूं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : शर्म की बात है चुल्लू भर पानी भी तो नहीं मिलता डूबने के लिये तो इतना ही काफी है ।

श्री शीशराम : डूबना चाहें तो आप रेत में भी डूब सकते हैं पानी की क्या जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष : फिर पानी का जिक्र क्यों कर रहे हैं ?

श्री शीशराम : इस बोर्ड में जो प्रोसीडिंग चली है सिवाय इसके कि इसमें आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं वे मीटिंग्ज में रख दिये गये । प्रोसीडिंग को पढ़ा जाय तो उसमें आंकड़ों के सिवाय कुछ बात नहीं है । जब योजना की बात आयी तो कहा कि धन का अभाव है । और जब हम इसके लिये राज्य सरकार से बात करते हैं धन तो बहुत है एक्जीक्यूशन गलत है । समस्या ही ऐसी है जिसमें डिले हो रही है । राज्य सरकार द्वारा जो बोर्ड बनाया गया है मैं उसके लिये सोचता हूं कि उसे समाप्त किया जावे । इसके लिये जो रेजोल्यूशन आया है कि ग्रामीण इलाके की पेय जल योजना के लिये इस किस्म के बोर्ड की स्थापना की जाय । इस बोर्ड में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिये जो इस समस्या के बारे में समझते हों इस समस्या के समाधान के लिये अपने सुझाव दे सकते हों, टैकनिशियन्स हों, इस चीज की जानकारी रखने वाले हों और जो इस समस्या का हल निकाल सके और राज्य सरकार को सुझाव दे सकें ऐसे व्यक्तियों को रखा जाना चाहिये ।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस पानी की समस्या के लिये जो हमारा जिला हरियाणा से लगता है, पंजाब से लगता है, उसके बारे में कहना चाहूंगा । जो हालत हमारे जिले की है वही हालत हरियाणा के हिसार जिले की है । भिवानी तहसील है उसके लिये वहां की सरकार ने एक एक गांव और घर घर में पानी की और बिजली की व्यवस्था कर दी है । सिचाई की व्यवस्था नहीं है लेकिन पीने के पानी की समस्या को वहां हल किया है । इसी तरह से आप भी हमारे इस इलाके के लिये पानी का टैंक बना सकते हैं और पाइप द्वारा पानी दे सकते हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : वहां के एम० एल० एज० में यह ताकत है कि वे वहां की सरकार को बदल सकते हैं अगर आप भी यह धमकी दें तो छः महीने में इन्तजाम हो सकता है ।

श्री शीशराम : आप स्वयं अपने आपको तो बदलो आप अनुशासन तो जानते ही नहीं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : पीने के लिये पानी ही नहीं मिलता अनुशासन आयेगा कहां ?

श्री शीशराम : आप बीच में बोले नहीं मैं भी आपसे ऊपर का बोलने वाला हूं । मुझे आप दबा नहीं सकते । गवर्नमेंट बदलना है तो वोटों से बदलो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रामनारायणजी को बुला लीजिये ठीक जच जायगा मामला ?

श्री अध्यक्ष: ऐसा हो सके तो मुझे राहत मिल सकती है ।

श्री शीशराम : हरियाणा जैसा छोटा राज्य जिसकी आर्थिक स्थिति हमारे से सुदृढ नहीं है उसने भी अपने इलाके में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है तो क्या हम नहीं कर सकते ?

(2.05 म० प०)

(श्री पूनमचन्द **बिश्नोई**, उपाध्यक्ष पदासीन)

इस प्रजातंत्र के युग में हमारे राजस्थान के इलाके भादरा तहसील में, नोहर, सूरतगढ तहसीलों में इसके लिये नहरों से पानी लेकर पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है लेकिन सरकार ने इस ओर बिशेष ध्यान नहीं दिया है । अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट स्कीम बनाई थी कि किन किन गांवों में पानी दिया जायेगा । उस योजना को केवल योजना बनाकर छोड़ दी इसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ । स्कीम बनाकर छोड़ना एक तरह से भुलावे में डालने वाली बात है इसके सिवाय और कुछ नहीं है ।

मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि पानी के सिवाय दूसरी चीज मनुष्य के जीवन लिये और कोई नहीं और सब चीजें बाद में आती है । पीने का पानी होना सबसे पहले जरूरी है । इस समस्या को ध्यान में रख कर इस रेजोल्यूशन के अनुसार व्यवस्था की जाय मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आईदानसिंह ।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेय जल की सबसे बड़ी समस्या पश्चिमी राजस्थान के इलाके में है, यह रेगिस्तान का इलाका है और उससे लगता हुआ पाकिस्तान का बोर्डर है । पश्चिमी राजस्थान के जिले जालोर, बाड़मेर और कुछ हिस्सा बीकानेर का है उपाध्यक्ष महोदय, पानी और हवा यह एक ईश्वरीय देन है । हवा को तो कोई रोक नहीं सकता । लेकिन पीने के पानी के लिये बाड़मेर जालोर आदि जिलों के लिये योजनाओं के जरिये आप पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें आप सिचाई के साधन बढा रहे होंगे लेकिन छोटे छोटे बांध पाली और सिरोही में जो बन्धवा रहे हैं मैं उनके लिये निवेदन करना चाहूंगा आने वाले कुछ वर्षों में जवाई बान्ध से लेकर उम्मेदाबाद तक के इलाके के लोगों को पेय जल के लिये जरूर वंचित कर देगा ।

आज भी इस पूरे ही इलाके में पीने के पानी की समस्या किसी से छिपी नहीं है। जवाई बान्ध के बनने से पहले ऐसी रिपोर्ट दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि इसके ऊपर बान्ध बान्धने से इसका असर आहिस्ता आहिस्ता आगे के इलाके के ऊपर पड़ेगा और आज उसका परिणाम हम सामने देख रहे हैं। जालोर कस्बे में और शहर में जहां कम से

(श्री आईदानसिंह)

कम 250 कुए थे और जिनमें पहले सेजा आती थी पानी की और वे बराबर पानी से भरे रहते थे, इस कस्बे के लोगों को पीने के पानी की कोई कठिनाई इन कुओं में बराबर पानी भरे रहने से नहीं होती थी। पर इस वान्ध के बनने के इतने अरसे बाद अब वे सारे कुए सूख रहे हैं और परिणाम स्वरुप आज इस इलाके में पेय जल की समस्या खड़ी हो गई है। ट्यूब वैल्स में भी पर्याप्त मात्रा म पानी नहीं आ रहा है। जहां पहले पानी सरप्लस था इन कुओं के कारण और नदी में पानी आते रहने के कारण सरसब्ज था आज वीरान हो गया है और शहर तक में पीने को पानी नहीं है। कारण इसका क्या है? नदी में पानी बान्ध के कारण कई वर्षों से नहीं आया और कुछ वर्षों से इधर फेमीन भी पड़ गया। तो इसलिये निवेदन करूंगा कि कोई भी बान्ध बान्धने से पहले कम से कम आप यह जरुर देखें कि इसका असर नीचे के इलाके पर क्या पड़ सकता है तत्काल या आने वाले जमाने में।

जहां तक मेरे सुनने में आया है एक चीफ इन्जीनियर की अध्यक्षता में कमेटी सरकार ने नियुक्त की है जो इस तरह से बन्धने वाले बान्धों की सर्वे करेगी। उनकी सर्वे रिपोर्ट पर ध्यान देकर पेय जल की समस्या हल करने के लिये निवेदन करूंगा कि आप इस पर जोर दें ताकि लोगों को पीने का पानी मुहय्या हो सके।

दूसरा निवेदन यह करूंगा कि कम से कम आपने जिन गांवों से रुपया लेकर पेय जल देने के नाम से आज तीन चार और पांच पांच सालों से बैठे हुए हैं उनके पानी का थोड़ा बहुत बन्दोबस्त अवश्य कर दें। मैं नहीं कहता कि आप नल उनके घरों में ले जाकर दे दो, पर कुछ ऐसी एक जगह या सार्वजनिक जगहों पर तो कनेक्शन दे दो जहां से आकर लोग ले जावेंगे। आपने रीजनल पाइप लाइन स्कीम बनाई। इसलिये आपके हम आभारी हैं। लाखा के कुए से लेकर 20 मील तक पानी ले जाया गया है। बीच में जो गांव पड़ते हैं और जिनसे पैसा भी ले लिया गया है उनकी भी जरुरत को देखते हुए पानी दिया जाना चाहिये।

तीसरी बात 250 नल कूप खोदे जाने वाले थे उनमें से करीब 160 ही खोद पाये हैं और इनमें से 144 के करीब सफल हुए हैं इनमें से कुछ तो एग्रीकल्चर वालों ने ले लिये। फिर भी आप उनका पूरा यूटीलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं और आगे अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा वहां सिर्फ आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। अकाल के दिनों के लिये काम करने हेतु कुछ रिग्स खरीदे गये हैं जिनका उपयोग न अकाल विभाग कर रहा है न वाटर बोर्ड। तो कुछ नल कूप बाकी रह गये हैं 145 के करीब तो उनमें ये रिग्स काम में ली जाकर उन जल कूप्स को पूरा करा लिया जाय तो पानी की समस्या हल करने में कुछ सीमा तक मदद मिलेगी।

पानी आपके सिरोही और पाली की तरफ से जालोर में आ रहा है ऐसी स्थिति में कृपया उधर कोई बांध आप अब न बनावें। फिर इनको सर्वे कराइये और अगर कोई बान्ध की योजना है तो उसे बन्द कर दीजिये। इस इलाके को अब और पेय जल से वंचित करने का काम मत करिये।

श्री माधोसिंह (उप-मंत्री) : कौनसे बान्ध की कह रहे हैं, कहां पानी रोका जा रहा है?

श्री आईदानसिंह: जवाई बान्ध आपने बान्धा है क्या आप इससे डिनाई करेंगे।

श्री माधोसिंह: नये बान्ध की कहिये।

श्री आईदानसिंह: कई छोटे मोटे की सर्वे कराई गई है।

श्री माधोसिंह: कोई नहीं है कोई हो तो आप स्पेसिफिक मुझे बताइये।

श्री रामचन्द्र आर्य: राजस्थान कैनाल से चुरु तक पाइप लाइन से आप पानी दे दीजिये।

श्री माधोसिंह: मैं होली की बात कर रहा हूं, आप दिवाली की बात कर रहे हैं।

श्री आईदानसिंह: 70180 करोड़ की ट्यूब वैल योजना बना दी। पर न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। आप तो जिन गांव वालों के पास से आपने पानी देने के नाम पर तीन चार पांच साल से पैसा अपने पास ले रखा है, उनको पानी दे दीजिये। साथ ही ट्यूब वैल योजना का हल करने की व्यवस्था कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री लाभचन्द।

एक माननीय सदस्य: गवर्नमेंट का रिप्लाई होना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: मैं ज्यादा समय नहीं लेकर एक दो लाइन में ही अपना कथन समाप्त कर दूंगा।

× × × मौजूद हैं, कृपा करके आप गांव और शहरों में भेद-भाव करके मत चलिये। में × × × से ......

श्रीमती सुमित्रा: ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कह दूं कि मंत्री शब्द कामन जेण्डर है। मंत्री शब्द ही महिला और पुरुष दोनों के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये। आपका गलत प्रयोग है। इसका प्रयोग माननीय सदस्य न करें तो अच्छा होगा।

श्री लाभचन्द्र वैद: × × × शब्द गलत है या सही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: मन्त्री शब्द पुल्लिंग है और × × × शब्द स्त्रीलिंग है।

× × × शब्द का सैंस यह निकलता है मंत्री की धर्मपत्नी जैसे पंडित की पत्नी पंडितानी परन्तु मैंने × × × शब्द का प्रयोग नहीं करके × × × शब्द का प्रयोग किया है। × × × माने मंत्री।

श्री माधोसिंह: माननीय सदस्य, मंत्री शब्द का ही प्रयोग करें और जो × × × कहा है उसे वापिस लें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: समयाभाव है इसलिये मैं इसकी विगत में नहीं जाना चाहूंगा। यह भाषा शास्त्र का प्रश्न है।

श्री माधोसिंह: × × × नहीं कहना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा: आप शब्द वापिस ले लीजिये या भविष्य में रिपीट न करने की बात कह दीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: आपने एक बात कही है कि मंत्री कामन जेण्डर है। पर

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कागज ही से निकाले गये।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

हिन्दी साहित्य में कामन जेण्डर नहीं होता। आप हिन्दी साहित्य से अनभिज्ञ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यहां पर भाषा शब्दों पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि ग्रामीण जल योजनाओं के बीच में और शहरी जल योजनाओं के बीच में हम भेद-भाव करके चल रहे हैं यह इस सरकार के समाजवादी नारे के अनुरूप काम नहीं है।

श्री माधोसिंह : आँन ए पोइन्ट आँफ आर्डर सर। न माननीय सदस्य ने × × × शब्द को वापिस लिया न आगे से ठीक शब्द कहने की बात कही। तो इसका समाधान होना चाहिये पहले।

श्री मदनसिंह : इस तरह से बोल कर आप कोई बड़े आदमी थोड़े हो जावेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो साहित्य की बात कही है। आप समाप्त हुई बात को चला रहे हैं इसका मुझे दुःख है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने साहित्य की बात कही। यह सदन है। यह पार्लियामेन्टरी फोरम है। साहित्य में और पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस में फर्क होता है। मैं निर्णय चाहता हूं आसन का कि क्या माननीय सदस्य × × × शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करूं कि शायद माननीय सदस्य ने मुझे समझा नहीं है।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल जयपुर) : इसकी एक क्लास खोल दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी व्याख्या का यह उपयुक्त अवसर नहीं है। आपने जिस रूप में कहा है उस शब्द को मैं एक्सपन्ज करता हूं।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने इस शब्द से जिस भाव को ग्रहण किया है उधर बैठने वालों ने उस भाव को अगर बोलने वाले सदस्य पहचान लेते तो मैं समझता हूं उदारता से इसकी उपेक्षा कर देते।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऐसी बात है तो मैं माफी चाहता हूं।

प्रश्न केवल यह है कि इसे गलत तरीके से समझा है खैर। उपाध्यक्षजी ने व्यवस्था दे दी। इसमें आपत्ति नहीं है। मेरा निवेदन करना इतना ही है कि ग्रामीण जल योजना और शहरी जल योजनाओं के बीच में भेद-भाव करके जो सरकार चल रही है उचित नहीं है। यह समाजवादी सिद्धान्त के बिलकुल विपरीत है। ग्रामीण जल योजनाओं के लिये आप जन सहयोग और जन अनुदान की मांग करते हैं जबकि शहरी जल योजनाओं के लिये आप सीधे ही धनराशि उपलब्ध करा देते हैं। क्या यही आपका समाजवाद है ? जो उत्पादन करता है। अनाज पैदा करता है, गांवों में रहता है, कठोर श्रम करता है, जिसके पास और किसी प्रकार की राज से प्रदत्त सुविधायें नहीं हैं न चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध है जिनके लिये, न स्कूलों का न सड़के हैं न और किसी प्रकार की सुविधायें हैं पर जो टैक्स

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाला गया।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

बराबर शहर वालों से अधिक ही देते हैं इस पर भी आप शहरी और गांव योजनाओं में उल्टा भेदभाव करते हैं यह समाजवादी पद्धति के तो विपरीत है ही पर नैतिकता के भी पूरी तरह विपरीत है ।

यह आपकी योजना दिशा विहीन योजना है, आप स्वयं दिशा विहीन है। आप सीधे रास्ते पर नहीं चलते हैं। समाजवाद की बात करते है और समाजवाद के विपरीत आचरण करते हैं। आप ग्रामीण योजना और शहरी योजनाओं के बीच भेदभाव करके मत चलिये। ग्रामीण योजना तब चलेगी जब ग्राम वाले उसमें सहयोग देंगे–कन्ट्रीब्यूट करेंगे और शहरी योजना वालों से कोई सहायता नहीं। यह बात आज की स्थिति से मेल नहीं खाती है। मेरा निवेदन है कि आप इस स्थिति पर विचार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लाभचन्द वैद ।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, रतनगढ में जो वाटर वर्क्स चल रहा है प्राइवेट संस्था के द्वारा रहा है उसके विषय में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यह वाटर वर्क्स स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पहले का बना हुआ है। उस समय जो नल कूप उपलब्ध थे उन्हीं से पाइप लाइन दी थी। वे नल कूप खारे पानी के थे। एक बार नगरपालिका से नल कूपों का टैस्ट कराया गया तो वहां से रिपोर्ट मिली कि यह पानी मनुष्य के पीने योग्य नहीं है और आज भी वही पानी दिया जा रहा है जब कि रतनगढ़ में मीठा पानी उपलब्ध है ....

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में है, म्यूनिसिपैलिटीज के सम्बन्ध में नहीं है ।

श्री लाभचन्द वैद : सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र.. में..

श्री उपाध्यक्ष : आपने देखा होगा ...

श्री लाभचन्द वैद : मैंने देखा है नगरपालिका से सम्बन्धित था इसलिये मैंने निवेदन किया है। रतगनढ़ तहसील के अन्दर आसपास में जो बस्तियां है वहां वाटर वर्क्स की लाइन आसानी से दी जा सकती है लेकिन वह नहीं दी जा रही है। हम उनको कहते हैं तो वे सिर्फ जवाब देते हैं हमारा पाइप बहुत पुराना हो चुका है इसलिये देने में समर्थ नहीं है ....

(एक माननीय सदस्य के बीच में व्यवधान डालने पर, अश्रव्य) ...

देखिये दो रास्ते हैं स्वाभिमान के...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दें ।

श्री लाभचन्द वैद : मैं गिन कर काम नहीं कराना चाहता हूं चाहे काम हो या न हो..तो उपाध्यक्ष महोदय रतनगढ़ तहसील के अन्दर बहुत जगह खारा पानी है ...

श्री रामचन्द्र आर्य : पानी के लिये बोल रहे है तो मैं बैठ जाता हूं ।
आप इस बात का वचन...

(दोनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर अश्रव्य)

श्री लाभचन्द वैद : 20-30 गांव ऐसे हैं जहां का पानी पीने योग्य नहीं है लेकिन कोई कार्य वहां नहीं किया जा रहा है। एक मैंने सुना था बिलमपुर का बान्ध बना रहे हैं, सरकार उसको स्वीकृत करने जा रही है,

(श्री लाभचन्द वैद)

किन्तु वह भी अभी वित्त विभाग में पड़ा है। उसको आप बना दोगे तो कुछ सुविधा मिलेगी। बहुत से गांव ऐसे हैं जो मेरी कान्स्टीट्यूऐन्सी में हैं वहां पानी पीने के योग्य नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह): हमारे यहां काफी पानी है लेकिन मेरे क्षेत्र में पानी कतई नहीं है ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप पहले बोल चुके हैं।

(माननीय सदस्य बारबार बोलते रहे, अश्रव्य)

आर्डर प्लीज। इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्य आप बोल चुके हैं। कृपया स्थान ग्रहण कर

श्री रामानन्द अग्रवाल : ढाई बजे तक का समय दिया गया था उपाध्यक्ष महोदय गवर्नमेंट रिप्लाई होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चुन्नी लाल।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खन्डार): उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जल योजना बारे में जो चर्चा की जा रही है उसके बारे में मैं अपने विचार कट करना चाहता हूं और राजस्थान गवर्नमेंट को सुझाव देना चाहता हूं। कम से कम 8व9 हजार की आवादी में कुओं का पानी सूख जाता है लेकिन वहां पर सरकार ने आज तक नल योजना का का काम शुरू नहीं करवाया है। दूसरी बात तहसील खन्डार में पिछले समय नल योजना चालू की गई थी ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। पाईन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आसन से यह व्यवस्था की जा चुकी है कि यह संकल्प ढाई बजे तक चलेगा इसमें गवर्नमेंट रिप्लाई भी शामिल है। अभी 2.25 हो चुके हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि दूसरा संकल्प हो। इसमें काफी माननीय सदस्यों ने हिस्सा ले लिया है इसलिये मैं निवेदन करूंगा.......

श्री आईदानसिंह : पेय जल की समस्या है

श्री उपाध्यक्ष : ढाई बजे का कोई समय नहीं दिया गया था। जल्दी से जल्दी समाप्त हो, यह कहा गया था।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : तहसील खन्डार में राज्य सरकार ने 4-5 साल पहले नल योजना का काम चालू किया था किन्तु न तो अभी तक पाइप लाइन डाली गई और न पानी चालू किया गया। वैसी की वैसी ही हरिजनों की बस्ती पड़ी है। हरिजनों की बस्ती में नल और बिजली का जो प्रावधान था वह नहीं लिया गया है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा हरिजनों की बस्ती में तुरन्त नल योजना का काम चालू किया जाय। बरवाड़ा में नल योजना का काम चालू किया जाये।

श्री जगन्नाथ : शहर में ज्यादा सुविधा है। मेरे क्षेत्र में कोई.....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ : यह क्या बात है ? केकड़ी में पानी दिया जा रहा है मेरे क्षेत्र में पानी है ही नहीं.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज ।

(माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ बराबर बोलते रहे)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य आसन पैरों पर है थोड़ा विराजिये ।

ऐसा है, यह संकल्प पहले भी सदन म 4-4-68, 4-9-68 और 16-8-69 को भी सदन म आया था और उस पर 26 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है । जो माननीय सदस्य इसमें हिस्सा ले चुके हैं वे दुबारा नहीं लें । माननीय जगन्नाथजी उसमें हिस्सा ले चुके हैं, माननीय हंसराज आर्य इसमें हिस्सा ले चुके है...... (विराम)

श्री जगन्नाथ : कहा तो यह था पानी सूख गया उसमें बोला था...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कुछ दोहे भी कहे थे। 21 नं० पर हंसराजजी बोले थे। जिन माननीय सदस्यों ने विवाद में हिस्सा ले लिया है, कृपया वे न बोलें ।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, 5 मिनिट ।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनिट कैसे दिये जा सकते हैं अब । आप तो खुद ही.....

श्री माधोसिंह भंसवाड़ा (उप-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पेय जल की समस्या को लेकर सदन में चर्चा हो रही है ...

एक माननीय सदस्य : राज्य सरकार की ओर से उत्तर हो रहा है क्या ?

श्री माधोसिंह : मैं इस विधान सभा का सदस्य हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस्तीफा दे दिया क्या आपने ?

श्री माधोसिंह : इस्तीफा नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जिस जिले की ओर से मैं आता हूं..

श्री मदनसिंह : पहले हम यह सूचना दें क्या आप मेम्बर बन गये है ?

श्री माधोसिंह : मैं सरकार की पालिसी के सपोर्ट में बोल रहा हूं, विरोध में नहीं बोल रहा हूं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, आपके महकमें के ही उप-मंत्री अपने जिले की समस्याओं को रखें तो फिर आसन को मान लेना चाहिये । सरकार ही अपनी समस्या रखती है तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है ?

श्री माधोसिंह : पेय जल की समस्या को लेकर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं ।

सरकार की ओर से उत्तर तो माननीय मंत्रीजी देंगे परन्तु जिस जिले से मैं आता हूं उसके अन्दर पहले बहुत अरसे से पेय जल की समस्या थी लेकिन जिस दिन से राजस्थान बना जिला जालोर के अन्दर सरकार की ओर से बोरिंग कराये गये, जगह जगह एनीकट्स और बांध बनाय गये....

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय वहां तो समस्या हल हो चुकी है । जहां नहीं

(श्री मदनसिंह)

हो रही है वहां के बारे में कहना चाहिए। जिन हरिजनों के यहां नहीं हुआ है वहां राज्य की तारीफ करने बैठे हैं कि बोरिंग हो चुका है। हमें मालूम है बोरिंग हो चुका है।

श्री माधोसिंह : आपके सामने कह रहा हूं कि जगह जगह समस्या हल होती जा रही है और राज्य सरकार की ओर से और भी प्रयत्न जारी हैं इस समस्या को हल करने की दिशा में।

श्री मदनसिंह : उधर के इलाके के लोग तो रो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बोरिंग हो रहा है।....

श्री माधोसिंह : क्योंकि जब सरकार जागरूक है और जगह जगह समस्या हल कर रही है तो मैं उस इलाके से आता हूं तो उस मसले पर कहना चाहूंगा।

श्री श्राईदानसिंह : आपके जालोर शहर की समस्या कितनी हल हो गयी यह भी बता दें।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने दो तीन मसले रखना चाहता था। माननीय सदस्य बहुत मुझे रोकते हैं। जहां तक पीने के पानी की समस्या है मेरी तहसील आहोर है उसमें कई जगह योजनायें बनीं। जालोर के पास बोरिंग करके बोरानी और रायथल में पानी की समस्या को हल किया....

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सबूत है कि जहां मंत्री होते हैं वहां काम होते हैं और जालोर के आज हरिजन कह रहे हैं कि काम नहीं होता है और यहां इस तरह से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह मुद्दई की पैरवी करते करते मुद्दायले की करने लग गये।

श्री माधोसिंह : मेरी बात नहीं सुनें तो मैं अपना भाषण समाप्त कर देता हूं।

श्री मदनसिंह : आज गरीबों के हकों के ऊपर मंत्रीजी खड़े होकर कुठाराघात करते हैं। जालोर के अन्दर हरिजन कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है और यहां इस तरह से सरकार की पैरवी करते हैं इससे ज्यादा लज्जा की बात और क्या हो सकती है।

श्री माधोसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान बना है और राजस्थान की सरकार ने जब से अपने हाथों में राजस्थान की बागडोर ली है कांग्रेस सरकार ने पेय जल की समस्या को हल करने का पूरा प्रयत्न किया है और आज तक कई बोरिंग कराये गये और कराये जा रहे हैं। बीकानेर से राजस्थान नहर के जरिये पानी देने की कोशिश की जा रही है और बाड़मेर तक देने की कोशिश की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें।

श्री माधोसिंह : यह कांग्रेस की सरकार तरक्की के काम कर रही है और जब उसके लिए बात कही जाती है तो सुनने नहीं देते। कभी कम्युनिस्ट को खड़ा कर देते हैं, कभी सोशलिस्ट को खड़ा कर देते हैं और कभी ठाकुर साहब दांता भी यह कह देते हैं कि कुठाराघात करते हैं। ऐसी बात नहीं है।

(श्री माधोसिंह)

मैं कहता हूं कि जिस दिन से राजस्थान सरकार ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभाली तब से पेयजल की समस्या हल हो रही है। जगह जगह बोरिंग करा रही है और नहरें बनाने की कोशिश कर रही है।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : आपके यहां काम हो गया तो फिर क्यों बोल रहे हैं।

श्री मदनसिंह : आप अपने विचार बता दें कि ऐसी समस्या है या नहीं और कुए बनने चाहिए या नहीं।

श्री आईदानसिंह : आपके यहां तो फिर भी रेगिस्तान है।

श्री माधोसिंह : आपके यहां तो इतने कुए बोर हो गए फिर रेगिस्तान बनाने की बात करते हैं।

श्री आईदानसिंह : जवाई बांध के बनने से कितने ही कुए सूख गये हैं।

श्री माधोसिंह : उसकी वजह से तो वाटर का लेवल ऊंचा आया है। आपको इसका ज्ञान ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आपस में बात नहीं।

श्री मदनसिंह : इनका वक्तव्य के एरिया में घूमा देना।

श्री माधोसिंह : आप तो घूमकर आये थे दो तीन बार क्या हुआ।

श्री मदनसिंह : मैं तो व्यासजी के टाइम में जिताकर आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय उपाध्यक्ष

श्री पृथ्वीसिंह : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत बहस हो चुकी है।

श्री पृथ्वीसिंह : वहां गांवों के अन्दर कुए सूख गये और आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अब चर्चा ज्यादा लम्बी नहीं होगी।

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तो यह प्रश्न ऐसा था कि जिसके ऊपर सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर सदन में मिलना चाहिए था....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदया, मैं निवेदन कर दूं कि इस पर सबसे अधिक सदन का समय लिया गया है। यह चौथी बार आया है सदन में। आपका यह विचार है कि एक ही संकल्प चलता रहे पांच साल के लिए तो और बात है।

श्रीमती सुमित्रा : मेरे चाहने का प्रश्न नहीं है। यह जितना महत्वपूर्ण सवाल है इस पर सभी माननीय सदस्य अपनी राय जाहिर करना चाहते होंगे। मैंने इसलिए कहा था। यदि आप मुझे के उत्तर लिये कहते हैं तो मैं तैयार हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी तैयारी नहीं हो तो बात दूसरी है।

श्रीमती सुमित्रा : मैं तैयार हूं। लेकिन मैं चाहती थी कि इस संबंध में सभी माननीय सदस्यों को अपनी अपनी पीड़ा व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए....

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर मिलना चाहिए । बहस अधूरी रही है और यह उत्तर भी अधूरा ही देंगी ।

श्री मदनसिंह : हमें तो खुशी है कि आपने हमारी भावनाओं की इज्जत की और आप फरमाइये ।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय उपाध्यक्ष-जी, इस गैर सरकारी संकल्प पर पिछले कई नॉन-ऑफिशियल डेज पर माननीय सदस्यों ने यहां अपने अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश की है। मैं बड़ी आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का और उन माननीय सदस्यों का कि जिन्होंने यह गैर सरकारी संकल्प रखकर राज्य सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्शित किया है । पिछली बार बजट बहस के दौरान कटौती के प्रस्ताव चल रहे थे उस समय अधिकतर माननीय सदस्यों ने शहरी जल प्रदाय योजना और ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में बरती जाने वाली असमानता पर यहां पर एट लैंग्थ चर्चा की थी और उसी प्रकार की अपनी भावनाओं को आज भी व्यक्त किया है । ज्यादा अच्छा तो यह होता कि माननीय सदस्य इस बात पर स्ट्रेस करते कि ग्रामीण पेयजल समस्या के निवारण के लिए एक सक्षम बोर्ड बनाया जाय जिसको इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेन्शियल पावर्स भी हों, लेकिन माननीय सदस्य इस संकल्प के रेफरेन्स से कुछ दूर चले गये, और अधिकतर माननीय सदस्यों ने या तो कुचामन में जल प्रदाय योजना ठीक नहीं चल रही है या मकराने में या दांता में जल प्रदाय योजना की आवश्यकता है इन बातों पर ही अपने विचारों को सीमित रखा है....

श्री विजयसिंह : रानेचा और गांवों के बारे में कहा गया था कि वहां पानी खराब है और पीने के पानी का शरीर पर बुरा असर पड़ता है, उसका निवेदन किया था ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : आज से पहले जो विचार प्रकट किये हैं उनमें इस बोर्ड के बारे में जोर दिया है ।

श्री मदनसिंह : अगर नहीं कहें तो दांता के लोगों को तो प्यास वैसे ही लगती रहती है।

श्री हंसराज आर्य (मादरा) : एक बोर्ड पहले भी बना था 3-4 साल पहले और उसने सर्वे भी किया था पम्प लगाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि बोर्ड को पैसा देने के साधन भी हैं या नहीं ?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य आपकी बात पर मैं आ रही हूं । आज जो चर्चा हुई है वे मेरे दिमाग में ताजा हैं उनका जवाब मैं पहले दे रही हूं । आपकी सब की बातों पर आऊंगी और उन सब बातों का जवाब दूंगी, आप इतने अधीर क्यों होते हैं ? माननीय उपाध्यक्ष, यदि इस तरह से माननीय सदस्य बीच बीच में उठ उठ कर मुझे रोकते व टोकते रहे तो शायद उत्तर देना मेरे लिए असम्भव हो जायगा ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपके बढ़ते चरण को हम नहीं रोकेंगे मगर आप इनको ठोकर मार दें जो छोटे-मोटे आ जाते हैं ।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्यों की इस चिन्ता पर मैं अपनी सहानुभूति रखती हूं, और मैं इस बात को स्वीकार भी करती हूं कि तीन पंचवर्षीय योजना के बाद भी जो कल्याणकारी सरकार के लिए आवश्यक है कि अपने नागरिकों की कम से कम स्वच्छ

(श्रीमती सुमित्रा)

और मीठा पानी पीने के लिए उपलब्ध कराये वह आज तक हम सारे क्षेत्र के लोगों को नहीं करा पाये हैं। आज भी राजस्थान के कई हिस्से हैं, कई ग्राम हैं, कई स्थान इस प्रकार के हैं कि जहां पानी खारा है, जहां के लोगों को सारा दिन एक जगह से लाकर अपने गांव तक पानी लाने में व्यतीत करना पड़ता है। आज भी पानी अपर्याप्त है। अकाल के समय में एक दिन के अन्दर 35 हजार रुपये राज्य सरकार इस बात पर खर्च कर रही है कि गांवों के लोग पानी के बारे में तकलीफ उठाकर उससे घबराकर गांव न छोड़ें। मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि राजस्थान सरकार अपने दिल से इस बात की आवश्यकता को समझते हुए अब तक यह प्रयत्न करना चाहती थी कि अकाल की वजह से, पानी की समस्या की वजह से जिन लोगों को घबराकर अपने मकान को छोड़कर, बस्तियां छोड़कर जाना पड़ता है उन्हें न जाना पड़े। हालांकि आप जानते हैं कि इतनी विपरीत अवस्था में राजस्थान के विभिन्न अंचलों में रहने वाले 1 करोड़ 67 लाख जनता गांवों में रहती है। सारी आबादी की 83% से अधिक प्रतिशत जनता उन ग्रामीण अंचलों में रहती है बाहर पहाड़ों में, कोई रेगिस्तान में, कोई मरुधरा में, ऐसे ही सब जगह रहते हैं। आप यह जानते हैं कि सूखे जिलों में 4 इंच से अधिक वर्षा नहीं होती है और आप यह भी जानते हैं कि दो साल से तो बाड़मेर और जैसलमेर में केवल 1-1 इंच वर्षा हो रही है। इन सब परिस्थितियों में इतनी भयंकर समस्या का राज्य सरकार किस प्रकार से मुकाबला कर पा रही है इस संबंध में जितना जो कुछ भी किया गया है वह एक प्रशंसनीय बात है, और मैं समझती हूं कि उसके लिए सरकार साधुवाद की पात्र है, क्योंकि इस बात को समझने का प्रयत्न करे कि एक दिन के अन्दर जहां राज्य सरकार 35 हजार केवल पानी सप्लाई करने के लिए खर्च करती है वहां अभी तक कुल कितनी धनराशि इस संबंध में खर्च की हुई है ?

लोगों ने अपने विचार यहां पर व्यक्त किये। आज नहीं पहले होने वाली चर्चा में गावों में होने वाले अंशदान के बारे में चिन्ता प्रकट की है। यह महत्वपूर्ण और पॉलिसी का सवाल है। इस संबंध में इस संकल्प के द्वारा इन समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो संकल्प यहां पर माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो तीन पंचवर्षीय योजनाओं में गांवों में स्कीम्स एक्जीक्यूट नहीं की गई हैं तो राज्य सरकार जागरूक है इस बात के लिए कि राज्य सरकार चाहती है कि गांवों में पीने का पानी पहुंचे और कोई भी चुनी हुई सरकार इस बात को कभी भी इस बात से इन्कार नहीं करती है कि वहां के लोगों को पीने के पानी की कोई तकलीफ हो। इसलिए इस तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं में आज तक करीब 15.94 करोड़ रुपया तो है वह जो खर्च किया जा चुका है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पिछली दफा कटौती–प्रस्तावों के संबंध में भी चर्चा हुई थी

(2.45 म० प०)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

तो इस संबंध में जो कुछ कहा था. . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो गांवों का है और शहरों में कितना किया है ?

श्रीमती सुमित्रा : 16 करोड़ 20 लाख। मैंने जैसा कि कटौती-प्रस्तावों के संबंध में उत्तर देते हुए इस बात को स्वीकार किया है........

श्री हंसराज आर्य : सभापति महोदय, कौनसी नवीन बात है

सवा पाव की साध पकाई, सवा सेर का एक,
वो निगोड़ा सातों खा गया मैं सतवन्ती एक।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य आप धीरज रखें।

श्री हंसराज आर्य : 50 लाख व्यक्तियों के लिए 16 करोड़ और 1.78 करोड़ व्यक्तियों के लिए 14 करोड़।

श्री रावतराम : कौनसी इन्सानियत है।

श्रीमती सुमित्रा : 50 लाख ही नहीं शहरी तो केवल 32 लाख हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं।

एक माननीय सदस्य : अब इधर 1·80 करोड़ हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदया की आवाज को रोकने की कोशिश मत करिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई :
श्री वृद्धिचन्द्र जैन : } हम सहयोग दे रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुर्सी का फर्क पड़ जाता है। मंत्रियों की रक्षा करने लगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कुर्सी पर बैठने से कोई परिवर्तन नहीं आया है।

श्रीमती सुमित्रा : भादरा, बाड़मेर और जालोर की अवस्था को समझती हूं, और मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि कोई इस बात को पसन्द नहीं करता है और राज्य सरकार भी यह चाहती है कि हम चौथी पंचवर्षीय योजना तक किसी भी गांव के रहने वाले किसी भी आदमी को पानी के संबंध में तकलीफ न होने दें।

श्री मदनसिंह : इसम से कौन सा सही था। उधर के सदस्य जो मंत्री हैं वे कह रहे थे कि पूरा प्रबन्ध हुआ है तो कौन सा सही है ?

श्रीमती सुमित्रा : माधोसिंहजी भाषण दे रहे थे तो आप लोग शोर मचा रहे थे इसलिए मैं सुन नहीं सकी कि क्या उन्होंने कहा ?

श्री मदनसिंह : उन्होंने कहा था कि सब प्रबन्ध हो गया है। उस एरिया में कोई जरूरत नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : हो सकता है कि जालोर में प्रबन्ध हो गया है। उनके अपने इलाके की वे बात कह सकते हैं।

श्री बिरदाराम : जालोर में नहीं हुआ है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बोल चुके हैं जालोर के बारे में। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बिरदाराम : जालोर में....

श्री सभापति : श्री बिरदारामजी आप बोल चुके हैं।

श्री बिरदाराम : जालोर को बहुत तकलीफ है। सरकार को जवाई बान्ध से जालोर....

श्री सभापति : विरदारामजी आप बिराजिये । आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से आप उधर बैठने वाले ही बाधायें उपस्थित करते हैं । आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाधा नहीं कर रहे हैं ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ।

श्री सभापति : आप बोल चुके हैं ।

श्री मदनसिंह : उसके पहले पहले जालोर ..

श्रीमती सुमित्रा : मैं निवेदन कर रही थी कि भैंसवाड़े से आने वाले उप-मंत्रीजी ने एक सदस्य की हैसियत से कहा था । वे मंत्री की हैसियत से यहां पर जवाब नहीं दे रहे थे । इसलिए उन्हें हक था कि वहां की समस्या को वे अच्छी तरह से समझते हैं तो उन्होंने उस तरह से कहा है । उस बारे में यह कोई चर्चा का विषय नहीं है ।

तो मैं निवेदन कर रही थी कि माननीय सदस्यों को इसी भावना से समझना चाहिए । आपने देखा होगा कि इन बातों का अनुभव करके चौथी पंचवर्षीय योजना में देहाती जलप्रदाय योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान है । इस एन्युअल बजट में अलग से देहात जल-प्रदाय योजना के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है । आप जानते हैं कि राजस्थान का जिस समय निर्माण हुआ था केवल राजस्थान के चार बड़े शहरों के अन्दर–जयपुर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर–केवल चार शहरों के अन्दर नल से पानी की वितरण व्यवस्था थी । आज इसी राज न के अन्दर 98 नगर-परिषदों और नगरपालिकाओं के अन्दर जलप्रदाय योजनायें काम कर रही हैं । उसी राजस्थान के अन्दर 38 जलप्रदाय योजनायें अन्डर प्रोग्रेस हैं । आप गांवों की बात पूछना चाहते हैं तो गांवों में प्रजातन्त्र आने के पहले जब राजस्थान का निर्माण हुआ था तो गांवों के अन्दर नल से पानी देने की एक भी योजना नहीं थी . . . .

श्री लाभचन्द वैद : रतनगढ़ में पहले से ही था ।

श्रीमती सुमित्रा : रतनगढ़ में सेठ-साहूकारों के यहां रही होगी । साधारण जनता को पानी नहीं मिलता होगा ।

श्री लाभचन्द वैद : साधारण जनता को पानी मिलता था । वहां वाटर वर्क्स बना हुआ है ।

श्रीमती सुमित्रा : किसने बनाया–मैं जानकारी के लिए जानना चाहती हूं ।

श्री लाभचन्द वैद : वहां बना हुआ है एक पहले से ।

श्री आईदानसिंह : जल प्रदाय योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में है वह बड़ी सुन्दर है लेकिन पहले यह जानकारी ले लें कि जहां से हैंड पम्प से पानी उपलब्ध हो सकता है वहां तीस-चालीस फीट नीचे जाने पर पानी मिलेगा–ऐसी योजना को शुरू न कर दें जैसा गलराशाला में कर दिया है, वहां हैंड पम्प से लोग पानी नहीं लेते हैं और जल प्रदाय योजना में पैसा व्यर्थ गया है ।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें । आपको प्रश्न पूछने हों तो पहले मंत्री महोदया जवाब दे दें, उसके बाद में प्रश्न पूछ लें ।

श्री आईदानसिंह : मेरी सलाह मंजूर होगी या नहीं–यह आप फर्मा दें ।

श्रीमती सुमित्रा : सलाह सब लोगों ने दी है । लेकिन क्या सबकी सलाहों पर अमल कर पायेंगे . . . ??

श्री सभापति : सलाह बाद में दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा : जो यह कहा कि राजस्थान में एक भी गांव में राजस्थान के निर्माण के समय से जल प्रदाय योजना नहीं बनी है, उसके संबंध में मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर 201 गांवों के अन्दर जल प्रदाय योजना काम कर रही है, इसी राजस्थान में 38 योजनायें अन्डर प्रोग्रेस चल रही हैं, सोरी, 38 योजनायें अभी पूर्ण की जा चुकी हैं और 70 योजनायें अन्डर प्रोग्रेस चल रही हैं और इस वित्तीय वर्ष के अन्दर 27 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं को हाथ में लिये जाने का प्रावधान है. . .

श्री चवणलाल : कितने महीने में पूर्ण हो जायेगी ?

श्रीमती सुमित्रा : इतने तो पी०एच०डी० के द्वारा काम हुए हैं, यह मैंने आपको पी० एच० डी० की सूचनायें दी हैं। आप जानते हैं, इसके अलावा भी जल के महत्व को समझते हुए और जल के बिना आप जानते हैं कि कोई जिन्दा भी नहीं रह सकता इसलिए विभिन्न एजसियों के द्वारा भी अब तक काम करवाये गयें हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, इस संबंध में अब तक करोड़ों रुपया समाज कल्याण की मद से गांवों के अन्दर जल प्रदाय योजना को पूर्ण करने के लिए खर्च किया जा चुका है। इस वर्ष भी माननीय सदस्यों ने अपनी कई जगहों पर हरिजनों के लिए नल कूप के लिए कुछ धनराशि स्वीकृत कराई होगी। इस प्रकार अब तक समाज कल्याण के मार्फत होने वाले कार्यों के ऊपर तीन करोड़ के ऊपर धनराशि खर्च की जा चुकी है। समाज कल्याण के अतिरिक्त आप सभी को जैसा पता है और सदन में भी कई बार इसकी चर्चा होती है, राजस्थान के अन्दर जो दो सौ पचास एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वैल्स की योजना थी, उनमें से जो 141 सफल ट्यूब वैल्स हैं उनसे भी यह काम किया जा रहा है और वह भी ट्यूब वैल्स पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस सबके बाद में क्या ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार इस प्रश्न पर जागरूक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सरकार जागरूक तो है लेकिन आप जानते है कि यह समस्या बहुत बड़ी है और राज्य सरकार के साधन बहुत सीमित है और तीन साल से जो कुछ वित्तीय अवस्था चल रही है इसने भी मजबूर किया है लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रावधान और इस एनुअल बजट के प्रावधान इस बात का संकेत करते है कि राज्य सरकार इस प्रश्न को हल करने के लिए दृढ संकल्प हैं, राज्य सरकार इस प्रश्न को हल करने के लिए जागरूक है और शीघ्रातिशीघ्र जितना जो कुछ रिसोर्सेज को देखते हुए राज्य सरकार से बन पड़ेगा वह करेगी।

अन्त में माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करती हूं कि जो आपने यह कहा कि हरिश्चन्द्रजी की अध्यक्षता में इक कमेटी बनाई गई थी, जो कि माननीय सदस्य राजगढ से आते है वह स्वयं उस कमेटी के सदस्य भी है उन्होंने . . . .

श्री हंसराज आर्य : राजगढ नहीं, भादरा से आने वाले।

श्रीमती सुमित्रा : आप गलत कहते है, जो राजगढ से आने वाले माननीय सदस्य हैं, शीशरामजी., वह हैं। आप न जाने कहां रहते। स्वप्न लोक में रहते हैं।

श्री हंसराज आर्य : उन्होंने नहीं कहा। यह मैंने कहा था। हरिश्चन्द्र कमेटी

(श्री हंसराज आर्य)

शीशरामजी नहीं थे । हरिश्चन्द्र कमेटी में मैं था, परसरामजी थे । तीन गैर सरकारी सदस्य थे ।

श्रीमती सुमित्रा : भादरा से आने वाले माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं कहना चाहती हूं कि मुझे इस संबंध में पूर्ण जानकारी है, कौन कौनसे उसमें सदस्य थे, किस समय उस समिति का गठन था । आप जिस समय हरिश्चन्द्र कमेटी की सदस्यता से हट गये उस समय शीशरामजी सदस्य थे ।

तो राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वह इस कमेटी के सदस्य हैं, इस कमेटी की मीटिंग बोगस होती हैं और इस कमेटी की सिफारिशों से कोई हल नहीं निकल सकता है । मुझे यह भी मालूम है कि भादरा से आने वाले माननीय सदस्य भी उस कमेटी के सदस्य थे और उन्होंने कुछ अमूल्य सुझाव उस कमेटी की मीटिंग्स में दिये होंगे क्योंकि आपके यहां पर पानी की समस्या है, आप कई बार अपने विचार भाषणों के द्वारा और कविताओं के द्वारा इस सदन में व्यक्त कर चुके हैं । मैं समझती हूं, माननीय सदस्यों को मैं निवेदन कर चुकी हूं कि हरिश्चन्द्रजी की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन किया गया था, उसने कई महत्वपूर्ण इस प्रकार के प्रपोजल्स दिये थे जिनमें से कईयों को राज्य सरकार क्रियान्वित कर चुकी है, और कुछ आज कल राज्य सरकार के विचाराधीन हैं । उसके बाद जब हरिश्चन्द्रजी माथुर का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद श्री रामनिवास मिर्धा को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया । उसके बाद जो कुछ कमेटी की मीटिंग हुई और उसके जो कुछ प्रस्ताव हैं वह राज्य सरकार के विचाराधीन हैं । मगर माननीय सदस्यों की राय जो है, और जो शंका जाहिर की है–मैं उसे स्वीकार करती हूं । सचमुच में अब तक जितनी प्रगति की है गांवों में पीने का पानी देने के प्रश्न पर और इस योजना की जितनी तेजी के साथ (समीप ही माननीय सदस्यों के आपस में बात करने पर) महरबानी करके चुप रहिये । इस योजना को जिस तेजी के साथ कार्यान्वित करना चाहिए इस योजना को उतनी तेजी के साथ कार्यान्वित नहीं कर पाये हैं । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि राज्य सरकार ग्रामीण पेय जल की समस्या का निवारण करने के लिए बोर्ड के गठन के आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती है । इस संबंध में बोर्ड बना दिया जायगा । हम भी चाहते हैं कि किसी प्रकार इस समस्या का निवारण करने में सक्षम हों । बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, नोहर से आने वाले माननीय सदस्य, राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, और भी इलाकों से आने वाले माननीय सदस्य– जिनके यहां खारे पानी की समस्या है, जिनके यहां पर आज भी दस मील, बारह मील से पानी लाया जा रहा है–उन सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार इस प्रश्न की तरफ पूरी सचेत है, राज्य सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस जल की समस्या को दूर करना चाहती है और कोई भी कल्याणकारी सरकार बिना जल की समस्या का निवारण किये हुए गर्व का अनुभव नहीं कर सकती, इसलिए हम चाहते हैं कि जितना शीघ्र हो सके इस प्रश्न को हल किया जाय । आज कोई भी मेरे खयाल में इस बात को पसन्द नहीं करेगा कि जहां पर कोई आदमी जीविका का और दूसरा काम नहीं कर सके उसके बजाय सारे दिन दस बारह मील दूर से पानी उसको ढोना पड़े । इस व्यवस्था को कोई सरकार पसन्द नहीं कर

(श्रीमती सुमित्रा)

सकती, यह किसी भी सरकार के लिए शोभनीय बात नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्य का संकल्प इसलिए स्वीकार नहीं करती हूं कि राज्य सरकार इस संबंध में सतर्क है और इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है। जो सभी प्रकार से सक्षम हो और अपनी सिफारिशों और सुझावों से इस सरकार का मार्ग निर्देशन कर सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से निवेदन करती हूं कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री मदनसिंह : यह विश्वास दिला दीजिए कि इसमें हारे हुए कांग्रेसी नहीं होंगे।

श्री सभापति : श्री विश्नोई।

श्री पृथ्वीसिंह : यह बोर्ड कब तक बना देंगे ?

श्री बृद्धिचन्द्र जैन : आप (श्री रघुनाथ विश्नोई) सब प्रश्न उठा रहे हैं। आप धैर्य पूर्वक सुनिये।

श्री आईदानसिंह : यह बोर्ड कब तक बना देंगे ?

श्रीमती सुमित्रा : दो महीने में बोर्ड बना दिया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, 4 अप्रेल, 68 को मैंने इस सदन के समक्ष इस ग्रामीण पेयजल की समस्या के निवारण हेतु बोर्ड का गठन करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या के समाधान के कार्यों को प्राथमिकता देने के संबंध में प्रस्ताव रखा था। और सभापति जी, इस सदन के माननीय सदस्यों ने मेरे विचारों से सहमति दिखाई थी। पिछले कई वर्षों से यह संकल्प इस सदन के समक्ष विचाराधीन रहा, अनिर्णित रहा, इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान में हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के मुकाबले में यह समस्या अत्यन्त गम्भीर थी। जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने अपने इलाकों में सामने आने वाली समस्याओं के साथ साथ इस समस्या की ओर गम्भीरता के साथ सरकार का ध्यान आकर्षित किया, और जिन जिलों के बारे में माननीय हरिश्चन्द्र जी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उस रिपोर्ट की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सभापतिजी, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य शेरगढ़, फलौदी, झुन्झुनू, सीकर, चूरू और भादरा से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि उनके क्षेत्र में और बाड़मेर, जालोर और जोधपुर इन जिलों में आज के दिन भी कई गांव ऐसे है जहां दस दस मील से लोग पीने के लिए पानी लाते हैं और सारे दिन भर कुओं पर अपना समय व्यतीत करते हैं। मवेशियों के लिए तो क्या कहूं, मनुष्यों के लिए भी पीने के पानी की बड़ी गम्भीर समस्या है। इस समस्या की ओर हम लोगों ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। माननीय सभापतिजी, जितने भी माननीय सदस्यों ने मेरे इस संकल्प के ऊपर अपने अमूल्य विचार व्यक्त किये और स समस्या की गम्भीरता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया उनको मैं धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता। उसी का परिणाम है कि चार साल के बाद बोर्ड के गठन की बात सरकार द्वारा स्वीकार की गई है। वैसे तो पहले भी इस सदन में कई बार इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और हरिश्चन्द्र जी ने एक मांग की थी कि सत्तर करोड़ रुपया अविलम्ब ग्रामीण जल समस्या के निवारण

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के लिए आवंटित किया जाय ताकि थोड़े समय के अन्दर इस समस्या का समाधान किया जा सके ।

(3 म०प०)

सभापतिजी, मैं राज्य सरकार को बार बार धन्यवाद देता हूं कि हमारे इतने आग्रह के कारण, सदन के दोनों ओर बैठने वाले सदस्यों ने इतना आग्रह किया, इस तरह सरकार का ध्यान आकर्षित करने के कारण सरकार ने एक सक्षम बोर्ड के गठन करने की मांग स्वीकार की है । मेरे संकल्प की ओर मेरी जो मंशा थी, उसको स्वीकार किया है, इसके लिये मैं सरकार को बार बार धन्यवाद देता हूं । इसके बारे में मैं विशेष नहीं कहूंगा, उस दिन मैंने डेढ़ घंटे म सारी समस्यायें सदन के सामने रखी थीं, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने सहयोग देकर मेरे संकल्प का समर्थन किया और इस समस्या को हल करने के लिए सरकार का ध्यान आर्कषित किया । यह विषय इतने समय तक अनिर्णित रहा । इस सदन के जरिये केन्द्र सरकार का ध्यान भी इस समस्या की ओर गया......

(3.02 म०प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

बम्बई में कांग्रेस का सेशन हुआ तो मुख्य मंत्रीजी ने, प्रधान मंत्रीजी का इस समस्या की ओर ध्यान आर्कषित किया था, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी ध्यान आर्कषित किया । इस पर मंत्री महोदय ने अभी कहा कि 30 करोड़ रुपये का प्रावधान ग्रामीण पेय जल की समस्या को हल करने के लिए किया है । इतने दिनों से पिछले दिनों में हमने सरकार का ध्यान आर्कषित कराया है, उस ही के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आर्कषित हुआ ।

जैसलमेर, बाड़मेर के पूरे क्षेत्र और जालौर के भी कुछ ऐसे क्षेत्र है, जहां खारा पानी उपलब्ध होता है, उन क्षेत्रों की स्थानीय मांगों को देखते हुए यह पैसा काम में लाया जाय । जहां पानी की विकट समस्या है, उसके संबंध में क्षेत्रीय भावना से दूर रहते हुए, बिना किसी पार्टी के हिसाब से सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान इस ओर आर्कषित करना चाहता हूं कि जहां पानी की गम्भीर समस्या है, दस दस मील दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता है, उन क्षेत्रों की ओर सरकार ध्यान दे । और जो इस समस्या का हल करने के लिए बोर्ड का गठन किया जा रहा है, इससे पहले भी वाटर बोर्ड था, तथा और राज्यों में दूसरी जगह इस तरह के बोर्डों का गठन किया गया है, उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां इस बोर्ड का गठन किया जाय और समुचित मात्रा में धन उपलब्ध कराया जाय, जिससे आने वाले 5 वर्षों में राजस्थान का कोई गांव ऐसा न रहे जहां पानी, पीने का स्वच्छ पानी न मिले, उन क्षेत्रों के लोग जो गन्दा पानी पीते है उससे उन बालों की बीमारी हो जाती है, उस बाले की बीमारी से उन लोगों को छुटकारा मिले, खराब पानी से इन्फिक्सियश डिजिज हो जाती है, उन बीमारियों से उन लोगों को राहत मिले । और हम लोगों को जो गांवों में जाते है तो गांव वालों की कई बातें सुननी पड़ती है । यह पीने के पानी की समस्या गांव में ऐसी विकट समस्या है कि जब भी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हम गांवों में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, पीने के लिये स्वच्छ पानी चाहिए। जैसे शहरों की ओर राजस्थान सरकार ने ध्यान दिया है क्योंकि वे पढ़े लिखे ज्यादा हैं, आन्दोलन करना जानते हैं। प्रजातन्त्र गवर्नमट होने के कारण शहरों में ज्यादा पैसा दिया गया है। शहरों की पानी की समस्या करीब करीब पूरी होने जा रही है, कोई एक दो शहरों की बाकी रह गई हो, पर जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा शहरों की करीब सारी समस्या हल हो गई है। तो मैं आशा करता हूं कि इस सकल्प के जरिये और सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से राज्य सरकार का ध्यान इस समस्या के हल के लिए आकर्षित किया गया, उसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने बोर्ड के गठन का हमारा आग्रह स्वीकार किया है, यह तभी सफल और लाभकर होगा जब कि ज्यादा से ज्यादा फंड्स इसके लिये देने का प्रावधान किया जाय। हम केन्द्रीय सरकार से भी आग्रह करते हैं कि राजस्थान की ग्रामीण पेय जल की समस्या के लिए वह विशेष रूप से प्रावधान करे और सबसे अधिक इफेक्टिव बोर्ड राजस्थान में बने ताकि राजस्थान की 80 प्रतिशत ग्रामों में बसने वाली जनता को लाभ और राहत मिल सके।

पानी की समस्या ग्रामों में बड़ी भयंकर है, इसके लिए हम गांवों में जाते हैं तो कई तरह की बात सुननी पड़ती है, 23 वर्ष की आजादी के बाद भी हम गांवों में पीने के लिए पानी नहीं मिल सका इस प्रकार के व्यंग लोग हम पर कसते हैं, वह सब दूर हो और गांवों में रहने वाले लोगों को पीने के लिए स्वच्छ मीठा पानी मिले, यह आग्रह करते हुए और इन मुद्दों को रखते हुए और राजस्थान सरकार ने जो इसके लिये एक सक्षम बोर्ड गठन करना स्वीकार किया है, उसके लिये राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए, इन शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संकल्प वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संकल्प वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री मूलचन्द डागा : इस पर काफी बोलने वाले हैं तीन बज गये हैं, 4 बजे स्टेटमेंट होना है सिंचाई मंत्रीजी का..

श्री भैरोंसिंह : उसमें तो 4-5 मिनिट लगेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह बड़ा महत्वपूर्ण संकल्प है....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आज चर्चा समाप्त नहीं होती है तो किसी अन्य दिन रख दिया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह आज ही समाप्त हो जाना चाहिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अन्य किसी दिन का आपने फरमाया, इस सेशन में होगा या और कभी ?

प्रिवीपर्स एवं विशेषाधिकारों की समाप्ति संबंधी गैर सरकारी प्रस्ताव

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रख रहा हूं:

"यह सदन भारत सरकार से सिफारिश करता है कि भूतपूर्व नरेशों के प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार बिना किसी प्रकार का मुआवज़ा दिये 1 अप्रेल, 1970 से समाप्त कर दिये जावें।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव जब कि इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं तो मेरी यह मान्यता है कि यह प्रस्ताव आज हमारे देश में कोई समाजवादी समाज स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। न ही यह प्रस्ताव जिस दल से मैं संबंधित हूं, उससे आगे चल कर पहले कोई साम्यवादी समाज स्थापित करने का ही प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय यह प्रस्ताव हमारे देश में जो राष्ट्रीय आन्दोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध और यहां पर देशी राज्यों में एकाधिकार राज्य देशी राजाओं के आधीन जो काफी अर्से से चला आ रहा था, वहां देश में जो स्वतन्त्रता की लड़ाई हमारे देश के अन्दर लड़ी गई और देश में एक ऐसी परम्परा का समाज जिसके अन्दर प्रजातन्त्र हो, जिसमें सब लोगों के आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके इस प्रकार की एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने की दृष्टि से एक आन्दोलन हमारे देश में लड़ा गया। उस आन्दोलन के एक हिस्से के रूप में उस आन्दोलन के पूरक के रूप में मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश ने 15 अगस्त, 1947 को स्वतन्त्रता प्राप्त की और 26 जनवरी, 1950 को हमने अपने नए संविधान के तहत शपथ लेकर अपने गणराज्य को स्थापित किया। यह इस संविधान के तहत हमने एक नक्शा सम्पूर्ण भारत का अपना खींचा। कुछ सिद्धान्त, कुछ उद्देश्य, हमने अपने संविधान के अन्दर रखे और उन डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स में आर्टीकल 39 के तहत हमने यह दृष्टिकोण सामने रखा :

"The State, shall in particular, direct its policy towards securing—

(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;

(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;

(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment; and so on and so forth."

इस दृष्टिकोण से हमने अपने संविधान में एक ऐसा समाज बनाने का लक्ष्य सामने रखा है कि जिसमे समाज की तमाम पैदावार के साधनों का वितरण इस रूप से हो सके कि जिससे समाज का अधिक से अधिक, समाज के विभिन्न हिस्सों को अधिक से अधिक लाभ हो, यह भी लक्ष्य हमने सामने रखा है कि समाज के अन्दर इन साधनों पर एकाधिकार किन्हीं तबकों के हाथ में एकत्रित न हो जाय। हमने अपने सामने यह लक्ष्य रखा है कि समाज के विभिन्न वर्गों को आगे बढने का समान

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अवसर मिल सके। जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है राजाओं के प्रिवीपर्स को समाप्त करने का या उनके विशेषाधिकारों को समाप्त करने का, यह जो व्यवस्था राजाओं के संबंध म अभी तक चली आ रही है, यह आर्टीकल 39 के हमारे संविधान के जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स है जिनका कि उल्लेख हमने अभी किया है, यह राजाओं संबंधी वर्तमान व्यवस्था इन हमारे डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के विरुद्ध है। यह वर्तमान व्यवस्था हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन के उस नक्शे के विरुद्ध है जिसके लिए हिन्दुस्तान की जनता ने जबर्दस्त कुर्बानियां की हैं और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने के लिए नए परिवर्तन किये हैं।

हमारे देश में आजादी के आने के समय 562 देशी रियासतें थीं जिनका विलीनीकरण भारत के अन्दर हुआ है। इनमें से 268 ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने आप को जागीरदार मानकर अपना मुआवजा ले लिया। उसम से बाकी लगभग 284 ऐसे हैं जो कि प्रिमीपर्स पा रहे है। यह रकम जो भी विभिन्न राज्यों को दी जा रही है, यह करीब 5.80 करोड़ सालाना शुरू में दी गई थी परन्तु समय जैसे जैसे बीतता गया, जो राजा स्वर्ग वास हो गये तो उसके पीछे जो सकसेसर्स थे उनको कम मिला है और इस हिसाब से अब लगभग 4.81 करोड़ सालाना प्रिवीपर्स के रूप में भारत सरकार से वे प्राप्त करते हैं।

अभी हमारे देश में करीव 11 राजा ऐसे है जिनको 10 लाख से अधिक प्रिवीपर्स मिल रहा है। शुरू में निजाम हैदराबाद को सबसे अधिक मिलता था और उनको 50 लाख रुपया सालाना प्रिवीपर्स मिलता था। दूसरे नम्बर पर बड़ोदा था जिसको 26 लाख सालाना मिलता था, फिर मैसोर जिसको 26 लाख, फिर ग्वालियर को 25 लाख, ट्रावनकोर को 18 लाख, जयपुर 18 लाख, जोधपुर 17 लाख, पटियाला 17 लाख, इंदौर 15 लाख, बीकानेर 15 लाख, भोपाल 11 लाख। इस तरह से 9 ऐसे राजा हैं जिनको 5 लाख से 10 लाख तक मिलता है और बाकी 74 ऐसे है जिनको एक लाख से 5 लाख मिलता है और बाकी ऐसे है जिनको और थोड़ा मिलता है।

प्रिवीपर्सेज के अलावा पुराने भारतीय नरेशों को विशेषाधिकार भी प्राप्त है जो दूसरे नागरिकों को प्राप्त नहीं है। वह सम्पत्ति के संबंध में भी है कि उनके राज्यों का जब भारत के अन्दर विलीनीकरण किया गया तो उस समय उनसे जो कवेनन्ट हुए, उस समय जो सूची बनाई गई उनकी निजी सम्पत्ति की, उसमें जो सम्पत्ति उनके नीचे दर्ज की गई वह तमाम सम्पत्ति उनको निर्विवाद, निर्विघ्न रूप से उसका उपयोग करने का पूरा 2 अधिकार है और दूसरे नागरिकों पर उनकी आमदनी पर और दूसरे टैक्स देने पड़ते है। परन्तु यह प्रिवीपर्स हर तरह से करों से मुक्त है। न तो राज्य सरकार, न केन्द्रीय सरकार किसी प्रकार का कर नहीं ले सकती। जो विशेषाधिकार राजाओं को और प्राप्त हैं, उनके अन्दर इस तरह के अधिकार भी हैं जैसे कि जंगलात के अन्दर शिकार खेलने का अधिकार एक परटीक्यूलर मात्रा में चारे और लकड़ी को मुफ्त में लेने का अधिकार। इसी प्रकार से उनको समाज के अन्दर एक उच्च स्थान के रूप में कई प्रकार के अधिकार प्राप्त है जैसे कि उनको अपना अलग ध्वज इस्तेमाल करने का अधिकार हैं, अपनी गाड़ियों पर अलग नम्बर प्लेट अलग रंग में ताकि उनकी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विशेषता साफ तरह से जाहिर हो, इस प्रकार रखने का अधिकार है। उनको अपने यहां गाड़ी सरकारी खर्चे पर रखने का अधिकार है, उनको सलामी का अधिकार है, उनके जन्मदिन पर राजकीय तौर पर छुट्टी पुराने राज्य में होती है।

कानून के बारे में भी व न्याय के बारे में भी सामान्य नागरिक से राजाओं को विशेषाधिकार प्राप्त है जैसे यदि राजा लोग जुर्म करें तो सामान्य नागरिक की तरह उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सामान्य नागरिक की तरह अदालत में उनके खिलाफ चालान नहीं हो सकता। यह बात क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में भी है और सिविल कोर्ट्स के बारे में भी है। ये जो व्यवस्थायें हैं वह सामान्य नागरिकों से उनके विशेषाधिकार के रूप में रखी हुई हैं।

प्रश्न राजाओं के प्रिवीपर्सेज समाप्त करने का या विशेषाधिकारों के समाप्त करने का केवल इसका आर्थिक पहलू ही नहीं है। आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है लेकिन केवल आर्थिक पहलू ही महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि एक यह दलील दी जाती है कि 5.80 करोड़ रुपया या 4.80 करोड़ रुपया जो इस समय भूतपूर्व नरेशों को दिया जा रहा है यह सारे भारत को देखते हुए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है और इसलिये इस संकल्प को, चर्चा को, निर्णय को विषय बनाया यह एक बुद्धिमानी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह तर्क उन लोगों की तरफ से दिया जाता है जिनका डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, प्रजातन्त्र पर आधारित समाज में विश्वास नहीं है। जिस प्रकार से हमने संविधान म उल्लेख किया है आज समानता का जमाना है। आज जिस प्रकार से हमारे समाज म शोषण की व्यवस्था होने के कारण विभिन्न वर्ग बन गये हैं उनमें कुछ तबके ऐसे हैं जिनको बगैर काम किये खूब आराम से समाज के अन्दर सारे साधन उपलब्ध है और एक तबका ऐसा है जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद, समाज के लिये अच्छी से अच्छी पैदावार करने के बावजूद, आवश्यक साधन उपलब्ध कराने के बावजूद भी.....

(3.22 म०प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति,पदासीन)

उसको दो जून खाना भी नहीं मिलता। आधे नंगे रहते हैं। प्रश्न यह है कि समाज में बे-मैलपन और विरोधीकरण है वह समाप्त होना चाहिये। और सब लोगों को मौका मिलना चाहिये आगे बढ़ने का, अपनी योग्यता के अनुसार विकास करने का और समाज में योगदान करने का। किसी आदमी को किसी घर में जन्म लेने के कारण, किसी जाति में जन्म लेने के कारण, किसी व्यक्ति के यहां जन्म लेने के कारण वे सुविधायें उपलब्ध नहीं होनी चाहियें जो कि दूसरे नागरिक को उपलब्ध नहीं है और इस रूप में ये प्रिवीपर्स या विशेषाधिकार इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए जब कि इस प्रकार की डेमोक्रेटिक स्टेट हम बनाना चाहते हैं जो मौजूदा व्यवस्था है उससे बिलकुल असंगत है और बे-मेल है और समाज के अन्दर कुछ लोगों को जो कि इस प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं उनको सामान्य नागरिक से विशेष अधिकार देकर अलग वर्ग के रूप में रखा जा रहा है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सभापति महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का इतिहास की उन बातो की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो आजादी से पहले सन् 1947 से पहले की बातें हैं। हिन्दुस्तान के लोग बाहर विदेशों में जाते थे-युरोप में या और कहीं हमारे देश के लोगों को होटल में दाखिल नहीं होने दिया जाता था इसलिये कि हम भारत के रहने वाले हैं, गोरी चमड़ी के नहीं है, इसलिये कि हम गुलाम देश के रहने वाले हैं। हमारे देश के नागरिक इसको बहुत रिजेन्ट करते थे। हम जो नौजवान विद्यार्थी थे, आम लोग इस बात को लेकर देश की आजादी के लिये एक जुट हुए। देश के आजाद होने के बाद समाज में इस तरीके का अरस्तर। कुछ लोगों को इस प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हो और राज्य के कोष से विशेष आमदनी मिले और दूसरी तरफ लोग भूखे रहें तो, मैं समझता हूं, वही चीज जो आजादी के जमाने में जिस बात के लिये लड़े थे, आजादी के आने के बाद भी उस चीज को कायम रखना उचित नहीं है, बल्कि उस आजादी के आन्दोलन के प्रति, आजादी के आन्दोलन में शहीद होने वालों के प्रति, देश की आवाज पर जो बलिदान हो गये उन के प्रति भी गद्दारी होगी। देश के लोगों के हाथ म राज्य आने के बाद फिर भी पूर्व व्यवस्था को कायम रखें जिसके खिलाफ लड़े थे और जिसको पूरा कराने के लिये हम वचनबद्ध थें।

सभापति महोदय, आज बड़े जोर शोर से भूतपूर्व नरेशों की तरफ से इस प्रस्ताव का जो आज सदन के समक्ष रख रहा हूं बहुत तीव्रता के साथ विरोध किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव मैं रख रहा हूं, जो प्रस्ताव मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है वह केवल भावना का सवाल नहीं है किन्तु देश में हम किस प्रकार की व्यवस्था बना कर चलना चाहते हैं, किस प्रकार का सामाजिक न्याय हम कायम करना चाहते हैं इस आधार पर यह प्ररताव रखा जा रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह दलील दी जाती है राजाओं की तरफ से और कुछ उन लोगों की ओर से जो उनकी राय से सहमत हैं, और इन प्रिवी पर्सेज और विशेषाधिकारों को जारी रखना चाहते हैं। तीन चार तरह की दलीलें उनकी तरफ से दी जाती हैं। एक इस बात की दलील दी जाती है कि जब हमारा देश आजाद हुआ और अंग्रेजों ने अपनी पार्लियामेंट में जो इन्डिपेन्डेन्स आफ इन्डिया एक्ट 1947 था पास किया उसके आधार पर हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और देश के तमाम राजा लोग उन सब को सावरिन कर दिया गया था। और इस रूप में राजाओं की तरफ से यह दलील दी जाती है कि वे हिन्दुस्तान के इस संविधान के तहत हिन्दुस्तान के रिपब्लिक में एक सोवरिन रूलर्स के रूप में शामिल हुए और इस तरह से यह संविधान इनके म्युचुअल एग्रीमेन्ट का एक नतीजा था और रूस रुप में इस संविधान में कोई भी परिवर्तन, संशोधन, जहां तक उनके प्रिवीपर्स और विशेषाधिकारों का प्रश्न है वे यह समझते हैं कि उनकी यह दलील इस संविधान के पीछे उस कोवेनेन्ट की रोक लगी हुई है, एग्रीमेन्ट की रोक लग जाती है जो कि विटो है, जिसको विटो के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए जिसको वे यह समझते हैं कि हमारे उन अधिकारों का परिणाम है उसको भारत की 50 करोड़ जनता यदि चाहे भी तो उनको तरमीम नहीं कर सकती है, संशोधित नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर सकती है । इस प्रकार उनकी ओर से तर्क दिया जाता है । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजाओं की तरफ से सोवरेनिटी का क्लेम करना न तो यह ऐतिहासिक तथ्य है और न यह कभी भी ऐतिहासिक तथ्य रहा है । राजा लोग अंग्रेजों के जमाने में या अंग्रेजों से पहले सोवरिन नहीं थे और न ही जिस समय भारत का विभाजन हुआ 1947 से पूर्व, 14 अगस्त, 1947 को राजा लोग सोवरिन नहीं थे । हिन्दुस्तान की तवारीख इस प्रकार की मिसालों से भरी पड़ी है जबकि राजाओं को अंग्रेजों ने गद्दी से किसी न किसी प्रकार से, किसी बहाने से उतार दिया । इस प्रकार के उदाहरण हैं । किसी राजा ने बेअदबी कर दी । कोई राजा किसी लड़की को उड़ा कर ले गया । कोई राजा किसी ऐयाशी में पकड़ा गया, पटियाला के महाराजा नाभा के महाराजा और कश्मीर के महाराजा को और इस तरह से कई राजा महाराजाओं को गद्दी से उतारा । और जिसको उन्होंने, पैरामाउन्ट पावर ने जिसको मुनासिब समझा उसको गद्दी पर बिठा दिया । मुझे याद है हमारे अलवर में अब राजा जयसिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी का प्रश्न आया. उत्तराधिकारी का प्रश्न पैदा हुआ तो वहां पर कल्याणसिंहजी उनके जायज उत्तराधिकारी थे, हमारी अलवर की जनता जिसे उनका उत्तराधिकरी समझते थे उनको राजगद्दी पर नहीं बिठाया गया और महाराजा तेजसिंहजी जो अब भी वह के रूलर हैं उनको उन्होंने गद्दी नशीन माना । कई तरह की ऐसी कहानियां हैं, जिस तरीके से यह होता था यह यहां की रिलेवेन्सी में नहीं है लेकिन जनता की इच्छा होते हुए भी और जिसका राइट सक्सेशन वहां पर था, चूंकि पोलिटिकल एजेन्ट की ऐसी सिफारिश थी इसलिये पैरामाउन्ट पावर ने उनको वारिस न करके राजा तेजसिंह को रूलर करार कर दिया और वे वहां के रूलर हो गये । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में, आजादी आने के पूर्व और राजा लोग सोवरिन नहीं थे । इसलिये उनकी दलील यह है कि पहले तो नहीं थे लेकिन जो इन्डीपेन्डेन्स ऑफ इंडिया एक्ट, 1947 पास हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जिसको पास किया जिसके तहत महाराजाओं को आजादी मिली, उसके तहत हमको सोवरिन मान लिया गया इसलिये हम अब वापिस नहीं वही सोवरिन के बेसिस पर आज शामिल हुए हैं मैं बहुत ही अदब के साथ उन्हें यह कहना चाहता हूं कि वह एक दिन की चांदनी थी, हिन्दुस्तान की आजादी के रगों के जबकि हिन्दुस्तान के लोग आजाद होना चाहते थे मुस्लिम लीग और जिन्ना ने हठबाजी की, देश की जनता देश का विभाजन नहीं चाहती थी लेकिन न चाहते हुए भी देश के अन्दर खूनखराबा हो, कांग्रेस के नेताओं ने अपनी कम्परोमाइज की पोलिसी के कारण., देश का विभाजन स्वीकार किया । विभाजन इसलिये स्वीकार किया कि कहीं देश के अन्दर रिवोल्यूशन न पैदा हो जाये, देश की शक्ति मजदूरों और किसानों के हाथ में न आ जावे उसने हाथ बढ़ाया राजा नवाबों की तरफ कि कहीं मजदूर-किसान हिन्दुस्तान की आजादी अपने हाथ में न ले ले इसलिये हिन्दुस्तान के पयडल लीडर्स ने हिन्दुस्तान के बुजुर्गाओं ने अंग्रेज इम्पीरिलिस्ट को हटाकर हिन्दुस्तान का बंटवारा मन्जूर किया और उस वक्त हिन्दुस्तान की उस मजबूरी की घड़ी में राजाओं ने लाभ उठाया और ऐसे वक्त में राजाओं ने अपना लाभ उठाने के लिये अपनी कीमत मांगी । एक आदमी का बच्चा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बीमार है और डाक्टर यह कहे मैं नहीं चलूंगा घर से जबकि उसका पाबन्द पैसा उसको न मिल जावे तब मजबूर होकर उसे डाक्टर की फीस चुकानी पड़ती है। जब यह हालत क्रिप्टेट हो गई तो यहां के राजाओं ने भी अपनी कीमत मांगी । जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा। यह नेताओं ने गलत किया या सही यह दूसरा विषय है लेकिन वह पाकिस्तान की मांग पूरी मंजूर करनी पड़ी जबकि कैबिनेट मिशन की ज्वाइंट मिनिस्टरी चली और लियाकत अली खां को फाइनेंस मिनिस्टर बना कर उन्होंने और तमाम कामों को, तमाम एक्ट्स को ब्लॉक कर दिया तब इस देश के अन्दर भयंकर साम्प्रदायिक दंगे हुए । उस वक्त फैडरल गवर्नमेंट को चलाने की बात हो रही थी जबकि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर लार्ड एटली ने यह ऐलान कर दिया था कि हम जून, 48 तक भारत से चले जायेंगे और फैडरल गवर्नमट को पावर सुपुर्द करके चले जायेंगे जबकि इन्टरिम गवर्नमट बनी ही थी और उस इन्टरिम गवर्नमेंट को फैल कर दिया गया था लियाकत अली खां–फाइनेंस मिनिस्टर ने । जिसने हर चीज में किसी न किसी तरह का रोड़ा अटकाया। जिस तरह से मुस्लिम लीग ने रोड़ा अटकाकर हमको मजबूर किया देश के विभाजन के लिये उसी तरह से राजाओं ने रोड़ा अटकाकर हमको मजबूर किया राजाओं की पार्टी बनाकर अंग्रजी फरमायेदारों को, जिनकी अधीनता में ये रहे, अपने उन अंग्रेज आकाओं को कहा आप हमारा भी कुछ करते जाइये आपके पीछे से हमको कौन संभालने वाला होगा? तो इस तरह से अपना केस प्लीड कर के अंग्रेजों को कहा और अंग्रेजों ने यह पार्लियामेंट में एक्ट पास किया और उन तमाम राजाओं को जिनकी 150 रुपये साल की प्रिवीपर्स है, उनको उन्होंने सोवरिन घोषित कर दिया। किन्तु हिन्दुस्तान के अन्दर जिसके पास एक डेढ मील की रियासत थी उसको भी सोवरिन घोषित कर दिया और इस तरह से 562 स्टेट सोवरिन स्टेट्स हो गई और एक हिन्दुस्तान और एक पाकिस्तान । हिन्दुस्तान को 564 हिस्सों में अंग्रेजों ने बांट दिया। राजा लोग आज इस एक्ट की बात करते हैं । इसी इन्डीपेंडेन्ट ऑफ इंडिया एक्ट की बुनियाद पर सोवरेंटी क्लेम करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इससे पहले आप सोवरिन नहीं थे। आप पैरामाउण्ट पावर के अधीन थे। आपका पूरा इतिहास भरा है। फिर इस बात की दलील देने की जरूरत नहीं है । एक रात में जो पैरामाउण्ट पावर्स छीन कर जो सोवरेंटी कागजों में दी गई थी वही दूसरे दिन सुबह इंडियन यूनियन को सरेन्डर कर दी, वह उसमें विलीन हो गई। जैसे पैदा हुई थी वैसे ही वह विलीन हो गई और इंडियन यूनियन के आप एक अंग बन गये। इंडियन यूनियन में इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देकर दस्तखत दिये और उसके बाद आप दस्तखतों से इंडियन यूनियन के अन्दर समाविष्ट हो गये। इस संविधान के अंदर, इस रिपब्लिक का जिस तरह से पोलिटिकल नक्शा बना उसके मुताबिक आप उसके अंदर एडजस्ट हो गये। यह बात सही है कि हमारे संविधान के जो आर्टिकल हैं 291, 362, 363 और 366 उसमें इस कोविनेन्ट का जिक्र है। जो कोविनेन्ट आपकी स्टेट का इन्टीग्रेशन होते वक्त भारत सरकार और राजाओं की स्टेट के बीच में हुआ और उसके तहत प्रिवीपर्स और स्पेशल विशेषाधिकार जो उनको अदालत वगैरह का विशेषाधिकार है और इन ट्रीटीज के बारे में उनको अदालत में नहीं बुलाया जायेगा यह सब जो विशेषाधिकार है यह हमारे संविधान में दर्ज है । तो मैं यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अर्ज करना चाहता हूं कि सावरेंटी की थ्रेसिस पर राजाओं द्वारा प्रिवीपर्स या विशेषाधिकार को क्लेम करना आज हिन्दुस्तान की जनता के उन पुराने जख्मों को तरोताजा करना है। किस हालत में, किस मुसीवत में अंग्रेजों की बुनियाद पर इस देश की जनता की छाती पर बैठ कर राजाओं ने अंग्रेजों को मजबूत करने की कोशिश की है और जिसकी बदौलत आपने उनसे अपने को सावरेन डिक्लेअर करवा लिया। हिन्दुस्तान की जनता ने आपके साथ सहृदयता का वर्ताव किया है बावजूद आपके पुराने इतिहास की जानकारी होते हुए। आपका इतिहास आपके कार्यों से भरा पड़ा है। 1947 से पहले का इतिहास आप देखिये क्या है और आज आप क्या कह रहे हैं? राजा लोग कुछ नेताओं के भाषणों का उद्धरण दे देते हैं। जो कुर्बानिया, जो देश भक्ति और जो देश के लिये अन्य कुछ कुर्बानियां राजाओं ने दिखाई है वह एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के निर्माण में उनका है। यह बात सही है कि इस प्रकार की शब्दावली इस प्रकार की बातें स्वर्गीय सरदार पटेल ने कॉन्स्टीट्यूएण्ट असेम्बली में भाषण देते हुये कही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह तो केवल मात्र औपचारिकता ही थी। वास्तविकता क्या है? देश को एकीकृत रखने में साम, दाम, दण्ड, भेद सभी नीतियां अपना कर सरदार पटेल ने सब को साथ रखा। मैंने सरदार पटेल का भाषण अलवर में सुना था। अलवर के अंदर जिस समय फौज आई और वहां के राजा को इस बात के सन्देह में पकड़ा गया कि महात्मा गांधी की हत्या में उनका हाथ है, तो वहां के राजा के इशारे पर वहां की फौज ने बगावत करने की कोशिश की ज्योंहि उन्होंने जरा सिर उठाया कि सरदार पटेल वहां पर आये और उन्होंने कहा "उन लोगों को जो तलवार के बल पर राज करते रहे हैं उनको मालूम होना चाहिये कि आजाद हिन्दुस्तान में उनकी तलवार से तो ज्यादा कद्र महतर के झाड़ू की है, वह तलवार से ज्यादा उपयोगी है। यह बात उन्होंने वहां पर कही थी। यह बात 7 जनवरी, 1948 के करीब की है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सरदार पटेल ने राजाओं के इन्टेग्रेशन के बारे में कुछ सद्भावनापूर्ण बातें भी कही हैं लेकिन उसके साथ साथ उनको राजाओं के साथ नेगोशियेशन्स करने पड़े, बातचीत करनी पड़ी उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस बारे का एक छोटा सा सेन्टेन्स है वह मैं पढ़कर सुनाता हूं जिसे वी० पी० मेनन ने अपनी किताब में लिखा है:

"Sardar Patel in his letter to Gandhi on August 11, 1947 wrote—

'For the last 15 days I have been occupied with the princes. It is so taxing. There seems to be no end to the intrigues of Nawab of Bhopal. He is working day and night to cause a split amongst the princes and to get them out of the Indian Union. Princes are weak beyond measure; they are gully of selfishness, falsehood and hypocracy."

ये सरदार पटेल के शब्द हैं जब कि वे नेगोशियेशन्स द्वारा इन्टेग्रेशन की बातचीत कर रहे थे। सभापति महोदय, यह बात

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किसी से छिपी हुई नहीं है। हमारे जोधपुर महाराजा जैसलमेर के महाराजकुमार को साथ लेकर मि० जिन्नासे मिलने गये। वह इसलिये कि उनके राज्य का इन्टेग्रेशन पाकिस्तान के साथ हो...

श्री बालसिंह सोढा: यह बात आप गलत कह रहे हैं कि जैसलमेर के महाराज-कुमार उनके साथ थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं वी० पी० मेनन की किताब के आधार पर कह रहा हूं।

'The Maharaja of Jodhpur went to Mr. Jinnah and took the Maharajkumar of Jaisalmer withhim,as he dared not to go alone Jinnah signed a blank sheet of paper and gave it to the Maharaja saying "you can fill in all your conditions,"

श्री मदनसिंह: यह बात वाकई मेनन ने लिखी है। लेकिन आप इस बात को भूल गये सरदार पटेलकी जान बचाई थी महाराजा जोधपुर ने अलवर के अन्दर जिस वक्त वे जोधपुर से उनके साथ गये उस समय वे अकेले ही उनके साथ थे। आप प्रिवीपर्स के नाम पर रूलर्स की जो सेवायें थीं उनको दबाना चाहते हैं। आप तो यह कहिये कि प्रजातंत्र में ये अधिकार नहीं चलने वाले हैं। आपने चाइना से जो हथियार आ रहे हैं उसके संबंध में कभी कहा है। आपकी पार्टी के लोग कलकत्ता में और अन्य स्थानों पर क्या कुछ नहीं कर रहे हैं उन बातों को आप नहीं कहेंगे। आपतो केवल इस बात पर कहिये यह होनी चाहिये या नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं निवेदन कर रहा था मुझे यह याद अच्छी तरह से है। अलवर के महाराजा ने बावजूद पबलिक ओपीनियन के आखिरी वक्त तक इन्स्ट्रूमेन्ट आफ एक्सेशन पर दस्तखत नहीं किये। राजाओं की मिटिंग होती रही। जितने प्रयत्न हो सकते थे इन्डीन्पेडेन्ट रह सकते हैं या नहीं इस प्रकार से काफी कोशिशें उस जमाने में होती रहीं। इसी संदर्भ में सरदार पटेल ने बातचीत करके चाहे कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े, उनका यह मकसद रहा कि हिन्दुस्तान एक होना चाहिये। राजा लोग बिखर न जांय दुश्मन अंग्रेज खड़े हैं, उधर पाकिस्तान खड़ा है। वह और तरह की साजिश रचने को तैयार है कि किसी तरह से यहां 562 राजाओं को मौका मिल जाय और किसी तरह से हिन्दुस्तान में गृह युद्ध छिड़ जाय। यह उनको खतरा था कि इस तरह की स्थिति हो सकती है। इस दृष्टिकोण से यह सारे कवेनेन्ट्स साइन हुए और एग्रीमेंट्स हुए। ये तमाम कंसेशन्स प्रिवी पर्सेज और प्राइवेट प्रोपर्टी और विशेषाधिकार को स्वीकार किया गया।

सभापति महोदय, जहां तक गवर्नमेंट आफ इंडिया का ताल्लुक है उसने दस लाख रुपये की सीलिंग मुकर्रर कर दी। दस लाख से ज्यादा किसी को न दिया जाय। चूंकि स्टेट्स की इनकम और राजाओं की इनकम का प्रोपोर्शन बान्धना मुश्किल था, व्यवहारिक नहीं था क्योंकि कि बहुत सी स्टेट्स में तो कोई अकाउन्ट्स भी नहीं थे। कई जगह राजाओं की पर्सनल इनकम और स्टेट की इनकम का डिमार्केशन था ही नहीं। भारत सरकार ने दस लाख रुपये की सीलिंग रखी। इस पर बड़े बड़े धुरन्धर राजा थे वे बिगड़ गये। पाउण्ड आफ फ्लेश एट दी मोमेंट लेंगे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यहां तक उन्होंने क्लेम किया। इस तरह से कवेनेन्ट पर दस्तखत हुये। प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार और पर्सनल प्रॉपर्टी मन्जूर की गई हैं। इस तरह से अंग्रेजों की पार्लियामेंट ने कानून के अन्तर्गत हिन्दुस्तान की आजादी के साथ षडयन्त्र रचकर पाकिस्तान से हाथ मिलाने की साजिश में, इस संन्दर्भ में, यह कवेनेन्ट्स मंजूर किये गये। आप उसकी दुहाई देकर इसके ऊपर नैतिकता की बात कह कर कि इसको बदलना वायदा-खिलाफी होगी, राजाओं की देशभक्ति पर उनकी कुर्बानी पर पानी फेरना होगा। मेरा उनसे निवेदन है कि वे ठन्डे दिल से अपने इतिहास को सोचने का प्रयास करें।

1857 में हिन्दुस्तान की जनता ने अंग्रेजों के शासन को उलटने की कोशिश की। जब रानी झांसी मैदान में आई अंग्रेजों के खिलाफ तो सींधिया महाराजा अंग्रेजों का झण्डा हाथ में लेकर झांसी की रानी के खिलाफ लड़ने गये। उधर दिल्ली की जनता लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ तो पटियाला के महाराजा, नाभा के महाराजा मलेरकोटला के नवाब इन्होंने अंग्रेजों का झण्डा उठा कर देश की आजादी के लिये लड़ने वाली प्रजा के साथ लड़ाई की और उसका उन्होंने फायदा उठाया इसका इनाम मिला। उनको उसके इनाम स्वरूप पटियाला को नारनोल का इलाका, नाभा को भुवाली और जिन्द को दादर का इलाका मिला। वह इसलिये मिला कि उन्होंने हिन्दुस्तान की जनता से गद्दारी की। महाराजा ग्वालियर को इसलिये इनाम मिला कि उन्होंने रानी झांसी जैसी बहादुर कमाण्डर के खिलाफ अंग्रेजों का झंडा लेकर वे लड़े। यही है क्या आपकी देश भक्ति का इतिहास ?

एक माननीय सदस्य : एक नवाब लोहारू तो यहीं पर हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : नवाब लोहारू हैं, जो भी उनका इतिहास है वह 1947 से पहले का है।

सभापति महोदय, मुझे भी याद है जब मैं छात्र था बाहर पढ़ता था। जब मैं अलवर आया वहां पर महल देखने के लिये गया। गर्मी के दिन थे। मेरे सिर पर छाता तना हुआ था। मेरे छाते को देखकर सिपाही भागा हुआ मेरे पास आया जैसे मेरे पास एटम बम हो, या मैंने देखा कि कोई भैंस पास में बन्धी हुई है क्या जो मेरे छाते से भिड़क रही है ? उस सिपाही ने आकर कहा महाराजा का हुक्म है कि आप छाता लगाकर महल में प्रवेश नहीं कर सकते।

श्री मदनसिंह : अगर कम्युनिस्ट भी इतने नाजुक होते थे उस समय जो छाता लगाकर चलते थे तो महाराजा तो नाजुक हों तो क्या बात है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने खूब पॉइन्ट पकड़ा है आप इस पर बोल लेना। सभापति महोदय, जहां अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश इण्डिया के अंदर लड़ाइयां चल रही थीं उस समय देशी राज्यों में भी प्रजा मंडल के द्वारा आन्दोलन चल रहा था उस समय राजाओं द्वारा जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ यह आपको नहीं भूलना चाहिये। जैसलमेर में सागरमल गोपा को जलाया गया। आज उसी गुमानसिंह एस० पी० को सरकार पदक दे रही है। हिन्दुस्तान की आजादी के लिये रमेशचन्द्र स्वामी को भरतपुर के अंदर हाथी के पैर के नीचे कुचल कर उनको मार दिया गया। आज यह बात अलग है कि वह कांग्रेस के टिकट पर आकर चुनाव जीत कर एम० पी०

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बनते हैं। यह बात है कि आज उनसे कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है लेकिन अगर वे आज देशभक्ति का जामा पहन कर इस बात का क्लेम करें कि वह देशभक्त हैं, देश की आजादी के लिये साथ साथ लड़े हैं, मैं समझता हूं यह इतिहास को झुठलाना होगा। हो सकता है, एक दो मिसालें ऐसी भी हों। हो सकता है ऐसी भी एक दो मिसालें हों कि जिसमें राजा और जागीरदारों ने देशभक्तों की उस जमाने में मदद की हो। आजादी के आन्दोलन में सहायता दी हो। पर यह एक्सेप्शन हो सकता है। जनरल रूल नहीं हो सकता। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि सॉवेरेन्टी के बेसिस पर देशभक्ति और कुर्बानी की बेसिस पर आज अगर राजा लोग यह कहें कि उनके प्रिवीपर्स नहीं लिये जाने चाहियें, उनके विशेषाधिकार नहीं खत्म किये जाने चाहिये तो मैं समझता हूं कि इस आधार पर उनका क्लेम कहीं भी नहीं टिकता, बल्कि इस आधार पर जोर दिया गया तो लोगों को पुरानी यादें तेज करावेंगी, पुराने जख्मों को हरा करेंगी। इसका नतीजा यह होगा कि ऐसे लोग जो यहां पर यह कह सकते हैं कि विवेकानन्द आश्रम में इस प्रकार से उसे तड़पा कर मारा, उस को पकड़ना चाहिये, गिरफ्तार करना चाहिये तो हम आज भी कह सकते हैं कि अगर वह बात की गई तो कि जैसे सागर मल गोपा को मिट्टी का तेल डालकर कुछ लोगों ने जलाया इस वक्त की सरकार की हिम्मत नहीं थी आज उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये। जेलों में डाला जाना चाहिये? रमेश स्वामी को कुचल कर खतम किया उनको जेलों में डालना चाहिये। उन पर मुकद्दमे चलाये जाने चाहिये। पुराने खाते नहीं खोले जावें इस बात की बुनियाद पर हमने सारी बातें की है। अगर पुराने खाते खोलकर उसकी बुनियाद पर कुछ कहना चाहते हों और लेना चाहते हों तो खोल लो वे खाते और देख लो जमा और नाम देख लो। जमा अगर तुम्हारा निकले तो ले लो, और नाम अगर निकले तो दे दो। पर अगर यह पुराना इतिहास खोलना है तो सारी ही बातें खोली जावें। जिस तरह से लोगों पर जनता पर जुल्म किया है, जिस तरह लोगों पर अत्याचार किये हैं लोगों का भीषण शोषण किया है वह आपका नेगेटिव साइड है और पोजिटिव साइड मुझे पता नहीं। भैरोंसिंह जी को याद है शायद आप जब बोलें जब बता सकते हैं। तब हिसाब किताब लोग लेंगे कि कौनसे साइड में कमी है और कौनसे में ज्यादा है।

तीसरी बात जिसके आधार पर प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार की बात कही जाती है वह है कानून का आधार। यह क्लेम किया जा रहा है कि चूंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 291-362-363-366 के अन्दर इन अधिकारों को स्वीकार किया गया है इसलिये यह हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार हैं जिनको लिया नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता। मेरा यह निवेदन करना है कि संविधान के अन्दर संशोधन करके इन अधिकारों को जैसे दिया गया था वैसे ही लिया भी जा सकता है। भारत सरकार ने कानूनी सलाह भी इस बारे में ली है और मैं समझता हूं कि इसका कोई भी आदमी इसक मतलब यह लगावे कि आर्टिकल 291 को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यह कवेनेन्ट पर आधारित है जो इन्स्ट्रूमेन्ट ऑफ एक्सेशन के बाद मर्जर के वक्त दस्तखत किये थे जिस पर अगर उस कवेनेन्ट की हैसियत संविधान से अधिक मानते हैं तो यह हमारी निगाहों में यह संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं है। संविधान

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को बदला जा सकता है। संविधान में तरमीम की जा सकती है। और हिन्दुस्तान की जनता जिस प्रकार चाहे संविधान को बदल सकती है, उसे नया बना सकती है।

यह बात अलग है कि 26 जनवरी, 50 को जो हमने संविधान मन्जूर करके जिस तरह से हमने अपनी स्टेट बनाई है हम बिल्कुल नया संविधान बनाकर और डेमोक्रेटिक सेट-अप कायम कर सकते हैं। हिन्दुस्तान की जनता सॉवरेन है। भारत की जनता की सॉवरेन्टी को छीना नहीं जा सकता। आप अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते और खटखटाते हैं तो हिन्दुस्तान की जनता को परवाह नहीं है। आप पासपोर्ट लेकर इंगलैंड में जाकर वहां की सिटिजनशिप को हासिल कर सकते हैं। पर हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट और जनता पर ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार अब कोई दबाव डाल सकती है इसकी कत्तई सम्भावना नहीं है। यह किसी तरह सम्भव नहीं है। इस देश की संसद पर और इस देश की सरकार और जनता पर ब्रिटिश सरकार का और ब्रिटिश संसद का कोई अधिकार नहीं है। और ये अधिकार ऐसे ही नहीं हैं जैसे हिन्दुस्तान की संसद को ब्रिटिश संसद के बारे में कोई अधिकार नहीं है। जैसी ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है वैसे ही हम सॉवरेन हैं। अगर किसी राजा के दिमाग में इस प्रकार का कोई खयाल आता हो और जैसा कि प्रिन्सेज कन्कर्ड ने एक पब्लिकेशन निकाला है जिसमें कहा गया है कि इसके लिये यहां से न्याय नहीं मिला उनको उनके विचारों के अनुसार तो वे इन्टरनेशनल कोर्ट को खटखटावेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को खटखटावेंगे। तो मैं आपको यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं मेरी राय में वह देट एक्ट ऑफ देम विल बी ट्रीटेड एज ट्रेटर ऑन देअर बिहाफ।

वे अगर यह समझते हों कि उनकी अपनी कोई सॉवरेन्टी है तो वे सॉवरेन न कल थे, न आज हैं। न उनका किसी का कानूनी हक बनता है। हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट सॉवरेन है। कोवेनेन्ट उसमें मर्ज हो गया। कोवेनेन्ट की हैसियत इससे अधिक नहीं है। इस देश की जनता इससे भी ज्यादा रेडिकल चैंज इस संविधान में कर सकती है।

इसलिये, सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानूनी दृष्टिकोण से बैंक नेशनलाइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, राजा लोग खुश हैं, और यह सोच कर निश्चित हैं कि एक साइड तो उनकी बहुत पक्की मौजूद है जहां पर जाकर कोई न कोई सहारा उनको मिल सकता है। ऐसा वे सोचते हैं। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो देश में संघर्ष चल रहा है वह मामूली कानूनी दांवपेच का संघर्ष नहीं है। यह संघर्ष दो वर्गों के बीच का है। एक तरफ वे हैं जो भूख से पीड़ित हैं, गरीब हैं, कमर तोड़ गरीबी है, बेबसी है, कमजोर हैं, बेकार हैं और दूसरी तरफ वे हैं जो काम कुछ करते नहीं, करना भी नही चाहते ऐश-आराम में जिन्दगी बिताना चाहते हैं, तो इस तरह से यह हैव नॉट और हैव्ज का संघर्ष है। स्टेटस्को और परिवर्तन का संघर्ष है। आप स्टेटस्को मेन्टेन करना चाहते हैं इतिहास की दलील देकर, साधनों की दलील देकर जुडीशियरी का सहारा लेकर और कानूनी की दलील देकर हर किसी तरह स्टेटस्को मेनटेन रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि अब वह युग बीत गया है। आज देश की जनता परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध है, कम

Page No 150

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कस कर खड़ी हो गई है, वह डिटरमीन्ड है। इसके इस रास्ते में जो भी बाधा बन कर खड़ा होगा चाहे वह कानून हो, दलील हो, संविधान हो जुडीशियरी भी हो तो जनता उन सब रुकावटों को दूर कर देगी। वह संविधान में संशोधन कर देगी और जनता अब जिस मंजिल पर पहुंचना चाहती है उस मन्जिल पर पहुंचे कर रहेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर अमेरिका जैसे देश में जब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की इच्छाओं को प्रेसीडेन्ट के कदम को रोकना चाहा तो आप जानते हैं इतिहास जानता है, रूजवेल्ट को क्या कदम उठाने पड़े थे। जनता की इच्छाओं को रोकने वाले जजों को पैक कर दिया। बहुत बड़ी तादाद उनकी बढ़ादी और सरकार की जो पॉलिसी थी, नये डील का जो प्रोग्राम था उसके मुताबिक नये सुप्रीम कोर्ट के जरिये उसकी व्याख्या की गई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं आज कोई कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो जनता सुप्रीम है। जनता किस दिशा में जाना चाहती है यह सबको समझना पड़ेगा।

हमारे कानून को हमारे संविधान को जनता की इच्छाओं के अनुकूल बनाना पड़ेगा। अगर इनमें कोई कमी है तो उसमें संशोधन करना पड़ेगा और देश की अदालतों को भी जनता की भावनाओं को समझ कर इस परिवर्तन में सहायक होना चाहिये वरना स्टट को कान्स्टीट्यूशनल तरीके से इस तरह के स्टेप्स लाजमी तौर से उठाने पड़ेंगे जिससे हिन्दुस्तान की जनता को जो आगे बढ़ना चाहती है वह किसी तरह खत्म न हों। सभापति महोदय मैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

निवेदन करना चाहता हूं..

श्री सभापति : आप कितना समय लेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : 5-7 मिनिट। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो कॉन्कार्ड लिट्रेचर मैंने वितरित किया है..

कई माननीय सदस्य : हमें नहीं मिला।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कभी मिला होगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : हमें नहीं मिला।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत पहले, अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है... प्रिवीपर्स और प्रिविलेज की कापी है। उसके अन्दर हर तरह की दलीलें और नैतिक अपीलें की गई हैं नैतिक आधार पर सोचना चाहिये। कौनसी नैतिकता गरीबों की नैतिकता या अमीरों की नैतिकता। यह नैतिकता सही है कि कमाने के लिये मेहनत करना जरूरी है या बिना मेहनत किये कमाना सही है यह हमारा अधिकार है, इस पर राजा लोग गंभीरता से विचार करें और मैं कहना चाहता हूं हिन्दुस्तान की जनता ने जब भी अंग्रेजों ने राजाओं के साथ अन्याय किया, उनको हटाया तो हिन्दुस्तान की जनता राजाओं के लिये लड़ी है। कश्मीर के राजा के खिलाफ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐक्शन लिया तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिये कश्मीर की जनता ने आवाज उठाई है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और जब 1922 में, सभापति महोदय, देश बन्धु चितरंजन दास बीमार पड़ गये और उस समय नॉन-कोआपरेशन मूवमेन्ट चल रहा था-अंग्रेजों के अत्याचार के कारण उनकी सेहत खराब होगई तो डाक्टरों ने सलाह दी कि वे कश्मीर में जाकर कुछ अर्से रहें तब उस कश्मीर के महाराजा को देखिये जिसन डेमोक्रेटिक मूवमेंट की लड़ाई लड़ी और उसी कश्मीर के राजा ने देशबन्धु चितरंजन दास को अपनी कश्मीर स्टेट में बीमारी के वक्त में भी रखने से इन्कार कर दिया और उन्हें कहा गया, हम नहीं रख सकते हैं अगर वे यह लिखकर दें कि हर तरह तरह की पोलिटिकल मूवमेंट को सरेन्डर कर दें। देशबन्धु चितरंजन दास जैसे हमारे नेता थे और कश्मीर के राजा का उनके साथ यह रवैया रहा। इसी तरह पटियाला के राजा सन् 1935 में इटली गये और वहां मुसोलिनि से मिले और मुसोलिनि से मिल कर यह कहा कि अगर आप – जो उस समय मेम्बर ऑफ प्रिन्सेज चेम्बर के चान्सलर थे– हिन्दुस्तान पर हमला करेंगे तो हिन्दुस्तान के सारे राजा आपकी मदद करेंगे बशर्ते आप मुझे कमान्डर-इन-चीफ बना दें। यह जेरमनि-दास ने एक किताब लिखी है उससे उद्धरण में आपको बता रहा हूं...

(माननीय माधोसिंह के कुछ बोलने पर)

...आपको बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि आपके जो पुराने एग्रीमेंट हैं उसमें...

श्री माधोसिंह : मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। मैं तो भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति में भी मदद देना चाहता था..

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बिलकुल गलत बात है। जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे उस समय पता नहीं आप कहां थे? 1952 में आप कहां थे, यह भी मैं जानता हूं और 1962 में आपने जयनारायण जी के खिलाफ क्या क्या किया यह भी मैं जानता हूं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

आप जैसे वकील खड़े होकर कहें तो मेरा केस मजबूत होगा।

श्री माधोसिंह : मैं वकील नहीं हूं। आप गलत उदाहरण दे रहे हैं इसलिये कहना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात मैं जानता हूं इधर भी कुछ प्रिवीपर्स वाले लोग बैठे हैं और उधर भी कुछ प्रिवीपर्स वाले लोग बैठे हैं इसलिये उनको थोड़ी परेशानी हो रही होगी लेकिन मैं कहता हूं इसको आप दलीय दृष्टि से समझने की कोशिश न करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह उनकी देशभक्ति थी, पेट्रियोटिज्म था? इसलिये मोरल बेसिस पर, नैतिकता के आधार पर इस प्रिवीपर्स के क्वेश्चन को, इन विशेषाधिकारों के प्रश्नों पर आज विचार करने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहूंगा हमारे लीडर ऑफ दी अपोजिशन से...

(श्री माधोसिंह के व्यवधान करने पर, अश्रव्य)

मैंने कई बार इस सदन में नैतिकता से बात करने वालों के लिये कहा है। आज भी राजाओं का एक एटीट्यूड है। मैंने कई बार पाउण्ड ऑफ फ्लेश के बारे में कहा है। कितनी बार मैंने इस बात को भी उठाया है कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अलवर में जो विजयसागर बान्ध है, वह महाराजा साहब की प्रोपर्टी में इन्क्लूड हो गया। उस बान्ध में हजारों बीघा किसान की मिल्कियत डूबी रहती है। महाराजा साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि इसकी मोरियां खोल दी जांय तो काफी सिंचाई हो जायेगी। कम से कम 20 हजार मन गेहूं उसके अन्दर पैदा हो सकता है लेकिन वे इस बात पर टस से मस न हुये। हाई कोर्ट में राजाओं की रिट पड़ी है, जमीन के बंटवारे का सवाल है, भूमिहीन तरस रहे है – एक एक बीघा जिन बिस्वेदारों ने खरीदी उन पर सीलिंग कर दिया यह अत्याचार नहीं है तो क्या है? राजा लोगों की जमीन का कानून बनाया तो हाई कोर्ट में चले गये। सांप मर जाय लेकिन अन्तिम दम तक छटपटाता रहेगा वैसी ही बात है। आज भी राजा लोग कहते हैं, हमने कुर्बानी की है लेकिन आपकी असलियत और वास्तविकता इस बात से नजर आती है। 1964 में जो कानून पास किया गया उस कानून के तहत और लोगों ने जमीनें लीं और पैसे देकर जमीनें खरीदीं उनकी जमीनों को हड़प रहे हैं लेकिन राजाओं ने तो पैसे देकर भी नहीं खरीदीं और अपना कब्जा कर लिया। आज आप जंगा फूला की बात कर रहे हैं। उनको खत्म करके आज आप सोवरेन्टी कायम नहीं रख सके....

(4.08 म०प०)

(श्री निरंजनाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

इनका डेवलेपमेंट एक ही तरीके से हुआ है लेकिन फर्क यह है कि एक राज सत्ता स्वीकार करे और उसका रिकोगनिशन करा लिया वह राजा कहलवाये वरना वह जंगा-फूला की दिशा में ही शामिल होते है तो अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था जो प्रस्ताव मैंने सदन में समक्ष रखा है मैं समझता हूं कि आज देश में जिस प्रजा तान्त्रिक व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, उसके वह अनुकूल है। उस प्रस्ताव को आप सब लोग सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे। इसी आशय के साथ मैं सदन में इसको विचारार्थ रखना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं नेता महोदय.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल के विषय में एक स्टेटमेंट देना था। इस सम्बन्ध में 4 बजे का समय निश्चित् किया गया था वह हो जाना चाहिये।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, दो – चार नई बातें है। 10 मिनिट मुझे दे दिये जांय।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मैं तो अवसर दे रहा हूं। माननीय नेता महोदय-विरोधी दल के हैं, उनको अवसर दे रहा हूं, लेकिन एक व्यवधान बीच में ...

श्री मदनसिंह: मैं बोल जाता तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष: स्टेटमेंट का भी प्रश्न आ रहा है.....

(श्री अध्यक्ष)

मैंने कहा था कि इसके बारे में वह स्टेटमेन्ट हो जायगा। मेरा ख्याल है मैं नेता महोदय को समय दे दूं। वह कोई दस पन्द्रह मिनिट लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : स्टेटमेंट में क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष : इसके लिए सेन्स लेना चाहता हूं माननीय सदस्यों का।

श्री भैरोंसिंह : सेन्स का क्या सवाल है आपने स्वयं ने व्यवस्था दी थी कि 4 बजे स्टेटमेंट दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था तो कई देता हूं लेकिन उसके बाद में भी देखना पड़ता है मुझे।

श्री भैरोंसिंह : स्टेटमेंट दिलवा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर बहस हो जाने दें। स्टेटमेंट फिर भी आ जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रिवीपर्स का मामला तो कोई 5 करोड़ का ही है और वह 45 करोड़ का मामला है। राजा-महाराजाओं का प्रिवीपर्स है और उस पर भावनायें व्यक्त कर सकते हैं बाकी इस पर पार्लियामेंट को डिसीजन लेना है। आप अपनी भावनायें व्यक्त कीजिये, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं भी बोलूंगा लेकिन प्रश्न जिस प्रकार का महत्वपूर्ण है वह एट दी फैंग एण्ड ऑफ दी सेशन लेना चाहें उसमें आपत्ति है। आप पहले इस स्टेटमेंट वाले मामले को ले लें और फिर चाहें 12 बजे तक उस पर डिबेट कर लें। पहले इस प्रश्न का निपटारा कर दिया जाये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : एक पक्ष का भाषण हुआ है इसलिये दूसरे पक्ष को भी ले लिया जाये।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता इसके ऊपर विस्तार से घन्टा, डेढ घन्टा तक कहेंगे क्योंकि वह खुद महाराजा भी हैं। इसलिय इस बीच में थोड़ा सा पांच, दस मिनिट के लिये अपना दृष्टिकोण दे दूं।

श्री अध्यक्ष : दृष्टिकोण मैं भी देना चाह रहा हूं लेकिन सवाल यह है कि उस स्टेटमेन्ट को लिया जाय या भाषण को आरम्भ रखा जाय।

श्री भैरोंसिंह : स्टेटमेंट को लिया जाय और इसके लिये व्यवस्था आपने दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं भी जानता हूं। मंत्री महोदय......

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर तो मेरा अमेन्डमेन्ट है और दूसरे मैं यह चाहता हूं कि महारावल साहब बोल लें फिर स्टेटमेंट दिलवाया जाये।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट का प्रश्न है वह राजस्थान के भविष्य से संबंधित प्रश्न है इसलिये पहले इसको लिया जाये। और प्रस्ताव पर बहस चलने दी जाये, आपत्ति नहीं है, लेकिन वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे राजस्थान के अकाल का, सुरक्षा का और रोजगार का और बहुत सारे प्रश्न जीवनयापन के संबंधित हैं। इसलिये इस प्रश्न को पहले लिया जाये क्योंकि यह अत्यन्त आवश्यक है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान केनाल का बहुत बड़ा मामला हो सकता है। मगर रामानन्दजी

(श्री मदनसिंह)

बोले उस समय भी वह प्रश्न था तो क्यों नहीं उसको पहले ले लिया गया। मैं समझता हूं अध्यंक्ष महोदय, अगर मुझे आप मौका देंगे...

श्री अध्यक्ष : मौका देने का प्रश्न नहीं आया है।

श्री मदनसिंह : तो फिर इसको खत्म हो जाने दीजिये। बड़ा सीधा है।

श्री अध्यक्ष : है तो सीधा मगर विचार करना कठिन है।

श्री मदनसिंह : मामला इतना है कि कौन किस वजह से कह दे। बाकी तो बहस चल रही है और उस पर आप मौका दिलायें तो ठीक है। नहीं दिलायें तो फिर ठीक है है मैं कनविन्स हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं वजन देकर जरूर चलता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक पक्ष के विचार व्यक्त हो चुके और साथ ही साथ विरोधी पक्ष के नेता के भी विचार आ जायें।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा एक सुझाव है इसके संबंध में.....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आखिर इसकी लीगल वैल्यू क्या है। यह ऐसा विषय है कि जिसको राजस्थान सरकार नहीं निपटा सकती....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर मैं समझ गया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार :.... यह तो विचार व्यक्त करने का प्रश्न है। जब एक तरफ के विचार आ गये तो दूसरे पक्ष को भी मौका मिलना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस संबंध में मैं एक सुझाव दूंगा ....

श्री मदनसिंह : अगर राजाओं का प्रिवीपर्स खत्म हो रहा है तो रात को 12 बजे बाद यह भी देने वाले हैं। आज इनके अभिभाषण के बाद अगर विरोधी दल इस चीज में मजबूती कर ले कि पानी को रोक लें तो मैं कहता हूं कि जरूर बहस होनी चाहिये। पर न वह रुकना है और न प्रिवीपर्स रुकना है यह तो एक बहस है और विचार है।...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण कीजिए मुझे इस संबंध में सोचने दें।

श्री मदनसिंह : विचार तो विचारों से हो तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। उपयुक्त यह होगा कि माननीय सिंचाई मंत्री-जी स्टेटमेंट दें उसके बाद में इस पर वाद-विवाद करके प्रश्न को वापिस ले लेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उस पर भी बहस होगी और फिर समय भी लगेगा। इसलिये पहले दूसरे पक्ष को सुन लिया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह संकल्प कल विचारार्थ हो नहीं सकता। हमें ऐतराज नहीं है कि रात तक कभी भी बैठायें और दूसरे पर कल भी विचार हो सकता है। रात को देर तक भी हो सकता है। आवश्यक दोनों हैं इसमें शक नहीं परन्तु....

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो समाजवाद की बात कही जाती है और पाकिस्तान को आज रात को 12 बजे बाद पानी जायेगा उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। यह राष्ट्र से संबंधित मामला है। राजस्थान की दो करोड़ जनता के जन-जीवन से संबंधित है। राजाओं के प्रिवीपर्स के लिए तो फिर भी कह देंगे।

श्री मदनसिंह : आज राजस्थान की जनता ....

(श्री रामचन्द्र आर्य व श्री मदनसिंह दोनों एक साथ बोलते रहे)

अध्यक्ष महोदय अगर यही बात है तो मैं समझता हूं कि सदन के सारे विरोधी दलों को आज भूख हड़ताल पर बैठ जाना चाहिये। यहां आमरण अनशन होना चाहिय तब तो असर होगा। बहस से पानी रुके, प्रिवीपर्स रुके ऐसी बात नहीं है। यह तो विचार है। विचार चल रहा है। एक विधिवत चीज चल रही है इस संबंध में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो परिस्थिति है उसको देखते हुए शायद उपयुक्त यह होगा कि सिंचाई मंत्रीजी अपना वक्तव्य दे दें और उसके बाद जो थोड़ी बहुत चर्चा उस संबंध में है, हो जाने के बाद विरोधी दल के माननीय नेता और उससे भी ज्यादा कुछ देर और बैठना चाहें तो सदन का समय बढ़ाकर बैठ जाय। लेकिन स्टेटमेंट का मामला रखा है इसलिये वह रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्रीजी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You will be influenced by the time. It is 4.20.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : But I will not be this.

शासकीय वक्तव्य
भारतीय नदियों का पानी पाकिस्तान में न जाने देने सम्बन्धी

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया जिसके अन्दर यह शंका व्यक्त की गई कि 31 मार्च, 1970 को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रावी व्यास वाटर की ट्रीटी है उसका पीरियड खत्म होता है और कल से उस ट्रीटी के अनुसार पानी पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिये वह जायगा और इससे हिन्दुस्तान को और खास तौर से राजस्थान को बहुत नुकसान होगा यह आशंका मन में रखते हुए उन्होंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

उसके सम्बन्ध में मुझे आज ही वक्तव्य देने का आदेश हुआ। इस थोड़े से समय में जितनी जानकारी माननीय सदस्यों को अपेक्षित होगी शायद उतनी मैं न दे पाऊं तो उससे माननीय सदस्यों को असन्तोष नहीं होना चाहिये। लेकिन जो भी जानकारी मैं प्राप्त कर सका हूं, जुटा सका हूं वह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

इसके पहले कि इस मामले के मेरिट्स पर मैं कुछ निवेदन करूं इसके बैक ग्राउन्ड की मैं कुछ बातें बतलाऊंगा। 1955 के अन्दर हिन्दुस्तान के अन्दर एक कान्फ्रेन्स हुई जिसके अन्दर रावी, व्यास के पानी को किस तरह से हिन्दुस्तान में इस्तेमाल किया जाये इसके बारे में डिसीजन्स हुए। उन डिसीजन्स के अनुसार यह मान्यता थी कि रावी व्यास में जो पानी है 15.85 मिलियन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

एकड़ फीट वह पानी है इसलिए उस 15.85 मिलियन एकड़ फीट का बंटवारा उस समय इस प्रकार किया गया :—

पंजाब को 5.95 मिलियन एकड़ फीट
काश्मीर को 0.65 मिलियन एकड़ फीट
राजस्थान को 8 मिलियन एकड़ फीट

और पेप्सू को जो उस समय था उसको 1.30 मिलियन एकड़ फीट। यह बंटवारा किया गया और साथ ही साथ यह भी कहा कि अगर नदियों में पानी इससे ज्यादा हो अथवा इससे कम हो तो यह इस तरह से रेस्पेक्टिव स्टेट्स का बढ़ जायगा या घट जायगा, लेकिन काश्मीर का जो है वह बरकरार कायम रहेगा। इस तरह के डिसीजन्स 1955 में हुए। उसके बाद में 1960 के अन्दर इन्डस वाटर ट्रीटी 1960 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई। इससे पहिले जो पुराने पंजाब में और सिन्ध में जो रिवर्स का सिस्टम था उसमें ईस्टर्न (वेस्टर्न) रिवर सिस्टम में चिनाब, झेलम और सिन्ध और वेस्टर्न (ईस्टर्न) रिवर्स सिस्टम में जिसमें सतलज, रावी और व्यास हैं, और सतलज, रावी और व्यास का पानी हिन्दुस्तान के हिस्से में और चिनाब, झेलम और सिन्ध का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया। सन्धि यह हुई कि जो रावी, व्यास और सतलज के पानी से नये बने हुए पाकिस्तान के जो सिस्टम इरिगेट होते हैं उन सिस्टम को अपनी वेस्टर्न रिवर्स के सिस्टम से कनेक्ट न कर ले चाहे मंगला डैम से हो चाहे दूसरे सिस्टम में तब्दीलियां करें तब तक 10 वर्ष के लिए 1 अप्रैल, 1960 से 31 मार्च, 1970 तक पानी के एग्रीमेन्ट के अनुसार उनको दिया जाता रहे। और इसके साथ-साथ आज की एक्सचेन्ज वेल्यू, डिवेल्यूएशन के बाद के हिसाब से लगभग 110 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दिय जायेंगे कि वह मंगला डैम और दूसरे सिस्टम को इस लायक बना लें कि वह उनकी वेस्टर्न रिवर्स के पानी से अपने एरिया इरिगेट करें और 31 मार्च, 1970 के बाद या 1 अप्रैल, 1970 से हिन्दुस्तान इन तीन नदियों का—सतलज, रावी और व्यास—सतलज का भाखरा को ऑर्डर हो चुका है और अब रावी और व्यास का ही पानी गिना जाता है और मान लें कि जो रावी और व्यास का पानी जाता रहा पाकिस्तान को और आज की तारीख से वह बन्द हो जाय और पाकिस्तान अगर चाहे तो तीन साल का एक्सटेन्शन उसको कास्ट बेसिस पर दिया जा सकता है लेकिन आज उन्होंने लेने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की इसलिए उसका प्रश्न पैदा नहीं होता है और हिन्दुस्तान अगर पानी को छोड़ दे तो वह भी छोड़ सकता है और पाकिस्तान का कोई हक नहीं होगा, लेकिन वह कीमत हिन्दुस्तान चार्ज नहीं कर सकता।

इस तरह से इन्डस वाटर ट्रीटी 1960 के अन्दर हुई और उसके हिसाब से जो रुपया देना था 110 करोड़ या जो 6,62,60,000 स्टर्लिंग पौण्ड वह नवम्बर, 1969 तक दिया जा चुका है, और उनके डेम्स वगैरह भी बन चुके हैं। इसलिए आज रात को 12 बजे के बाद पानी की सप्लाई पाकिस्तान को जाना कायदे से बन्द हो जायेगी।

अब यहां पर जो शंका माननीय सदस्यों के दिमाग में है कि ट्रीटी के हिसाब से तो 1 अप्रैल, 1970 से पानी पाकिस्तान को जाना बन्द हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में पानी इसलिए जायेगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर पौंग डैम भी नहीं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बना है और राजस्थान केनाल का निर्माण जिस स्टेज पर होना चाहिए था जैसलमेर के इलाके तक वह नहीं हुआ है इसलिए उसके शेयर को इस्तेमाल करना राजस्थान के लिए भी कठिन है। और पौंग डैम में जब तक स्टोरेज टैंक नहीं बनता है तब तक बरसात के पानी को वह स्टोर नहीं कर सकता है और स्टोर नहीं कर सकता है तो रबी की इरिगेशन के अन्दर वह काम में नहीं आ सकता है। बरसात के अन्दर नदियों में ज्यादा पानी होता है और उतना वह इस्तेमाल नहीं हो सकता है इसलिए यह होगा कि पाकिस्तान में पानी जायेगा।

तो पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो 1 अप्रेल का माननीय सदस्यों ने खतरा बताया है तो मैंने गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से टेलिफोन पर बातचीत की तो पता लगा कि आज रात से पानी बन्द हो जायेगा और एक बूंद भी पानी कल से नहीं जायेगा। यह मैं आप लोगों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि जो गंग केनाल है उसके अन्दर 1600 क्यूसेक्स पानी आज सवेरे से छोड़ दिया गया है। इसी सिस्टम से आम प्रोसेस बन्द करने का सवेरे से हो गया है और उसको स्टार्ट कर दिया है। और इस तरह से गंग केनाल का जो प्रि-पार्टीशन यूटिलाइजेशन शेयर था, पहले से आ रहा था ओवर एण्ड एबाऊ प्रि-पार्टीशन यूटिलाइजेशन शेयर प्लस एडिशनल वाटर ओन काउन्ट ऑफ दिस यह दोनों मिलाकर 1000 क्यूसेक्स तो आज सवेरे से शुरू हो गया है और बढ़ने की संभावना है।

इसी तरह से राजस्थान केनाल में जहां दो-तीन बातें कही थीं और हमने 22 तारीख से भाखरा से 1000 क्यूसेक्स लेने की बात कही थी और 22 तारीख से पानी आना शुरू हुआ था, लेकिन भाखरा में जो लेना शुरू किया था उसको बन्द कर दिया गया है और राजस्थान केनाल में इस रावी-व्यास के एडिशनल वाटर को पाकिस्तान को नहीं देने की वजह से जो बचा है उसकी दो हजार क्यूसेक्स की शुरुआत आज सवेरे से राजस्थान कैनाल के हैड पर कर दी गई है। और कल और परसों जब यह बिल्कुल बन्द हो जाता है तब इसकी क्वान्टिटी जो वहां का पानी इस समय है उसके हिसाब से बढ़ता रहेगा।

अब इसके अन्दर एक बात माननीय सदस्यों को जान लेने की है या दूसरे लोगों के दिमाग में अभी यह तस्वीर है नहीं कि वहां पर पानी किस महीने में इन नदियों में कितना रहता है, कितना आयगा, किस तरह से इस्तेमाल होगा, इस पोजीशन की जानकारी नहीं होने की वजह से रावी और व्यास को पेरिनियल और बहुत बड़ी नदियां मानकर यह कल्पना करने लग जाते हैं कि जैसे ही आज वहां गेट्स क्लोज हो गये और पाकिस्तान को पानी जाना बन्द हो जायेगा तो उनमें इतना पानी आ जायेगा कि हम फ्लड में आ जायेंगे और तब भी पता नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ महीने ऐसे हैं कि जब बरसात के अन्दर काफी पानी आता है और 42 हजार से 50 हजार क्यूसेक्स तक आ जाता है, बाकी इनकी केपेसिटी है इस नदियों का ओवरफ्लों का मीन एवरेज होता है, औसत एवरेज होता है उसके हिसाब से 1700 क्यूसेक्स दिसम्बर में रहता है और 4100 क्यूसेक्स हो जाता है अगस्त के अन्दर तो जुलाई और अगस्त ये दो महीने

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

एसे हैं और कुछ दिन सितम्बर के ऐसे हैं, आमतौर पर ढाई महीने के करीब ऐसे आते हैं कि जिन दिनों में इन नदियों में इतना पानी होता है कि अगर पौंग डैम नहीं बन्धे, और उस पानी का स्टोर करने की व्यवस्था न हो तो वह नदियों में बहता है और पानी पाकिस्तान में न जाकर हिन्दुस्तान में रहे तो उसको इस्तेमाल करने की क्षमता होनी चाहिये जब कि वह पानी पाकिस्तान में नहीं छोड़े तो। तो यह ढाई महीने ऐसे हैं कि जिन दिनों बरसात का पानी रहता है और वह बरसात का पानी, यह क्वान्टिटी जो मैंने बताई है, उस क्वान्टिटी के हिसाब से 100 क्यूसेक पर दो लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती है तो करीब 80 लाख एकड़ का पानी होता है।

श्री भैरोंसिह : आपने जो पानी की मात्रा बताई है वह रावी की बताई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रावी और व्यास की।

श्री भैरोंसिह : व्यास की नहीं रावी की है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दोनों शामिल हैं।

जो पानी पाकिस्तान को जाता है रावी और व्यास का और सतलज का रोपड़ के बाद का वह हिन्दुस्तान का पानी शामिल है.. उसके लिए मीन एवरेजेज हैं। उनके आधार पर मैं निवेदन कर रहा था कि ये ढाई महीने ऐसे हैं कि जिन दिनों में पानी बरसात में नदियों में ज्यादा होगा उन दिनों इनमें पानी रहेगा। पौंग डैम का बान्ध 1973 में पूरे होने, मुकम्मल होने की संभावना है तो 1973 तक इस पानी को कैसे इस्तेमाल किया जाय, यह समस्या भारत सरकार के सामने भी है। और इस पानी में जो राजस्थान का हिस्सा आता हो उसको राजस्थान में इस्तेमाल करने की भी समस्या है। बीच में इस विधान सभा में यह प्रश्न रखा गया था और उस पर डिस्कशन भी हुआ था। इसी आधार पर गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया को इस असेम्बली की भावनाओं की इज्जत करते हुए, व्यक्त करते हुए मैंने एक चिट्ठी भी लिखी थी कि किस किस तरह इस पानी का यूटिलाइजेशन होगा, क्या स्कीम है, क्या डिटेल में वर्क आउट किया है– इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाय ताकि इस सदन के माननीय सदस्यों को इस बात के लिए संतोष हो सके। लेकिन यह कल ही लिखा है इसलिए आज तक पूरी जानकारी आना संभव नहीं था, लेकिन हम राजस्थान के अन्दर यह सोचते हैं कि अभी जो केनाल्स और चैनल्स का सिस्टम बना हुआ है उसमें छः हजार क्यूसेक्स का काम कम्प्लीट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि बारह लाख एकड़ जमीन उससे इरिगेट कर सकते हैं। इस प्रकार से केनाल सिस्टम बन गया है, अब चूंकि वाटर का अमाउन्ट राजस्थान केनाल में ज्यादा है भाखरा और गंग केनाल से इसलिए यह फिगर दस लाख, ग्यारह लाख के बीच में आ केकता है। इसलिये हमने सोचा है कि गंग केनाल में पानी और देना पड़ेगा। इसके अलावा पेरेनियल सिस्टम के द्वारा पानी पहुंचा सकें, उस पानी का इस्तेमाल करना, राजस्थान में अधिक से अधिक क्षेत्र को सिंचित बनाना, और जो कमाण्ड में नहीं है लेकिन जहां पानी पहुंचाया जा सकता है वहां पर पानी पहुंचाना, जो भाखरा में एरिया है उस एरिया को राजस्थान केनाल में ट्रान्सफर करके उस पानी का इस्तेमाल करना, राजस्थान केनाल और

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

फीडर के बीच में लिंक चैनल बनाना—जिस काम को हरियाणा सरकार के सुपुर्द कर दिया और रुपया भेज दिया गया है—वह उसके द्वारा बनवाना, सर हिन्द फीडर से राजस्थान कैनाल में, भाखरा में लाना और भाखरा के सिस्टम को इम्प्रूव करना और उससे अधिक से अधिक जमीन को सिंचित करना—इस सबके साथ साथ अधिक वाटर एलाउन्स देकर जो टीबें हैं उसमें पानी की मात्रा छोड़ कर उसका लेवलिंग करके उसको सिंचित खेती के योग्य बना दें। इस तरह हम इस पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। माननीय सदस्य राजस्थान सरकार की कठिनाई को समझते होंगे कि राजस्थान कैनाल, जिसकी योजना हाथ में ली गई है वह आज 271 करोड़ की योजना है जिसमें 75 करोड़ रुपया पौंग डैम के हिस्से में जाता है, 110 करोड़ फर्स्ट स्टेज में खर्च होगा, बाकी का सैकिंड स्टेज में। इसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी कि हम 110 करोड़ फर्स्ट स्टेज में खर्च कर सकें, 70 करोड़ रुपया आज तक खर्च कर सके हैं। तो अभी फर्स्ट स्टेज में मुकम्मिल लाइनिंग सहित डिस्ट्रीब्यूट्री और चैनल को कम्प्लीट करने का, चाहे वह लाइनिंग का काम हो, यह धीमी गति से चलाये और सैकिंड स्टेज सोची गई है उसमें भी काफी धनराशि की आवश्यकता है। तो कठिनाई तो यह है, जब तक राजस्थान कैनाल का पूरा सिस्टम नहीं बन जाता है तब तक राजस्थान को काफी हद तक अपने हक की रक्षा करने में दिक्कत रहती है लेकिन पौंग डैम के बन जाने पर यह समस्या किसी हद तक, पूरी हद तक नहीं, लेकिन किसी हद तक हल हो सकती है कि जो बरसात में पानी फालतू जा सकता है वह फालतू न जाकर रबी में इस्तेमाल हो जाय। इस तरह पौंग डैम जल्दी से जल्दी बने—इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं। साथ साथ आपके सहयोग और शक्ति के आधार पर राजस्थान कैनाल में अधिक प्राविजन हो, अधिक तेजी से काम चले, सैकिंड स्टेज को जल्दी से जल्दी पूरा करें—इस बात की कोशिश कर रहे है लेकिन जो कुछ परिणाम मिले हैं, आये है कोशिशों के उपरान्त वह आपके सामने है और आगे भी कोशिश जारी है। हमने कई दफा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को सौंपने के लिये, आथोरिटी को सौंपने के लिए, प्लान सीलिंग के बिसाइड रकम देने के लिए, नेशनल प्रोजैक्ट डिक्लेयर कराने के लिए—यह सारी कोशिश कीं लेकिन सारे देश का मसला होने की वजह से, ऐसे दूसरे प्राजैक्ट होने की वजह से गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने इसको स्वीकार नहीं किया। फिर भी इस समस्या के प्रति जागरूक हैं, और हम प्रयत्न करेंगे कि हम हमारे हिस्से के पानी को राजस्थान में इस्तेमाल करें, दूसरी स्टेज का भी अपने स्टेट में इस्तेमाल करें और पाकिस्तान में इस पानी को नहीं जाने दें—इस बात का प्रयत्न करेंगे...

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ जानकारी करना चाहूंगा। एक तो राजस्थान कैनाल में राजस्थान का 52 पर्सेन्ट हिस्सा है जिसके अनुसार आठ मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को मिलेगा, मैं जानना चाहूंगा कि इस पानी के पूर्ण उपयोग के संबंध में राजस्थान सरकार ने क्या अब तक कोई प्रोग्राम बनाया है जिसके आधार पर हमको यह जानकारी मिल सके कि इन नदियों से मिलने वाले पूरे पानी का उपयोग राजस्थान में निश्चित रूप से कर पायेंगे ? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

की ओर से भारत सरकार को यह लिखा गया था कि पौंग डैम के निर्माण की गति को धीमा किया जाय ? अगर यह गति धीमी नहीं की गई और पौंग डैम का निर्माण राजस्थान कैनाल की फर्स्ट स्टेज के पूरा होने के पहले हो गया तो राजस्थान सरकार को पानी लेने में बड़ी कठिनाई होगी ? दो बात । जैसा अभी कहा कि राजस्थान के कुछ लो लेवल में पानी डालने की चेष्टा करेंगे–इस संबंध में क्या राजस्थान सरकार ने सर्वे कराई है कि उसके आधार पर कितना पानी लो लेवल में दिया जा सकता है ? दूसरो बात आपने कहा कि हम गंग कैनाल, माखरा कैनाल-इन कैनाल में और राजस्थान कैनाल में पानी का उपयोग करेंगे तो क्या आपने सर्वे कराई है कि आज एग्जिस्टिंग लेवल पर जितना पानी गंग कैनाल, राजस्थान केनाल, माखरा कैनाल म आता है यहि हमारे हिस्से का पानी इन कैनाल के थ्रू दिया गया तो कितने क्षेत्र में पानी जायगा ? क्या उस पानी के लिए राजस्थान में डिस्ट्रिब्यूट्री और कैनाल का निर्माण कर लिया है ? आपने फर्माया कि अगस्त और जुलाई में पानी की मात्रा बढ़ती है, उस आधार पर कितना पानी बढ़ेगा यह तय नहीं हुआ है कि जुलाई में इतना होगा, मार्च में इतना होगा ? क्या कोई केज प्रोग्राम बनाया है जिसके आधार पर कुल तरीकों के बाद राजस्थान सरकार ने किसी प्रकार का इन्तजाम किया हुआ है कि जिस महीने में जितना पानी बढ़ेगा उसका पूरा पूरा उपयोग कर लिया जायगा ? मैं इन प्रश्नों पर आपसे जानकारी चाहूंगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री): माननीय सदस्य ने तीन चार मुद्दे उठाये एक तो लो लेवल का सर्वे कराया या नहीं? अभी कुछ दिन पहले डिबेट हुई थी, जब माननीय सदस्य ने सुझाव रखा था और उसी आधार पर मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि इस प्रकार के एरिया का कि जहां पर इस तरह ढलाव हो कि आसानी से पानी जा सके इस पानी का वहां पूरा इस्तेमाल हो सके, जमीन ठीक हो सके इसका सर्वे किया जाय । अभी यह चार पांच दिन पहले की बात है इसलिए अभी उसका सर्वे नहीं किया गया है ।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि क्या प्रोग्राम बनाया है कि माखरा में कितना पानी दे देंगे, गंग कैनाल में कितना पानी दे देंगे जिससे कितना इरिगेशन और इन्टन्सिटी बढ़ जायगी, बाकी के पानी का किस तरह उपयोग होगा । हमने बहुत पहले इस बात के लिए तय किया था कि पाइन्ट फोर मिलियन फीट पानी पूरे हिस्से में गंग कैनाल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और पोइन्ट-फोर मिलियन फीट माखरा कैनाल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बढ़ा देंगे । पाइन्ट फोर का मतलब यह है कि दो लाख एकड़ की सिंचाई गंग कैनाल एरिया में इस एडीशनल सोर्स से होगी और इसी तरह से माखरा एरिया में भी दो लाख एकड़ की सिंचाई इस एडीशनल पानी से होगी, चाहे वहां आज पानी नहीं पहुंचता है, उन एरिया को इन्क्लूड किया जाय, चाहे वह कमाण्ड म न हो लेकिन पानी पहुंच सकता है उन एरिया म पानी देकर किया जायगा चाहे आज 62 पर्सेन्ट इन्टन्सिटी है, उसको बढ़ा कर उसका इस्तेमाल किया जाय लेकिन उस पानी का इस्तेमाल माखरा में हो सके, उस पानी का इस्तेमाल

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

गंग कैनाल में हो सके, उस पानी का इस्तेमाल राजस्थान कैनाल में हो सके....

श्री भैरोंसिह : हो सके, हो सके--यह नहीं, क्या इसकी तैयारी है ? आप यह बतायें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तैयारी है। मैं कह रहा हूं, सर्वे करा कर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए पानी की आवश्यकता का अन्दाज लगा कर पाइन्ट फोर मिलियन फीट तय किया है, नहीं तो पाइन्ट फाइव क्यों नहीं हो जाता, पाइन्ट सिक्स क्यों नहीं हो जाता। जानकारी प्राप्त करके, आवश्यकता को महसूस करके, बल्कि पाइन्ट फोर से ज्यादा भी करें तो भी कुछ एरियाज और बढ़ाये जा सकें--इस बात की सम्भावनाओं पर हमें सर्वे करा कर विचार करना पड़ेगा।

इस तरह से गंग कैनाल, भाखरा और राजस्थान कैनाल में 6 हजार क्यूसेक्स पानी की चैनल्स तैयार हो गई है और इससे अधिक सिंचाई हो इस प्रकार के प्रयत्न हम करेंगे आगे जो हम काम करेंगे वह इससे अलग है....

श्री भैरोंसिह : राजस्थान कनाल से कुल कितना पानी ले सकेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह कह रहा हूं न कि हमारी चैनल्स 6 हजार क्यूसेक्स की तैयार हैं। 12 लाख एकड़ की सिंचाई के लिये चैनल्स हमारे पास तैयार हैं। और साल भर में और एडीशनल पोटन्शियल क्रियेट करेंगे और Feeding Ponds हैं वे अलग हैं। हमने इन्जीनियर्स और ओवरसीयरों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें इन सारी संभावनाओं पर विचार विमर्श करके हम कार्यक्रम बनायेंगे। दिल्ली में भी मेरी बात हुई है, जल्दी ही वे इस पर विचार करने वाले हैं। इस तरह से इस समस्या को हल करने की कोशिश की है वह मैंने निवेदन किया।

श्री भैरोंसिह : 1 मिलियन एकड़ फिट पानी के अगस्ट में, कितना पानी लेने की क्षमता रखते हैं, इसके अलावा कितना पानी है, जिसके उपयोग की व्यवस्था नहीं की है ? आज के दिन एक मिलियन एकड़ फिट पानी म से कितना पानी ले सकेंगे। यह बता दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आधा पानी तो राजस्थान कैनाल में ले लगे, और आधे से कुछ कम पानी गंग कैनाल और भाखरा में ले लेंगे। 1 मिलियन फिट पानी ले पायें इसमें और एरिया में एक्स्टेन्ड किया जा सकता है और इर्रिगेट किया जा सकता है, इस पर विचार कर रहे हैं, पुराने हिसाब से तो जो मैंने बताया वह ले सकेंगे।

श्री भैरोंसिह : फिर भी 3 मिलियन एकड़ पानी एसा है जिसको उपयोग में लेने की राजस्थान में कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल और भाखरा इन तीनों के नाम पर 5 मिलियन एकड़ फीट पानी ले सकेंगे? 3 मिलियन एकड़ फीट पानी फिर भी नहीं ले सकते।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पानी तो ले सकते हैं पर आयेगा उस समय नहीं ले सकेंगे।

श्री भैरोंसिह : यही तो हम कह रहे हैं। हम यही तो पूछ रहे हैं कि इस पानी को लेने के लिए आपके पास क्या स्कीम है, इसके लिए आपने आज तक क्या किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जुलाई में नहीं ले सकते, उस समय वर्षा होती है, 42 हजार

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

क्यूसेक्स का कितना फ्लो होता है, इसके लिये जमीन कितनी चाहिए, उसका माननीय सदस्य को अन्दाज नहीं है. . . .

श्री भैरोंसिंह : मुझे सब अन्दाज है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पौंग डेम इसीलिये बनाया जा रहा है कि इस पानी को स्टोर किया जाय और 6 मिलियन एकड़ फीट पानी रबी में दिया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : जो पानी का फ्लो है वह पौंग डैम का निर्माण नहीं होने के कारण नहीं रुकेगा, इसका मतलब यह है कि जो हमें इस ट्रीटी के कारण 8 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए वह पौंग डैम का निर्माण न होने के कारण पाकिस्तान में आधा पानी जायगा ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : पाकिस्तान में कोई पानी नहीं जायेगा । जैसा कि पानी का कहा है इस सारे के बारे में मैंने गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के इरिगेशन मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है । बरसात की मौसम में क्या होगा उसके बारे में मैं आज बताने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री हंसराज आर्य : राजस्थान कैनाल में पानी भाखरा के लिए अपर हिन्द के माध्यम से लिंक से लेंगे, उसके बाद भाखरा का पानी बचता है, उसको लेने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भाखरा में एक तो अभी कमी है, जो बैरेजेज अनकमाडेन्ड हैं, इससे उनमें पानी पहुंचाते हैं तो उस एक्स्ट्रा एरिया की सिंचाई होगी । इसके अलावा इन्टेन्सिटी भी बढ़ायेंगे । कमी है, उसको पूरा करेंगे ।

श्री हंसराज आर्य : कहां पूरा करेंगे ? इस लिंक से भाखरा का कितना पानी बचेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : करण ब्रिज और शार्दूल ब्रिज पर इस लिंक के जरिये पानी आसानी से पहुंचेगा और इन्टेन्सिटी बढ़ेगी, जो पानी बचेगा राजस्थान केनाल में लेंगे ।

श्री हंसराज आर्य : लिंक कर देने से कितना पानी भाखरा का बचेगा, राजस्थान कैनाल में अपर हिन्द से पानी लेंगे, उसमें से कितना पानी बचेगा ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : यह नहीं बता सकता इस समय ।

श्री हंसराज आर्य : इतना बड़ा लिंक बना रहे हैं, अन्दाजा ही नहीं कर सके कि इस पानी का कहां उपयोग करेंगे, बड़ा अफसोस होता है ।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं है ।

श्री केदारनाथ : इस सेटलमेंट में 8 लाख एकड़ फीट पानी हमें मिलने वाला है, वह रावी में से कितना होगा, व्यास म से कितना होगा, सतलज में से कितना होगा ? क्या यह सही है कि रावी में से पाकिस्तान से रिलीज हुए पानी को न आप इस्तेमाल कर सकेंगे और न पंजाब ही इस्तेमाल कर सकेगा ? क्योंकि आप वहां बांध नहीं बना पाये हैं और व्यास का पूरा पानी आप तब तक इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे, चाहे आप गंग कैनाल को राजस्थान कैनाल को और भाखरा को वह पानी दो, पर जब तक राजस्थान कैनाल पूरी नहीं हो जाती, पौंग डैम कम्प्लीट नहीं हो

(श्री केदारनाथ)

जाता, तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, वह पानी कहां जायेगा ? दूसरा यह बता दें कि यह ट्रीटी खत्म होने के बाद यह इन्डस कमीशन रहेगा या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस ट्रीटी के खत्म होने के बाद में यह इन्डस कमीशन रहेगा या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

दूसरा आपका सवाल रहा पानी के इस्तेमाल के संबंध में । पानी का पूरा इस्तेमाल हमारे हिस्से का उस समय हो सकता है जब कि पौंग डैम और राजस्थान केनाल की दोनों स्टजेज कम्प्लीट हो जायं ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे पानी को लेने की आपने कोई व्यवस्था नहीं की और यह पानी पाकिस्तान को जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सुनिये । इसमें साइमल्टेनियसली राजस्थान केनाल के पूरे स्टेजेज और पौंग डैम कम्प्लीट हो तो जैसलमेर तक इस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आज उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और सारा पानी दूसरी जगह देना पड़ेगा । यह स्थिति नहीं है। इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में असेस किये हुए एरिया के अलावा और एरियाज को कमाण्ड में लेने का काम, इन्टेन्सिटी को बढ़ाने का काम, यह काम हम कर रहे हैं जिससे इस पानी का इस्तेमाल हम करें ।

श्री हंसराज आर्य : मंत्री महोदय जो कह रहे हैं, इस पर हमे विश्वास नहीं होता है। क्योंकि आपने पहले भी वायदा किया था कि अमरसिंह ब्रान्च में 17 हजार एकड़ में कमाण्ड करेंगे, वह सब वायदे ही रह गये तो अब जो ये कहते हैं, उसमें हमें बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि यह सब ये कर पायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन : मंत्री महोदय ने बताया कि पाकिस्तान को पानी नहीं जायेगा पर पौंग डैम और राजस्थान केनाल जब तक कम्प्लीट नहीं हो जाती तब तक बरसात वाला पानी पाकिस्तान में जायगा हरियाणा और पंजाब में जायगा । और जब तक हमारे यहां राजस्थान केनाल और पौंग डैम ये कम्प्लीट नहीं हो जाते तब तक जायेगा तो इस पानी पर उनका क्लेम नहीं हो जायेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आज 31 मार्च है, यह वर्क आउट की हुई है कि 31 मार्च को 8750 क्यूसेक्स पानी उसमें होना चाहिए और उसमें राजस्थान का हिस्सा 4400 क्यूसेक्स आता है । आज की एक्च्यूअल पोजीशन 30 मार्च को मालूम करवाई है वह गये साल से 50 प्रतिशत से कम और वह 7580 है, उसमें से हमारा शेयर करीब 4000 से कुछ कम बनता है। तो आज की तारीख है जो भी हमारा शेअर बनता है, उससे अधिक भी बनता हो तो, उसको इस्तेमाल करने की स्थिति में हम हैं ।

यह सवाल तो जब नदी में ज्यादा पानी बरसात का आये उस वक्त का है। उस वक्त के लिए तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया क्या करेगी यह उनके सोचने का विषय है ।

श्री भैरोंसिंह : आप यह कह रहे थे कि परसों गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को आपने

(श्री भैरोंसिंह)

लेटर लिखा है । मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि आज तक क्या कर रहे थे ? क्यों नहीं काफी पहले आपने भारत सरकार को लिखा कि 31 मार्च के बाद एग्रीमेंट के अनुसार पानी हमको मिलना चाहिए। हमारी यह योजना है । अब तक क्यों सोते रहे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : असेम्बली में भी डिबेट्स हुई हैं, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एन्ड पावर को लिखा है और सब ही जगह बुक लैट्स बना कर भेज रहे है ।

श्री भैरोंसिंह : बुक लैट्स से काम नहीं चलेगा । राजस्थान केनाल को पौंग डैम से मिलने वाला पानी, रेनी सीजन का पानी काम में लाना है उसके लिये भी क्या भारत सरकार को लिखा था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसीलिए लिखा था फन्ड्स के लिए ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आपके पास बरसात में अतिरिक्त पानी आवेगा उसको स्टोर करने के लिए आपके पास केपेसिटी है और आपके अधिकारियों के पास पहले से सर्वेड है और सब चीज तैयार हैं, मौजूद है ।

दूसरा प्रश्न यह है कि राजस्थान कैनाल जिस जगह बन चुकी है उसके आगे बनाना है । जैसलमेर तक बिना खोदे ही पानी ले जाने की व्यवस्था हो सकती है, वीरान एरिया है पानी लेजाया जा सकता है, उससे हजारों बीघा जमीन काश्त हो सकती है ।

तीसरा प्रश्न यह है कि भाखरा का पानी बचेगा, राजस्थान केनाल को कवर करने के बाद उसको नोहर फीडर में लाने की चेष्टा की ? और उसकी क्या स्थिति है इन प्रश्नों को आप स्पष्ट कर दें ।

श्री हंसराज आर्य : अब तक आपको जानकारी नहीं है कि कितना पानी निकलेगा ? सर्वे ही नहीं करा सके ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक पानी दिये जा सकने और लो लेवल का सवाल है माननीय सदस्य ने प्रश्न किया । जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को कहा था और प्रश्न के जवाब में भी कहा था कि सर्वे करवा रहे हैं, जानकारी करवा रहे हैं । पानी उपयोग में लाया जा रहा है और अधिक तो क्या किया जा सकता है ।

श्री दौलतराम सारण : आज सर्वे करवा रहे हैं । पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए थी । डाइवर्सन चैनल बनी हुई हैं । अब क्यों सर्वे करवा रहे हैं ? आपके डिपार्टमेंट के पास पहले से पूरी जानकारी होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : प्रिवीपर्स । प्रश्न ।

श्री दौलतराम सारण : हमारी जानकारी के हिसाब से डिपार्टमेंट के पास डिप्रेशन की कैपेसिटी का पूरा सर्वे है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तो फिर झगड़ा क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : जैसलमेर तक पानी ले जा सकते हैं बिना खुदाई के । ये सारे आंकड़े विभाग के पास मौजूद हैं । आप छिपा रहे हैं और आप गलत सूचना दे रहे हैं सदन को ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे क्या मजा आता है छिपाने से ?

श्री दौलतराम सारण : यह तथ्य है तो मैं बता रहा हूं । माननीय मंत्रीजी यह जानकारी नहीं दे रहे हैं ।

श्री हंसराज आर्य : इस सदन में चर्चा हुई है....

श्री आईदानसिंह : सर्वे हुआ है...

श्री अध्यक्ष : वन एट ए टाइम ।

श्री हंसराज आर्य : जितना पानी मिला है उसको आधा ही रख सकगे और जो दस करोड़ रुपया रखा गया है उसमें से 2 करोड़ रुपया लैप्स होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक पैसा भी लैप्स नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन को यह रिक्वेस्ट की गई थी कि पौंग डैम की गति को शिथिल किया जाय ?

श्री हंसराज आर्य : मंत्री महोदय यह बता दें कि रुपया खर्च हो गया है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी के अनुसार दस लाख रुपया भी सरेन्डर नहीं होना चाहिए । सारा इस्तेमाल होगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार की ओर से प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार को इस बात की रिक्वेस्ट की गई थी कि पौंग डैम का कार्य शिथिल किया जाय ताकि सन् 71 में बनने वाले पौंग डैम का सन् 73 म निर्माण कार्य पूरा हो सके ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं यह निवेदन कर दूं कि पौंग डेम का काम शिथिल किया जाय इस तरह से नहीं कहा गया बल्कि इस बात पर बराबर जोर दिया जाता रहा कि पौंग डेम के निर्माण के अन्दर जो खर्च किया जाय उसके साथ साथ पौंग डेम में जो पानी स्टोरेज हो उस दृष्टि से राजस्थान केनाल के लिए ज्यादा रुपयों का प्रावधान किया जाय जिससे स्टोरेज के बाद जो पानी स्टोरेज हुआ है, उस कारण से जो डिस्प्लेस हुए हैं, उनको भी रिहेबिलिटेट कर सकें और पानी का उपयोग राजस्थान पूरी तरह से कर सके । इसीलिए पौंग ड्रम और राजस्थान केनाल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का भी उसमें शेयर है जो प्लान में टोटल रुपया सेन्कशन किया जाता है उसको सेन्कशन करने के लिए एक प्रकार से व्यास प्रोजेक्ट के दोनों पार्ट हो जाते हैं और दोनों पार्ट हो जाने से पौंग डेम और राजस्थान केनाल इन दोनों की गति इस तरह से फेज आउट की जानी चाहिए कि जिससे इसके पानी का उपयोग हो इस बात पर बराबर जोर दिया जाता रहा है और यह भी पोइन्ट आउट करते रहे है कि पौंग डेम पहले तैयार होगा और राजस्थान केनाल के लिए पूरा प्रोविजन नहीं किया गया तो आउस्टीज की जो प्रोब्लम है वह एक परेशानी का कारण बनेगी, पानी का उपयोग भी परेशानी का कारण बनेगा, इस सन्दर्भ में बरावर जोर दिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन पोइन्टेड ली यह है कि क्या राजस्थान सरकार की ओर से इस बात का प्रयत्न किया गया कि पौंग डेम के लिये मिलने वाली धनराशि को कम किया जाकर राजस्थान केनाल के काम को सिक्रोनाइज करने के लिए उसमें ज्यादा दिया जाय और पौंग डेम के कम्प्लीशन डेट को पोस्टपोन किया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पोस्टपोन के लिये कभी नहीं किया गया ।

श्री भैरोंसिह : कम्प्लीशन की डेट को पोस्टपोन किया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजस्थान केनाल के लिए ज्यादा प्रोवाइड किया जाय ।

श्री भैरोंसिह : पौंग डेम के मिलने वाले पैसे में कमी की जानी चाहिए ताकि राजस्थान केनाल का निर्माण हो जाय और पौंग डेम के पानी के उपयोग की क्षमता के लिए राजस्थान केनाल को बनाया जाय इन दोनों को सिंक्रोनाइज करने की दृष्टि से पौंग डेम की गति को रोका जाय और सन् 73 में कम्प्लीट कराया जाय जो सन् 71 में बनने वाला है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जैसा निवेदन किया कि पौंग डेम की प्रगति को साथ रख कर नेसेसरी प्रोविजन को डिवाइड किया जाय इस दृष्टि से कहा ।

श्री भैरोंसिह : यह आपकी ही कृपा हो रही है महाराज । हिन्दुस्तान और राजस्थान का पानी पाकिस्तान में जा रहा है । यह भारत सरकार की या प्लानिंग कमीशन की गलती नहीं । यह तो राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री की गलती है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री भैरोंसिह : पिछले साल भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में कहा था कि पौंग डेम की गति को धीमी करने के लिए भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं ताकि राजस्थान केनाल में ज्यादा मिल जाय ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा मैं निवेदन कर दूं जो भी पौंग डेम में स्टोरेज होगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह निवेदन कर दूं कि मुख्य सचेतक यह बता दें कि उनको तनख्वाह, भत्ता आदि किस बात का मिलता है, अध्यक्ष महोदय, समय सदन का आगे बढ़ा दिया जाय ।

(5 म० प०)

श्री अध्यक्ष : अब आगे....

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, समय समाप्त हो गया है । 5 बजे कर 1 मिनिट हो गया है अब बाद की कार्यवाही....

श्री अध्यक्ष : अभी कह रहा था । अब एक ज्यादा हो रहा है........

श्री गिरधारीलाल व्यास : सतीशजी 5 बजकर 1 मिनिट पर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तो कुछ कहा ही नहीं है....

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट ज्यादा हो रहा है, समय नहीं बढ़ पायेगा माननीय सदस्य ! अब क्या ? और कितना ? इसको तो म समाप्त करता हूं चर्चा को ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : समय समाप्त हो गया । सदन की सहमति थोड़े ही है ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : मैं एक घंटा...(शोरगुल)... सदन की सहमति से एक घंटा पांच बज कर एक मिनिट हो जाने पर भी बढ़ाता हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर दूं कि जो कुछ हमने कहा राजस्थान नहर के अन्दर प्रोजेक्टस् ज्यादा है उसकी दृष्टि से कहा गया और दोनों के लिये भी । पौंग डेम के प्राजेक्ट के कम्पलीशन की डेट को पोस्टपोन किया जाये यह नहीं कहा है और न इसको पोस्टपोन किया जाये । बल्कि 74 में उसके कम्पलीशन का टारगेट था वह 73 में हो रहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह सही है कि ओरिजनल प्लान के अन्दर पौंग डेम का कम्पलीशन 71 में होना था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिवाइज्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर यह....

श्री भैरोंसिह : मैं ओरिजनल प्लान पर कह रहा हूं । उसके आधार पर पौंग डैम का कम्पलीशन 71 में पूरा हो जाना था और उसके विरोध में, 71 के बाद जब 73, 74 का प्रश्न आया, राज्य सरकार ने इस बात का कोई रिप्रिजेन्टेशन भारत सरकार को दिया था कि इसका निर्माण 71 में ही पूरा हो जाना चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने यहां स्पष्ट कहा है । जो रिवाइज्ड प्रोग्राम बनता है वहां कई प्रोजेक्टस् के अन्दर जो डेट होती हैं उससे आगे बढ़ जाती है चम्बल तक में यह डेट आगे बढ़ी है । जवाहर सागर डेम में...

श्री भैरोंसिह : यह रिवाइज्ड कब हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन कर दिया कि यह 71 में बनना था । रिवाइज्ड होकर 74 का हो गया । मैं एक्जेक्ट डेट तो नहीं कह सकता-74 के बाद अब जो लास्ट रिवाइज्ड रिपोर्ट आई है उसमें यह 73 है और जो भी प्रोविजन्स हैं राजस्थान नहर के लिये करीब 36 करोड़ के आस पास चौथी योजना के अन्दर और पौंग डैम के अन्दर भी शायद 57 करोड़ रु० प्रोवाइड किया जा रहा है और इसको कम्पलीट करेंगे । इसमें हम कोई रुकावट नहीं डाल रहे हैं और न हम ऐसा चाहते हैं । हम जो एकस्ट्रा डेवलपमेंट उसमें हो. वह करेंगे और रबी के समय और ज्यादा पानी उपलब्ध हो सकेगा ।

श्री भैरोंसिह : यह रिवाइज रिपोर्ट क्या 6-8-69 में बनी है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चार दफा प्रोजेक्टस की रिपोर्टस बनी हैं और जब रिवाइज्ड हुआ तो एक्सपेंडीचर बढ़ गया और जब एक्स्पेंडीचर बढ़ गया तो प्लान में स्ट्रेगरी आ गई । तब 74 का पीरियड निश्चित हुआ और फिर गये साल रिवाइज होकर 73 में कम्पलीशन कर दिया जायेगा । इस तरह हम इसका कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम के एक साल पहले अरली कम्पलीट कर देंगे और यह 73 में हो जायगा ।

श्री भैरोंसिह : लेटेस्ट रिपोर्ट कब की है जिसके आधार पर आप 74 कह रहे हैं और फिर इसके कंस्ट्रक्शन की आय बढ़ जाने से यह 73 में कम्पलीट हो गया । यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री हंसराज आर्य : एक बात का उत्तर चाहता हूं । इस साल में राजस्थान केनाल के लिये 18 करोड़ रुपया मिला है । क्या हम आज की इस मिती तक इसको खर्च कर पाये हैं । मंत्री महोदय ने यह कहा है कि एक भी पैसा लैप्स नहीं होगा । मेरी ऐसी मान्यता है कि इसमें करीब 2 करोड़ रुपया लैप्स होगा । क्या यह सही है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आंकड़ों का सवाल है। 31 मार्च का हिसाब आयेगा उसके बाद ही इसका भी पता चल सकेगा कि कितना खर्च हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, उस समय के मुख्य मंत्रीजी अपने भाषणों को देख लें, अपनी चिट्ठियों को निकलवा कर देख लें। राज्य सरकार ने भारत सरकार को यह कहा है या नहीं कि पौंग डेम के लिये मिलने वाली धनराशि को इस तरह से कम करके खर्च की जावे इस तरह से काम को स्लो किया जाये कि राजस्थान कनाल के साथ साथ पौंग डैम कम्पलीट हो। पौंग डैम का अब 71 में निर्माण पूरा हो जायेगा तब भी हमारी पानी लेने की कैपेसिटी नहीं होगी, इसलिये इस काम को स्लो रखें। इस आधार पर 68 में मैं समझता हूँ यह तय हुआ और उसके आधार पर यह 74.73 के टारगेट की बात तय हुई। क्या यह सही नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह एक्सपर्ट की राय है।

श्री भैरोंसिंह : यह आप बतावें कि यह आपने कहा था या नहीं। आपने पूछा था या नहीं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो यह है कि राजस्थान सरकार के पास अतिरिक्त बरसात के पानी लेने की कैपसिटी है और वह पानी राजस्थान सरकार डिप्रेशन राज्य सरकार ले सकती है। यह डिपार्टमेंट ने पहले भी सर्वे कर रखा है और दूसरा प्रश्न यह था कि राजस्थान नहर जिस जगह तक बन सकी है वहां से आग जसलमेर तक बिना नहर के पानी ले जाया जा सकता है और उससे लाखों एकड़ जमीन को सिंचित किया जा सकता है। यह विभाग ने सर्वे कर रखी है। क्या यह सही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सर्वे नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि सर्वे हुआ है। इसलिये मैं रेकॉर्ड मंगवा लूंगा और देख लूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है सर्वे नहीं हुआ है। जब यह सवाल आया डिप्रेशन्स में ले जा सकते हैं, वहां लो लेविल है तो सरकार अगर पानी का इस्तेमाल हो सकता है तो जरूर करेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रिवीपर्स पर वाद-विवाद।

माननीय नेता महोदय, विरोधी दल। शुरू।

श्री दौलतराम सारण : यह गुनाह है राजस्थान की सरकार का कि उसके पास पानी की कैपेसिटी मौजूद है और यह सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष : विवाद समाप्त करें। अब भाषण नहीं करें।

श्री दौलतराम सारण : सरकार की गलती के कारण राजस्थान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और भारत सरकार को भी उठाना पड़ेगा हमारी सरकार की अयोग्यता की वजह से....

श्री अध्यक्ष : अब भाषण नहीं होगा माननीय सदस्य।

ऑर्डर प्लीज।

श्री हंसराज आर्य : एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त जानकारी दे दी गई है। अब कोई प्रश्न नहीं। आॅर्डर माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस पर एकस्थगन प्रस्ताव दिया है और इस आधार पर मैं कोई अधिक प्रश्न करना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ दो प्रश्न चाहता हूं। एक तो यह कि जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जिसका सन् 55 में डिसीजन हो गया था उसमें राजस्थान को एक मिलीयन एकड़ फीट का शेयर था उसमें प्रपोर्शनेटली इन्क्रीज हुआ या नहीं। क्या यह अब भी एक मिलीयन एकड़ फीट ही है या हमारा शेयर जो था उसमें इन्क्रीज हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो भी रीवर में फ्लोज है उसके हिसाब से है। 15.85 होगा तो उसमें इतना होगा और उससे ज्यादा 16.00 या 17.00 हजार हो जाता है उसमें प्रपोर्शनेटली शेयर हमारा भी बढ़ जायेगा। उसके अनुसार ही यह घटता बढ़ता है। पानी के एक्चुअल्स के आधार पर वह मीन एवरेज उस समय लिया गया था। एक्चुअल्स पर आज की स्थिति में क्या बनता है यह नहीं है। यह स्थिति है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह है कि इस साल भी जुलाई, अगस्त, सितम्बर के महीने में हमारा शेयर एक मीलियन फीट से ज्यादा हो सकता है। हो सकता है न ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यूटिलाइजेशन आप कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Actual quantity of water of the river.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रावी और व्यास की कैपेसिटी 42 हजार क्यूसेक की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह 12 हजार है, 41 हजार 910 यह 31 हजार 100 31 हजार 740, 24 हजार 723, भी हो सकता है। यह मीन मैक्जीमम है। मीन एवरेज इसका है वह 41 हजार 910 है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अपने को व्यवस्था करनी पड़ेगी अधिक से अधिक पानी जितना भी आ सका है उसको युटिलाइज करने की। मैं इसी आधार पर पूछ रहा हूं जुलाई, अगस्त, सितम्बर में 42 हजार क्युसेक पानी जायगा उस आधार पर राजस्थान सरकार की उसकी युटिलाइज करने की पोटेन्शियल कैपेसिटी है ? तो वह सदन में बता सकते है ? जुलाई, अगस्त, सितम्बर में जो मैंग्जीमम पानी आयगा उसका युटिलाइजेशन आप किस तरह से या नहीं कर सकेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह कह सकता हूं कि 41 हजार 42 हजार की सप्लाई रही बरसात के दिनों में उस सारी सप्लाई का जो जुलाई, अगस्त, सितम्बर में होगा पौंग डैम के बिना उस पानी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

श्री भैरोंसिंह : इतने पानी से बीस पच्चीस लाख गैलन पानी से जो पाकिस्तान जायगा उससे तीन लाख एकड़ में सिंचाई हो सकती है। और तीन लाख

(श्री भैरोंसिह)

एकड़ में जो प्रोडक्शन होगा उससे 45 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष आय होगी । इस तरह से 45 करोड़ का नुकसान करने वाली योजना को राज्य सरकार ने ब ाया है ।

दूसरा मेरा प्रश्न है पौंग डैम के बारे में राजस्थान केनाल का सैकण्ड स्टेज कब बनेगा ? भारत सरकार से राजस्थान सरकार नें इस बारे में फर्म कमिटमेंट करवालिया है सैकण्ड फेज रिवाइज्ड बेसिस के आधार पर कर देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं फण्ड्स प्राप्त करने के लिये राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार पर प्रेशर डाला जा रहा है । उनको इम्प्रेस किया जा रहा है कि वे अधिक धन दें ताकि सैकण्ड स्टेज शुरू की जा सके ताकि जो वाटर शेयर हमें मिलने वाला है उसका युटिलाइजेशन हो सके और समस्या का हल हो सके इसके लिये हम ने अधिक धन की मांग की है ।

(श्री हंसराज आर्य और श्री महारावल लक्ष्मणसिंह साथ साथ बोलते रहे ।)

श्री हंसराज आर्य : फण्ड्स नहीं है तो राज्य सरकार ने...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्षा महोदय, मैं बार बार एक प्रश्न के लिए उठ रहा हूं आप मुझे इजाजत नहीं देते हैं मैं आपके आदेशों की बराबर अनुपालना करता हूं फिर भी आप मुझे प्रश्न पूछने का समय नहीं दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपने एक ही नहीं कितने ही प्रश्न पूछे हैं ।

श्री हंसराज आर्य : मैंने एक ही प्रश्न पूछा है ।

श्री भैरोंसिह : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । जब कि छोटे छोटे प्रश्न पर समय लिया जाता है यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा लिबरल हो जायें ।

श्री अध्यक्ष : लिबरल होने की भी हद है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान की कौनसी योजना बनी हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच जिस पानी के लिये समझौता हुआ जिस तरीके से पहले राजस्थान सरकार भारत सरकार से इस बारे में अपनी बात को पूरी तरह से मनवा नहीं सकी इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार बहुत अयोग्य है, भारत सरकार अयोग्य है जो पानी उसको कल से बन्द हो जायगा उसके लिये कोई व्यवस्था न तो वह कर पायी है और न राज्य सरकार को ही इस बारे में योजना के लिये धन दिया है । अगर हमारी सरकार भारत सरकार पर पूरा दबाव देती तो आज की स्थिति में एक भी बून्द पानी पाकिस्तान में नहीं जा सकता था ।...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य । बहुत हो चुका अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय मुख्य मंत्री ने राजस्थान की दो करोड़ जनता के साथ गद्दारी की है उसको राजस्थान की जनता भूल नहीं सकती । आज जहां राजस्थान की दो करोड़ जनता पानी के लिये तरस

(श्री रामचन्द्र आर्य)

रही है वहां हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान को जायेगा इससे अधिक गद्दारी राजस्थान की जनता के साथ और क्या हो सकती है। आज भले ही ये खुश हो लें लेकिन आने वाले जमाने के लोगों के सामने आपको ही जवाब देना होगा। वे आप को कभी बख्शने वाले नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : उन्होंने भारत सरकार पर यह दबाव क्यों नहीं डाला आखिर यह किसकी जिम्मेदारी थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मदनसिंह : दो करोड़ में आप भी आ गये हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह प्रश्न गम्भीर है पाकिस्तान को पानी जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न चल रहे हैं आप भी प्रश्न पूछिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं प्रश्न ही पूछता हूं हमारी सरकार की अयोग्यता के कारण भारत सरकार पर दबाव डालकर इस योजना के अन्तर्गत पैसा क्यों नहीं लिया? अगर वह पानी पाकिस्तान गया, राजस्थान सरकार उसको ले नहीं सकी तो इससे करोड़ों रुपये का राजस्थान को नुकसान होगा। पाकिस्तान हिन्दुस्तान का दुश्मन है वह जितना आर्थिक स्थिति में मजबूत होगा उतना ही वह भारत पर आक्रमण करने के लिये सोचेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान की जनता के साथ गद्दारी की है। यहां हम तो पानी के लिये तरस रहे हैं और हमारे हक का पानी विदेशों को दिया जा रहा है। विदेशी ताकतों के इशारे पर हमारी भारत सरकार चल रही है। इसी कारण हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान को जायेगा।

श्री मदनसिंह : हम विरोधी दल के सदस्य यहां बैठे बैठे सरकार की आलोचना करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विरोधी दल यहां क्यों बैठा है। दिल्ली में जाकर उन्होंने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? वहां जाकर इसके लिये अनशन करते। भारत सरकार पर दबाव डालते केवल यहां पर बैठ बैठे शाब्दिक लड़ाई से क्या फायदा?

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारे से इस कार्य के लिये सहयोग सरकार ने कभी मांगा क्या? मांगते तो हम हमेशा इसके लिये तैयार थे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस सरकार के नेता ने कब हमारे को विश्वास में लिया अगर ये भारत सरकार को मनवाने में अपनी असमर्थता प्रगट करते तो हम उनका साथ देते। फिर ये बैठ क्यों हैं इन कुर्सियों पर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यजी ओ! माननीय सदस्यजी आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे चरण के संबंध में मुख्य मंत्री बतायेंगे जो आपका प्रोग्राम है जिस वर्ष में राजस्थान कैनाल के सैकण्ड फज का काम चालू हो जाना चाहिये वह आरम्भ हो जायगा? अगर नहीं होगा, तो कितने वर्षों के बाद सैकण्ड फेज का कार्य हाथ में लिया जायगा?

क्या भारत सरकार, व प्लानिंग कमीशन राजस्थान केनाल योजना के संबंध में जो प्रारूप राजस्थान सरकार ने भेजा है, उस

Page No 172

(श्री भैरोंसिंह)

प्रारूप के अनुसार वे प्रतिबन्धित हुये हैं? या भारत सरकार की इच्छा नहीं हो रही है कि सैकण्ड फेज कैनाल के निर्माण की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो पहला चरण कम्पलीट किया जाय और वाटर युटिलाइज करने की व्यवस्था की जाय। सैकण्ड योजना के लिये किसी तरह का प्रावधान नहीं रखा जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): पाकिस्तान को पानी क्यों जा रहा है, उस पर क्यों रोक नहीं लागू की गई इस संबंध में भारत सरकार पर असर नहीं डाला...

श्री रामचन्द्र आर्य: इसमें भी कोई शक है क्या हमारे यहां का पानी पाकिस्तान को जा रहा है..

श्री अध्यक्ष: आर्डर ऑर्डर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समस्या के बारे में कि राजस्थान के अंदर सिंचाई ज्यादा से ज्यादा बढ़े, राजस्थान केनाल जल्दी से जल्दी पूरी हो इस दृष्टि से काफी अरसे से जबकि भारत सरकार में खास तौर से जब टी० टी० कृष्णामाचारी फाइनेन्स मिनिस्टर थे, उनके सामने इस पहलू को रखा गया था। उस पर उन्होंने यह माना कि राजस्थान कैनाल की योजना को पूर्ण करने के लिये राज्य सरकार की क्षमता नहीं है, वित्तीय स्थिति ऐसे नहीं हैं कि वे अपने ही साधनों से इसको पूरी कर सकें। इसकी अरजेन्सी है, इसकी नेशनल और इण्टरनेशनल उपयोगिता को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को सेन्ट्रल प्रोजेक्ट के रूप में लेकर इस पर काम चलाया जाय।

माननीय अध्यक्षजी, बहुत सी समस्यायें आज खड़ी हो रही हैं इसका मुख्य कारण है वित्तीय कठिनाई कुछ तो भारत सरकार की और विशेष तौर पर राजस्थान सरकार की हैं। हमारे टोटल प्लान के अंदर दस परसेण्ट वेटेज दिया गया है सेन्ट्रल असिस्टेन्स में इसी के फलस्वरुप राजस्थान केनाल को वेटेज इसके मिलने के बाद भी काफी दिक्कतें रही और जो कुछ इसकी प्रगति के अंदर मुश्किलें आ रही हैं वह केवल फण्ड्स के अलोटमेंट में कमी की वजह से आ रही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: मद्रास की सरकार एक ही झटके में पचास करोड़ रुपया ले सकती है आप इतने कमजोर क्यों हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: आज राजस्थान नहर के लिये या दूसरे वर्क्स के लिये जितने भी लोन आदि की व्यवस्था हो रही है जहां उनके रिपेमेन्ट्स का सवाल खड़ा हुआ है आज राजस्थान के लिये स्पेशल अलोकेशन किया जा रहा है फोर्थ प्लान के अंदर। मैं समझता हूं विशेष सुविधा की जो बात हुई है वह हमारे स्टेटस को देखकर ही हुई है।

तो माननीय अध्यक्षजी, इसके संबंध में जो सेकण्ड फेज वाली बात उठाई गई उस सेकण्ड फेज के लिये किसी भी स्टेज पर यह बात न भारत सरकार की तरफ से कही गई है न राजस्थान सरकार की तरफ से कि सेकण्ड स्टेज का काम हाथ में नहीं लिया जावेगा। बल्कि प्रयत्न इस बात का हो रहा है कि सेकण्ड स्टेज का कुछ काम इस योजना में शुरु कर दिया जावे और बाकी का सब वगैरह जितना करना हो उसको कम्पलीट करके और हम स्वयं इस बात को चाहते हैं कि जो राजस्थान का बीकानेर और जैसलमेर का इलाका है उसमें अकाल की स्थिति बार बार

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आती है उसको विशेष तौर से लक्ष्य में रखते हुए इस राजस्थान नहर को बीकानेर और जैसलमेर के इलाके में ले जाना चाहिये और मैं तो यहां तक निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के सामने कई बार कई लिफ्ट की योजनाएं भी आई जिनके जरिये नजदीक के एरिया में इस प्रकार का काम किया जा सकता है तब भी कुल इरिगेशन के जरिये इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में किया जावे। इस आधार को माना गया है। इसलिये अब एक्चुअल अमाउन्ट पांचवीं योजना के लिये राजस्थान केनाल के लिये कितनी निर्धारित की जावेगी आज कोई भी कहने की स्थिति में नहीं हो सकता। पर इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सैकण्ड फेज को पूरा करने वाली बात है उस पर राजस्थान गवर्नमेंट भी कमिटेड है और भारत सरकार भी कमिटेड है।

श्री भैरोंसिंह: क्वेश्चन सीधा सादा था। आप सीधा सा जवाब दे दें। चौथी योजना में अभी जो धनराशि अपनी प्लान में रखी गई है उसके अंदर सम्भावना नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यही कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह: यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: पर अभी पिछली बार ही डा० के० एल० राव के यहां पर बातचीत हुई थी उसमें खास तौर से पोंग डैम के विस्थापितों के लिये एडीशनल लेंड की जरुरत पड़ेगी इसकी बात सामने आई थी और सेकण्ड फेज का कुछ हिस्सा इस योजना के लिये बने इसकी चर्चा हुई।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में चर्चा समाप्त करता हूं। प्रिवी पर्स बाकी है अभी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: फोर्थ फाइव ईयर प्लान में भी सेकण्ड फेज के लिये दो करोड़ का प्रावधान रखा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: राजस्थान कैनाल के लिये 8 करोड़ का प्रावधान किया गया था और जैसी हंसराजजी ने सूचना दी वह सही जंच रही है कि दो करोड़ रुपया लेप्स होगा क्या यह बात सही है।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हुई। प्रिवीपर्स ।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान कैनाल।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल: रुपयों की कमी के कारण पूरा नहीं हो रहा है। सवाल यह है।

श्री मदनसिंह : आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : फिर भी आप काम नहीं करवा पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुकुटजी व्यवस्था का प्रश्न उधर से आया है।

श्री मदनसिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर सभी दलों का यह इरादा है कि राजाओं के प्रिवी पर्स के बारे में अवोइड करके चला जावे तब तो आसन की मरजी है। नहीं तो यह कहा गया कि चार बजे प्रिवीपर्स पर भाषण होंगे। अगर इस व्यवस्था के विरुद्ध आचरण होता है तो इससे काम चलेगा नहीं। हमें मर्यादा के अंदर रहना पड़ेगा। यह प्रिवीपर्स का मामला है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं। दो मिनिट। राजस्थान कैनाल के संबंध में और पोंग डैम के निर्माण के संबंध में राजस्थान सरकार का जैसा एटीट्यूड रहा है उसके कारण पूरे भारतवर्ष को 25 लाख एकड़ फुट पानी जो 31 तारीख के बाद हमें मिलना चाहिये था, वह पानी मिल नहीं पावेगा। क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं कर पावेंगे और इस कारण भारत सरकार को एक वर्ष के अंदर करोड़ों रुपयों की राशि का नुकसान होगा क्योंकि उतना उत्पादन नहीं हो सकेगा। दूसरी जगहों से दूसरे मुल्कों से अनाज इम्पोर्ट करके जनता का पेट भरने के लिये हमें अरबों की धनराशि व्यय करनी पड़गी और इस संबंध में मेरा डाइरेक्ट चार्ज राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाडिया पर है। जिन्होंने कि न तो इस स्थिति को एन्टीसिपेट किया कि 70 के एग्रीमेंट के समाप्त होने के बाद हम किस तरह से अपने को मिलने वाले पानी का उपयोग कर पावेंगे और इसके आधार पर उपयोग करने की क्या योजना बनाकर चल रहे हैं तो इस तरह से राजस्थान सरकार ने और यहां के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार के सम्मान को गिराया है और देश की जनता के साथ और देश के साथ धोखाधडी की है राजस्थान की जनता ने जिसने करोड़ों रुपया अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई में से टैक्सों के रूप में सरकार को दिये और जिन पैसों से राजस्थान कैनाल और पोंग डेम के निर्माण में योगदान दिया है उसके साथ इस सरकार ने और मुख्य मंत्री ने विश्वासघात किया है। पाकिस्तान को पानी जावेगा यह स्थिति राजस्थान के मुख्य मंत्री ने पैदा की है। इससे वे किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकते, बच कर जा नहीं सकते। इस प्रकार का पाप इन्होंने किया है कि कल रात के 12 बजे हिन्दुस्तान का पानी, सोरी, आज रात के 12 बजे से जो पानी पाकिस्तान को जाना बन्द होने वाला है और राजस्थान की प्यासी धरती को मिलने वाला है वह राजस्थान को नहीं मिल सकेगा और पाकिस्तान को ही मिलता रहेगा और इसमें इस राजस्थान सरकार ने और इसके मुख्य मंत्री ने जिस प्रकार की अकर्मण्यता दिखाई है और भारत सरकार ने इसके साथ साथ जिस प्रकार की अदूरदर्शिता दिखाई है उसकी भर्त्सना करते हुए मैं और मेरी पार्टी सदन से बहिर्गमन करते हैं और राजस्थान की सरकार को इसके परिणामों के लिये जिम्मेदार ठहराते हैं।

(श्री रोशनलाल शर्मा के बीच बीच में बोलकर व्यवधान करते रहने पर)
(अश्रव्य)

आपकी आदत है आप बोलते रहें।

रोशनलाल जी, सबको अपने जैसा मत समझो। और लोग भी हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : जुलाई के महीने में पाकिस्तान का पानी नहीं जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह भी कह रहे हैं, यह भी कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब तो बहिर्गमन का प्रश्न आ गया है।

श्री भैरोंसिंह : सदन में जो यह कहा गया है जुलाई के महीने में पानी नहीं जावेगा, पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को हम आज नहीं ले सकते, जुलाई अगस्त के महीने में भी राजस्थान में नहीं दे सकते हिन्दुस्तान में नहीं आ सकता। इसका अर्थ है कि हम इस

(श्री भैरोंसिंह)

देश की और राजस्थान की भूखी जनता को प्यासी जनता को पानी नहीं दे सकते, पेट इसका नहीं भर सकते इस प्रकार का सरकार का एटीट्यूड है और इस एटीट्यूड की मर्त्सना करने के लिये इस एटीट्यूड के विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह केवल राजनैतिक स्टन्ट है।

श्री भैरोंसिंह : यह राजनैतिक स्टन्ट नहीं है, वास्तविक तथ्य हैं जो अब आपके छिपाये छिप नहीं सकते। आपके पाप हैं जो बाहर आ रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप इस तरह से अपने पापों को छिपाना चाहते हैं। अब छिप नहीं सकते। (अत्यन्त शोरगुल, अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार यहां पर बताया गया इस सारे पानी के अन्दर जहां 8 मिलियन एकड फीट पानी राजस्थान का है दूसरी स्टेट का भी पानी का हिस्सा करीब 7 पोइन्ट समथिंग ऊपर का है इसके संबंध में माननीय सदस्य जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अन्दर नेशनल और इन्टरनेशनल दृष्टि से क्या प्रोविजन किया जाना चाहिये। यहां तक कि इस वर्ष में राजस्थान केनाल के प्रोवीजन के बारे में प्लानिंग कमीशन स्वयं जितना पौंग डैम के निर्माण के लिये रुपया आवश्यक है उस रुपयों को गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की तरफ से प्लानिंग कमीशन की तरफ से डाइरेक्ट एलोकेशन कर दिया जाता है। राजस्थान सरकार इसमें विरोध भी करे तब भी उसका प्रश्न खड़ा नहीं होता है। इसलिये यह कहना कि उसके लिये प्रोविजन कम करवाने की वजह से और हमारी वजह से पानी रुक गया है यह कहना कतई गलत है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : बहिर्गमन के बाद यहीं रुके हुए हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, ये हिन्दुस्तान के दुश्मन हैं, ये हिन्दुस्तान के टुकड़े करेंगे। और इसका पहला हमला राजस्थान पर होगा...

श्री अध्यक्ष : आपके नेता महोदय बोल रहे हैं गाडियाजी।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पानी का जहां तक सवाल है, यह राजस्थान के लिये एक बहुमूल्य वस्तु है। पानी राजस्थान के लिये जीवन मरण का प्रश्न है।

श्री मदनसिंह : मरण का तो आपका प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : यह अनुपयुक्त वाक्य माननीय सदस्य ने कह दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय जनसंघ के नेता ने जो आरोप लगाया है उसके साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है। प्रिवीपर्स के मसले के ऊपर भी संक्षेप में मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा परन्तु अभी मैं और मेरा दल माननीय जनसंघ के नेता के साथ सहानुभूति रखता है।

(व्यवधान)

और इस संबंध में मैं और मेरा दल बहिर्गमन करते हैं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने ..

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विरोधी दल के नेता महोदय आप जा रहे हैं और जनसंघ के नेता महोदय बैठे रह गये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्री महोदय आप तो इतने पुराने अनुभवी हैं और विरोधी दल के सदस्य बोलते हैं तो आपको बीच में नहीं उठना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जनसंघ के नेता भी जा रहे हैं।

श्री मदनसिंह : यह भी होता है दर्द है तो जाइये।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह अहमियत का मुद्दा है इसलिये मैंने यह निवेदन किया। अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो आज हिन्दुस्तान 24 अरब का अनाज अमेरिका से मंगाकर खा चुका है। 24 अरब खर्च करने वाले देश की सरकार राजस्थान नहर निर्माण में और डैम के निर्माण में वह धनराशि जो उसको निर्धारित अवधि में पूरी करने के लिये आवश्यक थी वह नहीं दे सकी और वह धनराशि हमारी राजस्थान सरकार प्राप्त नहीं कर सकी। और...

श्री अध्यक्ष : अब भाषण समाप्त कीजिये। और वाक आउट करना है तो करें वर्ना संक्षेप में कह दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं। परन्तु यह मुद्दा इतनी उत्तेजना पैदा करने वाला है, जीवन को झकझोर देने वाला है, राजस्थान के भविष्य को हिला देने वाला है इसलिये इस पर मुझे कुछ कहना पड़ रहा है दर्द के साथ। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी सरकार केन्द्र की सरकार को प्रभावित कर देती...

श्री अध्यक्ष : मुझे डर है स्वतंत्र पार्टी उधर बैठी हुई है और इन्तजार करेगी।

श्री दौलतराम सारण : ये सारी व्यवस्थायें की जा सकती हैं पानी को समय पर लाने की। मंगला बांध समय से पहले पूरा किया जा सकता है फिर कोई कारण नजर नहीं आता कि 1/4 हिस्सा हिन्दुस्तान का पाकिस्तान है वह मंगला डैम निर्धारित समय पर पूरा कर सकता है लेकिन उससे चार गुना बड़ा हिन्दुस्तान अपनी योजना को पूरा नहीं कर सका इससे बड़ी खेद की बात और क्या होगी। अध्यक्ष महोदय यह हमारी भारत की जनता के स्वाभिमान को चुनौती है। आज मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ कि हमें जो पानी मिलेगा उस पानी को हम किस प्रकार से उपयोग में ला सकेंगे इसके बारे में अभी तक कोई छानबीन नहीं की जा सकी है। मेरी जानकारी के हिसाब से हमारे पास में उस पानी को उपयोग में लेने की क्षमता है...

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कर दें।

श्री दौलतराम सारण : हम उस पानी को स्टोर कर सकते हैं लेकिन हमारी सरकार का इरादा तैयारी की नहीं है। अगर सरकार अध्यक्ष महोदय, सक्रिय रहती तो भाखरा का 700 क्यूसेक्स पानी हम शीघ्र ले गये होते और उससे आज लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो गयी होती और पानी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या अकाल की समस्या हल हो गयी होती . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण नहीं। मैंने बहुत समय दे दिया है अब भाषण नहीं होगा। माननीय सदस्य समाप्त करें। बाहर प्रतीक्षा हो रही है। बहिर्गमन करना है तो शीघ्र कर दीजिए ताकि मैं दूसरा विषय ले लूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप एन्टीसीपेट करके नहीं चलें।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय एक आदत हो गई है। इसलिए मेरा एन्टीसीपेशन करेक्ट है कि बहिर्गमन होगा और जब बहिर्गमन होता है तो उसके पूर्व कोई भाषण नहीं हुआ करता है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख है कि आसन की ओर से पहले ही इस प्रकार की धारणा बना ली जाती है कि हम बहिर्गमन करेंगे या शीर्षासन करेंगे। यह कहना मैं अनुचित मानता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आइन्दा आप इस संबंध में..

श्री अध्यक्ष : मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य यह एडजोर्नमेन्ट मोशन था उसका स्टेटमेन्ट हुआ, प्रश्न बहुत काफी हो चुके, कुछ भाषण भी हो चुके उसका कहीं तो अन्त होना चाहिये। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाषण करने की इजाजत देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री दौलतराम सारण : मैं तो ज्यादा लम्बा बोलने की स्थिति में भी नहीं हूं। मैं यह कह रहा था कि हमारी सरकार ने इतने अहम् मसले की उपेक्षा की और वह उपेक्षा जान बूझकर की गई है। केन्द्रीय सरकार इसमें दोषी है और राजस्थान सरकार भी दोषी है। दोनों केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार दोषी हैं और राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता के साथ इन्होंने गुनाह किया है। मैं गद्दारी कहूंगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी को बुरा लगेगा लेकिन मैं गुनाह शब्द इस्तेमाल करता हूं और वह गुनाह क्षम्य नहीं है। क्षम्य इसलिए नहीं हो सकता कि वह गुनाह देश के और जनता का भविष्य के साथ किया गया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जरा भी सक्रिय होती तो आज हिन्दुस्तान को अमेरिका की तरफ नहीं देखना पड़ता, अकाल की गिरफ्त में राजस्थान नहीं रहता, आज सुरक्षा की दृष्टि से हिन्दुस्तान कहीं ज्यादा मजबूत होता, रोजगार की दृष्टि से आज राजस्थान कहीं ज्यादा मजबूत आधार पर खड़ा होता और राजस्थान सरकार और भारत सरकार इस मामले में सक्रिय रहती। लेकिन मुझे खेद है कि लापरवाही से और अदूरदर्शिता के साथ इन्होंने इस योजना को लिया और इसी का परिणाम है कि बेमन की योजना, बेमन के तरीके से चली। मुख्य मंत्री जी राजस्थान में बहुत भाषण देते फिरते हैं...

श्री अध्यक्ष : अब तो माननीय सदस्य भाषण समाप्त कर दीजिए। मेरे धैर्य को भी मत छुइये।

श्री दौलतराम सारण : घड़ी देख लें एक मिनिट से ज्यादा बोल जाऊं तो मेरे शब्दों को निकलवा दें

श्री अध्यक्ष : अच्छा म रखिये।

श्री दौलतराम सारण : म कह रहा था कि राजस्थान सरकार ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया। राजस्थान नहर

(श्री दौलतराम सारण)

कितनी बार स्टॉफ कम किया गया। उसके डिवीजन के डिवीजन कम कर दिये गये और फिर भरती की गयी। इस प्रकार योजना झूल रही है। आज तक यह उसकी कालोनाइजेशन पॉलिसी फाइनल नहीं हो सकी है। आज तक भूमि का अलॉटमेन्ट नहीं हो सका है आज तक राजस्थान नहर द्वारा पानी लेने की क्षमता में जो आवश्यक प्रावधान, आवश्यक प्रक्रिया और आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह व्यवस्था सरकार नहीं कर सकी है। इसी का परिणाम है कि हम पाकिस्तान से 10 साल पहले हुए समझौते से आज पानी लेने की स्थिति में नहीं हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और गम्भीर क्या बात हो सकती है! इसलिए राजस्थान सरकार के इस अदूरदर्शितापूर्ण कदम और कार्य के विरोध स्वरूप और भारत सरकार की उपेक्षा और भारत सरकार का देश के प्रति गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैया रहा है इसके विरोध स्वरूप मैं और मेरा दल बहिर्गमन करते हैं।

श्री मदनसिंह : यह इसी वक्त समय बढ़ा दिया जाय तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : बढ़ा देंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की दो करोड़ जनता की पीठ में छुरा भोंका है, और कल 1 तारीख से राजस्थान के हिस्से का पानी यह सरकार राजस्थान की जनता को नहीं दिला सकी, इसलिए यह सरकार बिल्कुल अयोग्य है और यह कुर्सियों पर बैठने के लायक नहीं....

(शोरगुल और व्यवधान)

दो करोड़ जनता के साथ इस राजस्थान की सरकार ने विश्वासघात किया है (सरकारी पक्ष की ओर से मेजें थपथपाने के कारण व्यवधान)

...इसने भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती की है....

श्री अध्यक्ष : हो गया।

(श्री रामचन्द्र यह कहते हुए सदन के बाहर चले गये)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ऐसा है मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को भी विरोधी दलों की तरह से चिन्तित होना चाहिए था....

श्री रामनारायण चौधरी : आप से ज्यादा हैं।

श्री अध्यक्ष : आप तो समाप्त कर दें।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको चिन्तित होना चाहिए। आज जो स्थिति पैदा हुई है वह अचानक पैदा नहीं हुई है। जब योजना बनी थी तो योजना के अनुसार पाकिस्तान का पानी राजस्थान में लाना था और राजस्थान सरकार को इसकी जानकारी थी, और केन्द्रीय सरकार की राजस्थान के प्रति उपेक्षा की वजह से राजस्थान इस संकट में फंस गया और जिस तरह से पाकिस्तान को पानी जायेगा जिसको कि मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया है..

श्री हंसराज आर्य : नहीं जायेगा।

श्री रामकिशन : बरसात का पानी जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस रवैये के कारण और सरकार की तरफ से अदूरदर्शिता का काम किया गया है और राजस्थान की जनता के प्रति उपेक्षा बरती गई है और केन्द्रीय सरकार के सामने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा है इसलिए इन सारे कारणों से मैं मेरे दल के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(श्री रामकिशन एवं संसोपा के अन्य सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रश्न को राजनैतिक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : आपके नेता महोदय ने और आपने कह दिया, बहिर्गमन का कह दिया और भाषण भी दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : भाषण नहीं। मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही है कि इसको राजनैतिक प्रश्न बनाया जा रहा है....

श्री रोशनलाल शर्मा : यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सही है ?

श्री अध्यक्ष (श्री भैरोंसिंह) : कौन सही है ? इधर मुखातिब होकर बात करें।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य जो उदयपुर के किसी क्षेत्र से आये हैं....

श्री रोशनलाल शर्मा : सलूम्बर से आया हूं। आप सलूम्बर का नाम नहीं जानते हैं क्या ? क्या राजस्थान में सलूम्बर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं भूल गया था नाम।

श्री अध्यक्ष : वे वहां की वीरगाथाओं से परिचित नहीं हैं।

राजवी श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, बाबजी काण्ड में जो रोशनलाल थे वे कौन से हैं ?

श्री भैरोंसिंह : वे दूसरे हैं (हंसी)।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य यह बात जोश में बोल रहे थे मगर वे लड्ढा साहब का स्टेटमेंट सुन लेते तो उन्होंने स्वयं ने कहा है कि पानी पौंग डैम में स्टोर होगा और चूंकि पौंग डैम का कन्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है इसलिए पानी नहीं ले सके। आप उनसे तस्दीक कर लें।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर न कह कर यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि इस प्रश्न को राजनैतिक रूप देने की चेष्टा की है तो इसमें राज्य सरकार की अकर्मण्यता और अयोग्यता को छिपाने का प्रयत्न किया है और यह राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता के साथ बड़ा भारी विश्वासघात है।

सरकारी पक्ष के एक माननीय सदस्य : गलत है।

श्री भैरोंसिंह : आपने 110 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया और 24 लाख एकड़ फीट पानी पाकिस्तान को देने की योजना आपने बनाई है। इस अकर्मण्यता और अयोग्यता के परिणामस्वरूप मैं अपने दल के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(श्री भैरोंसिंह एवं जनसंघ के अन्य सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

कई माननीय सदस्य : दुबारा ।

श्री अध्यक्ष : फाइनल तो होने दें।

श्री मदनसिंह : अब दुबारा कहें तो किसी को रोक नहीं सकते ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय.....

श्री मदनसिंह : ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर । अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह परम्परा रही है कि एक पार्टी उठकर सदन के बाहर जाती है तो एक एक माननीय सदस्य रोष प्रकट करता है और चला जाता है । दो पार्टियां चली गईं और फिर हम जवाब देंगे और फिर जिस वक्त ये जवाब देंगे कनाल पर और फिर मैं बोलूंगा और ये जायेंगे....

श्री अध्यक्ष : आप ही शुरू कर दें।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा में राजाओं के प्रिवीपर्स को लेकर मैं समझता हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह क्या व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था मैंने समझ ली है । (श्री मदनसिंह से) आप आरम्भ कर दें ।

श्री विजयसिंह : यह कौनसी पार्टी के है ?

श्री मदनसिंह : एक प्रस्ताव है और वह प्रस्ताव....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं राजस्थान केनाल के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था.........

गैर सरकारी संकल्प पर अग्रेत्तर विचार

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वह प्रस्ताव एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से था जो, मैं समझता हूं कि इनकी पार्टी की छाया थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में आज प्रिवीपर्स से सम्बन्ध में चर्चा हुई है । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रिवीपर्स पर इसलिए नहीं बोलने की सोच रहा था और देख रहा था कि यह सब काम्युनिस्ट नेता क्या कहते हैं। अगर आज राजस्थान विधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य की तरफ से चर्चा होती है तो आज जवाब अलग होता । आज कम्युनिस्ट प्रोग्राम के अनुसार कम्युनिस्टों का राज्य होता तो यह जो गारन्टी दी थी उसकी यह दशा होती । कम्युनिस्टों का राज्य होता तो राजा-महाराजाओं ने जो कुछ अन्याय किये थे उनके ऊपर जुर्म कायम होकर कम्युनिस्ट उनको सजा देते। इसलिए उन्होंने अपना कम्युनिस्ट दृष्टिकोण दिया । अगर सरकार के पक्ष का यह दृष्टिकोण होता जो रामानन्दजी ने दिया है तो उसका शायद जवाब मैं दूसरा देता ।

अध्यक्ष महोदय प्रजातंत्र के अन्दर क्या है ? प्रजातन्त्र के अन्दर कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं। प्रजातंत्र ने जहां एक को अधिकार दिया है तो दूसरे को भी अधिकार दिया है कि वह कानून की शरण में जाय । वह कानून की राय लेने जाता है तो क्यों दबाव दे रहे हैं । फांसी वाला

(श्री मदनसिंह)

भी कानून का संरक्षण लेता है और बरी हो जाता है तो क्या फिर उसको 5-6 आदमी हमला करके मार देंगे ? आज राजाओं को क्यों न अधिकार दें । अगर वे कान्स्टीटयूशन को चुनौती कर सकते हैं तो करने दें । उनको यह दबाव दें कि इस तरह से हमला कर देंगें तो क्या आप यह इस तरह की डेमोक्रेसी में सुरक्षा देते हैं ? अगर कानून है तो जाने दे, जीत लेंगे तो पार्लियामेन्ट में चेंज हो जायगा, विधान सभा में जाकर उसको उठा सकते हैं । अगर मैं राजा होता तो, आपके भाषण की परवाह नहीं करता और मुझे जो जंचता वह करता । आपका कम्युनिस्टों का राज्य होता तो आप करते ।

मुझे तो एक बात कहनी है कि हमने प्रजातन्त्र को स्वीकार किया था और प्रजातन्त्र का राज्य कांग्रेस के हाथ था अगर प्रिवी पर्स कांग्रेस खत्म करती है तो जब तक कांग्रेस की गवर्नमेन्ट खत्म न हो तब तक तो वायदे पर कायम रहें। क्या यह प्रिप्लान्ड नहीं था ? अगर पटेल साहब का यह प्रिप्लान्ड था कि राजाओं को खत्म कर तो गारन्टी नहीं होनी चाहिए थी....

श्री रामनारायण चौधरी : आपने देख लिया है ?

श्री अध्यक्ष . (श्री मदनसिंह से) आप ध्यान मत दें ।

श्री मदनसिंह : कांग्रेस का जब तक राज्य है चाहे वह इन्दिराजी का राज्य हो या दूसरी कांग्रेस का राज्य हो तो जब तक कांग्रेस का राज्य है तब तक तो यह गारन्टी चले । कांग्रेस अगर गारन्टी के विपरीत करेगी तो आयन्दा गारन्टी नहीं दे सकते हैं और आयन्दा भी क्या विश्वास रहेगा आपका ? पानी के लिए मान गये तो इसी तरह से एक रात को उठ कर कहने लगेंगे भाई भाई, जैसे कहा था कि हिन्दी चीनी भाई भाई कर्म भी पाकिस्तानी भाई हो गये तो जैसलमेर का हिस्सा दे बैठेंगे । जब तक कांग्रेस सरकार को इस गारन्टी को मानना चाहिए । अगर आर्थिक प्रश्न है तो जिसकी 22 लाख है उसकी 15 लाख कर दें और अगर प्रिन्सेज राजी हों कि हमारी यह मर्यादा है तो 1 हजार मुखर्जी डाक्टर को तरह 1 रुपया कर दें । जयपुर दरबार को आर्थिक संकट आता है तो उनको जयपुर हिज हाईनेस के लिए एक रुपया कर दें। उसको मुझे चिन्ता नहीं है, मगर राइट की बात है तो दो सवाल हैं ।

(5-38 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, प्रिवी पर्स और राइट दो सवाल है ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : हिज हाईनेस किस चिड़िया का नाम है ? किसको हिज हाईनेस कहते हैं ?

श्री मदनसिंह : हिज हाईनेस वह हैं जिनकी महारानी के पैरों में बैठकर आप राज्य बनाना चाहते थे ।

(हियर हियर) ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं ठाकुर साहब से यह बात कहना चाहता हूं कि अभी तो कुछ लोग यह जानते हैं कि राजा-महाराजा क्या होते हैं लेकिन एक समय वह आयेगा निकट भविष्य में कि हमारे बच्चे यह पूछा करेंगे कि राजा नाम किस जानवर का होता था।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप पुराने जमाने की याद भूल जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप रानों की बात करते हैं। हिज हाईनेस की बात करते हैं और दावा करते हैं समाजवाद का। अब भूल जाइये हिज हाईनेस और इन तमाम चीजों को।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, इनको यह पता नहीं है कि मैं राजाओं के पक्ष में बोल रहा हूं या विपक्ष में। मैं अभी तक कांग्रेस सरकार ने जो वायदे किये हैं उस सम्बन्ध में जो प्रोब्लम हैं, उसके बारे में कह रहा था। इसके पहले ही आप कह रहे थे हिज हाईनेस। मैं भी जोश में जवाब दे सकता था लेकिन मैं जबाब नहीं देना चाहता इस बात पर।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके दो हिस्से हैं। एक प्रिविलेज का हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है प्रिवीपर्स का। तो कोटा के दरबार कहां लेते है प्रिवी पर्स ? उन्होंने दे रखी है....

एक माननीय सदस्य : कहां छोड़ दी है ?

श्री मदनसिंह : दे रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें न करें।

श्री मदनसिंह : कोटा के हिज हाईनेस ने अपनी प्रिवीपर्स की घोषणा कर रखी है और नहीं लेते हैं। ऐसा मैंने सुना है।

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के दरबार ने ऐलान कर दिया था, चाहे तो प्रिवीपर्स आज ही खत्म हो जाय.......

श्री वृद्धिचन्द जैन : कहां छोड़ा है। छोड़ें खुद तो बहुत अच्छा है।

श्री विजय सिंह : आप भी अपनी कुर्सी छोड़ो। आप तो कुर्सी पर चिपके बैठे रहना चाहते हो।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं, माननीय सदस्य !

श्री मदनसिंह : समय भी आप देख लेना। दस मिनिट बढ़ायें तो बढ़ा दें।

मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इसको रखिये या नहीं रखिये। लेकिन यह नीति और प्रिन्सिपल की बात है। प्रिवीपर्स या प्रिवीलेजेज-इसके लिए आप्शन होना चाहिए। राजाओं से इस बात का आप्शन लेना चाहिए कि आपको कौनसी चीज पसन्द है। राजा कहें कि प्रिवी पर्स पसन्द है तो आप कह सकते हैं कि आपके जो प्रिवीलेजेज हैं, वह प्रजा-तंत्र में नहीं चल सकते, जैसे कोर्ट में नहीं

(श्री मदनसिंह)

जा सकते, कार पर झण्डा लगा सकते हैं। यह चीज नहीं चलेगी। वैसे भी प्रिवी-पर्स है वह एक तरह की पेंशन है। आप राजगोपालाचारी को भी तो पेंशन दे रहे हैं। इसके अलावा फौज से कोई जनरल रिटायर हो जाता है तो उसको भी पेंशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेज को भी पेंशन दे रहे हैं तो यह प्रिवी पर्स तो एक पेंशन का रूप है। तो राजाओं से आप्शन ले सकते हैं। कि आप पैसा ले लीजिये या फिर यह प्रिवीलेजेज। फिर कहां कोई बात रहती है?

रामानन्दजी ने फरमाया कि पैसे की बात नहीं है लेकिन प्रिवीलेजेज नहीं होने चाहियें। मैं मानता हूं, प्रजातंत्र में सब बराबर हैं। अब महारावल साहब चुनाव में खड़े होते हैं तो दूसरों की तरह ही इलेक्शन लड़ते। अब यह कहें कि अदालत में भी जाना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि उनको भी एक साधारण आदमी की तरह रहना पड़ेगा। फिर इसमें पैसे का क्या कन्सर्न है? वैसे भी आज हर एक आदमी को पैसा दे रखा है, आज जो राजनैतिक लोग हैं उनके लिए भी मुआवजा बांध रखा है, किसी को जमीन दी है, किसी को कुछ दे रहे हैं। तो हिन्दुस्तान में क्या वही आदमी है जिनको कि आप पेंशन नहीं देना चाहते हैं? आपका जब राज्य आ जाय कम्युनिस्टों का तो इसको बन्द कर दीजिये? उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के अन्दर राजाओं के पांच सौ आदमी होंगे, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप माइनोरिटी की रक्षा नहीं कर सकते?

श्री मूलचन्द डागा : यह माइनोरिटी में है?

श्री मदनसिंह : बिल्कुल माइनोरिटी में हैं। आप डींग भरते हैं माइनोरिटी रक्षा करने की इस प्रजातंत्र में।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह अपने आपको माइनोरिटी कहें तो हम सोच सकते हैं। जैसे माननीय सदस्य कहते हैं।

श्री मदनसिंह : मैं रामानन्दजी को कहता हूं कि अगर ऐसी ही बात थी तो आप टाटा बिड़ला का नाम भी इसमें लेते.........

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसी सांप से तो डर है। आज राजाओं का प्रिवीपर्स छीना गया है तो कल बिड़ला-टाटा पर भी आयेगा।

श्री मदनसिंह : आयेगा तो आने दो अभी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आयेगा आने-वाला।

श्री मदनसिंह सलिए मेरी अर्ज है कि आपका भाषण ऐसा था जैसे हिन्दुस्तान फिर इनके हाथ में गया, जैसे वापिस राजाओं के हाथ में जा रहा है—यह खा जायेंगे। यह जीम जायेंगे। आपने प्रजातंत्र में एक व्यवस्था बना रखी है, इस प्रजातंत्र की वजह से ही आप यहां पर टिके रहे हैं। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि आप अलवर के हिज हाइनेस के सम्बन्ध में कहते हैं कि वह गरीब काश्तकारों के लिए तालाब खोल देते तो उनकी जमीन में इतना पानी आ जाता। तो आप

(श्री मदनसिंह)

अपना पट्रोल पम्प क्यों नहीं फ्री करदें मोटर, रिक्शे वालों के लिए । उनको मजा आ जायेगा । लेकिन पैट्रोल फ्री देते हुये जान निकलती है । और राजाओं ने क्या किया है, राजाओं ने अपना शासन प्रजातंत्र के लिए छोड़ दिया । पटेल ने कहा, प्रजातंत्र के लिए तुम्हें यह कुर्बानी देनी होगी, तो उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया। अगर वह पाकिस्तान की तरह अपना राज्य अलग रखते तो दुःख नहीं पाते । आज नेपाल में राजा बैठा है, वह वहां राज्य कर रहा है । आप वहां क्यों नहीं जाते हो ? रामानन्दजी, वहां जाओ और छीनो राज्य । पधारो राज्य सम्भाल ने को......

श्री रामानन्द अग्रवाल : बैठे हैं कम्युनिस्ट वहां ।

श्री मदनसिंह : यह के राजाओं को बुरा कह सकते हो क्योंकि वह सुन लेंगे, क्योंकि माइनोरिटी में हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो राजाओं से ताकत छीन लेगी।

श्री मदनसिंह : कुछ नहीं । आज भी राजाओं को आप खुशामद कर रहे हो । यह आप जैसे ही लोग हो सकते हैं तो पाकिस्तान के कम्युनिस्टों से मिल कर भारत में हथियार लाते हैं । वह गद्दार नहीं हैं ? कौनसा राजा है जो जाकर अंग्रेजों का झण्डा उठा लाया है और उसको लगाता है ? लेकिन आप इस तरह की बात कह कर दबाना चाहें तो वह कभी नहीं दबेंगे। आप कोई आर्गूमेंट रखें, प्रजातंत्र के आधार पर आर्गूमेंट रखिये । मैं यह मान कर चलता हूं कि आप बहुत लम्बी चौड़ी बात करते हैं, राजा झण्डा लगाते हैं, तो आपका यह रेड झण्डा क्यों है ? जब कम्युनिस्ट लगा सकते हैं तो वह क्यों नहीं लगावें । आप झण्डा लगा सकते हैं और राजा महाराजा नहीं...........

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पार्टी का झण्डा है ।

श्री मदनसिंह : जो प्रिविलेजेज की बात है उसके ऊपर बात करिये । एक पब्लिक का आदमी जब किसी जुर्म में पकड़ा जा सकता है और अदालत में ले जाया जा सकता है तो राजा को अदालत में क्यों नहीं ले जाया जा सकता ? यह प्रजातंत्र की चीज है । उसके लिए राजाओं को समझाया जा सकता है । इसके लिए आप उनसे पूछ लेते कि प्रिवीपर्स और प्रिविलेजेज में से ग्राण्ट कर लें, पैसा छोड़ें या अधिकार छोड़ें। पैसा छोड़ें तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार आपने अधिकार दे रखा है कि मिनिस्टर है उसके बारे में एन्टी करप्शन डाइरेक्ट कार्यवाही नहीं कर सकता। यहां पर एम० एल० ए० हैं उनको एकदम अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। ऐसे ही आपके अधिकार हैं । यहां पर चुनकर आये हैं, अकेले बैठे हुए हैं फिर भी पार्टी की तरफ से भाषण देते हैं और कहते हैं कि राजाओं का प्रिवीपर्स समाप्त किया जाय । मुझे खुशी होती अगर यह प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से मूव होता, जनसंघ की तरफ से मूव होता । लेकिन एक कम्युनिस्ट सदस्य द्वारा मूव हुआ है और कांग्रेस के सदस्य उसका समर्थन करते हैं । फिर तो आप इनकी जगह आ जायं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह एक रिजोल्यूशन है, जो उनके नाम से आ गया है ।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी आर्गूमेंट दिये जा रहे हैं, उनसे राजाओं के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार हो रहे हैं— इन्होंने यह किया, जैसलमेर के राजा न यह अन्याय किया। आपके कम्युनिस्टों ने भी तो नक्सलवाडी में जुल्म किये हैं, उनके ऊपर केस चलाओ, उनको फांसी पर लटकाओ। आपका राज्य आ जाय तो यह सब कार्य करना। आज जैसा बंगाल में हो रहा है, उसको, मैं समझता हूं, सब जानते हैं। इस हिसाब से देखें तो पांच सौ राजा के जितने कसूर होंगे उनका अकेला एक कम्युनिस्ट करता है। कानून में जितने भी बुरे से बुरे और सीवियर चार्जेज हो सकते हैं इन्होंने वह सब किये हैं। मैं समझता हूं कि इन पर ज्यादा केस चलने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि सब राजा कांग्रेस में चले जायं तो कोई नहीं खत्म कर सकता है प्रिवी-पर्स। आप तो इस सदन में बोलते हैं और राजा महाराजाओं पर आरोप लगाते हैं लेकिन वापिस अलवर के महाराजा के पास जायेंगे तो कहेंगे कि कम्युनिस्ट आपके साथ हैं, इस विधान सभा में आपकी सिफारिश करते हैं। इस तरह आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। प्रिवीपर्स की बात है, तो प्रिन्सेज में जितनी ताकत है वह कर लेंगे। आपको अच्छे प्रिन्सेज मिल गये हैं इसलिए आपकी सुन लेते हैं। मेरे जैसा कोई बिगड़े दिमाग का मिल जाता तो चाहे जो कुछ हो जाता मैं ऐसा नहीं होने देता। रामानन्द जी! आपकी पार्टी को राजस्थान में नहीं रहने देता। इन्होंने कृपा की है आप पर। मेरे जैसा होता तो गोली मार कर उड़ा देता। जो मुख्य चीज है, वह है कि आप राजाओं के अधिकार ले लें या प्रिवीपर्स ले लें। मैं समझता हूं कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उनको आप्शन दिया जाय। अधिकार की जहां तक बात है, वहां प्रजातंत्र में किसी के अधिकार नहीं हो सकते......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। समय बढ़ाना है। क्या सदन की अनुमति है समय बढ़ाने की......

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण चालू रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री रामकिशन : आधे घण्टे में क्या होगा ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आधे घण्टे से तो एक घण्टा बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन की कार्यवाही का एक घण्टा बढ़ा दिया जाता है।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश भक्ति की बात आई, देश-भक्ति के सम्बन्ध में राजाओं के लिए कहा, गद्दारी की। रामानन्द जी उस समय आप जन्मे होंगे और कह रहे हैं कि राजाओं ने गद्दारी की। इन्ही राजाओं ने अंग्रेजों को निकालने का प्रयत्न किया था। हिन्दुस्तान में ऐसी बात नहीं है कि सभी राजा रहे हों। यहां के नागरिक गद्दार नहीं हों। नेहरूजी, मोरारजी भाई, पटेल इनके लिए भी कहो कि गद्दारी की है, इन नेताओं ने पाकिस्तान को राज्य दे दिया। राजा होता तो क्या पाकिस्तान का बंटवारा स्वीकार करता? तलवार से तलवार भिड़

(श्री मदनसिंह)

जाती और खून खच्चर हो जाता लेकिन हिन्दुस्तान का बंटवारा नहीं होता......

(6 म० प०)

अपनी थोड़ी सी मिनिस्टरी के लिये पटेलजी समझ रहे थे कि अगर यह जिन्ना यहां रह गया तो मेरी मिनिस्टरी नहीं रहेगी । और नेहरूजी समझते थे कि अगर यह जिन्ना यहां रह गया तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकूंगा । आज भी उन नेताओं के संरक्षण में कहते हैं कि राजा गद्दार हैं । काश्मीर के लिये पाकिस्तान में जाने से अगर कोई रुकावट है तो वह वहां के राजा की सोवरेनिटी ही रुकावट है । काश्मीर राजा की सोवरनिटी नहीं होती तो मैं समझता हूं, काश्मीर की जनता को अधिकार होता कि जैसा वह चाहती वैसा होता । सोवरेनिटी के आधार पर ही आज काश्मीर भारत में टिका हुआ है । ठीक है, आप नहीं जानते होंगे पर सोवरेनिटी की बात पर तो आपको समझ लेना चाहिये कि दूसरों में भी समझ है । सोवरेनिटी के अधिकार का फायदा नेहरूजी ने उठाया । हैदराबाद में भी सोवरेनिटी थी । आज आपकी मेजोरिटी है, वैसे जैसा आप चाहें पास कर लें पर इस तरह धमकी देकर राजाओं को दबाना चाहते हैं, यह हो नहीं सकता । प्रिवीपर्स किसी की बपौती नहीं है । प्रिवीपर्स पर हाथ उठाओगे उस वक्त कम से कम राजस्थान के आधे ऐसे नागरिक हैं, उनका भी इस पर अधिकार है । आज किसी का पिता मर जाता है तो उसकी सम्पति का मालिक कौन होता है, मदनसिंह का लड़का भी हो सकता है। जयपुर की प्रिवी पर्स को छेड़ते हैं तो उस पर सारे राजावतों का अधिकार है, उसके बाद और लोगों का भी अधिकार है, खाली मानसिंह जी महाराज ही नहीं हैं, उसके बाद और भी हैं । आप अगर समझें कि 21 नरेश हैं और उनको खा जायेंगे तो आप सपने ही लेंगे । हां, आपका तरीका है उससे प्रिवीपर्स को खत्म कर सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन राजाओं की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये आप मैदान में आयेंगे लड़ने के लिये ?

श्री मदनसिंह : हमारी सम्पत्ति समझेंगे तो आयेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं आयेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप उनकी सेवा के लिये तैयार हैं ?

श्री मदनसिंह । मैं तो भारत की हर सम्पत्ति की रक्षा के लिये तैयार हूं । प्रजातन्त्र में इस तरह की बातें करते हैं तो बराबर चैलेंज होंगी । भारत की प्रधान मंत्री इन्दिराजी इतनी नहीं बोलीं, मुख्य मंत्री इतने नहीं बोले, कांग्रेस वाले इतने नहीं बोले, और चैलेंज उड़ा रहे हैं वो जो कि उस पार्टी के इस सारे सदन में एक हैं । अब की तो वे एक भी नहीं आवेंगे अलवर से चुनाव में, अगर राजाओं के जंचेगी तो......

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे खिलाफ तो अलवर का राजा घर घर फिरा है ।

श्री मदनसिंह : केवल ठाकुर मदनसिंह नहीं गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्वागत है आपका भी, अबकी बार आप भी आ जाना ।

श्री मदनसिंह : यह आज से चैलेंज है, जहां से आप खड़े होंगे वहीं से मैं खड़ा होऊंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और प्रिवी-पर्स का इश्यू हो ।

श्री मदनसिंह : प्रिवीपर्स के लिये तो आप महारानी से लड़ें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जयपुर के महाराजा व महारानी अलवर में आ जायें ।

श्री मदनसिंह : वे क्यों आप ही पधार जावें वहां ।

प्रिवीपर्स को जबरदस्ती इतना बढ़ चढा दिया शायद बढ़ाते बढ़ाते महाराणा प्रताप तक और शिवाजी तक चले जाते क्योंकि इनके बडेरे तो चाइना में जन्मे हैं।

वैसे प्रिवीपर्स खत्म कर दो तो मुझे रंज नहीं और देते हो तो खुशी नहीं, पर इस तरह का तरीका असेम्बली में अपनाया जाता है, यह ठीक नहीं है । यही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए) ।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि सदन की अनऑफिशियल रिजोल्यूशन के सम्बन्ध में क्या परम्परा है । प्रस्तावक और समर्थक दोनों होने चाहिये पर ऐसी परम्परा नहीं है । मैं चाहता था कि एक विपक्षी विचारधारा के माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में प्रकाश डालते उसके पश्चात में बोलता, पर समय का अभाव है और मैं संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ठाकुर मदनसिंहजी दांता ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे एक हद तक मैं सहमत हूं और जो बातें उन्होंने कही, उनको तो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना ही आपको निवेदन करना चाहूंगा, कि माननीय ठाकुर मदनसिंहजी ने कहा कि प्रिवीपर्स का सवाल जीवन और मरण का है । जब बहस चल रही थी गंगानगर जिले में पानी के प्रश्न पर, पानी का प्रश्न तो जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि पानी के बगैर कोई जी नहीं सकता । प्रिवीपर्स का प्रश्न जीवन मरण का प्रश्न नहीं है । यह तो उतार चढाव होते आये हैं, राज्य बनते हैं और बिगड़ते हैं, आदमी का उत्थान और पतन होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है । समय परिवर्तनशील है, यह अनादिकाल से चला आया है । कोई व्यक्ति विशेष कहे कि मेरी मोनोपाली अनादिकाल से है, वंश परम्परा तक हमेशा बना रहूंगा तो यह अवास्तविक चीज है..

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बहुत अच्छे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय प्रस्तावक ने जो भावना के साथ इस संकल्प को रखा है, वह, मैं आज की संवैधानिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यदि यह कहूं कि वह, कान्फिस्केटरी है तो उचित होगा । आज की हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसकी बैक ग्राउन्ड

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

में, उसकी पृष्ठभूमि को देखा जाय तो हमने हमारे संविधान की रचना की है अहिंसा के सिद्धान्त के ऊपर और उस संविधान के अन्दर जो प्रावधान हैं, उनमें जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक माननीय सदस्य का संकल्प है, वह मेरे ख्याल में कार्य रूप में परिणित करना संभव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल निर्विवादित बात है कि प्रभुसत्ता जनता में निहित है, अगर उनको कोई चैलेंज, चुनौती देता है तो वह मेरे ख्याल में मूर्ख है। लेकिन उसके साथ साथ जो आज हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अन्दर अगर परिवर्तन करना होगा तो संवैधानिक जो प्रावधान हैं, या तो उनके अनुकूल आपको परिवर्तन परिवर्द्धन, तरमीम तन्सीक करना होगा, नहीं तो फिर लाठी के बल पर घेराव के बल पर, नक्सलाइट एक्टिविटीज के बल पर, रिजोल्यूशन के बल पर करना होगा। यह भी अनादि काल से होता आया है। संविधान इस तरह से भी बदलते आये हैं। यह तो उपाध्यक्ष महोदय, केवल भविष्य ही बता सकता है कि संविधान किस तरह से परिवर्तित होगा।

आज मुझे एक नागरिक के नाते यह अधिकार है कि आज जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अन्दर मैं अपने हक के लिये लड़ूं। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार तो मैं कोई बुरी चीज नहीं करता, कोई कानून की अवहेलना नहीं करता, मैं एक ऐसी व्यवस्था के ऊपर चलता हूं जो मेरा जन्म सिद्ध और वैधानिक अधिकार है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमको इस बात को मान कर चलना पड़ेगा कि हमारी विधान निर्माण परिषद् जब बुलाई गई, हमारा देश जब आजाद हुआ उसके पहिले चाहे जो कुछ बुरी थी भली थी, जैसी भी व्यवस्था थी लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अन्तर्गत राजाओं का सामन्तवाद था यह निर्विवादित बात है। वह सामन्तवाद समाप्त हुआ। इसकी पृष्टभूमि को हम नहीं भूल सकते और वह सामन्तवाद जब समाप्त हुआ तो उसके बाद जनतन्त्रवाद आया। तत्पश्चात् विधान निर्मात्री-परिषद् के द्वारा विधान निर्मित हुआ तब गणतन्त्रराज्य के रूप में घोषित कर आज हमारा संविधान गणतन्त्रीय सिद्धान्तानुसार प्रतिपादित हो रहा है।

माननीय प्रस्तावकर्ता ने यह कहा कि राजा लोगों ने यह दावा किया कि वे सोवरिन हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब ब्रिटिश यहां से गये तो टैक्निकली उन्होंने राजाओं को यह कहा कि तुम सोवरिन हो लेकिन वास्तविक रूप से एक भी राजा ने यह दावा किया हो कि वह एब्सोल्यूट सोवरिन है माननीय सदस्य रामानन्दजी कुछ भी कहें, मेरे खयाल में, वह अवास्तविक है और वास्तविकता से परे है। और यह निर्विवादित बात है कि प्रिन्सेज को कोई इन्टरनेशनल पोजिशन प्राप्त नहीं थी। यह भी माननीय सदस्य ने कहा कि यदि प्रिवीपर्सेज और विशेषाधिकार एकतरफा रूप से समाप्त किये जावेंगे तो हम को अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में जावें, संविधान के अन्तर्गत हमारे हक के लिए लड़ सकें तो हम बराबर लड़ेंगे लेकिन यह कहा जाय कि हम इन्टरनेशनस कोर्ट में जावेंगे तो माननीय सदस्य को ही मुबारक हो उनकी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लौयलीटीज । ऐसा गठबन्धन कुछ हो तो आप ऐसी चीजों में विश्वास कर सकते हैं ।

श्री मदनसिंह दांता : (अश्रव्य)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : रविन्द्र सरोवर काण्ड । लोगों को घरों के अन्दर बिठाकर घेराव में लाया जाय इस प्रकार की हर रोज जो बातें सुनाई देती हैं उससे हिंसा भड़कती है । देश को उसका भी मुकाबला करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा और जो भी होगा उसको हमको ध्यानपूर्वक, गम्भीरतापूर्वक विचार करके और भारतवर्ष के नागरिक के रूप से हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, के सिद्धान्त के अनुसार हमको तकलीफ भी सहन करनी पड़ेगी और पक्ष लेने की भी जरूरत हो तो पक्ष लेना पड़ेगा । लेकिन आज जो विधान है उसके अन्तर्गत अगर हम अपने अधिकार की मांग करते हैं तो यह अनुचित नहीं हो सकता ।

डेमोक्रेटिक बैक ग्राउन्ड और फ्युडेलिस्टिक बैकग्राउन्ड को मद्देनजर रखते हुए हमने यह नहीं कहा था कि हम चाहते हैं या वह चाहते हैं लेकिन उस वक्त की सरकार, उस वक्त की भारत सरकार ने विभाजन के पश्चात्, यह अनुभव किया था कि राजा लोगों को बुलायें, राजा लोगों को एक मित्र के रूप से बुलाया जाय, साथी के रूप में उनको बुलाया जाय विभाजन के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि कम से कम सदन को रिकार्ड करना चाहिये कि केबिनेट मिशन आया तो नरेन्द्र मंडल ने सबसे पहले प्रस्ताव पास किया कि हाई कान्ट्रेक्टिंग पार्टी यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस केबिनेट प्लान को मन्जूर करती है तो प्रिन्सेज सबसे पहले उसका समर्थन करेंगे । उस प्रस्ताव के अन्दर राजाओं ने यह कहा कि इस केबिनेट मिशन की योजना के अन्दर भारत की एकता निहित है । उस प्रस्ताव में राजाओं ने यह भी कहा कि विभाजन देश के लिये अहितकर है और बहुत से लोग, भूतपूर्व नरेशों का यह निश्चित मत था कि यह विभाजन जिस प्रकार से इंगलैंड और फ्रान्स के बीच में हन्डरेड ईयर वार पैदा करने वाला हुआ उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में सौ वर्ष का कान्फिलिक्ट और सिविल स्ट्राइफ पैदा करने वाली चीज होगी और वह हुई लेकिन कोई यह कहे कि विभाजन के सम्बन्ध में ब्रिटिश ने जान बूझ कर कोई शैतानी की और देश को विभाजित किया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब से कहूंगा कि यह वास्तविकता से परे है । वे चाहते थे कि देश एक रहे । वे चाहते थे कि देश का विभाजन न हो । किन्तु सौवरिन राइट ऑफ दी पिपुल होने के नाते नोर्थ वेस्ट फ्रन्टीयर प्रोविन्स में राय जानी भी गई वहां पर कांग्रेस की सरकार थी लेकिन नोर्थ वेस्ट फ्रन्टीयर प्रोविन्स के 90 प्रतिशत लोगों ने यह कहा कि हम को पाकिस्तान चाहिये । जहां जनता जनार्दन का सवाल हो तो ऐसा होता है ।

श्री रामकिशन : उन्होंने बहिष्कार कर दिया था लाल कुर्ती दल वालों न । इसलिय मुस्लिम लीग के वोट कम होते हुए भी उनको मौका मिल गया ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामकिशनजी ने कहा वह ठीक नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : और जितने वोटर नहीं थे फिर भी फोर्ज्ड वोट डलवा दिये गये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं विषयान्तर तो हो रहा हूं . . . (व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आखिर हुआ क्या ? राय तो यही रही ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जब उन्होंने यह देखा कि जनरल कार्सलेक ने प्लेबिसाइट कण्डक्ट किया तो गफ्फार खान और डा० खान ने देखा कि थाग नहीं लगने का है तो उन्होंने चुप्पी साध ली और वे बैठ गये और वहां पर कम्यूनेलिज्म के बेसिस पर, मुस्लिम लीग के नारे के बेसिस पर जो विभाजन हुआ वह विभाजन अनिवार्य रूप से हुआ उसको हम को भी मानना पड़ा। और एक मात्र हमारे महान नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह आवाज बुलन्द की कि किसी कीमत पर इस विभाजन को नहीं माना जाय ।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

श्री रामकिशन : बाद में दब गये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : भारत सरकार ने इस प्लेबिसाइट को, उस विभाजन को माना तब विभाजन कार्य रूप में परिणत हुआ ।

तो मैं यह कहना चाहता था, उपाध्यक्ष महोदय, नरेशों को बुलाया गया और उनको यह मान्यता दी गयी कि हम तुम को नरेश के रूप में मानेंगे उनको यह कहा गया कि अमुक अमुक विशेषाधिकार हम मानेंगे । उनको यह भी कहा गया कि एक फिक्स्ड बेसिस पर प्रिवीपर्स देंगे । माननीय रामानन्द जी ने कहा कि दस लाख से ऊपर प्रिवीपर्स में रियायत की । जो फारमूला परसेन्टेज का है वह दस लाख से ऊपर वालों पर और भी सख्ती से बरता गया । 33 करोड़ की हैदराबाद रियासत की आय थी। कोई न कोई माप दंड तो लेकर के चलना ही पड़ता। माप दंड न हो तो फिर कोई बात तय करने की गुंजाइश नहीं रहती है । निजाम की 33 करोड़ की आमदनी का वन सिक्स्टी सिक्स्थ (1/66) ऑफ दी रेवेन्यू, 50 लाख की प्रिवीपर्स उनको दिया गया है । अगर आप अनुचित समझते हैं तो आपको अधिकार है उस हद तक विचार करने का, मुझ भी विचार करने का अधिकार है । तो प्रिवीपर्स फिक्स्ड हुआ। दस लाख से ऊपर व्यक्तिगत रूप से आजीवन पर्यन्त जिनकी आमदनी ज्यादा थी और बड़ी रियासतें थीं उनकी परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज्यादा नहीं था । माननीय सदस्यों को मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि कोई अगर किसी को यह कहे कि तुम्हारा घर बार और सब कुछ छोड़ दो और छोड़ कर जाते रहो तो मेरे ख्याल से ऐसा करने वालों में कुछ भी तो त्याग का माद्दा होगा । देश को आवश्यकता पड़ेगी और राजाओं को यह कहा जाय, भूतपूर्व नरेश या एक्सरूलर्स जो कुछ भी कहें, उनको सम्मान पूर्वक बिठा कर कहा जाय कि तुमको अमुक कारणों से अमुक बातों के सम्बन्ध में सहयोग देना चाहिये तो मेरे ख्याल से कोई भी जिम्मेदार नरेश ऐसा नहीं हो सकता, मेरे खयाल से कोई भी जिम्मेदार पुरुष ऐसा नहीं हो सकता कि उसको बिल्कुल इनकार ही कर दे । वह यह कह दे कि हम तो बिल्कुल हमारी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आज जो व्यवस्था है उसके ऊपर लकीर के फकीर हो होकर बैठे रहेंगे और हम उससे बिल्कुल टस के मस नहीं होंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय,.........

श्री रामानन्द अग्रवाल : आधा दीजिये बांट।"

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्षजी, आधा दीजिये बांट का कोई सवाल नहीं है। यह सिद्धान्तों का सवाल है। मैं यह कहना चाहूंगा कि देश की क्या परिस्थिति थी। माननीय प्रस्तावकर्ता ने कहा कि हमारी इन्टरिम नेशनल गवर्नमेन्ट में जब लियाकत अली खां फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने बिल्कुल ही गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की कार्यवाही को ठप्प कर दिया था। यही विभाजन का समय था। उस वक्त भाई भाई को खा रहा था। बड़े बड़े शहर जल रहे थे। मैंने अपनी आखों से देखा है, सब्जीमंडी में, हिन्दुस्तान की राजधानी में वार मेमोरियल पर, उसके सामने दो लाशें 24 घंटे तक पड़ी रहीं, जनपथ के ऊपर लाशें पड़ी रहीं, जिनको कि कोई हटाने वाला नहीं था। तो देश की यह स्थिति थी और कितने ही राजाओं को यह कहा गया कि तुमको विदेश से मदद मिलेगी, तुम अलग स्वतंत्रता की मांग करो। राजाओं ने बैठ कर गंभीरतापूर्वक विचार किया। सरदार पटेल ने उनको बुलाकर पूछा इस समय तुम विभाजन के पश्चात् अगर देश को मजबूत बनाना चाहते हो तो हमारी स्वतंत्रता सार्थक रह सकती है वरना यह नहीं रह सकती है और उस समय, उपाध्यक्ष महोदय, वे आज नहीं है हमारे बीच में लेकिन महाराणा भोपालसिंह ने सबसे पहले यह कहा कि चाहे कुछ भी हो 1300 वर्षों से मेवाड़ पर हम शासन करते चले आ रहे हैं लेकिन भारत माता की चरणों में मैं इसको अर्पित करता हूं (हर्ष ध्वनि)। आप सोच सकते हैं, एक आदमी जो चल फिर नहीं सकता, जो ऐसी स्थिति के अन्दर था कि उनको निर्णय लेना मुश्किल था। हम सब समझते थे कि कदाचित शारीरिक दौर्बल्य के कारण उनका मानसिक दौर्बल्य के कारण, उनको मानसिक दौर्बल्य भी बढ़ गया हो कि वे निर्णय नहीं ले सकेंगे परन्तु उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने अपने पड़ोसी राजाओं से कहा कि आज यह ऐतिहासिक समय है, इस वक्त आज खरी कसौटी के ऊपर अगर भारत सरकार का साथ नहीं दोगे तो फिर इतिहास इस बात का द्योतक रह जायेगा कि ये राजा लोग गद्दार थे। यह उन्होंने साफ कहा और उस समय प्रिवीपर्स, विशेषाधिकार वगैरह की कुछ भी बातें नहीं हुई। जो कुछ हुई वे बाद में हुई। यह प्रिवीपर्स होल्डर्स, मेरे ख्याल मे, 279 हैं। माननीय रामानन्दजी ने यहां पर 284 बताया है परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं 279 ही प्रिवीपर्स होल्डर्स हैं और वे किस श्रेणी में है इन लम्बी चौडी बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन विभाजन के उस वक्त, उस डांवाडोल सी स्थिति के अन्दर विदेशियों द्वारा प्रलोभन जब दिया गया तब भी राजाओं ने यह निर्णय लिया कि वे देश के साथ रहेंगे और जो समझौता हुआ वह द्विपक्षीय समझौता हुआ, एक तरफा नहीं था। एक तरफा समझौता था तो सिर्फ जम्मू-काश्मीर की रियासत के सम्बन्ध में था। जब महाराजा ने आक्रमण होने पर भारत

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सरकार से सेवा की मदद चाही थी और भारत सरकार द्वारा वह दी गई थी। और उनका प्रिवीपर्स वोटेबल ग्रांट फ्रोम दी काश्मीर लेजिस्लेटिव असेम्बली है। उनका प्रिवीपर्स जम्मू कश्मीर की विधान सभा द्वारा निर्धारित है। मैं समझता हूं कि पौने पांच करोड़ रुपया, 50 करोड़ के इस विशाल देश के अन्दर, 279 परिवारों के लिये विशेष अधिकार या प्रिवीपर्स की व्यवस्था हो तो वह जनतंत्र के हित में ी है, वह जनतंत्र को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है। मैं ऐसा अनुभव नहीं कर सकता खास कर जबकि विभाजन के पश्चात् राजाओं ने जो कुछ भी विलीनीकरण के द्वारा भारत को संगठित बनाया उसमें आधा क्षेत्रफल वर्तमान भारतवर्ष का और चौथाई जनसंख्या वर्तमान भारतवर्ष की निहित है। मैं समझता हूं आज राजाओं के पास कोई बारगेनिंग पावर्स नहीं हैं। आज भारत सरकार और इन नरेशों का अगर मुकाबला किया जाये तो वह हाथी और कीड़ी, डेविड और गुलायन का मुकावला है और इन 279 को आप बिल्कुल ही नष्ट करना चाहते हैं, इन परिवारों को बिल्कुल ही नष्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप कोई बड़ा मीर नहीं मारेंगे। इससे एक तरफ आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जायगी इन्टरनेशनल स्फेअर में आपकी प्रेस्टिज मिट्टी में मिल जायेगी और मेरे खयाल से फिर जैसे, मैं कहता हूं, यह सरकार चाटन, भाषण, उद्घाटन और झूठे आश्वासन वाली सरकार है, वह सारी बात विश्व के अन्दर चरितार्थ हो जायेगी। आज आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है और इस क्रेडिबिलिटी को आप समाप्त करना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी। उपाध्यक्ष महोदय, जब देश स्वतंत्र हुआ, मेरे ख्याल में, 500 वर्षों के अन्दर ऐसी महत्वपूर्व घटनाएं हमारे देश के अन्दर नहीं हुई। ऐसी अपूर्व, अभूतपूर्व घटना के अन्दर, देश को संगठित बनाने के अन्दर, अगर राजाओं ने उस वक्त की सरकार का साथ दिया है तो उस महान् अभूतपूर्व घटना को मान्यता देकर राजाओं को अमुक अमुक प्रिविलेजेज, प्रिवीपर्स दिये हैं। अगर कोई राजा अरेस्ट होता है तो उस पर भी कानून लागू होगा यदि उसको प्रिविलेज हैं तब भी। जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो, जैसे मैंने रामानंदजी को पहले ही कहा है, मैंने सरकारी अफसर से कहा कि आपको जो कुछ करना है आप कर लें और मुझे मेरे साथियों के साथ जेल ले जावें। यद्यपि आज एम० पी० को, मंत्रियों को, आज कई दूसरी तरह की सर्विसेज है उनको, जजेज ऑफ दी हाई कोर्ट उनको प्रिवीलेजेज हैं। हमारे ही प्रिविलेजेज को सिंगल आऊट करना मेरे ख्याल से वेन्डेटा है और उनको एक बदले की भावना के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। यदि आपको यह करना है कि राजा चुनाव नहीं लड़ें, तो उन पर बैन लगा दें लेकिन इस तरह वेनडेटा (vendata) के द्वारा आप यह कहें कि तुम सैकेन्ड क्लास सिटीजन की तरह रहो, इस तरह के अधिकार नहीं रखते हो, वरना हम तुम्हारे प्रिविलेजेज को प्रिवीपर्स को वापिस छीन लेंगे, मेरे ख्याल से इससे बढ़ कर विश्वासघात, अवसरवाद और कोई नहीं हो सकता। आज अवसरवाद का बोलबाला है। आज इस हद तक अवसरवाद बढ़ चुका है कि आज आपके कांग्रेस के सदस्य बोल रहे थे जो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मैंने सुना है, वह इस हद तक बढ़ चुका है कि बचे मेरी झोपड़ी और जले सारा गांव—येन केन प्रकरेण उनकी कुर्सी कायम रहे, इस पोलिसी ने डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया है और हमारी सर्विसेज को भी डिमारिलाइज किया है। पुलिस में डिमोरिलाइजेशन आ गया है, यदि हाई कोर्ट के जजेज में भी डिमोरिलाइजेशन हो गया तो यह देश राम भरोसे ही है। उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत की एक कहावत है 'यथा राजा तथा प्रजा।' अगर शासनकर्त्ताओं के अनुसार ही यही हाल अगर आरमी, नैवी और हमारी एयर फोर्स में प्रवेश कर गया तो क्या हाल होगा? तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। मैं मानता हूं कि राजनीति में सब तरह के दंड-फंड चलते हैं, खेले जाते हैं परन्तु इसकी बैकग्राउन्ड मोरल वैल्यू बिना नहीं चल सकती है। आपको कोई न कोई मोरल बेस कायम करनी होगी। आप कोई मोरल वेल्यू कायम नहीं करते हैं तो, मैं समझता हूं, यह जनतंत्र समाप्त हो जायेगा और इस देश की स्वतन्त्रता भी समाप्त हो जायेगी।

प्रिवीपर्स में, उपाध्यक्ष महोदय, केवल पौने पांच करोड़ रुपये का सवाल है। आज हमारे राष्ट्र के ऊपर जो ऋण है वह छः हजार करोड़ रुपये का है उस पर चार प्रतिशत ब्याज की दर को मानकर भी चलें 240 करोड़ रुपया केवल सूद का ही हो जाता है। साथ साथ हमारा जो राष्ट्रीय बजट है वह तीन हजार करोड़ रुपये का है जिसमें यह पौने पांच करोड़ रुपया एक साल का आधा परसेण्ट भी नहीं है।

श्री रामकिशन: यह तो महारावल साहब आप सन् 60 के बजट के आंकड़े बता रहे हैं। अब तो कर्जा और ज्यादा बढ़ गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: इसका मतलब यह हुआ कि मेरा कहना और भी ज्यादा वास्तविक है। मैं यह समझ रहा था कि शायद आप भी इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। मैं यह सोच रहा था कि आपकी जो विचारधारा है वह आपको सच्ची बात कहने के लिये मजबूर कर रही है....

श्री रामकिशन: मैं प्रिविपर्स का विरोधी हूं और इसका इस रूप में विरोध करूंगा।

श्री मदनसिंह: आप तो मुझे 21 राजाओं की प्रिवीपर्स दिला दीजिए मैं सन् 72 में आपकी गवर्नमेण्ट बना दूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं प्रिविपर्स की वकालत नहीं करता सिद्धांत की बात करता हूं। दो और दो मिलकर चार ही होते हैं। दो और दो मिलकर पांच करने की बात करते हैं मैं उसको नहीं मान सकता। माननीय रामानन्दजी तो दो और दो मिलकर तीन ही होते हैं यह मानने वाले हैं। लेकिन मैं तो यह नहीं मानता।

श्री रामानन्द अग्रवाल: दो और दो चार होने पर तो मामला बैठ जायेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मितव्ययता का इसमें प्रश्न नहीं है क्योंकि आज जिस तरह से भारतवर्ष के अन्दर सिद्धान्त-विहीनता पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मितव्ययता का दृष्टिकोण भी समझ में आने वाली बात नहीं। एक महान पवित्र संस्था, जिसको महात्मा गांधी ने जन्म दिया, उसी संस्था के अध्यक्ष दस वर्षों तक इन्कम-टैक्स न देवे और उसके लिये कहा जाय कि टैक्स चुकाना भूल गये। मैं समझता हूं, यह अवसरवादिता की पराकाष्ठा है।

एक माननीय सदस्य : नोटिस नहीं मिला।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नाम नहीं लिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजाओं का जीवन उल जलूल था तथा विलासिता से पूर्ण था। मैं यह कहना चाहता हूं जहां उनमें बुराइयां भी थीं वहां अच्छाइयां भी थीं। वे दारू पीते थे खुले आम पीते थे, पड़दायत रखते थे, रंण्डियां नचाते थे, यह बात किसी से छिपी नहीं थी। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है आज तो ये नेता जिनको दिन में बहनजी कहते हैं वे ही रात को बहूजी हो जाती हैं।

एक माननीय सदस्य : यह आप कम्युनिस्टों के लिये कह रहे हैं या सरकार के लियें ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ये नेता नशाबन्दी का कानून बना बैठे हैं। मैं तो यह साफ कहता हूं मैं दो पेग पीता हूं तो मुझे यह कहने में शर्म नहीं है। ये चाहे चुपके से वाड्का उड़ाते हों रसियन ब्राण्ड ऑफ वाड्का। रामानन्दजी चाहे इम्पोर्ट करके उनको सप्लाई करते हों या नहीं तो भी वे इसी को पसन्द करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी साथ साथ निवेदन करना है कि राजा लोग बहुत से साधारण नागरिक की हैसियत के ही हैं। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं 80 प्रतिशत राजा लोग साधारण नागरिक के नाते उनका मुकाबला हो सका है और जो 20 परसेण्ट हैं वे मालदार होंगे। उनके मालदार होने से मुझे व्यक्तिगत हर्ज नहीं है क्योंकि हिन्दुस्तान में कई लोग उन राजाओं से भी अधिक तवंगर हैं, रिचर हैं।

मैं यह समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव है वह अवास्तविक और अन्यायपूर्ण है। इसके साथ साथ मैं एक दो बात और कह देना चाहता हूं। भूतपूर्व जोधपुर नरेश के सम्बन्ध में यहां कहा गया। वे मेरे मित्र थे, वे उद्दंड विचारधारा के होंगे लेकिन वे देशद्रोही नहीं थे। अगर कोई एम्बैसेडर–कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली जिन्ना या मुसोलिनी से मिलने गये तो वह तो क्षम्य है और अगर कोई राजा मुसोलिनी से जाकर मिले तो यह कहा जाय कि तुम तो हिन्दुस्तान पर आक्रमण कराना चाहते हो, यह तो अवास्तविकता की पराकाष्ठा है। मुसोलिनी से, उस समय जो इटली के डिक्टेटर थे जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद चारों ओर विश्व के अन्दर छाया हुआ था उस समय पटियाला के नरेश जो एक बुद्धिमान आदमी थे जिनको मैं आज की भाषा में काइंया भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी वह जाकर मुसोलिनी से कहते कि आप हिन्दुस्तान पर अटैक

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करेंगे तो हम आपको सहयोग देंगे ? रामानन्दजी द्वारा ऐसे आरोप लगाना एक स्वर्गीय नरेश पर, मैं समझता हूं कायरता है और इसको उचित नहीं कहा जा सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मने जरमनी-दास द्वारा लिखित पुस्तक को कोट किया है जो अब तक कन्ट्राडिक्ट नहीं हुई। पटियाला के महाराजा की बात जुदा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो रूस की मदद करते हैं उनके द्वारा यहां हिन्दुस्तान में षड्यन्त्र रचाते हैं उनकी बातों को आप क्यों वजन देते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : महा-राजा जोधपुर के साथ मिस जुबेदा जो थी वह कौन थी ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जुबेदा एक मुसलमानी रण्डी थी जो महाराजा, जोधपुर की पासवान थी और उन्होंने रख रखी थी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सुखाड़ियाजी के इस तरह की तो कई पासवानें हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस तरह से जोधपुर के महाराजा पाकिस्तानी बन गये थे वास्तव में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मालूम है जब पी० सी० सी० की मीटिंग होती है आपके ये मंत्री लोग किन किन को गाड़ियों में बिठा कर ले जाते हैं ? जुबेदा थी उनकी रखेल थी वे साथ रखते थे लेकिन हमारे ये मंत्री लोग पी० सी० सी० की मीटिंग गंगानगर में हुई थी गाड़ियों में जिन जिन को बिठाकर ले गये क्या वे पी० सी० सी० की मेम्बर थीं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह झूठ है, असत्य है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये बैठे हैं मंत्री महोदय इनसे पूछिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : स्वर्गीय महाराजा, जोधपुर के लिये इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जब वे महाराणा उदयपुर से मिलने आये उस समय उदयपुर के महाराणा ने कहा उनको कि मैंने सुना है आप जिन्ना से मिलते हैं तो उस पर जोधपुर महाराजा ने कहा "हुजूर जिन्ना से मिलना कोई दोष नहीं है अगर आप मुझे देशद्रोही समझते हैं तो मैं अपना सिर कटवाने को तैयार हूं, आप मेरा सिर काट लें"।

माननीय रामानन्दजी ने कहा कि अलवर में, महलों में छतरी लगाकर जाने की मुमानियत थी। यह थी। यह बुरी थी या अच्छी थी यह मैं नहीं कहता।

श्री मदनसिंह : विधान सभा में छतरी ओढ़कर कोई आजाय तो देखें। जिस तरह से यहां कोई छतरी ओढ़कर नहीं आ सकता, यह यहां के रूल्स हैं, उसी तरह के रूल्स उस समय भी थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर रामानन्दजी छतरी ओढ़कर स्टालिन के यहां भी चले जाते तो पकड़ लिये जाते और यह तो आपको मालूम ही है वहां के जो कायदे हैं उनके मुताबिक न मालूम कितने ही जनरल्स से बिना ट्रायल के गोली से उड़ा दिये जाते हैं और उड़ा दिये गये। ऐसी व्यवस्था हर देश के अन्दर है। यदि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश के अन्दर आती है तो यह देश का दुर्भाग्य ही होगा ।

एक बात उनकी तरफ से यह भी कही गई कि अगर प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार समाप्त होते हैं तो नरेश लोग इन्टरनेशनल कोर्ट में जायेंगे । भूतपूर्व नरेशों का यह इरादा नहीं है कि हम इन्टरनेशनल कोर्ट में जायें.....

श्री रामानन्द अग्रवाल: प्रिन्सेज कोन्फर्ड की तरफ से जो पुस्तिका निकाली गई है उसमें अन्तराष्ट्रीय कानून का हवाला दिया गया है । उसके अन्दर कहा गया है कानून की तरह हमारा......

श्री उपाध्यक्ष: आप जिस समय जवाब दें उस समय कह दीजिये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामानंदजी का कहना बिल्कुल यथार्थ है । पर हमने पैसा खर्च किया है, हमने लीगल ओपीनियन ली है । कृष्ण मैनन की राय ली है ।

श्री विजयसिंह (मकराणा): कौन ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: जो डिफेन्स मिनिस्टर रह चुके हैं, जो माने हुए कम्यनिस्ट हैं । हमने छागला, शीतलवाड़ की राय ली है । इन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते कि क्या परिणाम इसका होगा । पर यह असम्भव नहीं है कि आप इन्टरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकते ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इन्टरनेशनल कोर्ट में जाने की आपने कही थी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह सलाह कृष्ण मैनन ने दी है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: पर यह हमारा निश्चय है और निर्णय है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हम एक्स्ट्रा टेरीटोरियल लॉयल्टी में बिलीव नहीं करते और यह समय ही बतावेगा । अब और कोई राजा पैसे वाला है और इंगलैंड में जाता है और वहां छः महीने रुकता है तो उसने क्या गुनाह किया है ? आप मत जाने दीजिये । पास पोर्ट मत दीजिये । पर एक आजाद देश में और कोई नागरिक बाहर जाना चाहता है और उसके पास पैसा है और वह फोरिन एक्सचेन्ज की भी डिमाण्ड नहीं करता तो उसको आप कैसे रोक सकेंगे ? और आप रोकना भी चाहें तो वर्तमान विधान की व्यवस्था के अन्दर वर्तमान कानून में तो ऐसा नहीं कर सकते तो मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं और......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वे जाते है तो जाकर वहां इज्जत से रहते हैं आपके नाथूरामजी की तरह नहीं कि फैलो ट्रेवलर की तरह सुखाड़िया जी और नाथूरामजी दोनों एक साथ ही सिंगल बेडरूम में सो जायं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं इतना ही कह कर चलता हूं कि यह प्रस्ताव अवास्तविक है और वर्तमान वैधानिक परिस्थिति में कार्य रूप में परिणत करने के योग्य नहीं है, अनुचित है, और अवांछनीय है । इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री रामकिशन: उपाध्यक्ष महोदय,

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम लोगों को भी बोलने दीजिये ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कांग्रेस की माइनोरिटी वालों को भी सुन लीजिये । अभी तक तो ये ही माइनोरिटी में × × ×

श्री उपाध्यक्ष : × × × ये शब्द हटाये जावें ।

श्री जसराज : मैं इसका समर्थन करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि किस उद्देश्य से इन प्रिविपर्स को समाप्त किया जाना चाहिए ।

श्री मदनसिंह दांता : आपकी तो प्रिवीपर्स कायम हो गई है ।

श्री जसराज : तो मैं निवेदन कर रहा था ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : किनके पैसे पर ये जीत कर आये हैं ।

श्री जसराज : अपने अपने विचार प्रकट करने का हरेक को अधिकार है ।

श्री विजयसिंह : आपने तो अपने विचार और अपने को सभी को बेच दिया है । शैम यू आर ए शैम टु एवरी बडी।

श्री जसराज (उप-मंत्री) : हमारे आजाद देश में सब को समान अधिकार हैं तो आजादी का समानता का लाभ समाज को सही माने में मिलना चाहिये ।

श्री विजयसिंह (मकराणा) : आप में और जगन्नाथजी में फरक क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कहने की जरूरत नहीं है । आप भी बोलें भाई बोलें ।

श्री जसराज : सबको समान समझा जाना चाहिये । संविधान में किसी को विशेष अधिकार हों वह अविलम्ब समाप्त होने चाहियें ।

श्री मदनसिंह : यह अम्बेडकरजी ने नहीं कहा जो कान्स्टीट्यूशन के बाप थे ।

श्री जसराज : मैं अपने विजन से गाइड हो रहा हूं नाट बाइ कान्स्टीट्यूशन ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो अपने विचार रखिये कि जब आप अजमेर में इन्स्पेक्टर थे तो 18 महीने की करप्शन में सजा हुई थी ।

श्री विजयसिंह : आजाद भारत में सजायाफ्ता को भी अधिकार है बोलने का ।

श्री मदनसिंह । आप अन्दाज लगाइये जोधपुर एच० एच० का और आपका ?

श्री जसराज : जनतन्त्र में आप विचार भी नहीं सुनना चाहते ।

श्री मदनसिंह : अच्छा बोलो, कहो, जरूर सुनेंगे ।

श्री जसराज : समान अधिकार क्या आप यहां रहने वालों को सबको नहीं देना चाहते हैं । वे इस प्रकार की भावना रखकर यह कहते हैं कि आज भी प्रिवीपर्स कायम रहे । आज भी विशेषाधिकार कायम रहें । यह सोचना पड़ेगा । आज हम किस हिन्दुस्तान में रह रहे हैं । महारावल साहब ने कहा कि वे देश के

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये ।

(श्री जसराज)

प्रति वफादार रहे हैं । तो मैं कहता हूं देश में एक हरिजन भी रहता है, गरीब भी रहता है और दूसरे लोग भी रहते हैं जब उनका कोई विशेष अधिकार नहीं है तो फिर उनको भी नहीं रहने चाहिये ।

श्री विजयसिंह : हरिजन बन जाने पर आपने तो विशेषाधिकार ले लिये हैं ।

श्री जसराज : यह तो एक दबे हुए तबके को आप सहारा देकर अपने बराबर करने के लिये कुछ कर रहे हैं । इसके पीछे कोई पोलिटिकल रीजन नहीं है । पर अब वह पुराना युग चला गया है । जब राजा महाराजाओं को विशेष अधिकार होते थे । आज के बदले हुए युग में ये अधिकार नहीं चल सकते जिससे कि वे काम नहीं करें और ऐयाशी का जीवन ही बिताते रहें ।

श्री विजयसिंह : आप क्या कर रहे हैं, आपसे अधिक ऐयाश तो वे नहीं रहे होंगे । आप तो आज जनता का पैसा ऐयाशी में ही बुरी तरह बरबाद कर रहे हैं । मुझे मालूम है, आप गाडियां कहां कहां दौड़ाते हैं, क्या क्या करते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत है ।

श्री मदनसिंह : आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर । प्रिवीपर्स के सम्बन्ध में अगर बात होती है तो बहुत ठीक है । राजाओं के नाम पर यह कहना कि वे ऐयाश थे, दुराचारी थे यह ठीक नहीं है । जो यहां मौजूद नहीं है । उनके लिये ऐसा कहना उचित नहीं है । सदन में इस तरह की बात पलेगी तो इसके लिये आदेश हो चुके हैं । स्पेसिफिक इन्स्टान्स हों तो दें । राजाओं को इन्होंने तमाशा समझ लिया है । प्रिवीपर्स के सम्बन्ध में फरमावें केवल कि यह क्यों खतम होना चाहिये । बस बस ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मानना पड़ेगा कि राजाओं ने इतने वफादार कामदार खड़े कर दिये हैं कि बहुत काफी बाधा आवेगी इनको खतम करने में ।

श्री मदनसिंह : यह सही है पर हम मूर्ख तो नहीं हैं जैसे आज चीन वाले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर में आप बात कहने के लिये दूसरों को कहते हैं, वही आप कह रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर । कोई राजाजी के जमाने की कोई आप ऐसी मिसाल बता सकते हैं कि जिनके जमाने में जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के मामले में 18 महीने की सजा हुई हो और उसे फिर भी अपना वजीर बना लिया हो जैसा इस कांग्रेस सरकार के जमाने में इन कांग्रेसी राजा महाराजाओं ने किया है ?

ये अंग्रेजों के राज का इतिहास भी उठाकर देखलें । उसमें भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा ।

श्री मदनसिंह : यह सबसे बड़ी चीज है ।

श्री जसराज : आप मुझे सुनने की तो कृपा करें ।

आप यह कहकर राजाओं की वकालत कर रहे हैं ।

श्री विजयसिंह : आप इसका जवाब तो दें।

श्री जसराज : किसी पुस्तिका में से क्वोट करके कहा गया कि उन्होंने इस प्रकार से देश हित के लिये खून बहाया है, त्याग किया है और उस त्याग की एवज में यह मुआवजा दिया गया है। त्याग का नमूना यह है कि उस समय कोई घोड़े पर सवार होकर नहीं निकल सकता था। कोई किसी प्रकार का अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता था।

श्री मदनसिंह : आप एस० पी० का ड्रेस आज भी पहन कर देखें।

श्री जसराज : मैं और ज्यादा विशेष न कहकर इतना ही कहूंगा कि आज युग की मांग है..........

(शोरगुल—व्यवधान—अश्रव्य)

उन्हें अपने आप स्वयं के विशेषाधिकारों को समाप्त करके और अपनी इच्छा से प्रिवीपर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त करके समाज में बराबर आवें हम आपकी रेस्पेक्ट करेंगे......

श्री मदनसिंह : वह माधोसिंहजी बराबर में खड़े हैं।

श्री विजयसिंह : आपको याद है आपने अजमेर में भाषण दिया था कि अगर मैं दल बदल लूं तो मेरी बच्ची को क्या समझ लेना?

(व्यवधान)

श्री जसराज : इन्होंने क्या नहीं किया? क्या किया और क्या नहीं यह तो आप स्वयं अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच लो मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। ....

श्री मदनसिंह : ग्वालियर के महाराजा ने एक हरिजन को पढ़ाकर इतना होशियार कर दिया था कि उसने कान्सटीट्यूशन बनाया।

श्री जसराज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नहीं कहना चाहता बस दर्द यही है कि किसी के पास से कोई चीज जाती है तो उसको पकड़कर रखना चाहते हैं....

श्री मदनसिंह : एक्सचेन्ज कर लो प्रोपर्टी को मैं तैयार हूं।

श्री जसराज : यह और कुछ सिर्फ इस दर्द की अभिव्यक्ति है। हम हमदर्दी कर सकते हैं और प्यार और विश्वास रख सकते हैं। मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि युग की आवाज को पहचान कर चलो। अगर युग की आवाज को नहीं पहचानेंगे तो समाज आपको पहचानेगा। इसलिए इस प्रिवीपर्स को आप अपने आप ही छोड़ दें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधोसिंहजी।

श्री माधोसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी जसराज जी ने कहा कि खून बहाना तो यहां हम उसकी निन्दा करते हैं लेकिन 19 आदमियों का कत्ल करने वाले नवाब साहब को आपने केबिनेट में बैठा रखा है। यह तो व्यासजी का स्टेटमेंट है।

श्री माधोसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर राजाओं के प्रिवीपर्स और

(श्री माधोसिंह)

विशेषाधिकारों को लेकर दोनों तरफ से विचार व्यक्त हुए । इसमें दो राय किसी की नहीं हो सकती कि प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार समाप्त किये जावे । परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन में यह निवेदन करूंगा कि जिस समय भूतपूर्व नरेशों की रियासतें विलीनीकरण की गयी थीं तब देश के अन्दर रियासतें भी मिलायी गयी थीं और हमारे पूर्वज नेताओं ने शांतिपूर्वक कटुता न लाते हुए यह काम किया था । अभी भी हमारे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री महोदय कोशिश में हैं कि भारत के अन्दर किसी प्रकार की कटुता पैदा नहीं हो और उन लोगों को समझा करके, प्रावीजन करके और कानून लाकर भी इस काम को किया जायेगा । मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से भाषण देकर और किताबों के नाम लेकर यहां भाषण देने से यह काम नहीं होगा । जिस किताब को सबसे पहले मैंने पढ़ा है । भारत के भूतपूर्व नरेशों ने जो काम किया वह इसलिए किया था कि अंग्रेजों को भगाया जाये न कि उन्होंने हिन्दुस्तान के विरोध में कोई काम किया था । उस किताब के अन्दर कई स्टेटों के बारे में लिखा है । मैंने उस किताब का एक एक शब्द पढ़ा है और उन्होंने कोई देशद्रोह का काम नहीं किया और जो कुछ किया वह देश के भले के लिए किया । इस कारण से उन्होंने बाद में किताब लिखी । मैं नहीं कह सकता कि कितना लक्ष्य है और कितना नहीं-इस बारे में तो मैं अभी चर्चा करना नहीं चाहता लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री इस प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहते हैं और उसमें कटुता लाने की चेष्टा मत कीजिए । मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार समाप्त होने चाहिए और राजाओं को विशेषाधिकारों को छोड़ना चाहिए और भारत सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए-मैं भी इसका समर्थक हूं । परन्तु इनके समाप्त करने में हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कटुता पैदा नहीं हो और हमारे आपस में नागरिक के साथ नागरिक के से व्यवहार हों और कहीं ऐसा वातावरण न फैल जावे जिससे पहले जो अच्छा काम किया था और सबको आपस में मिलाया था उसमें कहीं कटुता न हो जाये उसमें ऐसी हालत पैदा न हो जावें कि फिर किसी तरह की कोई दिक्कत सामने आये । कहीं ऐसा न हों कि लोग यह कहने लग जावें कि राजस्थान के लोगों ने ऐसा भाषण दिया कि जिसका बुरा प्रभाव पड़ा । मैं निवेदन करूंगा और प्रिन्सेस से भी निवेदन करूंगा कि हमारे इस सदन में दो तीन महाराजा हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हम चाहेंगे कि वह फैसला करें और कहें कि हम देना चाहते हैं और उनको ऐसा करना ही चाहिए । यह समय की मांग है परन्तु, जिस तरह से कटु शब्दों के साथ मांग की जा रही है मैं उसकी निन्दा किये बिना भी नहीं रह सकता और यहां पर कहा गया कि पुराने समय में क्या काम किये गये । उधर से नवाब साहब के लिये कहा कि उन्होंने ऐसा किया । मैं कहता हूं कि जनसंघ की सरकार बनेगी तो उस समय वह भी अपना शासन दृढ़ता के साथ करेगी । उस समय नवाब साहब ने काम किया तो कोई गलत काम नहीं किया । इसी तरह से डूंगरपुर महारावल ने भी कोई कार्य किया है तो कोई बुरा नहीं किया । उनकी बुराइयों और

(श्री माधोसिंह)

मलाइयों में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु प्रिवीपर्स खत्म हो और विशेषाधिकार खत्म हो इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री कार्य कर रहे हैं और वह शांति पूर्वक कर सकें यही हमारा व्यवहार होना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पाइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन सर, अभी आपने कहा कि नवाब साहब ने कोई काम किया तो क्या काम किया उन्होंने ?

श्री माधोसिंह : उन्होंने अपने शासन काल में और किसी ने शासन की बागडोर में गड़बड़ की होगी, आतंक फैलाया होगा उसको रोकने के लिए अपनी सत्ता को पुलिस को काम में लिया और कोई व्यक्ति मर गया तो उसके अन्दर उन पर दोष नहीं आता। जहां आपकी जनसंघ की सत्ता है मध्य प्रदेश में तो उसने भी काम किया होगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, समय बढ़ाना है।

क्या सदन की अनुमति है कि समय और बढ़ाया जाये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार की ओर से उत्तर हो गया।

(समय बढ़ाने के लिए ना, ना की आवाज)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही सायं 7 बजे दिनांक 1 अप्रेल, 1970 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 419 की सूची)

वन महोत्सव में आरोपित एवं जीवित पौधों की दर्ज की सूचना
(जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के आधार पर)

वर्ष	आरोपित वृक्ष	जीवित वृक्ष
1950	85	37
1951	अप्राप्य	अप्राप्य
1952	5,05,776	1,62,404
1953	9,83,900	4,75,077
1954	5,97,400	1,93,700
1955	3,43,700	2,13,300
1956	20,91,173	6,53,849
1957	184,4,127	6,57,445
1958	15,58,033	6,48,138
1959	21,83,984	6,76,013
1960	23,43,522	13,35,218
1961	20,75,778	11,93,482
1962	21,49,649	12,18,053
1963	17,04,461	10,10,708
1964	अप्राप्य	अप्राप्य
1965	11,21,227	6,56,290
1966	10,04,706	4,29,363
1967	7,64,128	3,25,595

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 421 की सूची)

Position of overdraft with the Reserve Bank of India

Date	Balance (*in lakhs*)				
31-3-69	3226.61	Excluding	W.M. Advance	of 1.31	crores.
1968-69					
Closing Balance	3441.81	,,	,,	,,	,,
30-4-69	3759.25	,,	,,	,,	,,
31-5-69	4201.57	,,	,,	,,	,,
30-6-69	(+)30.13	,,	,,	0.50	,,
31-7-69	1096.61	,,	,,	1.31	,,
31-8-69	2329.62	,,	,,	,,	,,
30-9-69	2790.40	,,	,,	,,	,,
31-10-69	4543.19	,,	,,	,,	,,
30-11-69	5246.17	,,	,,	,,	,,
31-12-69	6053.74	,,	,,	,,	,,
31-1-70	5789·74	,,	,,	,,	,,
28-2-70	5332·34	,,	,,	,,	,,

परिशिष्ट 3

सूची 'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या 424 की सूची)

Irrigation rates notified vide Government No. F 10 (6) Irrigation 66 dated 23-1-1967.

PART IV

Rates chargeable on all irrigation done from (a) all works which have been constructed after 1st January, 1952 other than from Gang Canal, Bhakra and Rajasthan Canal supplies, and (b) from all works in the works in the area of the former States of Banswara, Dungarpur and Pratapgarh.

Name of crop	*Rate per acre*
1. Sugarcane	Rs. 27.00 per year.
2. Vegetables Singhara ..	Rs. 17.00 per crop.
3. Garden	Rs. 17.00 per half year.
4. Lucern, Tobacco and Poppy ..	Rs. 15.00 per crop.
5. Rice	Rs. 8.50 per crop.
6. (a) Barley, Jawar, Bajra and Maize	Rs. 7.00 per acre per crop.
(b) All other crops other than specified in 6(a) ..	Rs. 12.00 —do—
(c) Gram, if only one watering is given	Rs. 7.00 Per crop.
7. Palewa not followed by crop ..	Rs. 4.00 for all crop.
8. Wheat	Rs. 10.00 per crop.
9. Zeera	Rs. 13.00 per crop.
10. Cotton	Rs. 13.00 per crop.

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 429 की सूची)

ग्रामों की सूची जिनसे लिफ्ट कैनाल द्वारा सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जावेगा:—

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	क्रम संख्या	ग्राम का नाम
1	2	1	2
	तहसील सूरतगढ़	25.	चक अर्जनसर
1.	उदयपुर	26.	शेरपुरा
2.	मालेर	27.	मोसमपुरा
3.	हीन्डोर	28.	मलकीसर
4.	पीपासर	29.	कपुरीसर
5.	राजियासर	30.	गोपालन
6.	चक अमरपुरा	31.	भीम. मलकीसर
7.	मोकलसर	32.	राजेना
8.	खारिया	33.	लक्ष्मीनारायणपुरा
		34.	भादेरा
	तहसील लूणकरणसर	35.	काकरवाला
9.	पलेजी	36.	लक्ष्मीनारायणसर
10.	कानियासर	37.	हेलाना
11.	चक जोर	38.	रामन
12.	चक अमरासर	39.	फूलदेसर
13.	रामसरा	40.	सिनावाला
14.	मोचरियां	41.	उदाना
15.	जसवन्तसर	42.	फूलदेसर चक
16.	लालेरा	43.	लूणकरणसर
17.	रतनोसर	44.	नाथवाना
18.	चक मघरियां	45.	जाखरावाला
19.	घेसुरा	46.	सुरनाना
20	सूरजपुरा	47.	दुलमेरा
21.	रामबाग	48.	हंसेरा –1
22.	महाजन	49.	धीरेरा
23.	अर्जनसर	50.	हंसेरा –2
24.	रानीसर	51.	उत्तमदेसर

1	2	1	2
52.	खारी	63.	खारा
53.	मकराना	64.	शेत्पालियां
54.	जैसन	65.	घौलेरा
55.	बामनवाली	66.	रूपेरा
56.	किस्तूरियां	67.	नरसरलालवाली
57.	हैफासर	68.	महरासर
58.	दानसर	69.	भैरूं भवन
	तहसील बीकानेर	70.	दीनासर
59.	जगदेवाला	71.	कानासर
60.	जामसर	72.	चक मरवा
61.	जलालसर	73.	शरानाबन
62.	खीचिया	74.	भीलवाल

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

पंचायत समिति शिव का ऑडिट

435. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, शिव का सन् 1963 एवं 1964 के लेखों का ऑडिट हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट में कई अनियमितताएं एवं गबन का उल्लेख है ?

(3) यदि हां, कितनी अनियमितताएं एवं गबन कितने का है ?

(4) उक्त अनियमितताएं एवं गबन के लिए जो अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेवार हैं उनके विरुद्ध क्या कदम उठाया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) 44 विशेष अनियमितताएं का और 11.00 रुपये के गबन का उल्लेख है।

(4) सम्बन्धित विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है जिन कर्मचारियों के पक्ष में वसूली का उल्लेख किया गया था उनसे वसूली करली गई है।

मालकाखेड़ा में परिवार नियोजन कैम्प

436. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डलगढ़) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि फरवरी, 1970 में मालकाखेडा (तहसील माण्डलगढ) में परिवार नियोजन का कैम्प लगा था ? यदि हां, तो किस तारीख को कितने दिन का लगा ?

(2) इस कैम्प में कितने अधिकारी, डॉक्टर तथा कम्पाउण्डर आदि सम्मिलित हुवे ?

(3) पैट्रोल, टी० ए०, डी० ए०, आदि का सब कुल मिलाकर खर्च इस कैम्प में कितना हुआ ?

(4) इस कैम्प पर कितने ऑपरेशन हुए और कितनी औरतों ने लूप लगवाया ?

उत्तर

(1) जी हां, यहां दो दिनों का कैंप दिनांक फरवरी 18 तथा 19 को लगाया गया था।

(2) इस कैंप में जिला परिवार नियोजन अधिकारी, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक चिकित्सक, एक सहायक नर्स, एक अटेन्डेन्ट तथा एक गाड़ी के साथ एक ड्राइवर सम्मिलित हुए।

(परिवार नियोजन मंत्री)

(3) इस कैम्प में कुल रुपये 186.92 व्यय हुआ :

(4) इस कैम्प पर केवल दो व्यक्तियों के ऑपरेशन हुए कोई लूप प्रविष्ट नहीं हुई।

उदयपुर खाद्य भण्डार में चोरी

437. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर खाद्य निगम भण्डार में कुछ माह पूर्व चोरी हो गई थी ? यदि हां, तो कितने रुपयों का क्या क्या माल, की किस तारीख को चोरी गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भण्डार किराए पर लिया हुआ है ? यदि हां, तो किस तारीख को कितने रुपया किरा पर किस व्यक्ति से लिया और भण्डार का वास्तविक मालिक कौन है ?

(स्थगित किया गया)

लाडनूं के सहायता प्राप्त छात्रावास

438. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सरकार से सहायता प्राप्त छात्रावास अनुसूचित जाति, जन जाति व पिछड़ी जाति के लिये कस्बा लाडनूं, जिला नागौर में चलाये जाते हैं ? यदि हां तो, कौन कौन से कब कब से तथा कितने कितने छात्रों के लिए और उनकी व्यवस्था किनके द्वारा की जाती है सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त छात्रावासों में से कोई छात्रावास किन्हीं संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हों तो उक्त संस्थाओं के कौन कौन सदस्य एवं पदाधिकारी हैं ? सूची मय रजिस्टर्ड संविधानों की प्रतियां सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस समय उक्त संस्थाओं में कौन कौन से छात्र कब कब से भर्ती हुए हैं और उनको किस प्रकार से किसके द्वारा भर्ती किया गया है तथा उनसे क्या क्या फीस वसूल की गई ? पूर्ण विवरण तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त छात्रावासों में से जो सहायता प्राप्त छात्रावास हैं उनकी ओर से किस किस व्यक्ति ने सरकार से कब कब कितनी कितनी सहायता प्राप्त की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) कौन कौन में छात्रावास कौन कौन से मकान में चलाये जा रहे हैं तथा उनका क्या क्या किराया किस किस व्यक्ति को दिया जा रहा है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) उक्त छात्रावासों के सम्बन्ध में क्या क्या अनियमितताएं सरकार के ध्यान में कब कब आई और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या छात्रों को सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं ? यदि

(श्री हरजीराम बुरड़क)

हां, तो इस का सत्यापन सरकार ने किस प्रकार से किया ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सहायता प्राप्त छात्रावास जिस संस्था द्वारा चलाये जाते हैं उस संस्था के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की सूची मय संविधान की प्रति के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) छात्रों का चयन स्थानीय सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। छात्रों की सूची मय दिनांक के सदन की मेज पर रख दी गई है। संस्था द्वारा 10 रुपये प्रति छात्र काशनमनी के रूप में डिपाजिट लिया गया है जो छात्रावास छोड़ने पर छात्र को वापस कर दिया जायगा।

(शेष भागों का राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

मशीनों का उपयोग

153. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई मानसिंह हास्पीटल तथा मेडिकल कॉलेज, जयपुर म किस किस मूल्य की कौन कौन सी मशीन कब कब से उपयोग में नहीं लाई गई और क्यों ?

(2) कौन कौन सी मशीन उपयोग में आने के कारण कब कब से खराब पड़ी है? इन मशीनों का उपयोग किन किन डाक्टरों द्वारा कितने कितने समय के लिये किया गया तथा इन डाक्टर्स को इन मशीनों के संबंध में कहां कहां और कब कब प्रशिक्षण दिया गया ?

(3) उपरोक्त मशीनों का क्रय किस किस वर्ष म किन किन अधिकारियों द्वारा किया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि मशीनों के क्रय के संबंध में ऑडिट आब्जेक्शन भी हुआ था ? यदि हां, तो किन मशीनों के संबंध में क्या क्या आपत्ति उठाई गई थी और उसका किस प्रकार निराकरण किया गया ?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह कॉलेज जयपुर एवं अस्पताल में जो मशीनें उपयोग में नहीं लाई गई उनकी सूची संलग्न हैं।

सूची संलग्न हैं।

(2) मशीनों का उपयोग विभाग के सभी डाक्टरों द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाता हैं इनको उपयोग के लिए डाक्टर को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती।

(3) मशीनों के क्रय का वर्ष सूची में संलग्न हैं। ये मशीने प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह कॉलेज जयपुर एवं अधीक्षक द्वारा खरीदी गई थी इसमें कुछ बहुत पुरानी हैं।

(श्री चिकित्सा मंत्री)

(4) ऑडिट आब्जेक्शन एवं निराकरण की सूची संलग्न हैं।

(सूची वि तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

व्यय में कटौती

33. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि राज्य की वित्तीय विषम स्थिति को देखते हुए सरकार ने व्यय में कटौती के निर्णय लिये हैं ?

(2) किस किस विभाग में कटौतियां एवं छटनी की गई है तथा उससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं ? प्रत्येक विभागीय कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

(3) उक्त कटौती निर्णयों से राज्य सरकार को कितनी बचत हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(3) राज्य सरकार ने गैर योजना व्यय में कमी करने के लिये मित्त व्ययता संबंधी जो कदम उठाये हैं उनको 1970-71 में 1.93 करोड़ रूपया को बचत होने की संभावना है।

सूची

क्र०सं०	नाम विभाग	कुल प्रभावित कर्मचारी	सेवा मुक्त किये गये कर्मचारी	बेशी कर्मचारी	
				अराजपत्रित	राजपत्रित
1	2	3	4	5	6
1.	पंजीयक, सचिवालय, जयपुर	7	—	—	—
2.	भेड़ व ऊन विभाग	30	—	29	1
3.	बन्दोबस्त विभाग	318	5	227	—
4.	आयुक्त, जागीर विभाग	9	—	9	—
5.	देवस्थान विभाग	14	—	—	—
6.	निदेशक, नियोजन विभाग	2	—	—	—
7.	लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग	124	—	—	—
8.	श्रम आयुक्त	1	—	1	—
9.	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई	159	—	—	—
10.	भाषा विभाग	14	—	14	—
11.	पोलिटेक्निक, बीकानेर	1	—	—	1
12.	मूल्यांकन संगठन	12	2	10	—
13.	जिलाधीश अलवर	3	—	—	—
14.	कर आयुक्त,, जयपुर	132	35	5	—
15.	राज० जन सेवा आयोग, अजमेर	12	2	10	—
16.	मुख्य नगर नियोजक	10	—	—	—
17.	आबकारी आयुक्त	55	—	14	—
18.	दुग्ध वितरण योजना	52	20	30	—
19.	आर्थिक एवं सांख्यकि विभाग	31	—	—	2
20.	राजकीय महाविद्यालय, सिरोही	3	—	—	—
21.	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा	9	9	—	—
22.	पोलिटेक्निक, उदयपुर	3	3	—	—
23.	समाज कल्याण विभाग	105	—	17	11
24.	सचिव, सैनिक, नाविक एवं वैमानिक मण्डल	3	3	—	—
25.	राजकीय महाविद्यालय, टोंक	3	—	3	—

1	2	3	4	5	6
26.	पशु पालन विभाग	135	—	8	18
27.	राजकीय महाविद्यालय, पाली	—	1		
28.	ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेण्टर, मण्डोर	2	—	—	2
29.	जिलाधीश, जालोर	1	—	1	—
30.	स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना	1	—	1	—
31.	महाविद्यालय, मीरां गर्ल्स, उदयपुर	2	2	—	—
32.	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	189	—	—	—
33.	तकनीकी महाविद्यालय, जोधपुर	28	—	25	3
	योग ..	1470	82	404	38

टिप्पणी: –उपरोक्त लिस्ट में 1-12-68 के पहले सरप्लस किये गये कर्मचारी (जैसे–ट्रेकोमा और मलेरिया स्कीम के बन्द होने से सरप्लस कर्मचारी शामिल नहीं है) उपरोक्त लिस्ट में विभाग में ही रिक्त पदों पर अन्तर्लयन किये गये कर्मचारियों की संख्या शामिल नहीं है। उपरोक्त लिस्ट एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन बनने से जो कर्मचारी सरप्लस हुये वह शामिल नहीं है।

———

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 414 की सूची) सूची 'अ'

माही (बजाज सागर) योजना से प्रभावित होने वाली भूमि व सम्पत्ति का ब्यौरा।

क्रम संख्या	विवरण	मध्य प्रदेश	राजस्थान	योग
1	प्रभावित ग्रामों की संख्या	5	67	72
2	जलमग्न होनें वाली भूमि (एकड़ों में)			
	(अ) कृषि योग्य क्षेत्र	188	17,131	17,319
	(ब) अकृषित क्षेत्र	20	15,741	15,761
3	प्रभावित कुओं की संख्या	..	464	464
4	मकान/परिवार की संख्या	..	3,750	3,750
5	प्रभावित जन संख्या	..	15,500	15,500

सूची 'ब'

माही (बजाज सागर) द्वारा सिंचित होने वाले क्षेत्रों का विवरण।

	क्रमांक	जिला	तहसील	गांवों की संख्या		अनुमानित सिंचाई
बांई नहर	1	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	58	37,211	26,000 एकड़
	2	,,	गढी	3	1,502	1,059 ,,
	3	,,	बागीडोरा	18	14,421	10,100 ,,
					53,134	37.150
दाई नहर	1	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	25	10,519	7,350 एकड़
	2	,,	घाटोल	53	19,444	13,600 ,,
	3,	,,	गढी	59	25,984	18,150 ,,
					55,947	39,100
			कुल योग	..	1,09,081	76,250 से 76000

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 416 की सूची)

विकास मद	राज्य में योजनान्तर्गत कुल व्यय	अनुसूचित क्षेत्र में व्यय		गैर अनुसूचित क्षेत्र में व्यय	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1. कृषि कार्यक्रम	17.82	0.53	3.0	17.29	97.0
2. सहकारिता व सामुदायिक विकास	9.80	0.38	3 9	9.42	96.1
3. सिंचाई विद्युत	79.24	0.68	0.9	78.56	99.1
4. उद्योग व खनन	1.58	0.08	5.1	1.50	94.9
5. परिवहन एवं संदेशवाहन	5.35	0.35	6.5	5.00	93.5
6. सामाजिक सेवाएं	26.55	0.70	2.6	25.85	37.4
7. विविध	0.53	—	1.9	0.53	100.0
योग ...	140.87	2.72	1.9	138.15	98.1

नोट।—केन्द्र संचालित योजनाओं के लिये इस प्रकार की पृथक से सूचना उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट 8

(तारांकित प्रश्न संख्या 20 की सूची)

तालिका (क)

Details of expenditure under the Family Planning Programme during the year 1967-68

1. Staff	47,82,413.85
2. Other expenditure	20,12,445.20
(Furniture, Instruments, Liveries, Books, Periodicals, Postage, Telegrams, Repairs and Renewal of Typewriters, etc.) ..	
3. Compensation for IUCD and Sterilization ..	7,73,000.00
4. Awards	3,153.26
5. Publicity and Propagandas	3,68,000.00
6. Drugs and Medicines	3,05,437.55
7. Maintenance and Purchase of Vehicles ..	2,61,000.00
8. Grant-in-aid	1,12,730.00
9. Construction of buildings for F. P. Centres (P. W. D.) ..	10,28,000.00
10. Stationery and Printing	1,92,000.00
GRAND TOTAL ..	98,38,179.86

तालिका (ख)

Statement of expenditure for the year 1968-69

Pay of Officers ..	9,35,042.99	77,06,661.88	
Pay of Establishment ..	31,26,312.35		
Travelling Allowance ..	7,18,421.89		
Other Allowances ..	29,26,884.65		
Publicity and Propaganda	5,04,000.09		
Incentives ..	23,20,000.00		
Adwards ..	1,011.09		
Maintenance of Vehicles ..	4,77,362.51	6,72,747.61	
Construction of Body building on vehicle. ..	1,95,385.10		
Purchase of Drugs and Medicines. ..	6,12,000.00		
Other Expenditure	16,76,863.17		(Furniture, Instruments, Postage and Telephone, Liveries, Books and Periodicals, Repairs and Renewal of Typewriters Rent for accommodations and O. P. etc.)
Total ..	1,34,93,283.75		
	1,83,799.34		Grant-in-aid to Voluntary Organisations.
	6,70,000.00		Construction of building etc. for F. P. Centres, through P. W. D.
	2,50,000.00		Stationery and Printing.
	52,024.16		Expenditure on Secretariat Level for F. P.
Grand Total ..	1,46,49,107.25		

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 465 की सूची)

क्र० संख्या	संस्था का नाम मय संचालन समिति	पत्र संख्या मय दिनांक	दिया गया कुल ऋण	जमा	बाकी	ब्याज की दर
1.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर।	डी/95-/केन्द्रीय/एफ (19) 7455/एज्यु/55 दिनांक 16-1-56 केन्द्रीय/एफ-9-154 वी2 (डी) (6) पार्ट 2 दिनांक 12-1-55	1,27,000	42,400	44,512	ब्याज मुक्त
2.	महेश बहु० उच्च० माध्य० विद्यालय, जोधपुर।	डी/1730 /एफ० 1 (479) एज्यु/55/ दिनांक 21-3-57	1,00,000	29,999	70,001	ब्याज मुक्त
3.	एस० पी० आर० सहारिया उच्च० मा० विद्यालय, कालाडेरा।	डी/3177/एफ-1 (456) एज्यु/जी/55 दिनांक 23-3-57	1,00,000	31,888	68,112	—जैसे—
4.	भोपालवाला आर्य बहु० उच्च० मा० विद्यालय, गंगानगर।	डी/2332/एफ-17 (14) एज्यु/सी-69/ दिनांक 6-[illegible]-70, एफ-17 (194) एज्यु/ सी/ 6[illegible]/केन्द्रीय, दिनांक 4-1-69	1,00,000	20,000	80,000	4½%
5.	महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल, जयपुर।	डी/2332/एफ-17(14)एज्यु/6/58 दिनांक 20-3-[illegible]9, एफ-17 (164) एज्यु/सी/ 60 दिनांक 4-1-69	78,000	13,000	65,000	—जैसे—

6. गांधी बहु० उच्च० मा० विद्यालय, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) ।	—वैसे—	2,00,000	39,999	1,68,001	—वैसे—
7. गांधी विद्या० मन्दिर, सरदारशहर ।	एफ-1 (2629) एज्यु/सी/बिल्डिग/57 (6-5-54) एफ-17 (61) एज्यु/सी/59 दिनांक 3-3-70, एफ-17 (104) एज्यु/सी/60, दिनांक 3-1-69	2,00,000	46,666	1,53,334	—वैसे—
8. महिला शिक्षा सदन, हटूडी (अजमेर)	डी/2332/एफ-17/14) एज्यु (26-3-60) एफ-17 (104) एज्यु/सी/60 (4-1-69)	1,10,000	14,666	95,334	4⅓%
9. सेठ पीरामल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, बगड़ ।	एफ-17 (104) एज्यु/सी/60 (6-1-62) फ-17 (104) एज्यु/सी/60 (31-10-61) एफ-17 (104) एज्यु/सी/63/1 (28-10-62)	1,50,000	24,300	1,25,700	—जैसे—
10. सरस्वती बालिका विद्यालय, उ० मा० वि०, अजमेर ।	एफ-17 (104) एज्यु/से/60/केन्द्रीय (4-1-61) —जैसे—जैसे (3-10-61) एफ-17 (104) एज्यु/से-1/ (2-3-62) एफ-17 (104)/59/से 7 (26-3-12-62)	2,00,000	3,333	1,96,667	4⅓%
11. विद्या भवन टीचर्स कॉलिज, उदयपुर ।	डी/20045/एफ-15 (98) एज्यु/11/53 (16-3-53)	2,50,000	1,06,353	141,645	जैसे

1	2	3	4	5	6	7
12.	बनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली।	डी/393/एफ/14 (23) 55(29-2-56) इन्द्रिय/एम/ज्रो/एज्यु/एफ दि० 31-3-54 नवीनीकरण (26.12-55)	1,71,600	74,360	97,240	ब्याज मुक्त
		एफ-17 (14)एज्यु/से/160 (20-10-61) एफ-17/164) एज्यु/सी/60 ग्रुप/(4161)	41,000	10332	30,768	3½%
		एफ-17(95)एज्यु/से9/760(23-10-61)	1,00,000	23,351	76,369	—जैसे—
		एफ-17(93) से/7/60 (23-10-61)	3,15,500	65,100	2,60,400	—जैसे—

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 474 की सूची)

मेड़ता तहसील में जिन लोगों ने चारा खरीदकर भिजवाया गया उसकी सूची

क्र० सं०	नाम	तादाद		चारे की किस्म
1.	मोहनसिंह	72-70	क्वि०	खाखला
2.	राज कुमार	7-00	,,	कुतर
3.	नबी बक्ष	31-00	,,	खाखला
4	रामकरण	741-1750	,,	,,
5.	रामप्रसाद	106-70	,,	कड़ब
		438-50	,,	खाखला
6.	रामलाल	251-45	,,	कडब
7.	दीपसिंह	52-00	,,	खाखला
8.	कमल खां	96-40	,,	,,
9.	डूंगाराम	70-90	,,	कड़ब
		62-70	,,	खाखला
10.	गोपाराम	60-30	,,	,,
11.	मदनलाल	37-00	,,	कुतर
		36-45	,,	खाखला
12.	नाथूलाल	61-70	,,	कड़ब
13.	हरदीन	76-25	,,	,,
14.	डडाराम	24-30	,,	,,
15.	रामचन्द्र	19-07	,,	,,
16.	हरदीनराम	500-00	,,	,,
17.	सोभागचन्द	302-50	,,	,,
18.	भंवरलाल	252-09	,,	,,
19.	हजारीराम	352-00	,,	,,
20.	प्रभूराम	189-65	,,	,,
21.	हरिराम	268-2650	,,	,,

(दिनांक 5-10-68 से जुलाई, 69 रेल व ट्रक)

रेट कड़ब रु० 13-50 प्रति क्विंटल लूम रु० 25-00 प्रति क्विंटल

कूतर रु० 15-00 ,, ,, खाखला रु० 16-00 ,, ,,

Page No 221

परिशिष्ट 11

(तारांकित प्रश्न संख्या 480 की सूची)

तालिका 'क'

Statement showing year-wise total budget allocations expenditure in connection with family planning programme in Rajasthan

	Budget allocation			Expenditure		
	State	Central	Total	State	Central	Total
Second plan :						
1956-57	..	..	..	..	..	..
1957-58	1.01	..	1.01	0.41	..	0.41
1958-59	0.76	1.29	2.05	0.13	0.52	0.65
1959-60	0.27	3.00	3.27	0.16	1.29	1.45
1960-61	0.37	3.48	3.85	0.37	3.01	3.38
TOTAL ..	2.41	7.77	10.18	1.07	4.82	5.89
Third plan						
1961-62	0.25	7.25	7.50	0.60	6.70	7.30
1962-63	1.80	12.00	13.80	0.85	11.40	12.25
1963-64	1.50	14.42	15.92	1.50	7.82	9.32
1964-65	2.80	14.20	17.00	2.80	12.88	15.68
1965-66	3.41	52.77	56.18	3.20	21.72	24.92
TOTAL ..	9.76	100.64	110.40	8.95	60.52	69.47
1966-67	10.84	66.48	77.32	3.00	50.42	53.42
1967-68	8.00	97.57	105.57	2.59	95.79	98.38
1968-69	3.00	138.95	141.95	3.00	143.49	146.49
1969-70	..	167.75	167.75	..	1,35,27	1,35,27

Up to February, 1970.

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 218 की सूची)

छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची

क्रमांक	नाम	छात्रवृत्ति दर	कब से
1	2	3	4
1.	श्री भीखालाल	35 रु०	अगस्त 69
2.	श्री मगनलाल	35 रु०	अगस्त 69
3.	श्री गौतमलाल	55 रु०	अगस्त 69
4.	श्री लाल शङ्कर	35 रु०	अगस्त 69
5.	श्री नाथूलाल	35 रु०	अप्रेल 69
6.	श्री विनोदचन्द	35 रु०	अप्रेल 69
7.	श्री हेमराज	35 रु०	अप्रेल 69
8.	श्री लालशंकर	35 रु०	अप्रेल 69
9.	श्री रमेशचन्द्र	35 रु०	अप्रेल 69
10	श्री जीवनलाल	35 रु०	अप्रेल 69
11.	श्री रामशंकर	35 रु०	अप्रेल 69
12.	श्री कान्तिशंकर	40 रु०	अप्रेल 69
13.	श्री भगवानशंकर	35 ०	अप्रेल 69
14.	श्री रूपलाल	35 रु०	अप्रेल 69
15.	श्री नटवरलाल	35 रु०	अप्रेल 69
16.	श्री विमलप्रकाश	35 रु०	अप्रेल 69
17.	श्री दीनबन्धु लहूटा	40 रु०	अप्रेल 69
18.	श्री कन्हैयालाल	35 रु०	अप्रेल 69
19.	श्री उमरदेव गामोर	35 रु०	अप्रेल 69
20.	श्री लक्ष्मण	35 रु०	अप्रेल 69
21.	श्री हीरालाल सैगाड़ा	35 रु०	अप्रेल 69
22.	श्री रूपेन्द्रकुमार	40 रु०	अप्रेल 69
23.	श्री रामसिंह	35 रु०	अप्रेल 69
24.	श्री मनोहरसिंह घरासिया	35 ०	अप्रेल से जून व अगस्त 69
25.	श्री विरेन्द्रप्रकाश	35 रु०	जुलाई 69 से अप्रेल 70
26.	श्री वेलजीराम	35 रु०	,, अप्रेल
27.	श्री रणछोड़लाल	35 रु०	,, अप्रेल
28.	श्री कान्तिलाल	35 रु०	जुलाई 69 से

1	2	3	4
29.	श्री कालीदास	40 रु०	जुलाई 69 से
30.	श्री जीवनलाल	35 रु०	जुलाई 69 से
31.	श्री हरीशचन्द्र	35 रु०	जुलाई 69 से
32.	श्री गोविन्दराम	35 रु०	जुलाई 69 से
33.	श्री धूलचन्द	35 रु०	जुलाई 69 से
34.	श्री बाबूलाल	35 रु०	जुलाई 69 से
35.	श्री अमृतलाल	35 रु०	जुलाई 69 से
36.	श्री त्रिलोकीनाथ	35 रु०	जुलाई 69 से
37.	श्री शंकरलाल	35 रु०	जुलाई 69 से
38.	श्री शान्तिलाल	35 रु०	जुलाई 69 से
39.	श्री सोहनलाल	35 रु०	जुलाई 69 से
40.	श्री नाहरसिंह	40 रु०	जुलाई 69 से
41.	श्री कारीलाल	35 रु०	जुलाई 69 से
42.	श्री कालुलाल	35 रु०	जुलाई 69 से
43.	श्री हरीशचन्द	35 रु०	जुलाई 69 से
44.	श्री हरीप्रकाश	35 रु०	जुलाई 69 से
45.	श्री गोविन्दराम	40 रु०	जुलाई 69 से
46.	श्री प्रेमजी	40 रु०	जुलाई 69 से
47.	श्री शंकरलाल	35 रु०	जुलाई 69 से
48.	श्री प्यारेचन्द	35 रु०	जुलाई 69 से
49.	श्री अमृतलाल	35 रु०	जुलाई 69 से
50.	श्री मोतीलाल	35 रु०	जुलाई 69 से
51.	श्री महेशचन्द्र परमार	35 रु०	जुलाई 69 से
52.	श्री अमरसिंह रोल	35 रु०	जुलाई 69 से

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 1970)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
3	12	सतीशचद्र	सतीशचन्द्र
4	1	में	मै
5	अन्तिम से 7	प्रसारित	प्रसारण
9	6	बढ़ना	बढान
12	8	उसमें	उनमें से
15	अन्तिम से 12	वह काम	—
15	" 8	कम	काम
20	9	ह	हैं
22	अन्तिम से 15	म	में
22	" 8	ह	है
27	" 10	बड़े	बढ़े
34	7	ज्याद	ज्यादा
34	अन्तिम से 5	करन	करने
39	18	राजनतिक	राजनैतिक
39	13	में	मैं
40	10	म	में
49	9	म	में मैं
50	अन्तिम से 9	य	ये
50	" 6	लिय	लिये
51	5	यें	में
55	अन्तिम से 9	अध्क्षजी	अध्यक्षजी
56	" 8	टक्स	टैक्स
72	" 5	स्टे	स्टेट
79	" 11	योग्राफिकल	ग्रफिकल
81	" 5	प्रीजेक्ट	प्रोजेक्ट
84	" 12	रिोसेंज	रिसोर्सेज
86	7	बढी	बढ़ी

1	2	3	4
86	16	रिसोसज	रिसोर्सेज
88	अन्तिम से 13	कर	—
93	,, 7	क	का
98	,, 1	हुलव	हलवा
101	,, 12	म हों व	मे हों वे
125	8	ह	है
136	4	मेंन	मैंने
139	7	निकालन	निकालने
142	अन्तिम से 6	न	नें
152	,, 13	लिय	लिये
152	,, 1	परित्र	परिपत्र
159	2	खलकर	खुलकर
161	अन्तिम से 10	अयिन्तागण	अभियन्तागण
162	10	वद्धिचन्द	वृद्धिचन्द
164	अन्तिम से	तकाल	तत्काल
167	,, 2	रखन	रखने
174	,, 14	सचना	सूचना
174	,, 4	समात	समाप्त
175	8	विभावार	विभागवार
182	20	अय	अन्य
186	शीर्षक	प्रनोत्तर	प्रश्नोत्तर
191	अन्तिम से 12	सरद	रसद
199	,, 10	मेंज	मेंजे
200	,, 5	जावगा	जावेगा
212	,, 14	रामनन्द	रामानन्द
222	7	अभिमख	अभिमुख
224	3	स्पान	स्थापन
268	अन्तिम से 1	कमेटी	कमेटी में
348	,, 11	का	को
355	शीर्ष	ी	श्री
366	अन्तिम से 12	सलिए	इसलिए
373	,, 8	नता	नेता
389	,, 5	मनें	मैंने

8

1	2	3	4
391	2	दमाग्य	दुर्भाग्य
391	18	रामान्दजी	रामानन्दजी
392	अन्तिम से 12	नाथरामजी	नाथूरामजी
392	5	ये	मैं
393	8	लमर्थन	समर्थन
401	अन्तिम से 1	अदर	अन्दर